रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D.(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 1981 (कार्तिक 30, 1903)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1981 (KARTIKA 30, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifisations including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 25 सितम्बर 1981

सूचनाएं

इसके द्वारा बैंक में की गई स्टाफ की नियुक्ति की निम्नलिखित सूचना दी जाती है ।

श्री एन० एन० महाजन ने कानपुर सर्किल के मुख्य महाप्रबन्धक के पद का पदभार 10 सितम्बर 1981 से ग्रहण किया ।

श्री एन० अग्रवाल ने महाप्रबन्धक श्रेणी में, केन्द्रीय कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार 22 सितम्बर, 1981 से ग्रहण किया ।

आर० पी० गोयल
उप प्रबंध निदेशक
कार्मिक एवं सेवाएं

कृषि ऋण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

गारमेंट हाउस, पो०आ०सं० 16575

बम्बई-400018, दिनांक 22 अक्तूबर 1981

सं० ए० सी०डी०. 59/ए० 18-81/82—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खन्ड (यक) के साथ पठित धारा 36 'क की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित वेतन भोगियों की समितिया उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सहकारी बैंक नही रह गयी हैं : —

क्रम सं०	समिति का नाम	राज्य
1.	वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाईज को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड उदयपुर	राजस्थान
2.	बी०वाई कंजरवेसी एम्प्लाईज को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बम्बई	महाराष्ट्र

रमेशचन्द्र प्रधान
अपर मुख्य अधिकारी

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम
बम्बई, दिनांक 13 अक्तूबर 1981

सं. जी. एस. आर.—कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 32(2) के अनुसरण में 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के लिये निगम के कार्य तथा 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र तथा लाभ हानि लेखे पर बोर्ड की रिपोर्ट नीचे प्रकाशित की जाती है।

करोड़ रुपये

साधन	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को			उपयोग	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को		
	1979	1980	1981		1979	1980	1981
चुकता शेयर पूंजी, प्रारक्षित निधि और अन्य निधियां	85	90	103	निम्नलिखित को प्रदान किया गया पुनर्वित्त (बकाया)			
भारत सरकार से उधार (जिसमें अंविसंघ/अंपुवि बैंक की सहायता)	502 (444)	645 (548)	879 (679)	राज्य भूमि विकास बैंक (जिसमें से अंविसंघ/अंपुवि बैंक परियोजनाओं के अधीन)	663 (435)	750 (484)	859 (559)
भारतीय रिजर्व बैंक की दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि से	264	315	366	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जिसमें से अंविसंघ/	372	539	715
अल्पावधि				अंपुवि बैंक परियोजनाओं के अधीन)	(184)	(269)	(358)
खुले बाजार से	246	286	321	राज्य सहकारी बैंक (जिसमें से अंविसंघ/	11	15	18
				परियोजनाओं के अधीन)	(3)	(8)	(12)

करोड़ रुपये

विवरण	जून के अंत की विद्यमान स्थिति							
	1969	1974	1976	1977	1978	1979	1980	1981
चुकता शेयर पूंजी, प्रारक्षित निधि और अन्य निधियां	5	17	29	42	59	85	90	103
विशेष जमा	1	1	2	3	4	5	7	7
उधार :								
भारत सरकार से	26	164	250	340	428	502	645	879
भारतीय रिजर्व बैंक से	—	66	140	173	217	264	315	366
अल्पावधि	—	12	2	—	—	—	—	—
दीर्घावधि	—	54	138	173	217	264	315	366
खुले बाजार से	—	66	138	182	202	246	286	321
मंजूर की गई योजनाओं की संख्या	233	1457	2905	4487	6221	8655	12225	16574
कृपुविनि के कुल वायदे	156	704	1147	1465	1770	2303	3077	3860
दिया गया पुनर्वित्त (निवल)	30	310	549	722	874	1046	1304	1592
डिबेंचर	28	272	426	525	590	661	749	857
ऋण	2	38	123	197	284	385	555	735
निवेश और प्रारक्षित नकदी	1	—	—	—	23	32	26	70
सकल आय	1	16	30	41	55	69	85	105
निवल लाभ	—	1	3	5	12	14	16	18
अदा किया गया लाभांश	—	1	1	2	2	3	3	3

करोड़ रुपये

सारणी 1 –पुनर्वित्त का वितरण—प्रयोजनवार (जुलाई–जून)

प्रयोजन	निम्नलिखित वर्षों में								30 जून 1981 तक
	1963–69£	1969–74£	1974–76£	1976–77	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	
लघु सिंचाई	13 (43.3)	242 (84.6)	192 (69.3)	142 (64.3)	143 (61.1)	171 (60.0)	227 (55.1)	265 (53.1)	1394 (62.7)
भूमि विकास *	14 (46.7)	14 (4.9)	7 (2.5)	6 (2.7)	4 (1.7)	11 (3.8)	10 (2.4)	13 (2.6)	79 (3.5)
कृषि मशीनीकरण*	–	7 (2.5)	58 (20.9)	52 (23.5)	28 (12.0)	41 (14.4)	92 (22.4)	110 (22.1)	389 (17.5)
बागान/बागवानी	2 (6.7)	9 (3.1)	5 (1.8)	5 (2.3)	8 (3.4)	12 (4.2)	21 (5.1)	24 (4.8)	86 (3.9)
मुर्गीपालन/भेड़पालन/सूअरपालन	–	–	1 (0.4)	1 (0.4)	2 (0.9)	4 (1.4)	11 (2.7)	14 (2.8)	33 (1.5)
मत्स्यपालन	–	2 (067)	4 (1.4)	2 (0.9)	5 (2.2)	8 (2.8)	10 (2.4)	10 (2.0)	42 (1.9)
डेरी विकास	–	2 (0.7)	4 (1.8)	3 (1.4)	4 (1.7)	7 (2.5)	10 (2.4)	11 (2.2)	42 (1.9)
भंडार और बाजार केन्द्र	1 (3.3)	10 (3.5)	6 (2.2)	10 (4.5)	38 (16.2)	27 (9.5)	15 (3.7)	16 (3.2)	122 (5.5)
वन उद्योग	–	–	–	–	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.2)	1 (0.2)	4 (0.2)
एकीकृत कई विकास परियोजना (म० अ०)	–	–	–	–	1 (0.4)	3 (1.0)	5 (1.2)	6 (1.2)	—
गोबर गैस संयंत्र	–	–	–	–	–	–	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.1)
अन्य	–	–	–	–	–	–	9 (2.2)	28 (5.6)	30 (1.3)
जोड़	30 (100.0)	286 (100.0)	277 (100.0)	221 (100.0)	234 (100.00)	285 (100.0)	412 (100.0)	499 (100.0)	2223 (100.0$

करोड़ रुपये)

सारणी 2—पुनर्वित्त का वितरण—एजेंसीवार (जुलाई–जून)

एजेंसी	निम्नलिखित वर्षों में								30 जून 1981 तक $
	1963–69£	1969–74£	1974–76£	1976–77	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	
राज्य भूमि विकास बैंक	28 (93.4)	246 (86.0)	176 (63.5)	127 (57.4)	112 (47.9)	131 (46.0)	164 (39.8)	212 (42.5)	1186 (53.4)
जिसमें से अंपुवि बैंक परियोजना के अधीन	–	–	–	–	–	1	1	1	3
जिसमें से अंविसंघ परियोजनाओं के अधीन	–	122	143	100	86	88	109	113	781
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1 (3.3)	28 (9.8)	98 (35.4)	93 (42.1)	120 (61.3)	150 (52.6)	239 (58.0)	278 (55.7)	1005 (45.2)
जिसमें से अंपुवि बैंक परियोजनाओं के अधीन	–	1	1	—	–	–	1	1	4
जिसमें से अंविसंघ परियोजनाओं के अधीन	–	4	51	55	46	72	120	139	484
राज्य सहकारी बैंक	1 3.3	12 (4.2)	3 (1.1)	1 (0.5)	2 (0.8)	4 (1.4)	9 (2.2)	9 (1.8)	32 (1.4)
जिससें से अंविसंघ परियोजनाओं के अधीन	–	–	–	–	2	4	8	9	12
जोड़	30 (100.0)	286 (100.0)	277 (100.0)	221 (100.0)	234 (100.0)	285 (100.0)	412 (100.0)	499 (100.0)	2223 (100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं। £वर्षवार आंकड़े इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गये हैं। $इसमें अल्पावधि वित्त शामिल नहीं है।

*कृपया पृष्ठ 59 में व्याख्यात्मक टिप्पणी के अधीन टिप्पणी 2 देखें।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम

18 वीं वार्षिक रिपोर्ट 1980-81

पिछले वर्ष के 412 करोड़ रुपयों के मुकाबले इस वर्ष के दौरान कुल वितरण 499 करोड़ रुपये हुआ जो अब तक के वितरणों में सबसे अधिक रहा। इससे 21 प्रतिशत बढ़ोतरी का रिकार्ड स्थापित हुआ है।

इसी प्रकार, कृपुविनि ने 800 करोड़ रुपयों के वायदों की नई योजनाएं अनुमोदित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

2 जनवरी 1980 से लागू हुई तीसरी कृपुविनि ऋण परियोजना के अंतर्गत जून 1981 के अंत तक, संचयी वितरण 377 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया जो अंविसंघ के 335 करोड़ रुपये के अंदाज से भी 42 करोड़ रुपये अधिक हो गया है।

इस वर्ष पश्चिम बंगाल में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (कृविअंनि) की सहायता से सुंदरबन विकास परियोजना के बारे में समझौता हुआ।

अपेक्षित संसाधन ऐसे जुटाए गए : भारत सरकार से 245 करोड़ रुपये, भारतीय रिजर्व बैंक से 95 करोड़ रुपये, बाजार से 35 करोड़ रुपये उधार लिए गये और बाकी की राशि सदस्य बैंकों से चुकौती के रूप में प्राप्त हुई।

1980-81 में कृपुविनि ने 133 करोड़ रुपये के बराबर की राशि द्विपक्षीय दाताओं से ऋण के रूप में प्राप्त की। इससे पहले कभी इतनी राशि प्राप्त नहीं की थी।

कार्यकलाप

कृषि की स्थिति

1979-80 में अभूतपूर्व सूखा पड़ा जिससे 380 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन का सूचकांक (1969-70 को समाप्त हुई त्रैवार्षिकी-100) 21 दर्जा गिरकर 116.5 रह गया। 1980-81 के दौरान भी देश के कुछ भाग सूखे से प्रभावित रहे। तमिलनाडु, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में खरीफ के मौसम के दौरान हुई कम वर्षा से 223 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ, तथा रबी के मौसम में 260 जिलों, विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में उत्पन्न हुई, सूखे या आधे सूखे की स्थिति का उल्लेख भी यहां विशेष रूप से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम में भी बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान हुआ।

1.2 देश के कुछ भागों में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुल मिलकर पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कृषि उत्पादन का सूचकांक 19 प्रतिशत बढ़कर 138.6 हो गया। अकेले खाद्यान्न का उत्पादन हो 22 प्रतिशत बढ़ा और 1330 लाख टन की एक नई सीमा तक पहुंच गया। गैर-खाद्यान्न उत्पादन में भी लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मगर यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1980-81 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में हुई वृद्धि का लगभग दो तिहाई भाग मुख्य रूप से 3 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में था। कर्नाटक और तमिलनाडु में अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले इस गिर गया। 5 प्रमुख राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, बल्कि विशिष्ट रूप से राजस्थान में, 1980-81 में अनाज का उत्पादन, 1978-79 के रिकार्ड स्तर से नीचा रहा।

1.3 1980-81 के दौरान कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि, देश के अधिकतर भागों में अच्छे मौसम के परिणामस्वरूप ही नहीं बल्कि उन सतत प्रयासों के कारण भी हुई जो कि 1979-80 के दौरान हुए नुकसान को पूरा करने के लिए किए गए। जिन प्रयासों का उल्लेख यहां किया जा सकता है वे हैं—अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, अधिक उपज देनेवाली किस्मों (अधिउकि) के बीजों के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र का विस्तार, समय पर और उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होने वाले खेत निवेश, कीटानाशक दवाइयां और अधिक मात्रा में ऋण की उपलब्धता। इस प्रकार 1980-81 में 25 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की अतिरिक्त संभावनाओं का पता लगाया गया। सिंचाई क्षमता का संचयी स्तर अब 590 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इस वर्ष "अधिउकि" के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र में लगभग 100 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हो गई और यह बढ़कर 452 लाख हेक्टेयर हो गया जो कि सकल फसल क्षेत्र का एक चौथाई से भी अधिक है। सरकार ने खाद का भी भारी आयात किया। परिणामस्वरूप इनकी कीमतों में 38 प्रतिशत वृद्धि हो जाने के बावजूद भी वर्ष के दौरान खाद की खपत 3.2 लाख टन बढ़ गई और बढ़कर 55.8 लाख टन हो गई। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बनाए जानेवाले कार्यक्रमों को संस्थागत ऋण की बढ़ी हुई मात्रा से भी काफी समर्थन मिला।

1.4 रिकार्ड उत्पादन के बावजूद भी सप्लाई में रूकावटें आईं। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक वस्तुओं की थोक कीमतों का वार्षिक औसत सूचकांक (1970-71=100) 15% और ऊपर हो गया और 1980-81 के दौरान 237 तक पहुंच गया। कृषि उत्पादन की कीमतों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बावजूद वर्ष के दौरान कृषि व्यापार में गिरावट जारी रही। इस प्रकार निर्मित वस्तुएं के मूल्य सूचकांक के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक जो 1978-79 में 101.1 से 1979-80 में घटकर 95.7 रह गया था, वह 1980-81 के दौरान और भी घटकर 92.3 रह गया। कृषि व्यापार में हुए परिवर्तनों को देखते हुए अनाज और महत्वपूर्ण नकदी फसलों, दोनों के समर्थन/वसूली मूल्य पिछले वर्ष के मुकाबले, 1980-81 के दौरान अधिक निर्धारित किए गए।

मंजूरियां

1.5 पिछले वर्ष की स्थिति के मुकाबले इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाएं और किए गए वायदों की संख्या काफी अधिक थी। 1979-80 की 3657 योजनाओं के मुकाबले इस वर्ष निगम द्वारा सदस्य बैंकों को 4494 योजनाएं मंजूर की गईं। इन योजनाओं के अन्तर्गत किए गए कुल वायदे भी इस साल अधिक थे अर्थात् 819 करोड़ रुपये के थे, जबकि पिछले वर्ष ये वायदे 757 करोड़ रुपये के ही थे। असम, पंजाब, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर, वायदों में हुई इस वृद्धि के हिस्सेदार सभी प्रमुख राज्य थे। वर्ष के दौरान की गई मंजूरियों और वितरणों का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है।

1.6 वायदों के आकार-वर्ग के अनुसार मंजूर की गई योजनाओं का आकार-वार वर्गीकरण विवरण-3 में दिया गया है। इसका सारांश सारणी - 3 में दिया गया है :

सारणी 3—1979-80 और 1980-81 के दौरान मंजूर की गई योजनाओं का आकारवार वर्गीकरण

योजनाओं का आकार	1979-80£		1980-81	
	योजनाओं की संख्या	वायदे (करोड़ रु०)	योजनाओं की संख्या	वायदे (करोड़ रु०)
5 लाख रुपये तक (रुपये)	1182	31	1449	40
5 से 10 लाख रु० तक (रुपये)	897	68	1349	102
10 से 25 लाख रुपये तक (रुपये)	1031	169	1197	180
25 से 50 लाख रुपये तक (रुपये)	372	130	294	101
50 से 100 लाख रुपये तक (रुपये)	93	63	122	86
100 लाख रुपये से ऊपर	82	235	83	224
	3657	696	4494	733

£एग्राविका वायदों को छोड़कर ।

1.7 आकार-वार, 10 लाख रुपये के वायदा वाली 2798 योजनाएं बनी जो कुल मंजूर योजनाओं की संख्या का 62 प्रतिशत है किन्तु वायदों की दृष्टि से ये कुल योजनाओं का 19 प्रतिशत ही बनती है। अधिकतर योजनाएं 10 से 25 लाख रुपये के वर्ग में ही आती है। प्रति योजना 100 लाख रुपये से अधिक वायदों वाली योजनाओं की संख्या पिछले साल जितनी ही थी। प्रयोजनवार, लघु सिंचाई की 1756 योजनाएं पहले तीन वर्गों में आती है। इस प्रयोजन में योजना का आकार पिछले वर्ष के 28 लाख रुपयों के मुकाबले इस वर्ष 22 लाख रुपये था अर्थात थोड़ा था। मुर्गीपालन, भेड़पालन, डेरी विकास और मत्स्यपालन के अन्तर्गत अधिकतर योजनाएं छोटी थी अर्थात् 10 लाख रुपये तक की थी।

1.8 वर्ष के दौरान मंजूर की गई सभी योजनाओं के लिए वायदों का आकार और घट गया था तथा 1979-80 के 19 लाख रुपये से घटकर 1980-81 में 16 लाख रुपये रह गया जिससे यह संकेत मिलता है कि अधिकतर योजनाओं के लिए अपेक्षाकृत कम वायदे किए गए । वाणिज्य बैंकों के मुकाबले, राभूवि बैंकों के लिए मंजूर की गई योजनाओं का औसत आकार बड़ा था।

1.9 वर्ष के दौरान रास बैंकों को छोड़कर कृपुवित्त कार्यक्रम में भाग लेनेवाली सभी एजेंसियों की मंजूर की गई योजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई जबकि राभूवि बैंकों और रास बैंकों को मंजूर की गई योजनाओं के सम्बन्ध में किए गए वायदों में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मामूली गिरावट आई। लेकिन वाणिज्य बैंकों को किए गए वायदों में बढ़ोतरी हुई। मंजूरियों और वायदों का एजेंसीवार बटवारा सार रूप में सारणी—4 में दिखलाया गया है।

सारणी 4—मंजूर की गई योजनायें—एजेंसीवार@

वर्ष	राभूवि बैंक वाणिबैंक	क्षेग्रावैंक	रासबैंक	जोड़
क योजनाओं की संख्या				
1979-80	919 2553	84	101	3657
	(25) (70)	(2)	(43)	(100)
1980-81	1346 2978	98	72	4494
	(30) (66)	(2)	(2)	(100)
ख कृपुवित्त के वायदे (करोड़ रुपये)				
1979-80	296 371	15	14	696
	(43) (53)	(2)	(2)	(100)
1980-81	294 415	14	10	733
	(40) (56)	(2)	(2)	(100)
ग योजनाओं का औसत आकार (लाख रुपये)				
1979-80	32 15	18	14	19
1980-81	22 14	14	14	16

@एग्राविका को छोड़कर ।
(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं)

1.10 हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष के दौरान अधिक योजनाएं प्रायोजित की, मगर उनके अन्तर्गत किए गए वायदे पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम थे। इस वर्ष क्षेग्रा बैंकों के लिए 98 योजनाएं मंजूर की गई जिनमें कृपुवित्त के वायदे (एग्राविका को छोड़कर) 14 करोड़ रुपये के थे, जबकि पिछले साल के दौरान 84 योजनाएं मंजूर की गई थी और उनके लिए 15 करोड़ रुपयों के वायदे थे। कृपुवित्त के कार्यकलापों में भाग लेने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या भी वर्ष के दौरान बढ़कर 30 जून, 1981 को 36 से 55 तक पहुंच गई जिनके लिए 50 करोड़ रुपये के वायदे थे। इनमें से कुल मिलाकर 22 करोड़ रुपये का आहरण कर लिया गया था। कृपुवित्त के पुनर्वित्त का उपयोग करनेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार स्थिति विवरण 6 में और सार स्थिति सारणी-5 में दी गई है।

सारणी 5—1979-80 और 1980-81 के दौरान क्षेग्रा बैंकों को मंजूर किया गया पुनर्वित्त

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वायदे	वितरण	30 जून 1981 को संचयी स्थिति	
			वायदे	वितरण
1979-80	20	9	27	12
1980-81	22	10	50	22

1.11 पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी, प्रयोजनवार, मंजूर की गई योजनाओं और वायदों का सबसे बड़ा हिस्सा लघु सिंचाई का रहा। वर्ष के दौरान कुल 819 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का वादा किया गया जिसमें से लघु सिंचाई का हिस्सा 53 प्रतिशत अर्थात् 434 करोड़ रुपये का था जबकि पिछले वर्ष यह 50 प्रतिशत था। लघु सिंचाई के बाद कृषि मशीनीकरण और बागान/बागबानी की योजनाओं का हिस्सा भी काफी रहा अर्थात क्रमशः 13 प्रतिशत और 6 प्रतिशत। फिर भी पिछले वर्ष के क्रमशः 16 और 9 प्रतिशत के हिस्से के मुकाबले इस वर्ष प्रतिशत कम रहा। विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के परिणामस्वरूप विविध प्रयोजन

के लिए मंजूर की गई योजनाओं की संख्या वर्ष के दौरान बढ़ गई। भूमि विकास से सम्बन्धित योजनाओं में, संख्या और वायदों दोनों दृष्टियों से गिरावट आई। योजनाओं की मंजूरी का प्रयोजनवार वितरण सारणी-6 में दिया गया है:

सारणी 6—1980-81 के दौरान की गई मंजूरियां—प्रयोजनवार

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या (एग्रा-विका को छोड़कर)	कृषुविनि वायदे एग्राविका सहित
लघु सिंचाई	2011	434
भूमि विकास	93	26
कृषि मशीनीकरण	536	107
बागान/बागवानी	370	48
मुर्गीपालन/भेड़पालन/सुअर पालन	486	28
मत्स्यपालन	171	16
डेरी विकास	378	28
भंडार और बाजार केन्द्र	126	24
अन्य	323	108
जोड़	4494	819

1.12 एग्राविका के अन्तर्गत कृषुविनि ने 1980-81 के दौरान पर्याप्त वायदे किये। 1979-80 के 61 करोड़ रुपयों के मुकाबले 1980-81 के दौरान 85 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वायदे किये। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गये प्रयासों द्वारा यह संभव हो सका। 30 जून 1981 तक जो बैंकिंग योजनाएं मंजूर की गई थी उनमें 1538 खण्डों को शामिल किया गया था जिनमें कृषुविनि के कुल वायदे 146 करोड़ रुपये के थे। कृषुविनि द्वारा अनुमोदित एग्राविका बैंकिंग योजनाओं की राज्यवार और एजेंसीवार स्थिति विवरण 8 और 9 में बताई गई है। संक्षेप में यह स्थिति सारणी-7 में दिखाई गई है।

सारणी 7—1979-80 और 1980-81 के दौरान एग्राविका के अन्तर्गत मंजूरियों की क्षेत्रवार स्थिति

क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान एग्राविका बैंकिंग योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किए गए खण्डों की संख्या		निम्नलिखित वर्षों के दौरान मंजूर किए गए वायदे (करोड़ रुपये)	
	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81
उत्तरी	6	153	1	10
उत्तर-पूर्वी	—	—	—	—
पूर्वी	3	174	1	31
मध्यवर्ती	217	329	15	25
पश्चिमी	81	131	9	12
दक्षिणी	364	80	35	7
जोड़	671	867	61	85

पिछले वर्ष दक्षिणी क्षेत्र में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, एग्राविका के अधिक क्षेत्र शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप इस वर्ष कम खण्ड शामिल किए गए और वायदे भी कम रहे।

1.13 जुलाई 1963 में अपनी स्थापना से लेकर 30 जून 1981 तक मंजूर की गई सभी योजनाओं के अन्तर्गत कृषुविनि के कुल वायदे 3860 करोड़ रुपये तक पहुंच गए (देखें विवरण 2)। इनमें से राभूवि बैंक का हिस्सा 1906 रुपये का था और वाणिज्य बैंकों (क्षेग्रा बैंकों सहित) का हिस्सा 1881 करोड़ रुपये का रहा (देखें विवरण 5)। संचयी वायदों का अधिकतम (60%) हिस्सा लेकर लघु सिंचाई प्रमुख प्रयोजन रहा।

1.14 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की बराबर यह कोशिश रही कि देश में जिन खण्डों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है उन्हें किसी न किसी योजना के अन्तर्गत लाया जाए। 30 जून, 1981 तक देश (सिक्किम को छोड़कर) के 5004 विकास खण्डों में से 4884 खंडों में, किसी न किसी तरह की कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम योजना कार्यान्वयन के लिए मंजूर की जा चुकी है। 30 जून, 1980 को सिक्किम को छोड़कर 190 ऐसे खण्ड थे जिन्हें शामिल नहीं किया गया था, किन्तु जून 1981 के अन्त तक यह संख्या घटकर 121 रह गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछली रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के जिन 27 खण्डों का जिक्र किया गया था उन्हें भी इस वर्ष कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की किसी न किसी प्रकार की योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। शामिल न किए गए खंडों की राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है:

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषुविनि योजनाओं में शामिल न किये गये खण्डों की संख्या
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4
पश्चिम बंगाल	4
अरुणाचल प्रदेश	48
असम	9
मणिपुर	11
मेघालय	12
मिजोरम	18
नागालैण्ड	15
जोड़	121

वितरण:

1.15 पिछले वर्ष के 412 करोड़ रुपये के मुकाबले 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान वितरण 499 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। 1979-80 के मुकाबले सभी प्रमुख राज्यों में वितरण अधिक हुआ, हालांकि बिहार और गुजरात में कुछ कमी आई। अपनी स्थापना से लेकर अब तक, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का संचयी वितरण कुल 2223 करोड़ रुपयों का हो गया है (इसमें वर्ष के दौरान दिया गया 15 करोड़ रुपये का अल्पावधि वित्त शामिल नहीं है)। पिछले सालों की तरह ही इस बार भी जून के महीने में 156 करोड़ रुपयों का भारी वितरण हुआ जबकि पिछले साल इसी महीने में 142 करोड़ रुपये का वितरण हुआ था 499 करोड़ रुपये के कुल वितरण में से 284 करोड़ रुपये अर्थात् कुल वितरण का 57 प्रतिशत, विश्व बैंक/अंविसंघ/के एफ डब्ल्यू समूह की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत किया गया और इसके प्रति कृषि-पुनर्वित्त और विकास निगम, भारत सरकार से 1680 लाख डालर तक की राशि की

विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का पात्र बन गया। इसके अलावा इस वितरण से, दानी देशों से द्विपक्षीय सहायता के अन्तर्गत 1620 लाख डॉलर के बराबर की और अधिक सहायता का उपयोग करने की पात्रता प्राप्त हो गई। विदेशी सहायता वाली परियोजनाओं के अन्तर्गत 1979-80, 1980-81 और 30 जून, 1981 तक किए गए वितरणों की तुलनात्मक स्थिति और कुल वितरणों में उनका प्रतिशत हिस्सा सारणी 8 में दिया गया है:

सारणी 8.—पुनर्वित्त का वितरण

(करोड़ रुपये)

वितरण	निम्नलिखित वर्षों के दौरान		30 जून 1981 तक*
	1979-80	1980-81	
अंतर्राष्ट्रीय/अंपुवि बैंक/ अन्य दानियों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत	240 (58)	284 (57)	1287 (58)
अन्य परियोजनाएं	172 (42)	215 (43)	936 (42)
जोड़	412 (100)	499 (100)	2223 (100)

*अल्पावधि वित्त को छोड़कर।

विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अंपुवि बैंक समूह और अन्य दानियों की सहायता से संचयी वितरण का कुल योग 1287 करोड़ रुपये हुआ। जिससे भारत सरकार को 12000 लाख डॉलर से भी अधिक की विदेशी मुद्रा आहरित करने की योग्यता प्राप्त हो गई। इसमें दोनों देशों से मिली द्विपक्षीय सहायता भी शामिल है।

1.16 सबसे अधिक वितरण (72 करोड़ रुपये) उत्तर प्रदेश को किया गया और उसी के करीब-करीब (71 करोड़ रुपये) आंध्र प्रदेश को किया। पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित इन दोनों राज्यों ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा वर्ष के दौरान किए गए वितरणों का 63 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया। वितरित पुनर्वित्त की कुल राशि में कम विकसित राज्यों का हिस्सा 1979-80 के 164 करोड़ रुपये से बढ़कर 1980-81 में 192 करोड़ रुपये हो गया जो कुल राशि का 39 प्रतिशत बनता है जबकि पिछले वर्ष यह 40 प्रतिशत था। अन्य राज्यों की कुल वृद्धि पिछले वर्ष की राशि से 59 करोड़ रुपये अधिक थी। उत्तर पूर्वी राज्यों का अशान्त स्थिति और उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी राज्यों में अनुपयुक्त मूलभूत सुविधाएं, इस क्षेत्र में पुनर्वित्त की कम मात्रा के उपयोग का निरन्तर कारण बनी रहीं। फिर भी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम कम विकसित क्षेत्रों के काफी पिछड़े हुए कृषि विकास कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कराने हेतु, सम्बन्धित राज्य सरकारों को राजी कराने में सतत प्रयत्नशील रहा है। वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाओं के अन्तर्गत इनमें से अधिकतर राज्यों में किए गए वायदों में उत्साहजनक वृद्धि हुई है।

1.17 वर्ष के दौरान पुनर्वित्त की अधिकतर राशि का उपयोग, राज्य सहकारी बैंकों को छोड़कर, निगम के कार्यकलापों में भाग लेनेवाली अन्य सभी एजेंसियों अर्थात् राज्य भूमि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किया। राज्य सहकारी बैंकों द्वारा आहरित की गई राशि पिछले वर्ष के स्तर तक अर्थात् 9 करोड़ रुपये ही रही। एजेंसीवार वितरण सारणी 2 में दिए गए हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान और 30 जून, 1981 तक के एजेंसीवार वितरण की सार स्थिति और जोड़ में प्रत्येक एजेंसी के हिस्से का प्रतिशत, सारणी 9 में दिया गया है.

सारणी 9—एजेंसीवार वितरण

(करोड़ रुपये)

एजेंसी	निम्नलिखित वर्षों के दौरान		30 जून 1981 तक$
	1979-80	1980-81	
राज्य भूमि विकास बैंक	164 (40)	211 (42)	1186 (53)
वाणिज्य बैंक	230 (56)	268 (54)	983 (44)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	9 (2)	10 (2)	22 (1)
राज्य सहकारी बैंक	9 (2)	9 (2)	32 (2)
	412 (100)	499 (100)	2223 (100)

$इसमें अल्पावधि वित्त शामिल नहीं है।

1.18 वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय बात यह रही कि राज्य भूमि विकास बैंकों ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त का उपयोग करने में काफी प्रगति दिखाई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान उनका हिस्सा केवल राशि की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि किए गए कुल वितरण के प्रतिशत की दृष्टि से भी बढ़ा है। इन संस्थाओं को वितरित किए गए पुनर्वित्त की राशि भी 1979-80 के 164 करोड़ रुपये के मुकाबले समीक्षाधीन वर्ष में 212 करोड़ रुपये हो गई जो कुल राशि का 42 प्रतिशत बनता है। किन्तु पिछले वर्ष यह प्रतिशत 40 था। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और कर्नाटक के राज्य भूमि विकास बैंकों ने पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अपने कार्य में काफी सुधार किया। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से निधियां प्राप्त करने में आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय कृषि विकास बैंक का प्रथम स्थान रहा। वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में कमजोर राज्य भूमि विकास बैंकों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप इन बैंकों ने पुनर्वित्त की काफी राशि आहरित की।

1.19 वाणिज्य बैंकों द्वारा आहरित की गई राशि 1979-80 के 230 करोड़ रुपये से बढ़कर 259 करोड़ रुपये हो गई जो कुल राशि का 54 प्रतिशत बनता है। पिछले वर्ष यह प्रतिशत 56 था। बिहार, गुजरात और कर्नाटक को छोड़कर पुनर्वित्त की इस बढ़ी हुई राशि के हिस्सेदार प्रायः सभी प्रमुख राज्य बने। वर्ष के दौरान 10 करोड़ का आहरण कर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने केवल थोड़ी सी प्रगति दिखाई जबकि पिछले वर्ष 9 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था।

1.20 पुनर्वित्त का प्रयोजनवार वितरण सारणी-1 में दिखाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सभी प्रमुख प्रयोजनों

के अन्तर्गत वितरण में वृद्धि दर्ज की गई। पिछले दो वर्षों के और 30 जून, 1981 तक के वितरणों की सार स्थिति सारणी 10 में बतलाई गई है।

सारणी 10—प्रयोजनवार वितरण

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	निम्नलिखित वर्षों के दौरान		30 जून 1981 तक
	1979-80	1980-81	
लघु सिंचाई	227 (55)	265 (53)	1394 (63)
भूमि विकास	10 (3)	13 (3)	79 (3)
कृषि मशीनीकरण	92 (22)	110 (22)	389 (18)
बागान/बागबानी	21 (5)	24 (5)	86 (4)
भंडार और बाजार केन्द्र	15 (4)	16 (3)	122 (5)
अन्य	47 (11)	71 (14)	153 (7)
जोड़	412 (100)	499 (100)	2223 (100)

*अल्पावधि वित्त को छोड़कर।

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं)

समीक्षाधीन वर्ष में वितरित 499 करोड़ रुपयों में से लघु सिंचाई के हिस्से में 265 करोड़ रुपये आए। हालांकि पुनर्वित्त के अकेले सबसे बड़े प्रयोजन के रूप में इसका स्थान सबसे ऊंचा बना रहा मगर कुल पुनर्वित्त में इसका हिस्सा 1978-79 के 60 प्रतिशत से घटकर 1979-80 में 55 प्रतिशत रह गया और समीक्षाधीन वर्ष में यह और भी घटकर 53 प्रतिशत रह गया. बताया जाता है कि ऊर्जा और सीमेंट, ईंट जैसी आवश्यक सामग्री की कमी ने लघु सिंचाई कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से निधियों के आहरण को प्रभावित किया है। अंशतः विविध प्रयोजनों के लिए बढ़ते हुए वितरण से इस प्रवृत्ति को बल मिला। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विशेष कृषि परियोजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध करवाए गए 23 करोड़ रुपयों के पुनर्वित्त की राशि और पंपसेटों के ऊर्जीकरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों के वित्तपोषण के लिए सदस्य बैंकों को उपलब्ध कराई गई 53 करोड़ रुपये की राशि भी इस वर्ग के वितरण में शामिल है। एजेंसीवार, लघु सिंचाई के लिए, राज्य भूमि विकास बैंकों ने ज्यादातर पुनर्वित्त (148 करोड़ रुपये) का उपयोग किया, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा 115 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

1.21 वर्ष के दौरान, कृषि मशीनीकरण के अन्तर्गत वितरण पिछले वर्ष (22 प्रतिशत) जितना ही रहा हालांकि निरपेक्ष रूप में यह 92 करोड़ रुपये से 110 करोड़ रुपये हो गया। कृषि के आधुनिकीकरण से कृषि मशीनीकरण उपकरणों की भारी मांग रही और वह भी विशेषकर पंजाब (43 करोड़ रुपये) हरियाणा (18 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (17 करोड़ रुपये) में।

1.22 भूमि विकास योजनाओं के अन्तर्गत वितरण थोड़ा बढ़ा। पिछले वर्ष यह 10 करोड़ था जबकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यह 13 करोड़ रुपये हो गया। 13 करोड़ रुपयों में से 8 करोड़ रुपये कमाण्ड क्षेत्र परियोजनाओं के अन्तर्गत वितरित किए गए जिनमें से 5 करोड़ रुपये अकेले महाराष्ट्र राज्य को दिए गए। अन्य भूमि विकास योजनाओं के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये का वितरण किया गया जिसके अधिकतर हिस्से का उपयोग पंजाब और केरल राज्य ने किया।

1.23 अन्य विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत किए गए वितरण में वर्ष के दौरान थोड़ा सुधार हुआ। इस वर्ष यह कुल वितरित राशि का 22 प्रतिशत बना जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 20 प्रतिशत ही था। इस श्रेणी के अन्तर्गत विकास की जिन मदों के लिए वित्त प्रदान किया गया उनमें से बागान और बागबानी के अन्तर्गत किया गया वितरण पिछले वर्ष के 21 करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान 24 करोड़ रुपये हो गया। इस वर्ष के अन्तर्गत किए गए वितरण का अधिकतर हिस्सा असम और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ दक्षिणी क्षेत्र का रहा। मुर्गी-पालन/भेड़पालन/सूअरपालन और डेरी विकास योजनाओं के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया पुनर्वित्त भी वर्ष के दौरान बढ़कर क्रमशः 3 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये हो गया।

1.24 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किए वितरणों में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपयोग किए गए पुनर्वित्त की राशि 1979-80 में 4 करोड़ रुपये थी जबकि 1980-81 में बढ़कर यह राशि 13 करोड़ रुपये हो गई। मगर वायदों के मुताबिक आहरण नहीं हुआ। इसके मुख्य कारण थे—वाणिज्य बैंकों द्वारा लक्ष्य वर्ग तक ब्याज की विभेदक दर योजना के अधीन ऋण वितरण, पहले किए गए वितरण के सम्बन्ध में बैंकों के प्रधान कार्यालयों और कार्यान्वयन करने वाले बैंकों की शाखाओं के बीच सूचना में देरी और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सहायता को जारी करने में प्रक्रियागत देरी।

1.25 भंडार और बाजार केन्द्रों के अन्तर्गत किए गए वितरण में वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि हुई। वितरित किए गए 16 करोड़ रुपयों में से 11 करोड़ रुपये भंडारण के लिए थे और शेष 5 करोड़ रुपये मुख्यतः अंविसंघ की सहायता प्राप्त कर्नाटक बाजार केन्द्र परियोजना के अन्तर्गत बाजार केन्द्रों के लिए थे।

1.26 वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों में पुनर्वित्त की वास्तविक राशि में काफी वृद्धि हुई है। किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतवार उनका हिस्सा कमोबेश स्थिर ही रहा (देखें सारणी 11)। क्षेत्रवार वितरणों की सार स्थिति सारणी 12 में दी गई है।

सारणी 11—पुनर्वित्त का वितरण—राज्यवार (जुलाई—जून)

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान								30 जून 1981 तक
	1963–69£	1969–74£	1974 76	1976–77	1977–78	1978–79	1979–80	1980–86	
1. उत्तरी क्षेत्र									
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	3
					(—)				(—)
दिल्ली	–	13	40	10	19	15	14	17	129
		(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(—)	(—)	(—)	(0.1)
हरियाणा	303	2774	2644	1770	1111	2101	3946	4934	18576
	(9.9)	(9.7)	(9.5)	(8.0)	(4.7)	(7.4)	(9.6)	(9.9)	8.4
हिमाचल प्रदेश	–	4	20	2	23	50	180	194	480
		(—)	(0.1)	(—)	(0.1)	(0.2)	(0.5)	(0.4)	(0.2)
जम्मू और कश्मीर	32	38	17	6	15	14	12	59	194
	(1.0)	(0.1)	(0.1)	(—)	(0.1)	(—)	(—)	(0.1)	(0.1)
पंजाब	653	2692	1713	1731	1177	1625	5018	6752	2109
	(21.4)	(9.4)	(6.2)	(7.8)	(5.0)	(5.7)	(12.2)	(13.6)	(9.5)
राजस्थान	6	656	886	787	1312	1616	1815	1890	8974
	(0.2)	(2.3)	(3.2)	(3.6)	(5.6)	(5.7)	(4.4)	(3.8)	(4.0)
	994	6177	5320	4306	3660	5421	10990	1384	49453
	(32.5)	(21.6)	(19.2)	(19.5)	(15.6)	(19.0)	(26.7)	(27.8)	(22.3)
11. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र									
असम	70	65	5	70	273	235	286	609	1613
	(2.4)	(0.2)	(—)	(0.3)	(1.2)	(0.8)	(0.7)	(1.2)	(0.7)
मणिपुर	–	–	5	8	23	43	10	9	998
			(—)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(—)	(—)	(0.1)
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	1	
			(—)					(—)	(-)
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	4	4
								(—)	(—)
नागालैण्ड	–	4	1	3	5	–	–	–	18
		(—)	(0.1)	(—)	(—)				(—)
त्रिपुरा	–	–	6	2	8	1	11	7	30
			(—)	(—)	(-)	(—)	(—)	(—)	(—)
	70	69	17	83	309	279	307	630	1764
	(2.4)	(0.2)	(0.1)	(0.4)	(1.3)	(1.0)	(0.7)	(1.2)	(0.8)
111. पूर्वी क्षेत्र									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह							1	1	2
							(—)	(—)	(—)
बिहार	18	980	2250	1696	1864	2253	2468	2446	13969
	(0.6)	(3.4)	(8.1)	(7.7)	(8.0)	(7.9)	(6.0)	(4.9)	(6.3)
उड़ीसा	4	51	420	565	816	875	1315	1979	6021
	(0.1)	(0.2)	(1.5)	(2.6)	(3.5)	(3.1)	(3.2)	(4 0)	(2.7)
पश्चिम बंगाल	2	42	228	590	996	1045	981	984	47 65
	(0.1)	(0.1)	(0.8)	(2.7)	(4.3)	(3.7)	(2.4)	(2.0)	(2.1)
	24	1073	2898	2851	3676	4173	4765	5410	24757
	(0.8)	(3.7)	(10.4)	(13.0)	(15.8)	(14.7)	(11.6)	(10.9)	(11.1)

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान								30 जून 1981 तक$
	1963–69£	1969–79£	1974–76£	1976–77	1977 78	1978–79	1979–80	1980–81	
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र									
मध्य प्रदेश	29	1291	3166	2610	1670	1666	3647	3801	17889
	(1.0)	(4.5)	(11.4)	(11.8)	(7.1)	(5.9)	(8.9)	(7.6)	(8.0)
उत्तर प्रदेश	122	3794	4447	3720	4317	4877	5660	7249	33484
	(4.0)	(13.3)	(16.0)	(16.9)	(18.4)	(17.1)	(13.7)	(14.5)	(15.1)
	151	5085	7613	6330	5987	6543	9307	11050	51373
	(5.0)	(17.8)	(27.4)	(28.7)	(25.5)	(23.0)	(22.6)	(22.1)	(23.1)
V. पश्चिमी क्षेत्र									
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गोवा	–	3	28	24	68	84	121	133	461
		(—)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(0.2)
गुजरात	207	4165	760	402	1319	1516	2497	2040	12906
	(6.8)	(14.6)	(2.7)	(1.8)	(5.6)	(5.3)	(6.1)	(4.1)	(5.8)
महाराष्ट्र	189	3041	3606	1928	1974	2431	3688	5171	21993
	(6.2)	(10.6)	(13.0)	(8.7)	(8.4)	8.5)	(8.9)	(10.4)	(9.9)
	396	7209	4394	2354	3361	4031	6306	7344	35360
	(13.0)	(25.2)	(15.8)	(10.6)	(14.3)	(14.1)	(15.3)	(14.7)	(15.9)
VI. दक्षिणी क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश	809	2504	2187	2122	3853	4958	6193	7113	29737
	(26.5)	(8.8)	(7.9)	(9.6)	(16.4)	(17.4)	(15.0)	(14.3)	(13.4)
कर्नाटक	261	2269	2954	2190	1320	1429	1387	1796	13587
	(8.6)	(7.9)	(10.6)	(9.9)	(5.6)	(5.0)	(3.4)	(3.6)	(6.1)
केरल	17	345	308	247	370	960	998	1416	4561
	(0.5)	(1.2)	(1.1)	(1.1)	(1.6)	(3.4)	(2.4)	(2.8)	(2.1)
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	–	8	19	–	–	–	6	3	36
		(—)	(0.1)				(—)	(—)	(—)
तमिलनाडु	325	3877	2045	1599	894	693	964	1291	11682
	(10.7)	(13.6)	(7.4)	(7.2)	(3.9)	(2.4)	(2.3)	(2.6)	(5.2)
	1412	9003	7513	6158	6437	8040	95 8	11589	59603
	(46.3)	(31.5)	(27.1)	(27.8)	27.5)	(28.2)	(23.1)	(23.3)	(26.8)
जोड़ :	3047	28618	27755	22082	23430	28487	41223	49879	22230$
(I से IV तक)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	100.0)	(100.0)	(100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं।
£वर्षवार आंकड़े इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गये हैं।
$इसमें अल्पावधि वित्त शामिल नहीं है।

सारणी 12—वितरण—क्षेत्रवार

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान		30 जून 1981 तक*
	1979-80	1980-81	
उत्तरी	110 (27)	139 (28)	494 (22)
उत्तर-पूर्वी	3 (1)	6 (1)	18 (1)
पूर्वी	48 (12)	54 (11)	247 (11)
मध्यवर्ती	93 (22)	111 (22)	514 (23)
पश्चिमी	63 (15)	73 (15)	354 (16)
दक्षिणी	95 (23)	116 (23)	596 (27)
जोड़	412 (100)	499 (100)	2223 (100)

*अल्पावधि वित्त को छोड़कर

(कोष्टकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वितरित किया गया पुनर्वित्त 1979-80 के 3 करोड़ रुपयों से बढ़कर चालू वर्ष में दुगुना अर्थात् 6 करोड़ रुपये हो गया है।

2. आर्थिक प्रभाव

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के ऋण वितरणों का कृषि पर आर्थिक प्रभाव दो तरह से दिखाई पड़ता है : (1) भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण में तथा (2) वृद्धिशील उत्पादन, आय और नियोजन के रूप में। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कई क्षेत्र अध्ययन किए हैं, जिनमें मुख्य हैं यथार्थ मूल्यांकन अध्ययन। इन अध्ययनों से देश के विभिन्न भागों में पूरी की गई योजनाओं के अन्तर्गत निवेशों के वास्तविक प्रभाव का संकेत मिलता है। ऐसे कुछ अध्ययनों के परिणाम सारणी 13 और 14 में दिए गए हैं।

सारणी 13 —लघु सिंचाई और भूमि विकास निवेशों से उठाए गए लाभ

निवेश का प्रकार	राज्य/जिला/क्षेत्र/अध्ययन का सन्दर्भ वर्ष	प्रति इकाई निवेश							
		निवेश की लागत	निवल लाभान्वित क्षेत्र	फसलित क्षेत्र में वृद्धि	अनाज का प्रतिवर्ष अतिरिक्त उत्पादन	अतिरिक्त उत्पादन का सकल मूल्य (सभी फसलें) प्रतिवर्ष	प्रतिवर्ष वृद्धिशील निवल आय	प्रतिवर्ष अतिरिक्त कृषि रोजगार	वित्तीय वापसी की दर
		(रु०)	(हे०)	(हे०)	(क्विंटल)	(रु०)	(रु०)	(श्रम दिवस)	(%)
लघु सिंचाई									
उथलेनलकूप	हरियाणा/करनाल/ 1973-74	6,210	3.57	1.43	लागू नहीं	8,686	4,617	343	50 से अधिक
	उत्तर प्रदेश/पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिले/ 1976-77	6,965	2.47	1.81	50	5,229	2,090	232	33
	बिहार/सारण/ 1978-79	6,600	1.65	0.56	57	8,800	2,365	316	22
पंपसैट लगे कुएं	महाराष्ट्र/शोलापुर/ 1973-74	9,066	2.00	0.28	लागू नहीं	3,794	2,569	300	29
	मध्य प्रदेश 6 जिले/1977-78	10,210	3.20	0.61	35	8,653	4,960	170	37
	कर्नाटक तटीय जिलों को छोड़कर समूचा राज्य 1976-77	11,790	1.20	0·481	121	3,040	1,603	145	21
भूमि विकास	कर्नाटक/भद्रा परियोजना-चित्रदुर्ग/ 1973-74	3,005	3.07	लागू नहीं	लागू नहीं	14,557	7,939	744	50 से अधिक
	आन्ध्र प्रदेश/नागार्जुन सागर नलगोंडा/ 1973-74	3,435	3.06	लागू नहीं	लागू नहीं	12,646	5,806	755	50 से अधिक

*इसमें पानी की बिक्री से हुई आय भी शामिल है।

सारणी] सारणी 14—विविध निवेशों से उठाए गए लाभ

निवेश का प्रकार	निवेश इकाई का आकार	राज्य/जिला/क्षेत्र/ अध्ययन का संवर्ष वर्ष	निवेश की लागत	प्रति इकाई निवेश						
					वार्षिक उत्पादन		प्रतिवर्ष उत्पादन का सकल मूल्य	प्रतिवर्ष नकल आय	अतिरिक्त नियोजन	वित्तीय वापसी की दर
				मद	इकाई	मात्रा	(रु०)	(रु०)	(श्रम दिवस)	(%)
मुर्गी पालन										
लेयर इकाई	100 लेयर्ज	आंध्र प्रदेश/ करीमनगर/ 1974-75	'4,885	अंडे	'000	22.5	7,290+	1,165	40	29
समुद्री मत्स्यपालन										
मशीनीयुक्त नाव	30' नाव	कर्नाटक/दक्षिण केनरा/1975-76	85,430	मीगा	किंवटल	50.3	68,540	26,260	1,480	41
				अन्य	किंवटल	220.5				
	32' नाव		1,02,840	मीगा	किंवटल	62.3	83,940	35,410	1,950	42
				अन्य	किंवटल	255.8				
डेरी विकास										
भैंसों की खरीद	1 भैंस	हरियाणा/अंबाला/ 1976-77	2,171	दूध	लिटर	1,207	1,890‡	544	200	40
	1 भैंस	पंजाब/फरीदकोट/ 1976-77	1,554	दूध	लिटर	1,182	1,415‡	430	लागू नहीं	49
बागबानी										
खट्टे के बागों का विकास	1.23 हे०@	आन्ध्र प्रदेश/ नेल्लूर/1978-79	16,430	खट्टे*	'000	405	21,125	14,945	345	28
अंगूरों के बागों का विकास£/अनाबे शाही	0.40 हे०	कर्नाटक/बीजापुर/ 1979-80	23,836	अंगूर	टन	5.79	18,110	7,480	500	22
थॉमसन बीजरहित	0.40 हे०		27,505	अंगूर	टन	5.99	28,050	12,610	600	39

*सिंचाई सहित संमिश्र निवेश

@इसमें क्षेत्र फसलों के अन्तर्गत छोटा हिस्सा (0.18 हे०) शामिल है।

£आंकड़े अनन्तिम हैं।

+इसमें खाद और चुने हुए पक्षियों की बिक्री शामिल है।

‡इसमें खाद की बिक्री शामिल है।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संचयी वितरण

2.2 मार्च 1981 के अन्त तक, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई पुनर्वित्त की कुल राशि 2028 करोड़ रुपये हुई। लघु सिंचाई (64%) और कृषि मशीनीकरण (17%) दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रयोजन थे जिन्होंने कुल पुनर्वित्त का 81 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया।

फार्म स्तर पर संचयी निवेश लागत

2.3 बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे ऋण, निवेश लागत में किसानों के अपने अंशदान और लक्षित/सीमान्त क्षेत्रों में सरकारी सहायता को मिलाकर, वर्तमान मूल्यों के आधार पर निवेशों की मूल लागत 2,865 करोड़ रुपये आती है।

भौतिक परिसम्पत्तियों का निर्माण

2.4 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम पुनर्वित्त के अनुरूप, पूर्ण निवेशों की भौतिक इकाइयां सारणी 15 में दिखाई गई हैं। ऐसी इकाइयों का अंदाजा लगाने के लिए, उन इकाइयों का उचित समायोजन कर लिया गया है जिनका वित्तपोषण अप्रैल 1980 से मार्च 1981 के बीच किया गया है मगर ये बाद की तारीख तक पूरी नहीं हुई हैं। अधिक समय लेने वाले इन बागान, बागबानी, भण्डार और बाजार केन्द्रों के लिए इसी प्रकार का समायोजन किया गया था, जिनका वित्तपोषण अप्रैल 1980 से भी पहले किया गया है और जिनके मार्च 1981 से पहले पूरे होने की संभावना नहीं है।

आर्थिक प्रभाव

2.5 सारणी 13 और 14 में आर्थिक प्रभाव से सम्बन्धित दिए गए आंकड़ों में लघु सिंचाई, भूमि विकास, मुर्गीपालन डेरी, समुद्री मत्स्यपालन और बागबानी शामिल है। अध्ययनों की सन्दर्भ अवधि 1973-74 से 1979-80 तक फैली हुई है। चूंकि प्रत्येक अध्ययन में लागत और मुनाफे का मूल्यांकन सम्बन्धित वर्ष के दौरान योजना क्षेत्र में चालू कीमतों के आधार

सारणी 15—वित्तपोषित और पूर्ण की गई भौतिक इकाइयां

निवेश	इकाइयां	निम्नलिखित तारीखों तक वित्तपोषित भौतिक इकाइयां		31 मार्च 81 तक पूरी की गई भौतिक इकाइयां
		31 मार्च 1980	31 मार्च 1981	
1. लघु सिंचाई				
पंप लगे नलकूप	'000 संख्या	325	445	385
पंप लगे कुएं	'000 संख्या	430	448	439
पानी उठाने के परम्परागत उपकरण लगे कुएं	'000 संख्या	93	119	106
2. भूमि विकास	'000 हे०	1118	1206	1162
3. कृषि मशीनीकरण				
ट्रैक्टर	संख्या	53107	75800	75800
पावर टिलर्ज	संख्या	1871	1914	1914
कृषि मशीनीकरण के अन्य उपकरण	संख्या	1386	1922	1922
4. बागान और बागवानी	'000 हे०	112	143	71
5. भंडारण	'000 टन	6100	7100	5500
6. बाजार केन्द्र	संख्या	152	195	121
7. मुर्गीपालन	'000 पक्षी	2346	4224	3285
8. भेड़पालन	'000 पशु	553	907	907
9. डेरी	'000 पशु	135	176	176
10. मत्स्यपालन	मशीनयुक्त नावों की संख्या	3400	4300	4300

टिप्पणी : अनुमान लगाने की प्रणाली में संशोधन किये जाने के कारण हो सकता है वित्तपोषित भौतिक इकाइयों से संबंधित ऊपर दिये गये आंकड़े पिछली रिपोर्टों में प्रकाशित आकड़ों से मेल न खाते हों।

पर करने का प्रयास किया गया है इसलिए इन वर्षों की लागत और मुनाफे के मुद्रा-मूल्यों और योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों की सही तुलना नहीं की जा सकती; न ही उनसे मात्रा का पता चलता है। लघु सिंचाई निवेशों के सम्बन्ध में तुलनात्मक तस्वीर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्रतिनिवेश इकाई के वृद्धिशील अनाज उत्पादन से सम्बन्धित आकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। चूंकि सभी जिंसों (अनाज, रूई, गन्ना, आदि) के वृद्धिशील उत्पादन का औसत भौतिक दृष्टि से नहीं निकाला जा सकता, अतः इसे सकल और शुद्ध मूल्यों में इंगित किया गया है। परिवर्तनशील भौतिक मात्राएं जैसे प्रति कुएं से सिंचित निवल क्षेत्र, फसल क्षेत्र में वृद्धि और अनाज उत्पादन में वृद्धि, कीमतों की दृष्टि से तटस्थ हैं। मगर ये परिवर्तनशील भौतिक मात्राएं समय के प्रति तटस्थ नहीं हैं, क्योंकि कृषि परिवर्तन एक निरन्तर प्रक्रिया है और किसी विशेष समय में मापे गए भौतिक परिमाण किसी दूसरे समय में भिन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निवेशों के प्रभाव को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

लघु सिंचाई

2.6 "लघु सिंचाई" में, खादे गए कुएं, नलकूप, नदी लिफ्ट इकाइयां और पंपसेट शामिल हैं। फसल प्रणाली, फसलों की बारम्बारता, फसलों की उपज और तकनीक में सुधार लाकर ये निवेश, फार्म उत्पादन, आय और रोजगार को बढ़ावा देते हैं। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अध्ययनों से अब तक प्राप्त अनुभवजन्य आंकड़े उथले नलकूपों और पंपसेटों सहित कुओं से सम्बन्धित हैं। भिन्न भिन्न अध्ययनों में मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किए गए मूल्यों में, विभिन्नता के प्रभाव को लागू करने के बावजूद भी, इन दो निवेशों से जुड़ी लागत और मुनाफे का स्तर आपस में भी तथा क्षेत्रों के बीच भी परिवर्तनशील रहा। एक उथले नलकूप से वार्षिक वृद्धिशील निवल आय, उत्तर प्रदेश में 2100 रुपये तथा हरियाणा में 4,600 रुपये हुई। अनाज के अतिरिक्त उत्पादन, निवल सिंचित क्षेत्र और प्रति निवेश इकाई फसल क्षेत्र में वृद्धि की तुलना करने से ज्ञात होता है कि ये उतार चढ़ाव केवल कीमतों की विभिन्नताओं के कारण नहीं थे। वृद्धिशील अनाज उत्पादन उत्तर प्रदेश में 5.00 टन से लेकर बिहार में 5.70 टन तक था। इसी तरह प्रति इकाई फसल लेनेवाले सकल क्षेत्र में यह विभिन्नता बिहार में 0.56 हेक्टेयर से लेकर उत्तर प्रदेश के 1.81 हेक्टेयर तक थी। मोटे तौर पर ये विभिन्नताएं प्रति इकाई निवल लाभान्वित (सिंचित) क्षेत्र में मिलती-जुलती थीं जो कि बिहार के 1.65 हेक्टेयर से लेकर हरियाणा के 3.57 हेक्टेयर तक थी। एक उथले नलकूप में निवेश से, आवर्ती आधार पर प्रति वर्ष 232 से 343 श्रम दिवस के अतिरिक्त चालू खेत नियोजन का निर्माण हुआ। दूसरे शब्दों में, एक उथले नलकूप ने साल भर के लिए कम से कम एक व्यक्ति के लिए अतिरिक्त चालू कृषि रोजगार का निर्माण किया।

2.7 जहां तक पंपसैट लगे कुओं का प्रश्न है, प्रति इकाई वार्षिक वृद्धिशील निवल आय में काफी उतार चढ़ाव रहा जो कि कर्नाटक के 1600 रुपये से लेकर मध्य प्रदेश के 4,960 रुपये तक था। ये विभिन्नताएं प्रति इकाई अनाजों के वृद्धिशील उत्पादन में भी दिखाई दी जो कि कर्नाटक के 1.20 टन से लेकर मध्य प्रदेश के 3.50 टन तक थी। प्रति इकाई सकल फसल क्षेत्र में वृद्धि महाराष्ट्र में सब से कम अर्थात् 0.28 हेक्टेयर थी और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अर्थात् 0.61 हेक्टेयर। निवल लाभान्वित क्षेत्र में ये विभिन्नताएं कर्नाटक के 1.20 हेक्टेयर से लेकर मध्य प्रदेश के 3.20 हेक्टेयर तक थी। प्रत्येक इकाई द्वारा आवर्ती आधार पर निर्मित अतिरिक्त वार्षिक कृषि-रोजगार, जो निवल लाभान्वित क्षेत्र और प्रति इकाई फसल क्षेत्र में वृद्धि के मिश्रित प्रभावों की विभिन्नताओं पर निर्भर था, 145 से 300 श्रम दिवसों तक फैला हुआ है। 2.8 उथले नलकूपों के लिए वित्तीय वापसी की दर 22% से 50% के बीच थी और पंपसेट लगे कुओं के लिए यह 21 प्रतिशत से 37 प्रतिशत के बीच थी।

भूमि विकास

2.9 प्रमुख नहर सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों के भीतर दो भूमि विकासयोजनाओं का अध्ययन किया गया। ये अध्ययन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किये गये थे। इनसे ज्ञात हुआ कि औसतन, लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्र में किए गए भूमि विकास पर, किए गए निवेश से 5,800 रुपये से 7,900 रुपये तक की वार्षिक वृद्धिगत निवल आय हुई है और आवर्ती आधार पर लगभग 250 श्रम दिवस प्रति हेक्टेयर, अतिरिक्त वार्षिक कृषि रोजगार का निर्माण हुआ है। दोनों परियोजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वापसी की दर 50 प्रतिशत से भी अधिक हो गई। इस निवेश से वापसी की दर इतनी अच्छी मिलने का कारण यह है कि कुल निवेश लागत के एक भाग की अवहेलना की गई। प्रमुख नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्रों में भूमि विकास से हुआ लाभ दोनों से हुआ है—सिंचाई प्रणाली पर सरकारी परिव्यय से और भूमि विकास पर हुए निजी परिव्यय से मगर भूमि विकास योजनाओं का अलग अलग से लागत–मुनाफा सम्बन्ध स्थापित करते समय (वित्तीय विश्लेषण) सरकारी परिव्यय को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा वहन नहीं किया जाता।

मुर्गीपालन

2.10 आंध्र प्रदेश की 100 लेयरोवाली एक मुर्गीपालन इकाई में किए गए निवेश से प्रति वर्ष 22,500 अण्डे प्राप्त हुए (लगभग 5 दर्जन प्रति दिन) जोकि 1974-75 की कीमतों के अनुसार 7,290 रुपये मूल्य के बनते हैं। इस प्रकार की इकाई से 1,165 रुपये की शुद्धि वार्षिक आय हुई। निवेश पर वित्तीय वापसी की दर 29 प्रतिशत थी।

समुद्री मत्स्यपालन

2.11 मशीनयुक्त नावों की खरीद इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मद है, जिसका वित्तपोषण करने का उद्देश्य मछली पकड़ने के कार्य को बढ़ावा देना है, विशेषकर झींगा मछली जैसी निर्यात करने योग्य किस्मों को। कर्नाटक में 30 फुट लंबी एक मशीनयुक्त नाव से हर वर्ष 50 क्विंटल झींगा मछलियां और 220 क्विंटल अन्य प्रकार की मछलियां पकड़ी गईं, कुल मिलाकर जिनकी कीमत, 1975-76 की कीमतों के आधार पर 68,000 रुपये बनती है। दूसरी ओर 32 फुट लंबी एक मशीनयुक्त नाव से वर्ष में 62 क्विंटल झींगा और 260 क्विंटल अन्य प्रकार की मछलियां पकड़ी गईं जिनकी कीमत 84,000 रुपये थी। इस निवेश में आवर्ती आधार पर प्रति नाव 1480 से 1950 श्रम दिवसों का अतिरिक्त वार्षिक रोजगार निर्मित हुआ जिससे कि 6 से 8 मछुआरों को सालभर काम मिल सकता था। निवेश पर वित्तीय वापसी की दर 41% – 42% थी।

डेरीविकास

2.12 दुधारू पशुओं अर्थात् श्रेणीकृत भैंसों और संकर गायों की खरीद के लिए धन उपलब्ध करवाना डेरी विकास का एक प्रमुख घटक है। दो राज्यों अर्थात् पंजाब और हरियाणा जहां डेरी कार्य की समान स्थितियां हैं वहां के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि भैंस की एक इकाई ने प्रतिवर्ष 1180 से 1,200 लिटर दूध का उत्पादन किया और इससे 1976-77 की कीमतों के आधार पर प्रतिइकाई 430 रुपये से 550 रुपये की शुद्ध आय हुई। इससे प्रति वर्ष लगभग 200 श्रम दिवसों के अतिरिक्त कृषि रोजगार का निर्माण हुआ है।

बागबानी

2.13 इस वर्ग में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा सेब, अनन्नास, संतरा, आम, अंगूर, जैसी बागबानी की विभिन्न किस्मों का वित्तपोषण किया जाता है। मगर निवेश के प्रभाव से सम्बन्धित केवल दो फसलों, अर्थात् खट्टों (सिटरस) और अंगूरों के अध्ययन ही उपलब्ध हैं।

2.14 आन्ध्र प्रदेश में एक एकड से थोड़े बड़े खट्टों के एक बाग के विकास के लिए किए गए निवेश से, उसके पूरे विकसित होने पर, प्रति वर्ष 4 लाख फल प्राप्त हुए और 1978-79 की कीमतों के आधार पर 15,000 रुपये की वृद्धिशील शुद्ध आय हुई। इससे प्रति वर्ष 345 श्रम दिवसों के अतिरिक्त कृषि रोजगार का भी निर्माण हुआ।

2.15 अंगूरों के मामले में कर्नाटक में एक एकड (0.40 हेक्टेयर) के एक बाग के पूरी तरह से विकसित होने पर 5.80 टन (1979-80 की कीमतों के आधार पर 18,000 रुपये) अनाबेशाही किस्म के और बीजरहित थाम्सन किस्म के 6.00 टन (28,000 रुपये) अंगूरों का वार्षिक उत्पादन हुआ। इस निवेश से, पहली किस्म के अन्तर्गत 7,500 रुपये की वृद्धिशील शुद्ध आय हुई जबकि बाद की किस्म से 12,600 रुपये की आय हुई। इन दो किस्मों की, वित्तीय वापसी की दर 22 और 39 प्रतिशत थी। अनाबेशाही किस्म से 500 श्रम दिवस और थाम्सन बीजरहित किस्म से 600 श्रम दिवस, आवर्ती प्रकृति के, अतिरिक्त वार्षिक कृषि रोजगार का निर्माण हुआ।

राज्यवार रूपरेखा

आन्ध्र प्रदेश

वर्ष के दौरान, राज्य में सदस्य बैंकों ने 71.1 करोड़ रुपये तक का पुनर्वित्त प्राप्त किया जबकि 1979-80 में 61.9 करोड़ रुपये तथा 1978-79 में 49 6 करोड़ रुपये ही प्राप्त किए गए थे। आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय सहकारी कृषि विकास बैंक का कार्य प्रशंसनीय रहा। इसने वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राप्त की गई (18.9 करोड़ रुपए) राशि के दो गुने से भी अधिक अर्थात् 50.3 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त लिया जो कुल राशि के 70% से अधिक बनता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने सूखे/बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय रुचि ली है। 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल मिलाकर 1.5 करोड़ रुपये की बड़ी रकम आहरित की। राज्य सहकारी बैंक ने भी अपने कार्य-कलाप में सुधार किया और पिछले वर्ष के 13 0 लाख रुपये के मुकाबले इस वर्ष में 39.0 लाख रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया। अंविसंघ की सहायता से राज्य में कार्यान्वित की जा रही आन्ध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना में भी यह बैंक भाग ले रहा है।

3.2 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा वितरित की गई राशि में लघु सिंचाई का भाग (41.6 करोड़ रुपये) प्रमुख रहा। इसके बाद का स्थान कृषि मशीनीकरण (8.3 करोड़ रुपये) का रहा। भूमि विकास को छोड़कर विभिन्न प्रयोजनों के लिए दी जानेवाली पुनर्वित्त की राशि में भरपूर बढ़ोतरी हुई और पिछले वर्ष के 2.2 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 19.7 करोड़ रुपये की बड़ी राशि वितरित की गई।

टिप्पणी : नक्शों में दर्शाए गए आंकड़े 30 जून 1981 तक वितरित करोड़ रुपये में हैं और इनमें केवल प्रमुख प्रयोजन शामिल हैं।

3.3 राज्य के 10 जिलों में गहन मुर्गीपालन विकास परियोजनाएं प्रारम्भ की गईं। वर्ष के दौरान, राज्य में मुर्गीपालन के लिए 4.9 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का उपयोग किया गया।

3.4 राज्य में एक दिलचस्प प्रगति यह हुई कि राज्य सरकार 100 बाजारों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाकर बाजार केन्द्र विकास कार्यक्रम में अत्यधिक रुचि ले रही है। एक पूरजोर योजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के परामर्श से अलग-अलग प्रस्ताव बनाए गए थे।

3.5 वर्ष के दौरान किए गए 113.5 करोड़ रुपये के वायदे को मिलाकर वर्ष के अन्त तक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संचयी वायदे 498.9 करोड़ रुपये के हो गए जिसमें से कुल 297.4 करोड़ रुपये का संचयी वितरण किया गया।

असम

3.6 इस वर्ष वितरित पुनर्वित्त की 6.1 करोड़ रुपये की राशि पिछले वर्ष वितरित की गई (2.9 करोड़ रुपये) राशि से दो गुनी थी। यद्यपि वाणिज्य बैंकों ने ही अत्यधिक पुनर्वित्त प्राप्त किया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सहकारी बैंक ने भी सहायता प्राप्त की है। राज्य भूमि विकास बैंक को यह सलाह दी गई कि वह योजनाबद्ध तरीके से ऋण देना प्रारम्भ करे और इस प्रयोजन के लिए तकनीकी कक्ष की स्थापना करे। वितरित की गई पुनर्वित्त की राशि में बागान/बागवानी क्षेत्र में पहले की तरह अधिक राशि का उपयोग किया गया जबकि लघु सिंचाई के अन्तर्गत केवल 18 लाख रुपये लिए गए।

3.7 वर्ष के दौरान किए गए 19.8 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त के वायदे, 1979-80 में किए गए 20.7 करोड़ रुपये के वायदों से कम थे। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के सहयोग से असम राज्य लघु सिंचाई विकास निगम द्वारा असम के 7 जिलों में उथले नलकूपों और कुओं/तालाबों से पानी खींचने के लिए छोटे उद्वहन-स्थलों के निर्माण हेतु 8.3 करोड़ रुपये की परियोजना की मंजूरी दी गई। वर्ष 1980-81 और 1981-82 की दो वर्षों की अवधि में यह कार्य पूरा किया जाएगा।

3.8 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कुल 67.9 करोड़ रुपयों के वायदों में से कुल 16.1 करोड़ रुपये का संचयी वितरण किया।

बिहार

3.9 राज्य के बैंकों ने पिछले वर्ष 24.7 करोड़ रुपये प्राप्त किए और आलोच्य वर्ष के दौरान 24.5 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया। वाणिज्य बैंकों ने, 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित 16.1 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जो कुल राशि का 66 प्रतिशत बनती है। राज्य भूमि विकास बैंकों को पिछले वर्ष के 3.6 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 8.4 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया।

3.10 लघु सिंचाई और भूमि विकास के लिए 18.9 करोड़ रुपये दिए गए जो पुनर्वित्त के समग्र भाग का 77 प्रतिशत बनता है। कृषि मशीनीकरण के लिए 4.0 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अन्य विविध प्रयोजनों के लिए 1.6 करोड़ रुपये उधार दिए गए जो कमोबेश, पिछले वर्ष दी गई राशि के समकक्ष थे।

3.11. भारतीय रिजर्व बैंक और निगम के संयुक्त अध्ययन दल ने बिहार का दौरा किया और राज्य भूमि विकास बैंक को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष के दौरान राज्य भूमि विकास बैंक की वसूली स्थिति में भी सुधार हुआ है।

3.12. अविसंघ की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना और अन्तर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना भी राज्य में कार्यान्वित की जा रही थी। बीज परियोजना के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने 5.9 लाख रुपये वितरित किए तथा 52 लाख रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया; मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत 2 अण्डा-घरों (हेचरियों) के लिए स्थान निर्धारित कर लिया गया है और भारत सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया है।

3.13. वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की 8.9 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता से एकीकृत ग्रामीण परियोजना के अन्तर्गत 7 जिलों को शामिल करते हुए बैंकिंग योजनाओं को मंजूरी दी गई, इसमें राज्य भूमि विकास बैंक, 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों और 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सहभागिता रही।

3.14. जहां तक वायदों का सवाल है, 34.1 करोड़ रुपयों के पुनर्वित्त वायदों को मिलाकर वर्ष के अन्त तक संचयी वायदे 232.1 करोड़ रुपये के हो गए। जून 1981 के अन्त तक कुल 139.7 करोड़ रुपये का संचयी वितरण किया गया जो कुल का 60 प्रतिशत बनता है।

गुजरात

3.15 वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य में 20.4 करोड़ रुपये का कुल पुनर्वित्त वितरित किया गया जो पिछले वर्ष (25 करोड़ रुपये) की तुलना में कम रहा। राज्य भूमि विकास बैंक ने नाममात्र के लिए 0.7 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया, वाणिज्य बैंकों ने भी पिछले वर्ष आहरित 23.8 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त की तुलना में केवल 19.7 करोड़ रुपये की राशि आहरित की। उच्चतर के अतिदेय तथा इस कारण शाखाओं को बड़ी राशि उधार देने की पात्रता न होने के कारण, राज्य भूमि विकास बैंक ने इस वर्ष भी कम आहरण किया। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंक को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस बार भी उपाय सुझाये।

3.16 लघु सिंचाई के लिए किए गए निवेशों में पुनर्वित्त के बड़े हिस्से का उपयोग किया गया जो 14.5 करोड़ रुपये अथवा कुल राशि का 71% बनता है। दूसरा स्थान कृषि मशीनीकरण ने लिया जिसे 2.6 करोड़ रुपये मिले। शेष 3.3 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग विविध प्रकार के अन्य निवेशों में किया गया।

3.17 अविसंघ की सहायता प्राप्त समुद्री मत्स्यपालन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें चुने हुए वाणिज्य बैंक भाग ले रहे हैं। जून 1981 के अन्त तक इस परियोजना के अन्तर्गत 2.1 करोड़ रुपये का कुल पुनर्वित्त दिया गया।

3.18 राज्य में वन विकास की अच्छी सम्भावना है। वर्ष के दौरान एक वन विकास परियोजना मंजूर की गई है जिसमें 3 9 करोड रुपये के पुनर्वित्त वायदे थे। बांस और इमारती लकडी की उपलब्धता बढाने और अधिक दृष्टि से लाभकारी किस्मों की पैदावार बढाने तथा आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने और मूलभूत सुविधाओं का जुटाने की अपेक्षा भी परियोजना के अन्तर्गत की गई है।

3.19 वर्ष के दौरान किए गए 29 4 करोड रुपयों के पुनर्वित्त के वायदों को मिलाकर वर्ष के अन्त में सचयी वायदे 175.9 करोड रुपये के हो गए जिसमें से 129 1 करोड रुपये का सचयी आहरण किया गया।

हरियाणा

3 20 यह राज्य कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से लगातार अधिक पुनर्वित्त प्राप्त करता आ रहा है। इसका श्रेय बैंक की निरन्तर अच्छी वसूली स्थिति को जाता है। पुनर्वित्त के आहरण की राशि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि होती गई और इस प्रकार 1978-79 में 21 0 करोड रुपये, 1979-80 में 39 5 करोड रुपये तथा 1980-81 में 49 3 करोड रुपये आहरित किए गए। राज्य भूमि विकास बैंक के 16 9 करोड रुपयों की तुलना में वाणिज्य बैंकों ने 27 5 करोड रुपयों के पुनर्वित्त का बडा भाग प्राप्त किया। अविसघ की सहायता प्राप्त एकीकृत रूई विकास परियोजना के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक ने अल्पा-विधि वित्त से सम्बन्धित शेष 4 9 करोड रुपये की राशि प्राप्त की।

3 21 लघु सिचाई को बडा हिस्सा (21 0 करोड रुपये) मिला तथा कृषि मशीनीकरण को (18 3 करोड रुपये) दूसरा स्थान मिला अन्य विविध प्रयोजनों के लिए किया गया 10 0 करोड रुपये का वितरण पिछले वर्ष के वितरण से कुछ अधिक था।

3.22 अविसघ की सहायता प्राप्त हरियाणा सिचाई परि-योजना का कार्यान्वयन राज्य में 1978 से हो रहा है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने परियोजना के अन्तर्गत 2215 जलमार्गों के निर्माण, 325 नलकूपों को बिजली चालित करने तथा 26 बाजार केन्द्रों में से 24 का निर्माण करने की सहमति दी। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वितरण तो बढ रहा है परन्तु सीमेण्ट, कोयला और ईंटों जैसे आवश्यक कच्चे माल की कमी के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति रही।

3.23 वर्ष के दौरान किए गए 62 6 करोड रुपये के पुनर्वित्त के वायदे को मिलाकर वर्ष के अन्त में सचयी वायदे 277 3 करोड रुपयों के हो गए जिसमें से जून 1981 के अन्त तक कुल 185 8 करोड रुपयों का सचयी आहरण किया गया।

हिमाचल प्रदेश

3 24 वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1 9 करोड रुपयों का वितरण किया जो पिछले वर्ष के दौरान किए गए 1 8 करोड रुपयों के वितरण से थोडा अधिक था। वाणिज्य बैंकों ने इस कार्य में करीब-करीब पूरा योगदान (97%) दिया। राज्य भूमि विकास बैंक ने लगभग 6 लाख रुपये का ही पुनर्वित्त प्राप्त किया।

3.25 अविसघ की सहायता प्राप्त सेब अभिसस्करण और विपणन परियोजना के अन्तर्गत वाणिज्य बैंकों ने बागान और बागबानी के लिए 1 5 करोड रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया जो निगम द्वारा वितरित की गई राशि का एक बडा भाग बनता है। अन्य कार्यक्रमों में डेरी विकास (11 लाख रुपये), मुर्गीपालन (12 लाख रुपये) और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य-क्रम ने पुनर्वित्त वितरित किया है।

3 26 वर्ष के दौरान 11 योजनाए मजूर की गई जिसमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 3 00 करोड रुपये के वायदे थे जबकि पिछले वर्ष 62 लाख रुपयों के कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम वायदे के साथ 8 योजनाए मजूर की गई। 30 जून 1981 को राज्य में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के कुल वायदे 12 2 करोड रुपयों के हो गए जिसमें से 4 8 करोड रुपये के कुल पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त की गई।

3 27 अविसघ की सहायता प्राप्त सेब अभिसस्करण और विपणन परियोजना की प्रगति वर्ष के दौरान सतोषजनक रही। इस वर्ष 5 शीतगृहों सहित 6 श्रेणीकरण/पैकिंग केन्द्र, 4 श्रेणी-करण केन्द्र, एक वाहनान्तरण केन्द्र, एक सेब-रस सान्द्रीकरण सयत्र अर्थात् कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने परियोजना के अन्तर्गत कुल 12 योजनाओं को मंजूरी दी।

जम्मू और काश्मीर

3 28 वर्ष के दौरान राज्य में पुनर्वित्त की स्थिति में सुधार हुआ और 1979-80 में प्राप्त किए गए 12 लाख रुपये के मुकाबले इस वर्ष 59 लाख रुपये प्राप्त किए। वाणिज्य बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक, दोनों ने समान रूप से अधिक राशि प्राप्त की। राज्य भूमि विकास बैंकों ने मुख्यता कृषि मशीनीकरण योजनाओं और बैलों की खरीद के लिए राशि आहरित की जबकि वाणिज्य बैंकों ने कृषि मशीनीकरण के अलावा डेरी विकास और बागबानी के वित्तपोषण के लिए भी आहरण किया। आहरणों का बडा हिस्सा (30 लाख रुपये) कृषि मशीनीकरण को मिला। बाद का स्थान बागबानी योजनाओं को (25 लाख रुपये) प्राप्त हुआ।

3.29 वर्ष के दौरान विकास की एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अविसघ की सहायता प्राप्त जम्मू और कश्मीर बागबानी परियोजना के अन्तर्गत कुछ सेब श्रेणीकरण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए अविसघ द्वारा दिए गए ऋण के सम्बन्ध में सहभागी बैंकों ने पुनर्वित्त प्राप्त किया। वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस परियोजना के अन्तर्गत 9 और सेब श्रेणीकरण केन्द्रों, 8 अखरोट केन्द्रों की स्थापना के लिए योजनाए मजूर की है जिनमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त सहायता 2.8 करोड रुपये की है। एक और सराहनीय बात यह है कि राज्य भर में पुनर्वित्त और विकास निगम की कोई न कोई योजना चल रही है।

3 30 वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कुल 3 1 करोड रुपये की पुनर्वित्त सहायता की 21 योजनाए मंजूर की हैं जबकि पिछले वर्ष पुनर्वित्त के वायदों की 6 योजनाए मजूर की गई और उसमें 78 लाख रुपये के ही वायदे थे। जून 1981 के अन्त तक 37 योजनाओं के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के सचयी वायदे 5 6 करोड रुपये के हो गए जिसमें से वित्तपोषक बैंकों ने 1.9 करोड रुपये आहरित किए।

कर्नाटक

3 31 वर्ष के दौरान राज्य में वित्त पोषक सस्थाओं ने 17 8 करोड रुपये की पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त की जो 1978-79 और 1979-80 के प्रत्येक वर्ष के दौरान वितरित की गई लगभग 14 0 करोड रुपये की राशि से 27 प्रतिशत अधिक रही। वाणिज्य बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंक ने करीब-करीब समान पुनर्वित्त प्राप्त किया। राज्य भूमि विकास बैंक

को आलोच्य वर्ष में वितरित की गई 8.5 करोड रुपये की राशि, पिछले वर्ष अर्थात 1979-80 में वितरित (4.0 करोड रुपये) राशि के दो गुने से भी अधिक थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने शेष 0.8 करोड रुपये की राशि प्राप्त की।

3.32 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के अन्तर्गत पंपसैटों को बिजली से चलाने की योजनाओं को सम्मिलित करते हुए लघु सिंचाई के लिए 5.7 करोड रुपये आहरित किए गए, जबकि कृषि मशीनीकरण और विविध प्रयोजनों के लिए क्रमशः 3.4 करोड़ रुपये और 8.7 करोड़ रुपये आहरित किए गए। विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत बागान/बागबानी के लिए 2.6 करोड़ रुपये वितरित किए गए तथा दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः मत्स्यपालन (1.8 करोड रुपये) और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1.4 करोड़ रुपये) का रहा, तथा 2.9 करोड़ रुपये की शेष राशि बाजार केन्द्र, मुर्गीपालन, डेरी, भेड़पालन आदि योजनाओं के लिए वितरित की गई। इस वर्ष की एक उल्लेखनीय बात यह रही कि एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान वितरित की गई 3 लाख रुपये की अल्प राशि के मुकाबले इस वर्ष अधिक राशि वितरित की गई।

3.33 कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जिसमें अंविसंघ की सहायता प्राप्त 6 परियोजनाएं चल रही थी। वर्ष के दौरान कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से दिए गए अंविसंघ के ऋण का पूरा उपयोग कर लिया गया है। डेरी विकास और रेशम उत्पादन परियोजनाओं के अन्तर्गत वितरण की गति बढ़ रही है।

3.34 वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाओं के अन्तर्गत 36.1 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त वायदों से वर्ष के अन्त में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संचयी वायदे 248.7 करोड़ रुपये के हो गए जिसमें से कुल 135.9 करोड़ रुपये का संचयी आहरण किया गया।

केरल

3.35 वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य में वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा प्राप्त पुनर्वित्त की स्थिति में विशेष सुधार हुआ है। राज्य में 1979-80 के दौरान निगम द्वारा वितरित की गई 10.0 करोड़ रुपये की राशि 1980-81 के दौरान बढ़कर 14.2 करोड रुपये हो गई जो पिछले वर्ष पर 42% की वृद्धि है। राज्य भूमि विकास बैंकों ने 7.7 करोड़ रुपये (54%) की राशि ली जबकि वाणिज्य बैंकों ने 6.4 करोड़ रुपये (45%) ही प्राप्त किए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने शेष 0.1 करोड रुपये की राशि प्राप्त की।

3.36 लघु सिंचाई के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान 4.3 करोड़ रुपये आहरित किए गए जबकि 1979-80 में 4.1 करोड़ रुपये ही आहरित किए गए थे। बागान और बागबानी के अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान आहरित 3.3 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में इस बार 7.1 करोड़ रुपये आहरित किए गए जो कुल आहरण का 50% बनता है। अविसंघ की सहायता प्राप्त केरल कृषि विकास परियोजना को इस वर्ष वितरित (4.2 करोड़ रुपये) की गई राशि में बडा भाग मिला।

3.37 वर्ष के दौरान एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम बैंकिंग प्लान के अन्तर्गत एक जिले के लिए कुल 1.0 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त की सहायता मंजूर की गई थी, जिसमें से 2.0 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

3.38 पिछले दो वर्षों की भांति, राज्य भूमि विकास बैंक की वसूली स्थिति इस बार भी संतोषजनक रही और अतिदेय, मांग के 5% से कम रहे। एक प्राथमिक भूमि विकास बैंक को छोडकर बाकी सभी 29 इकाइयां निर्बाध ऋण वितरण की पात्र रही।

3.39 वर्ष के दौरान राज्य में मंजूरी की गई 8.9 करोड रुपये की पुनर्वित्त सहायता से, जून 1981 के अन्त तक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संचयी वायदे 100.3 करोड रुपये के हो गए, जिसमें से निगम ने 45.6 करोड़ रुपये की कुल राशि वितरित की।

मध्य प्रदेश

3.40 पिछले वर्ष वितरित की गई राशि (36.5 करोड़ रुपये) की तुलना में वर्ष के दौरान थोड़ी अधिक अर्थात् 38.0 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। वितरण में अधिकतम राशि (71%) वाणिज्य बैंकों ने प्राप्त की। उन्होंने 1979-80 के 24.6 करोड़ रुपयों की तुलना में 1980-81 में 27.1 करोड़ रुपयों का आहरण किया, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य भूमि विकास बैंक ने 11.8 करोड़ रुपयों की तुलना में 10.9 करोड़ रुपये ही प्राप्त किए। कई प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के अत्यधिक अतिदेयों तथा इसके परिणामस्वरूप उन्हें निर्बाध ऋण वितरण की पात्रता प्राप्त न होने के कारण, भूमि विकास बैंक के कार्य की प्रगति धीमी रही। लघु सिंचाई के लिए पहले की तरह अधिक राशि (84%) वितरित की गई, इसके बाद कृषि मशीनीकरण (6%) भण्डारण (4%) और भूमि विकास (4%) का स्थान रहा।

3.41 मध्य प्रदेश दो कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं से लाभान्वित हुआ है जिसमें से एक परियोजना के लिए अंविसंघ की तथा दूसरी के लिए पश्चिम जर्मनी सरकार (केएफडब्ल्यू) की सहायता मिल रही है। पहली परियोजना के अन्तर्गत अभी वितरण किया जाना है जबकि दूसरी परियोजना के अन्तर्गत, 30 जून 1981 तक 2.5 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

3.42 वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाओं के अन्तर्गत 98.4 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त वायदे किए गए जबकि पिछले वर्ष 106.0 करोड़ रुपये के वायदे किए गए थे। प्रारम्भ से लेकर अब तक के 393.5 करोड़ रुपये के कुल वायदों में से आलोच्य वर्ष के अन्त तक 178.9 करोड़ रुपये की राशि का लाभ उठाया गया।

महाराष्ट्र

3.43 पिछले वर्ष वितरित की गई 36.9 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले वर्ष के दौरान 51.7 करोड़ रुपये वितरित किए गए इस प्रकार लगभग 40% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

3.44 राज्य भूमि विकास बैंक ने पिछले वर्ष (20.4 करोड़ रुपये) से 13.4 करोड़ रुपये का अधिक पुनर्वित्त प्राप्त किया। इसमें 65 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। वाणिज्य बैंकों ने 1979-80 में 16.5 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया था जबकि 1980-81 में यह बढ़कर 17.9 करोड़ रुपये हो गया। प्रयोजनों में लघु सिंचाई ही पहले की तरह प्रमुख रहा और इसमें 37.9 करोड रुपये की राशि वितरित की गई जिसमें से 86% से अधिक राशि राज्य भूमि विकास बैंक ने प्राप्त की। कृषि मशीनीकरण के लिए रखे गये 3.00 करोड रुपये की सारी राशि वाणिज्य बैंकों ने प्राप्त की और 10.8 करोड रुपयों की शेष राशि विविध प्रयोजनों से सम्बन्धित थी।

3.45 अंविसंघ की सहायता प्राप्त कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना राज्य में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत 30 जून 1979 तक कुल 2.7 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

3.46 वर्ष के दौरान एक विशेष प्रगति यह हुई कि 57400 हेक्टेयर क्षेत्र में सागवान के नए बागान विकास को ध्यान में रखते हुए नागपुर, चन्द्रपुर, नासिक, थाने, भंडारा, धुले और नान्देड़ जिलों के चार वन क्षेत्रों को शामिल करके 31.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक वन-उद्योग परियोजना अनुमोदित की गई इसमें निगम का वायदा 18.6 करोड़ रुपये का रहा। इसके अलावा, ग्रैंड पेरन्ट स्टाक के आयात पर प्रस्तावित रोक के प्रसंग को ध्यान में रखते हुए राज्य में निगम द्वारा अनुमोदित की गई, बेबकोक लेयर और काब ब्रोयलर के शुद्ध स्टाक के विकास और अनुसंधान तथा प्रजनन के लिए दो मुर्गीपालन विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए मंजूर की गई परियोजना का भी हवाला दिया जा सकता है।

3.47 वर्ष के दौरान किए गए 78.2 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त वायदों सहित वर्ष के अन्त तक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संचयी वायदे 331.1 करोड़ रुपये के हो गए जिसमें से कुल 219.9 करोड़ रुपये का संचयी आहरण किया गया।

मणिपुर

3.48 वर्ष के दौरान कृषिविनि द्वारा वितरित किए गए कुल 9 लाख रुपयों के पुनर्वित्त में से रासबैंक और वाबैंकों ने क्रमशः 7 लाख रुपये और 2 लाख रुपये का उपयोग किया। प्रयोजनवार, कृषि मशीनीकरण ने प्रमुख हिस्सा अर्थात् 6 लाख रु. और लघु सिंचाई ने एक लाख रुपये प्राप्त किये। 2 लाख रुपये की शेष राशि बैल योजनाओं जैसे अन्य विविध प्रयोजनों के लिए थी। राज्य में भू-आकृति सम्बन्धी बाधाओं के कारण भूजल क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा था। कमजोर सहकारी ऋण ढांचा, किसानों में उत्साह की कमी, पहाड़ी इलाकों में भूमि सम्बन्धी रिकार्ड का न होना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे राज्य में कृषि विकास की योजनाएं बनाने तथा इनके कार्यान्वियन में, निरंतर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इन परिस्थितियों का उल्लेख गत वर्ष की रिपोर्ट में भी किया था। वर्ष के अन्त में 2.7 करोड़ रुपये के वायदों के मुकाबले संचयी आहरण 1करोड रुपये का रहा।

मेघालय

3.49 वर्ष के दौरान मेघालय के एक वाणिज्य बैंक को मंजूर की गई डेरी विकास योजना के अन्तर्गत 1980-81 में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से पहली बार 1.0 लाख रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया गया। वन विकास मुख्य प्रयोजन था जिसके लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा 44 लाख रुपये का वायदा किया गया, लेकिन दस्तावेजी कार्य के पूरे होने पर भी इस योजना के अन्तर्गत अब तक कोई आहरण नहीं किया गया है।

3.50 वर्ष के दौरान 54.0 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और 49 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता सहित 5 (4 डेरी और 1 सन्तरा बागान) योजनाएं मंजूर की गई। राज्य में मंजूर की गई योजनाओं की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इनमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संचयी वायदे 1.1 करोड रुपये के हैं जिनमें से 72 लाख रुपये के वायदे वाणिज्य बैंकों तथा 36 लाख रुपये के वायदे राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में किए गए।

नागालैंड

3.51 इसके पहले मंजूर की गई योजनाओं के सन्दर्भ में वर्ष के दौरान पुनर्वित्त आहरित नहीं किया गया। वर्ष के दौरान राज्य में 26 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता और 29 लाख रुपये की वित्तीय सहायता सहित काफी बागान की एक योजना मंजूर की गई। जून 1981 के अन्त में राज्य में मंजूर की गई योजनाओं की संख्या 9 थी और इनमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के वायदे 88 लाख रुपये के थे जिनमें से 30 लाख रुपये भूमि विकास तथा 58 लाख रुपये की शेष राशि विविध प्रयोजनों से सम्बन्धित थी। वर्ष के दौरान पुनर्वित्त आहरित नहीं हुआ। संचयी वितरण पिछले वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार ही 18.00 लाख रुपये के स्तर तक रहे। राज्य में कृषि विकास की प्रगति को रोकने वाले तत्वों में भूमि सम्बन्धी रिकार्डों का न होना, किसानों में उत्साह का अभाव तकनीकी स्टाफ की कमी, मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसे कारण भी जुड़े हुए हैं।

उड़ीसा

3.52 वर्ष के दौरान राज्य द्वारा उपयोग किये गये 19.8 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त की राशि, पिछले साल (13.2 करोड़ रुपये) की राशि से लगभग 50% अधिक थी। हालांकि दो वर्ष पूर्व (1978-79 में 8.7 करोड़ रु.) की स्थिति से यह दुगुनी से भी अधिक थी। वाणिज्य बैंक इस सम्बन्ध में पहले की भांति अग्रणी रहे और उन्होंने कुल का 50% अथवा 10 करोड़ रुपये प्राप्त किए वर्ष के दौरान राज्य भूमि विकास बैंकों का आहरण 1978-79 के 2.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 7.4 करोड़ रुपये हो गया। 2.4 करोड़ रुपये की शेष राशि राज्य सहकारी बैंक ने प्राप्त की। 13 जिलों में से 8 में यदि बाढ़ न आई होती तो वर्ष के दौरान वित्तपोषक बैंकों का कार्य और बेहतर होता।

3.53 लघु सिंचाई की योजनाओं के अन्तर्गत 12.8 करोड रुपये वितरित किए गए और 7.00 करोड़ रुपये की शेष राशि विविध प्रयोजनों के लिए दी गई। वर्ष के दौरान एक सराहनीय बात यह हुई कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 125 ब्लाकों को शामिल करते हुए 8 बैंकिंग योजनाएं मंजूर की गई जिनमें 22.8 करोड़ रुपये के कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के वायदे थे और इनके अन्तर्गत 1.5 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

3.54 कुएं खोदने की योजना बनाने के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के अधिकारियों द्वारा आदिवासी खंडों में किए गए दौरे का उल्लेख पिछली वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। यह योजना वर्ष के दौरान गंजम जिले के रायगढ़ खण्ड में केवल आदिवासी लाभार्थियों को शामिल करते हुए 5.8 लाख रुपये के कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के वायदे सहित मंजूर की गई।

3.55 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण II के अन्तर्गत सम्बलपुर जिले के बारगढ़ में एक बीज अभिसंस्करण संयंत्र कांप्लेक्स और बहुराज्यीय काजू परियोजना के अन्तर्गत छोटी जोतवालों के लिए एक काजू कार्यक्रम की मंजूरी दी गई।

3.56 अन्तर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत 2 इंजीनियरों की लागत आंक ली गई है और इनकी योजनाओं की रूपरेखा बना ली गई है तथा इनमें से एक योजना को भारत सरकार की केन्द्रीय परियोजना इकाई ने अनुमोदित कर दिया है।

3.57 वर्ष के दौरान किए 46.8 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त वायदों से वर्ष के अन्त में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संचयी वायदे 145.6 करोड़ रुपये के हो गए जिनमें से कुल 60.2 करोड़ रुपये का संचयी वितरण किया गया।

पंजाब

3.58 वर्ष 1979-80 के 50.2 करोड़ रुपयों के मुकाबले वर्ष के दौरान राज्य के सदस्य बैंकों ने 67.5 करोड़ तक के पुनर्वित्त का उपयोग किया। दो वर्ष (1978-79 में 16.3 करोड़ रुपये) पहले की स्थिति के मुकाबले यह वृद्धि चौगुनी से भी अधिक है। वाणिज्य बैंक पहले की तरह इस सम्बन्ध में अग्रणी रहे और इन्होंने 49.9 करोड़ रुपये अथवा कुल वितरण की 74% राशि प्राप्त की। राज्यभूमि विकास बैंकों ने 1978-79 में केवल 3.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे जबकि इस वर्ष 17 करोड़ रुपये लिए गए। राज्य सहकारी बैंक ने 0.6 करोड़ रुपये की शेष राशि प्राप्त की। अन्य बातों के अलावा, राज्य भूमि विकास बैंक का वसूली कार्य अच्छा होने के कारण राज्य में विकास वित्त की तेजी से विस्तार हुआ।

3.59 कृषि मशीनीकरण की योजनाओं के अन्तर्गत 43.3 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया और परिणाम-स्वरूप ट्रैक्टरों की बढ़ती हुई मांग पहले जैसी बनी रही। इसी प्रकार लघु सिंचाई और विविध प्रयोजनों के लिए क्रमशः 15.5 करोड़ रुपये और 8.7 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। लघु सिंचाई के अन्तर्गत प्रमुख वितरण, अविसंघ की सहायता प्राप्त पंजाब सिंचाई परियोजना में जलनालियां और गहरे नलकूप बनाए जाने के लिए किया गया। वर्ष के दौरान खुशी की एक बात यह भी हुई कि राज्य भूमि विकास बैंक ने पहली बार डेरी, मुर्गीपालन और पशु चालित गाड़ियों जैसे विविध प्रयोजनों की योजनाओं के लिए वित्त प्रदान किया, जिससे ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों का अत्यधिक हित हुआ। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 5 वर्ष की अवधि में फलोद्यान लगाने के लिए 25,000 एकड़ क्षेत्र में बागबानी के विकास के लिए राज्य में एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तावित की है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने प्रथमतः 2 वर्ष की अवधि में 10,000 एकड़ के विकास के लघु कार्यक्रम का ही अनुमोदन किया है। इस प्रकार की योजनाओं से राज्य में ऋण वितरण पद्धति की विविधता के अच्छे परिणाम निकलने चाहिए।

3.60 सिंचाई परियोजना के अलावा, राज्य में अविसंघ की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना, चरण I कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने जालंधर जिले के करतारपुर में एक बीज अभिसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

3.61 वर्ष के दौरान किए गए 58.5 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त वायदों के साथ वर्ष के अन्त में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संचयी वायदे 291.7 करोड़ के हो गए जिसमें से कुल 211.0 करोड़ रुपये का संचयी आहरण किया गया।

राजस्थान

3.62 पुनर्वित्त का समग्र वितरण 1978-79 के 16.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 1979-80 में 18.2 करोड़ रुपये तथा 1980-81 में 18.9 करोड़ रुपये का हो गया। राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा लिए गए 6.9 करोड़ रुपये की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सम्मिलित करते हुए वाणिज्य बैंकों ने 11.4 करोड़ रुपये का अधिक भाग प्राप्त किया। राज्य में सबसे गरीब व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दिलाने के लिए बनाए गए अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक ने 0.6 करोड़ रुपये की शेष राशि प्राप्त की। लघु सिंचाई और भूमि विकास कार्यों ने कुल वितरित राशि का बड़ा हिस्सा (10 करोड़ रुपये) लिया जो कुल वितरण का 53 प्रतिशत बनती है। अन्य विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत वितरण की प्रवृत्ति सामान्यतः पिछले वर्ष जैसी रही। कृषि-मशीनीकरण के अन्तर्गत किए गए वितरण में लगभग 2.3 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

3.63 सीमेन्ट और कोयले जैसे निर्माण के सामान की कमी, भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक कठिनाइयों, कृषकों के अधिकतर अतिदेयों, भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने में देरी आदि कारणों से अविसंघ/अपुवि बैंक की सहायता प्राप्त 2 कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं की प्रगति धीमी रही 30 जून, 1981 तक बैंकों ने कुल 8.2 करोड़ रुपये की राशि इन परियोजनाओं के अन्तर्गत आहरित की। वर्ष के दौरान, कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष (आई एफ एडी) की सहायता प्राप्त कमाण्ड क्षेत्र विकास और बन्दोबस्त परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया गया।

3.64 वर्ष के दौरान राज्य को किए गए 27.8 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त वायदे सहित वर्ष के अन्त में संचयी वायदे 183.3 करोड़ रुपये के हो गए जिसमें से 89.7 करोड़ रुपये बैंकों ने प्राप्त किए।

सिक्किम

3.65 बैंकिंग की कुछ आधारभूत कठिनाइयों के कारण कृपुवित्त इस राज्य में अभी तक अपनी पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाया है। सिक्किम के राज्यपाल द्वारा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर उन दो वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रायोजित योजनाओं का वित्त-पोषण करना मंजूर कर लिया गया जिनकी शाखाएं इस राज्य में हैं।

तमिलनाडु

3.66 वर्ष 1980-81 के दौरान तमिलनाडु के बैंक 12.9 करोड़ रुपये की सुविधा प्राप्त कर सके, जबकि पिछले वर्ष उन्होंने 9.6 करोड़ रुपये ही प्राप्त किए थे। वाणिज्य बैंकों ने पुनर्वित्त सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाया। राज्य भूमि विकास बैंक मुख्य रूप से पुनर्व्यवस्था के कार्यों में ध्यस्त रहा; इसलिए केवल 1.3 करोड़ रुपये का ही पुनर्वित्त प्राप्त कर सका। क्योंकि कई प्राभुवि बैंकों को प्रात्रता प्राप्त नहीं थी।

3.67 वर्ष के दौरान राज्य में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं ने तेजी पकड़ ली है तथा वाणिज्य बैंकों ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों के संबंध में 4.9 करोड़ रुपये तक का पुनर्वित्त प्राप्त किया। पंडियन ग्रामीण बैंक ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अत्यंत उत्साह दिखाया और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से 77.0 लाख रुपये प्राप्त किए। वाणिज्य बैंकों द्वारा अपनाई गई अन्य योजनाओं में विविध प्रयोजनों के लिए ऋण देने की योजना भी थी जिसमें कृषि मशीनीकरण भी शामिल था।

3.68 राज्य भूमि विकास बैंक अपने बड़े पैमाने के बकाया ऋणों की वसूली और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के बकाया ऋणों के पुनश्चरणीकरण के कार्य में लगे रहे। राज्य सरकार ने बकाया राशि की वसूली करने में सक्रिय सहायता दी तथा जून 1981 के अन्त तक 21 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई। इससे तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की ऋणों की किस्तों के पुनश्चरणीकरण कर दिए जाने से अधिक संख्या में प्राथमिक भूमि विकास बैंक ऋण वितरण के पात्र बन गए। 182 इकाइयों के मुकाबले 161 इकाइयों नए सिरे से ऋण देने की पात्र बन गई। इसमें यह आशा की जाती है कि वर्ष 1981-82 में

राज्य में राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण देने के कार्य में और तेजी आएगी।

3.69 वर्ष के दौरान कुल 16 7 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त मंजूर किया गया। इससे कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के सचयी वायदे 145 5 करोड़ रुपये के हो गए और उनमें से 116 8 करोड रुपये का सचयी आहरण किया गया।

त्रिपुरा

3 70 राज्य में पिछले वर्ष वितरित किए गए 11 लाख रुपये के पुनर्वित्त के मुकाबले वर्ष के दौरान केवल 7 लाख रुपए प्राप्त किए गए। प्रयोजनवार वितरण के अन्तर्गत कृषि मशीनीकरण के लिए 1 लाख रुपये व 6 लाख रुपये की शेष राशि विविध प्रयोजनो के लिए उपयोग की गई, जिसमें से 1 लाख रुपय मत्स्य-पालन विकास, 4 लाख रुपये बागान और बागबानी तथा 1 लाख रुपये अन्य प्रयाजना के लिए वितरित किए गए। यद्यपि त्रिपुरा वन विकास और बागान निगम को मजूर की गई वन विकास योजना के अन्तर्गत कोई आहरण नही किया गया, योजना की अच्छी प्रगति हुई और दस्तावेजी कार्य के पूरा होते ही आहरण कर लिया जाएगा।

3.71 सहकारी ऋण के ढाचे की कमजोरी, मूलभूत सुविधाओ की कमी, अद्यतन भूमि रिकार्डों का न मिलना, जनजातियों में उत्साह की कमी आदि के कारण राज्य के कृषि विकास की प्रगति में रुकावट आई।

3 72 राज्य में जून 1981 के अन्त तक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के कुल वायदे 4 2 करोड रुपये के हुए थे, जिनमें से 44 योजनाओ के लिए 3 1 करोड रुपये के वायदे वर्ष का दौरान किए गए। वर्ष के अन्त में राज्य के वित्तपोषक बैको ने 30 लाख रुपये का पुनर्वित्त लिया।

उत्तर प्रदेश

3 73 यह राज्य कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से निरन्तर बडी मात्रा में पुनर्वित्त प्राप्त करता आ रहा है और इसने 1978-79 में 48 8 करोड रुपये। 1979-80 में 56 6 करोड रुपये तथा 1980-81 में 72 5 करोड रुपये प्राप्त किए। राज्य भूमि विकास बैंक ने 38 2 करोड रुपये का पुन-र्वित्त प्राप्त किया जबकि वाणिज्य बैंको ने 34 3 करोड रुपये ही प्राप्त किए। राज्य भूमि विकास बैंको के कार्य में सुधार हुआ है और इसने करीब 10 करोड रुपये की अधिक राशि प्राप्त की (1979-80 के 28 7 करोड रुपये से 1980-81 में 38 2 करोड रुपये), जबकि वाणिज्य बैंकों ने पिछले वर्ष से 6 4 करोड रुपये अधिक प्राप्त किए।

3.74 पपसेटो के विद्युतीकरण सहित लघु सिंचाई के अन्तर्गत (51 4 करोड रुपये) बडी राशि का उपयोग किया गया और इसके बाद का स्थान कृषि मशीनीकरण का रहा (6 5 करोड रुपय)। विविध प्रयोजनो के पक्ष में केवल 4 6 करोड रुपये की राशि प्राप्त की गई। 2 नए खण्डो के लिए योजनाए अनु-मोदित कर दिए जाने के कारण राज्य के सारे खण्डो को कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की सहायता प्राप्त हो रही है।

3 75 राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण II और अविसघ की सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना राज्य में कार्या-न्वित की जा रही है। इस प्रकार कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने बीज परियोजना के अन्तर्गत फार्म विकास और बीज अभि-सस्करण व शीतगृह के प्रस्ताव को मजूर किया है तो अन्तर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत तालाबों में मत्स्यपालन के विकास की कुछ योजनाओं का अनुमोदन किया है।

3.76 वर्ष के दौरान किए गए 149 7 करोड रुपये के पुन-र्वित्त के वायदों को मिलाने से वर्ष के अन्त तक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से सचयी वायदे 626 4 करोड रुपये के हो गए जिसमें से कुल 334 8 करोड रुपये का सचयी आहरण किया गया।

पश्चिम बगाल

3 77 वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य में 9 84 करोड रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया गया जो पिछले वर्ष प्राप्त किए 9 81 करोड रुपये की तुलना में कुछ अधिक था। वाणिज्य बैंक पुनर्वित्त प्राप्त करने में इस बार भी अग्रणी रहे और इन बैंकों ने 6 4 करोड रुपये प्राप्त किए जो कुल वितरित राशि का 65% बनता है जबकि राज्य भूमि विकास बैंक ने कुल वितरित राशि में से 35% अर्थात् 3 4 करोड रुपये ही प्राप्त किए।

3.78 अविसघ की सहायता प्राप्त कृषि विकास परियोजना राज्य में पूर्णरूप से कार्यान्वित कर ली गई और 31 मार्च 1981 को समाप्त हो गई है।

3 79 प्रयोजनवार वितरण के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं ने अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और इसमें 5 1 करोड रुपये आहरित किए गए। बागान और वन-उद्योग सहित विविध प्रयोजनो के लिए 4 7 करोड रुपये की राशि वितरित की गई।

3 80 पश्चिम बगाल सरकार ने यह निर्णय किया है कि सामुदायिक प्रकृति की योजनाओ को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पचायत समितियो और जिला परिषदो के माध्यम से कार्यान्वित किया जाए। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने पचायत समितियों और जिला परिषदो को ऋण देनेवाले बैंको को राज्य सरकार से मिले आश्वासनो और सुरक्षाओ के अधीन प्रयोगात्मक आधार पर पुनर्वित्त देना स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और वित्त-पोषक बैंको के बीच सम्बन्धित त्रिपक्षीय करार इस समय निष्पा-दित किये जा रहे है।

3 81 अविसघ की सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मत्स्यपालन परि-योजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1 2 करोड रुपये की पुनर्वित्त सहायता सहित अब तक 28 योजनाओ को मजूरी दी है।

3 82 राज्य में की गई विशेष प्रगति के अन्तर्गत सुन्दरबन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा एक परियोजना बनाई गई जिसमें कृषि विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कोष से वित्तीय सहा-यता प्राप्त होगी। यह परियोजना अनुमानित लागत 31 8 करोड रुपये और कृषि विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कोष के 14 0 करोड रुपये के ऋण के साथ अनुमोदित हो गई है। इसमें से सस्थागत ऋण की सहायता से कार्यान्वित किए जानेवाले कार्य-क्रम का कुल परिव्यय 2 0 करोड रुपये होगा जिसके लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से 1.7 करोड रुपये के पुन-र्वित्त की आवश्यकता पडेगी।

3 83 वर्ष के दौरान किए गए 26 5 करोड रुपये के पुनर्वित्त वायदो को मिलाकर जून 1981 के अन्त तक राज्य में कृषि पुन-र्वित्त और विकास निगम के सचयी वायदे कुल 105 2 करोड रुपये के हो गए जिसमें से 47 6 करोड रुपये का सचयी आह-रण किया गया।

वर्ष के दौरान लिए गए नीति सम्बन्धी प्रमुख निर्णय

(1) पंपसैटों के लिए ऋण की अवधि

पंपसैटों के ऋण की अवधि बढ़ाने के लिए वित्तपोषक संस्थाओं, विशेषकर राज्य भूमि विकास बैंकों से प्राप्त अभिवेदनों को ध्यान में रखते हुए निगम ने सभी प्रकार के किसानों के पंपसैटों के ऋण के परिपक्व होने की अवधि 7 वर्ष से 9 वर्ष करने का निर्णय लिया है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की परिभाषा के अंतर्गत छोटे किसानों के लिए सम्मिश्र ऋणों की अधिकतम अवधि 15 वर्ष ही रहेगी, किन्तु पंपसैटों से संबंधित ऋण की चुकौती की अवधि 9 वर्ष कर दी गई है। पंपसैटों के ऋण परिपक्व होने की बढ़ी हुई अवधि 1 अक्तूबर 1980 के बाद वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा वितरित नए ऋणों पर लागू की गई।

(2) ब्याज दरें

4 2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज की आमदनी पर 1980-81 में भारत सरकार के, कर पुनः लगाने और इस कर भार को अंतिम ऋणकर्ताओं पर डालने के निर्णय के कारण कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम योजनाओं के अन्तर्गत अंतिम ऋणकर्ताओं से वित्तपोषक बैंकों द्वारा ली जानेवाली ब्याज की दर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1 जुलाई 1980 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों के आधार पर परिशोधित की है

प्रयोजन	अन्तिम ऋणकर्ताओं द्वारा देय ब्याज दर (अधिकतम)
(क) लघु सिंचाई और भूमि विकास	10.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ख) विविध प्रयोजन	
(i) लघु कृषक	10 25 ,,
(ii) अन्य	11.35 ,,

जिन वाणिज्य बैंको, राज्य भूमि विकास बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को कर नहीं देना पड़ता था, उनके द्वारा लिए जानेवाले ब्याज की दरों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, उन्हें अपने ऋणकर्ताओं से उपर्युक्त दरें लेने का परामर्श दिया गया।

4 3 मार्च 1981 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य ब्याज दर ढांचे में परिशोधन करने के कारण कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनाओं के अंतर्गत अंतिम ऋणकर्ताओं से लिए जानेवाले ब्याज की दर में निगम ने नीचे बताये अनुसार परिशोधन किया है और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषक बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों पर ये दरें 2 मार्च 1981 से लागू की हैं

प्रयोजन	अन्तिम ऋणकर्ताओं द्वारा देय ब्याज दर
(क) लघु सिंचाई और भूमि विकास	10.25 प्रतिशत प्रति वर्ष
(ख) विविध प्रयोजन	
(i) लघु कृषक	10.25 ,,
(ii) अन्य	12.50 ,,

बैंको के लिए निर्धारित दरें लेना अनिवार्य है। किन्तु 1 जुलाई 1930 से तुरन्त पहले वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा लिए गए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त पर ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

4 4 कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कार्यान्वयन करनेवाली एजेंसी के लिए मार्जिन 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक बढ़ाने के विचार से वित्तपोषक बैंकों से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर और बाद में कार्यान्वयन करनेवाली एजेंसी द्वारा लिए जानेवाले ब्याज की दर तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत पात्र किसानों से विशेष ऋण खातों पर लिए जानेवाले ब्याज की दरें, निगम ने 1 जुलाई 1980 से नीचे लिखे अनुसार परिशोधित की हैं :

विवरण	पुरानी ब्याज दर	परिशोधित ब्याज दर
(क) विशेष ऋण खाते में से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त पर वित्तपोषक बैंक द्वारा देय दर	10 प्रतिशत प्रति वर्ष	9 प्रतिशत प्रति वर्ष
(ख) वित्त पोषक बैंकों द्वारा भूमि विकास निगम/कमाण्ड क्षेत्र प्राधिकरण को दिए गए ऋण पर	11 प्रतिशत प्रति वर्ष	10 80* प्रतिशत प्रति वर्ष
(ग) भूमि विकास निगम/कमाण्ड क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा अपात्र लाभभोगी किसानों को दिये गये ऋण पर	13 प्रतिशत प्रति वर्ष	13 80 प्रतिशत प्रति वर्ष

*इसमें वाणिज्य बैंको द्वारा देय कर भी शामिल है।

(3) जनता बायोगैस (गोबर गैस) संयंत्र लगाने के लिए पुनर्वित्त की सुविधा

4 5 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने पहले खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के आधार पर गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की थी। इस वर्ष के दौरान निगम ने जनता टाइप के बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए पात्र संस्थाओं को कुछ शर्तों के साथ पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(4) ग्राम दूध सहकारी समितियों द्वारा दूध-घर बनाने के लिए पुनर्वित्त

4 6 राष्ट्रीय डेरी परियोजना (दुग्ध क्रांति चरण I और II) के अन्तर्गत अगले कुछ वर्षों के लिए देश में बहुत बड़ी संख्या में डेरी सहकारी समितियों के गठन पर ध्यान दिया गया। धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ग्राम सहकारी डेरी समितियों द्वारा दूध-घर बनाने के लिए पात्र संस्थाओं को, चयनात्मक आधार पर पुनर्वित्त प्रदान करने पर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम सहमत हो गया है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त से सम्बन्धित शर्तों सहित उपर्युक्त मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं।

(5) मशीनरी/उपकरणों को बदलने/मरम्मत करने के लिए पुनर्वित्त सुविधा

4 7 पूंजीगत लागत में बचत करने और वर्तमान उपकरणों में उनके कुछ हिस्से बदलकर, उनका अच्छा उपयोग करने तथा उन्हें अधिक टिकाऊ बनाने के विचार से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ऐसे बैंकों को पुनर्वित्त देने के लिए सहमत हो गया जो मछली पकड़ने की मशीनयुक्त नावों, दूध अभिसंस्करण संयंत्रों, ट्रैक्टरों/स्प्रिंगिंग रिगों जैसे उपकरणों के भाग हिस्से बदलने

या/और जोड़ने के लिए ऋण प्रदान करते हैं, जिनकी लागत 0.50 लाख रुपये या उससे अधिक हो।

(6) वाणिज्य बैंकों के वसूली कार्य

4.8 वाणिज्य बैंकों के कृषि मीयादी ऋणों के वसूली कार्य में सुधार लाने के बारे में अपनाए गए उपायों का उल्लेख कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में किया था। वाणिज्य बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण देने से सम्बन्धित समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को परामर्श दिया गया कि यदि मीयादी ऋण के अन्तर्गत शाखाओं पर, मांग के 50 प्रतिशत से अधिक अतिदेय बढ़ जाता है तो इन वाणिज्य बैंकों को, अतिदेय कम करने के लिए किए गए/किए जानेवाले उपायों की ठोस रूपरेखा योजना-प्रस्तावों के साथ पेश करनी होगी। यदि बैंकों द्वारा दी गई सूचना या सुझाए गए उपाय कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को सन्तोषजनक नहीं लगे तो निगम और उपाय बतला सकता है, जिनके आधार पर ही पुनर्वित्त मंजूर किया जाएगा।

(7) पुनर्वित्त मंजूर करने की प्रत्यायोजित शक्तियों में वृद्धि

4.9 जैसा कि वर्ष 1978-79 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, योजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए निगम ने अपने प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को पुनर्वित्त मंजूर करने के अधिकार दिए थे। वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस विषय की समीक्षा की और इन अधिकारियों को दी गई शक्तियों की सीमा में उपयुक्त वृद्धि कर दी।

(8) एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा लघु कृषकों को ऋण-अतिदेयों की दिशा में छूट

4.10 देश के सभी खण्डों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने और विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रशासन निगरानी तथा पर्यवेक्षण करने के लिए प्रत्येक जिले में एक अलग एजेंसी अर्थात् जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की स्थापना के भारत सरकार के निर्णय के आधार पर, विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध रिआयत के साथ साथ एकीकृत ग्रामीण और विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी, लघु कृषकों को ऋण देने वाले प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/शाखाओं को उनके प्रतिदेयों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक/कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने रिआयत देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, जिन प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं को नए ऋण देने की पात्रता है, उनको एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए परिवारों के वित्तपोषण के लिए खुली छूट से ऋण देने की पात्रता होगी और जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक/शाखाएं अतिदेय के मानदण्डों के आधार पर नया ऋण देने की पात्र नहीं हैं, वे भी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए परिवारों की सहायता करने के लिए खुली छूट से ऋण देने की पात्र होंगी, बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक/कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की सन्तुष्टि के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक भूमि विकास बैंक/शाखा के लिए पुनर्प्रतिष्ठा कार्यक्रम तैयार किया जाए।

प्रमुख लक्ष्य और उपलब्धियां

निगम ने राष्ट्रीय नीति और प्रमुख मुद्दों तथा एक वित्तीय संस्था के नाते अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए, अपने उद्देश्यों के संबंध में नया दृष्टिकोण अपनाया है। निगम ने अपने सामने निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य रखे हैं : (1) कृषि-उपज में वृद्धि और कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से रोजगार बढ़ाना; (2) क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना; (3) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अधिकाधिक भाग लेकर योजनाओं के अंतर्गत छोटे किसानों और अन्य कमजोर वर्गों को शामिल करना और (4) संस्था निर्माण। इन प्रमुख उद्देश्यों को साधने के लिए निगम ने वर्ष के दौरान कई कदम उठाए हैं। निगम ने बैंकों और राज्य सरकारों को, उनके विकास कार्यक्रमों को बैंक योग्य परियोजनाओं में परिवर्तित करने की दिशा में आवश्यक सहायता दी है और उनके कार्यान्वयन के लिए पुनर्वित्त की मदद की है। यह अध्याय 1 और 3 में उल्लिखित कार्य की समीक्षा से भी देखा जा सकता है।

5.2 पहले ही कार्यान्वित की गई कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनाओं के मूल्यांकन से पता चलता है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से सिंचाई कार्यक्रम को बढ़ावा देकर अधिक कृषि-उपज का मुख्य उद्देश्य किसी हद तक पूरा कर लिया गया है और इससे किसानों की आमदनी भी सन्तोषजनक रही है। इस वर्ष के दौरान कम विकसित क्षेत्रों में योजना निर्माण के प्रयत्नों को और बढ़ा दिया गया है। 1979-80 के 164 करोड़ रुपये के वितरण के मुकाबले इस वर्ष कुल 499 करोड़ रुपये के वितरण में से 192 करोड़ रुपये का वितरण इस कार्य के लिए किया गया (देखें सारणी 16)।

सारणी 16—कम विकसित/अधिकसित राज्यों में किया गया वितरण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	मंजूरियां		वितरण
	योजनाओं की संख्या	कृपुविनि के वायदे	
1976-77	725	128	101
1977-78	917	141	113
1978-79	1237	273	127
1979-80	1749	371	164
1980-81	1970	413	192
30 जून 1981 तक	7448	1781	875

5.3 संस्था निर्माण के अपने प्रयत्नों के रूप में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से पांच राज्यों अर्थात् बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एकात्मक ढांचे के अंतर्गत राज्य भूमि विकास बैंकों और उनसे सम्बद्ध प्राथमिक बैंकों या उनकी शाखाओं के लिए पहले एक पुनर्व्यवस्था कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित इलाकों में इन राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋणकर्ताओं के ऋण का पुनश्चरणीकरण करना इस कार्यक्रम का एक प्रमुख पहलू था और परिणामस्वरूप राज्य भूमि विकास बैंकों को अपनी वित्तपोषक एजेंसी के दायित्वों का स्थगन करना था। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने इन राज्यों का दौरा किया और इस प्रकार के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक/कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के परामर्श पर संबंधित राज्य सरकारों ने इन राज्य भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की है। वाणिज्य बैंकों के कृषि संबंधी अतिदेयों को नियंत्रित करने के लिए कार्यदल ऋण समिति की सिफारिशों के आधार पर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने वाणिज्य बैंकों को मार्गनिर्देश

जारी किए हैं, जिनमें वसूली कार्य के लिए पर्याप्त और अनुभवी स्टाफ को लगाना, जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली कार्य के लिए पैरवी करना/प्रपीडक कदम उठाना और प्राकृतिक आपदाओं के मौकों पर ऋणकर्ताओं के ऋण का अन्य प्रकार के ऋण में परिवर्तन/पुनश्चरणीकरण कर, समय पर, सहायक देना शामिल है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने वाणिज्य बैंकों को यह भी परामर्श दिया है कि कार्यान्वयन करनेवाली शाखाएं, अतिदेयों से संबंधित सूचना, योजना-प्रस्तावों के साथ अनिवार्य रूप से भेज दें और यदि अतिदेय मांग के 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाते हैं तो ऐसे कदम उठाए जाएं जो कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को ठीक लगें।

लघु कृषकों का समावेश

5.4 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1975 से अपनी योजनाओं के अन्तर्गत छोटे किसानों को शामिल करने की बात पर अधिक जोर दिया है। निवेश पूर्व अवधि में 5 व्यक्तियों के ग्रामीण परिवार के जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित आमदनी के स्तर का ध्यान रखते हुए छोटे किसानों को अलग से वर्गीकृत किया गया है। 1972 के मूल्यों के आधार पर पहले निर्धारित की गई 2,000 रुपये की सीमा को इस वर्ष के दौरान 1979-80 के मूल्यों के आधार पर परिशोधित कर 3,500 रुपये कर दिया गया है। राज्यवार वर्गीकरण के अनुसार इस आमदनी की सीमा में 3200 रुपये से 3900 रुपये तक का अन्तर आता है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा प्रस्तुत लाभभोगी छोटे किसानों की इस परिभाषा में भूमिहीन किन्तु आर्थिक दृष्टि से कमजोर ग्रामीण व्यक्ति भी आते हैं।

5.5 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम छोटे किसानों द्वारा किए जानेवाले निवेशों के लिए कम तत्काल अदायगी, कम ब्याज दर और चुकौती की अधिक अवधि जैसी रियायतें देता रहा है। भारत सरकार की जिन विशेष योजनाओं में पूंजी सहायता शामिल है, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा उनको भी पुनर्वित्त दिया जाता है। इन कार्यक्रमों में भूमि पर आधारित निवेश और गैर-भूमि पर आधारित निवेश शामिल हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अधिकाधिक शामिल करने पर भी जोर दिया गया है।

5.6 पिछले 5 वर्षों के अथक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम योजनाओं के अन्तर्गत कुल ऋण वितरण में लघु कृषकों का हिस्सा वर्ष 1975-76 के 35% से बढ़कर वर्ष 1979-80 में 58% तक हो गया और फिर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 66.3% हो गया। (देखें सारणी 17)

सारणी 17—लघु कृषकों को वित्तपोषण*

करोड़ रुपए

प्रयोजन	1980-81 के दौरान कुल वितरण	1980-81 के दौरान लघु कृषकों के लिये वितरण		प्रतिशत
		राशि	खातों की संख्या	
लघु सिंचाई और भूमि विकास	276.5	176.5	235000	63.8
विविध प्रयोजन	78.7	37.6	94000	47.8
जोड़	355.2	214.1	329000	60.3

टिप्पणी इसमें कृषि मशीनीकरण, भण्डार और बाजार केन्द्र राज्य भूमि विकास बैंक को अन्तरिम वित्तपोषण, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, वन-उद्योग और राष्ट्रीय बीज परियोजनाएं शामिल हैं।

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

यद्यपि ये आंकड़े बैंकों से मिली सूचना के आधार पर हैं, फिर भी, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का यह अनुभव रहा है कि लघुकृषकों को परिभाषित करने में लघु कृषक विकास एजेंसी-एकड़ सीमा के अपनाने के कारण बैंकों का रुख लघु कृषक उपलब्धियों को कम दिखाने की ओर रहा है।

5.7 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने लक्ष्य-वर्ग के हित के लिए बनाए गए एक विशेष कार्यक्रम में पहल की है, जिसमें 1538 खण्डों को शामिल करते हुए 208 बैंकिंग प्लान तैयार करना शामिल है। और इसमें जून 1981 तक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 146.4 करोड़ रुपये के वायदे हैं। इनके अन्तर्गत कुल आहरण 17.2 करोड़ रुपये का ही हुआ है जिसका प्रमुख कारण वाणिज्य बैंकों द्वारा विभेदक ब्याज दर की योजनाओं के अंतर्गत ऋण दिया जाना और वितरण तथा पुनर्वित्त के आहरण में होनेवाली देरी बताया जाता है। देश के सभी खण्डों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम को व्यापक बनाने के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने अग्रणी बैंकों को उनके वार्षिक कार्य की रूपरेखा के एक अंग के रूप में ऐसे प्लान बनाने का कार्य सौंप दिया है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

अविसंधि/अपुवि बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

जून 1981 के अन्त तक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम विश्व बैंक समूह की सहायता प्राप्त चालीस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगा हुआ है। 5,250 लाख डालर की सामान्य पंक्ति की तीन ऋण परियोजनाओं के अलावा, अन्य चलाई जा रही परियोजनाओं में, बारह कृषि ऋण परियोजनाएं, सात कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाएं, तीन डेरी विकास परियोजनाएं, तीन बीज परियोजनाएं, तीन मत्स्यपालन परियोजनाएं, दो बाजार केन्द्र परियोजनाएं, दो बागबानी सम्बन्धी विपणन परियोजनाएं, दो सिंचाई परियोजनाएं, एक एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना, एक बहुराज्यीय काजू परियोजना तथा एक रेशम उत्पादन परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत विश्व बैंक समूह द्वारा मंजूर किए गए 20,600 लाख डालर के कुल ऋण में से 12,000 लाख डालर का ऋण संस्थागत ऋण की सहायता से किए जाने वाले निवेशों के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से दिया जाएगा। जून 1981 के अन्त तक विश्व बैंक समूह की विविध परियोजनाओं के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा वितरित पुनर्वित्त की राशि 1290.0 करोड़ रुपये तक पहुंच गई जिसमें देश को 9050 लाख डालर की विदेशी मुद्रा का लाभ हुआ।

6.2 प्रयोजनवार ऋण वितरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में परियोजनाओं के अधीन अब तक किए गए वितरण और जून 1981 के अन्त तक प्रतिपूर्ति योग्य अविसंधि ऋण की राशि का ब्यौरा ऊपर सारणी 18 में दिया गया है।

6.3 चालू परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण सारणी 11 में दिया गया है। ऋण वितरण कार्यक्रम, वितरण और अन्य आंकड़ों से सम्बन्धित विवरण सारणी 12 में दिया गया है।

सारणी 18—अंविसंघ/अंपुवि बैंक परियोजनाएं—प्रयोजनवार करोड़ रुपए

प्रयोजन	अंविसंघ ऋण के उपयोग के लिए आवश्यक वितरण	कृपुविनि कार्यक्रम के लिए अंविसंघ/ अंपुवि बैंक की सहायता की राशि	30 जून 1981 तक कृपुविनि द्वारा दिया गया पुनर्वित्त	30 जून 1981 तक भारत सरकार के माध्यम से अंविसंघ/ अंपुवि बैंक द्वारा वितरित राशि	कृपुविनि वितरण के मुकाबले अंविसंघ से ग्राह्य ऋण की राशि
				लाख डॉलर	
1. लघु सिंचाई	1230.9	682.7	1021.6	587.1	7612
2. भूमि विकास	11.7	8.3	5.8		
3. कृषि मशीनीकरण	95.4	59.7	65.0		
4. बाजार केन्द्र विकास	23.8	17.2	22.3	17.3	217
5. बागबानी-उपज का अभिसंस्करण और विपणन	14.3	12.6	3.7	—	45
6. डेरी विकास	41.1	33.6	0.3	—	33
7. कमाण्ड क्षेत्र विकास	68.6	46.5	13.6	8.1	106
8. बीज उत्पादन	51.0	35.9	3.6	2.2	25
9. मत्स्यउद्योग विकास	28.7	15.5	2.7	1.2	17
10. रूई विकास और अभिसंस्करण	16.1	10.3	8.5	4.8	75
11. रेशम उत्पादन	5.9	3.5	0.2	—	1
12. काजू विकास	20.7	11.8	0.3	—	3
13. विविध प्रयोजन	120.5	61.8	136.4	62.3	903
14. अन्य	50.6	24.0	6.0	3.1	44
	1779.3	1023.4	1290.0	66.1	9051@

*केरल कृषि विकास परियोजना के अन्तगत रबड़ अभिसंस्करण, नारियल विकास इत्यादि,

†एरूविप के अन्तर्गत उन्नत किस्म की रूई उत्पादन के लिए अलग रखा गया 75 लाख डालर का अल्पावधि ऋण शामिल है

@दानी देशों से प्राप्त ऋण शामिल नहीं है।

6.4 समीक्षाधीन वर्ष में दो योजनाएं, अर्थात् पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना और कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना पूरी की गई हैं। इस प्रकार जून 1981 के अन्त तक 6340 लाख डालर के अंविसंघ ऋण की सामान्य पंक्ति की दो ऋण परियोजनाओं सहित (2750 लाख डालर ऋण की), सोलह परियोजनाएं पूर्ण रूप से कार्यान्वित की गई हैं। विश्व बैंक समूह की सहायता प्राप्त चालू योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

क. कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम सात परियोजनाएं

6.5 जनवरी 1980 से 2500 लाख डालर ऋण की तीसरी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने लघु सिंचाई, भूमि विकास जैसे प्रयोजनों के लिए 274.9 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त वितरित किया है तथा विविध प्रयोजनों के सन्दर्भ में कृषि पुनर्वित्त का वितरण 102.1 करोड़ रुपयों का रहा है। जून 1981 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत वितरित 377.0 करोड़ रुपये की राशि (प्रशिक्षण के खर्च को छोड़कर) परियोजना का मूल्यांकन करते समय अनुमान लगाई गई राशि 335.0 करोड़ रुपये को पार कर गई। प्रशिक्षण घटकों के अन्तर्गत अब तक 1.0 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

6.6 लघु सिंचाई निवेश और भूमि विकास योजनाओं की दिशा में इस परियोजना के अन्तर्गत उन्नीस राज्य/संघशासित क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं। विविध प्रकार की ऋण वितरण योजनाओं के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत बाईस राज्य/संघशासित क्षेत्रों में ऋण वितरण किया गया है। इस वर्ग के अन्तर्गत वितरित राशि परियोजना मूल्यांकन के समय लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा थी। विविध प्रयोजनों में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने बागान और बागबानी (23.8 करोड़ रुपये), मत्स्योद्योग विकास (14.6 करोड़ रुपये), पशुपालन (20.4 करोड़ रुपये) के कार्यक्रम के लिए बड़ी मात्रा में ऋण वितरण किया है।

6.7 परियोजना के एक अंग के रूप में योजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए एक अखिल भारतीय कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से और लघु सिंचाई की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से छः राज्यों में प्रायोगिक अध्ययन चलाए गए हैं और वे पूरे हो गए हैं इन अध्ययनों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रत्येक राज्य में योजनाओं के गुण-नियंत्रण के उपाय निर्धारित करने के लिए मार्गनिर्देश बनाए जाएंगे।

6.8 अंविसंघ से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को चौथे सामान्य पंक्ति के ऋण की स्वीकृति के लिए परियोजना प्रस्ताव

तैयार करने का उल्लेख पिछली वार्षिक रिपोर्ट में किया गया था। वर्ष के दौरान सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के माध्यम से अंविसंघ को प्रस्तुत की गई है। अंविसंघ के 3500 लाख डालर ऋण की इस परियोजना का मूल्यांकन विश्व बैंक ने पूरा कर लिया है। आशा है, ऋण सम्बन्धी बातचीत शीघ्र ही शुरू हो जाएगी।

ख. राज्य कृषि ऋण परियोजनाएं

6.9 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने वर्ष 1980-81 में अंविसंघ के 220 लाख डालर के ऋण का उपयोग करने के लिए पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत कुल 25.9 करोड़ रुपये का वितरण किया जो इस वर्ष परा हो गया। इसके अलावा 1 लाख डालर ऋण का दावा और प्रस्तुत किया गया है ताकि कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को पुनः आवंटित अतिरिक्त राशि का उपयोग किया जा सके। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम में एक परियोजना-समाप्ति रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

6.10 राज्योन्मुख कृषि ऋण परियोजना के वर्ग में एक-मात्र केरल कृषि विकास परियोजना इस समय कार्यान्वित की जा रही है। जून 1981 के अन्त तक छोटी जोतवाले किसानों का विकास, काजू विकास और रबड अभिसंस्करण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 19.5 करोड रुपये के वायदे किए हैं जिनमें से जून 1981 के अन्त तक 6 करोड रुपये की राशि वितरित की गई है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के प्रतिनिधि सहित केरल सरकार के एक दल ने इस परियोजना का मध्यावधि पुनर्मूल्यांकन किया था। यह अध्ययन इस ओर इशारा करता है कि नारियल के पेड लगाने के कार्य को और व्यापक करने की गुंजाइश प्रमख रूप से सिंचाई-स्थितियों पर निर्भर करती है। इस सन्दर्भ में यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि पम्प सैटों का ऊर्जीकरण अपेक्षित मात्रा में किया जाता है। ये तथा अध्ययन दल की अन्य सिफारिशें केरल सरकार के विचाराधीन हैं। कालीमिर्च की बेल लगाने की योजना के अन्तर्गत पन्द्रह अतिरिक्त पैकेज इकाइयां और परियोजना क्षेत्र के बाहर भी नारियल के पेड़ लगाने के कार्य के अन्तर्गत दो इकाइयां अंविसंघ के सहयोग से चलाई जानेवाली परियोजना में शामिल कर ली गई हैं। काजू विकास की स्थिति यह है कि विकास कार्य के लिए आवश्यक 1470 हेक्टेयर वन्य भूमि में से केवल 1120 हेक्टेयर भूमि ही केरल के बागान निगम को विकास के लिए दी गई है। निर्माण सामग्री के न मिलने के कारण रबड के नरम टुकडों के अभिसंस्करण-कारखाने की स्थापना में देरी हो गई है।

ग. कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना

6.11 कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं में आधुनिकीकरण निकास नालियों का सुधार, खेत-विकास कार्य, आधारभूत बस्तओं का विकास जैसे संयक्त कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से केवल खेत-विकास कार्यक्रम के लिए ऋण दिया जा रहा है। ऐसी सात परियोजनाएं इस समय चल रही हैं जिनमें आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उडीसा राज्यों में एक-एक और राजस्थान में दो परियोजनाएं शामिल की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना में 1.78 लाख एकड में विकास कार्यक्रम पूरा किया जाना था। इसमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1.58 लाख एकड के लिए एक कार्यक्रम मंजूर किया है। 12.4 करोड रुपये के अपने वायदे में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने जून 1981 के अन्त तक 2.7 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है।

6.12 कर्नाटक सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत मलप्रभा और घटप्रभा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 31,000 हेक्टेयर भूमि को खेत-विकास कार्यक्रम में समाविष्ट करना था जिसमें से विकास के लिए करीब 11,000 एकड भूमि को अधिसूचित किया गया है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कुल 5.3 करोड़ रुपये की 13 योजनाएं मंजूर की हैं। परन्तु इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कोई वितरण नहीं किया गया है। किसानों की सहमति और उनके ऋण आवेदन पत्रों को इकट्ठा किया जा रहा है।

6.13 मध्य प्रदेश चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में शुरू में 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेत-विकास कार्य किए जाने थे परन्तु उनमें काट-छांट कर 5,000 हेक्टेयर ही रखने पड़े। कार्य-प्रणाली में देरी, चकबन्दी के सम्बन्ध में काश्तकारों का विरोध और सहमति-व-आवेदन पत्र के निष्पादन के सम्बन्ध में किसानों की अनिच्छा के कारण खेत-विकास कार्यों के लिए वितरण नगण्य (केवल 24,000 रुपये) रहा।

6.14 महाराष्ट्र सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की संमिश्र परियोजना के अन्तर्गत अंविसंघ कार्यक्रम जायकवाडी 3 और 4 कमाण्ड में करीब 45,000 हेक्टेयर तक ही सीमित रहा। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने अब तक 8.3 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता मंजूर की है जिसमें से 2.7 करोड रुपये की राशि वितरित की गई है। प्रशासनिक विलम्ब के कारण परियोजना की प्रगति में अब भी बाधा पहुंच रही है।

6.15 उडीसा सिंचाई परियोजना में बैंक-ऋण के संसाधनों के बिना खेत-विकास कार्यक्रम को योजना-निधियों के उपयोग से कार्यान्वित करने के बारे में उडीसा सरकार सोच रही है।

6.16 राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में खेत-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख हेक्टेयर (1400 चक*) क्षेत्र समाविष्ट किया जाना है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने अब तक 1332 चकों में योजनाएं निश्चित कर ली है और 664 चकों में काम पूरा हो गया है तथा 887 चकों में योजनाएं प्रगति कर रही हैं। स्वयं राजस्थान भूमि विकास निगम ने वित्तपोषक संस्थाओं से 8.5 करोड रुपये तक की वित्तीय सहायता हासिल कर ली है तथा इसी प्रकार इन संस्थाओं ने 6.8 करोड रुपये की पुनर्वित्त सहायता प्राप्त कर ली है।

6.17 चम्बल (राजस्थान) कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में खेत-विकास कार्य में कुल 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को समाविष्ट करने का लक्ष्य रखा गया था। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 7 योजनाएं पास कर दी हैं और जून 1981 के अन्त तक 1.4 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त वितरित कर दिया है। कानूनी एवं प्रक्रियात्मक अडचनें, दुर्लभ निर्माण सामग्री का न मिलना, खेत-विकास कार्य के महत्व को किसानों द्वारा न समझा जाना, मशीनरी इत्यादि कारणों से राजस्थान की कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं की प्रगति मन्द पड गई, इसलिए चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान) की समाप्ति अवधि जून 1982 तक बढ़ा दी गई है।

6.18 कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं में ऐसे किसानों के खेत में विकास कार्य का वित्तपोषण करने के लिए, जो किसी न किसी कारणवश बैंकों से वित्तीय सहायता पाने के पात्र नहीं हैं, उनके लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम में एक विशेष ऋण खाता बनाया गया है जिसमें भारत सरकार, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और सम्बन्धित राज्य सरकारें अंश-दान दे रही हैं। इस खाते में जून 1981 के अन्त तक 4.7 करोड

*एक चक=120 हेक्टेयर (अंदाजन)

रुपये की राशि जमा हुई है। इस राशि से राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत केवल 1.6 करोड़ रुपये आहारित किए गए है।

6.19 भारत सरकार ने अप्रैल 1980 में यह निर्णय लिया है कि कमाण्ड विकास परियोजना के सम्बन्ध में 5 से 8 हेक्टेयर तक के खण्डों के लिए जलमार्ग/खेतों में नालियों का निर्माण बजट स्त्रोतों से किया जाना चाहिए।

6.20 विश्व बैंक समूह की सहायता प्राप्त विविध कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत विश्व बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त के अंश में 25 से 65 प्रतिशत के बीच का अंतर आया है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम/भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक अभिवेदन के परिणामस्वरूप अब विश्व बैंक विशेष ऋण खाते से दिए जानेवाले ऋण सहित सभी किसानों के खेत में किए जाने वाले खेत-विकास कार्य के लिए, कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत किए जानेवाले कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम वितरण को 65 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति करने को सहमत हो गया है। इस निर्णय से परियोजना के अन्तर्गत किए जानेवाले आहरण की स्थिति में सुधार होगा।

घ. डेरी विकास परियोजनाएं

6.21 कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए अंविसंघ द्वारा स्वीकृत तीन डेरी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कर्नाटक डेरी विकास परियोजना में केवल संकर गायों के कार्यक्रम को कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त सहायता से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जून 1981 के अन्त में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने केवल 28 लाख रुपयों की राशि वितरित की है। इस धीमी प्रगति का कारण यह बताया जाता है कि संकर गायें बहुत कम मिल पाती थीं और इकाई लागत की दरें कम थीं। इसलिए अब कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इकाई लागत में वृद्धि कर दी है। किन्तु फिर भी, कर्नाटक डेरी विकास निगम ने भारत सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि उपलब्धियों के वर्तमान स्तर पर ही खेत-विकास कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए और बची हुई राशि को अन्य वर्गों में लगा दिया जाए।

ङ बाजार केन्द्र परियोजनाएं

6.22 कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से दी जानेवाली अंविसंघ-ऋण-राशि को समा लेने के लिए आवश्यक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम वितरण (6.5 करोड़ रुपये) वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया है। 47 में से 15 बाजार केंद्र परियोजनाएं पूरी की जा [illegible] 19 और योजनाएं अब तक पूरी हो गई होंगी। बाकी 13 बाजारों के अक्तूबर 1981 तक तैयार होने की संभावना है। इस परियोजना के सम्बन्ध में एक परियोजना समाप्ति रिपोर्ट कर्नाटक सरकार द्वारा तैयार की जा रही है। इस परियोजना के पूरे होने के साथ-साथ अंविसंघ द्वारा मंजूर की गई दोनों विकेन्द्रीकृत परियोजनाओं के अधीन वितरण पूरा कर लिया गया है।

च. मत्स्यपालन परियोजनाएं

6.23 दो समुद्री मत्स्यपालन परियोजनाएं अर्थात आन्ध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना और गुजरात मत्स्यपालन परियोजना तथा पांच राज्यों अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैली हुई अन्तर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

6.24 आन्ध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत लागत में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में अध्ययन करने के बाद कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने मछलीमार नौकाओं की इकाई लागत में वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है। निवेश वस्तुओं की दरों में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण संभव है, ऐसे निवेशों की अर्थव्यवस्था में संशोधन करना पड़े। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय नवीनतम आंकड़े तैयार करेगा। विकास कार्य में तेजी लाने की दृष्टि से कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए 5 और बैंकों को शामिल कर लिया गया है।

6.25 गुजरात मत्स्यपालन परियोजना में गुजरात मत्स्यपालन केन्द्रीय सहकारी संघ के माध्यम से अभिसंस्करण सुविधाएं देने, मशीनयुक्त मछलीमार नौकाएं बनवाने और परम्परागत मछुआरों को डोंगियां दिलवाने के कार्यक्रम से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का सम्बन्ध रहा है। मशीनयुक्त मछलीमार नौकाओं के भौतिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गई समीक्षा के आधार पर मांग की कमी और लागत में हुई वृद्धि के कारण नावों की संख्या 270 से घटाकर 168 कर दी गई है। हिमीकरण बर्फ संयंत्र की स्थापना के समग्र कार्यक्रम को भी बन्द कर दिया जाएगा क्योंकि वेरावल और मंग्रोल के परियोजना क्षेत्र में पहले से चल रही इकाइयों में पर्याप्त विद्यमान है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस परियोजना के अन्तर्गत 30 जून 1981 तक 2.1 करोड़ रुपये का वितरण किया है।

6.26 अंविसंघ की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अन्तर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत मछलियों के तालाब सुधारने का कार्यक्रम वर्ष 1981-82 से शुरू किया जाना था। 32 योजनाओं के इस वर्ग के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1.7 करोड़ रुपये का वायदा पहले ही कर लिया है जिसके अन्तर्गत 1 लाख रुपये की मामूली-सी राशि का वितरण भी कर दिया है। परियोजना के महत्व को समझाने के लिए, इसमें भाग लेनेवाली विविध एजेंसियों के हित में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम राज्यस्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है, ताकि समस्याएं सुलझाई जा सकें और कार्यान्वयन की गति में तेजी लायी जा सके। पटना में पहले ही ऐसी एक कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत मछलियों के अण्डे सेने के लिए अण्डाघर बनाने के बारे में विचार किया गया है। कुछ कारणों से अण्डाघर बनाने की जगह के चयन में देरी हो रही है। जून 1981 के अन्त तक केन्द्रीय परियोजना इकाई (भारत सरकार) द्वारा मंजूर किए गए एक स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत प्लान और लागत-अनुमान तैयार कर लिए गए हैं। प्रयोगात्मक आधार पर चुने हुए स्थान के सम्बन्ध में सम्बन्धित मत्स्य बीज विकास निगम ने मिट्टी की जांच वगैरह का काम शुरू कर दिया है।

छ. सिंचाई परियोजनाएं

6.27 पंजाब और हरियाणा, दोनों राज्यों में एक-एक सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने जून 1981 के अन्त तक पंजाब सिंचाई परियोजना में 29 करोड़ रुपये के अपने चरणबद्ध वायदे के मुकाबले 15 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है। 2820 जलनालियां बनाने की इस परियोजना में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने लम्बाई के हिसाब से 498.6 लाख फुट नालियों के लिए योजनाएं मंजूर की हैं। उपलब्ध आंकड़ों से यह पता लगता है कि 122.8 लाख फुट तक की नालियां बना दी गई हैं। इस परियोजना में हुई प्रगति की समीक्षा हाल ही में की गई है और कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने की कार्यविधि निश्चित की गई है।

6.28. हरियाणा सिंचाई परियोजना में जलनालियों का आधुनिकीकरण, नए नलकूपों के निर्माण और उनके बिजलीकरण, बाजार केन्द्रों के निर्माण और भूमि समतलीकरण के लिए वित्त-पोषक संस्थाओं के माध्यम से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से सहायता दिए जाने की बात पर विचार किया गया है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम विविध मदों के लिए अब तक 64.4 करोड़ रुपये के वायदे कर चुका है और जून 1981 के अन्त तक परियोजना के अन्तर्गत 18.2 करोड़ रुपये की राशि का वितरण भी कर चुका है। सभी 2215 जलनालियां कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा मंजूर की गई है और उनमें 787 जलनालियां पूरी की जा चुकी हैं। परियोजना के कार्यान्वियन में तेजी लाने और वस्तुएं जुटाने और उनके बांटने में प्रभावकारी समन्वय लाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने एक कार्यदल का गठन किया है। भूमि अधिग्रहण में हुई देरी और निर्धारित जगहों को विपणन बोर्ड को अन्तरित करने के कारण बाजार केन्द्र घटक में धीमी प्रगति हुई है।

ज. बागबानी परियोजनाएं

6.29. हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना में श्रेणीकरण और पैकिंग केन्द्रों की स्थापना, शीतगृह, रस गाढ़ा करने के संयत्र इत्यादि से संबंधित कार्य में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। जून 1981 के अन्त तक मंजूर की गई कुल 4.2 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता की राशि में से 3.5 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। पांच केन्द्रों में पैकिंग और श्रेणीकरण केन्द्रों की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है और 4 केन्द्रों में काम शुरू हो गया है। इनके शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है। एक केन्द्र में सितम्बर 1981 तक एक पैकिंग-घर के पूरा हो जाने की संभावना है जबकि शीतगृह इकाई की स्थापना में थोड़ा समय और लग जाएगा। तकनीकी आर्थिक साध्यता की रिपोर्ट प्राप्त होते ही कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम एरियल कोबिल पथों के प्रस्ताव पर विचार करेगा। बढ़ाई गई समाप्ति अवधि अर्थात् 31 दिसम्बर 1981 तक इस परियोजना के पूरी हो जाने की सम्भावना है।

6.30. जम्मू और कश्मीर बागबनी परियोजना में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 9 सेब श्रेणीकरण केन्द्र तथा अखरोट के छिलके उतारने और सुखाने के 8 केन्द्रों की योजनाएं मंजूर की हैं और इनमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 2.8 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त शामिल है और जून 1981 के अन्त तक 25 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है। सेब श्रेणीकरण केन्द्र और अखरोट के 7 केन्द्रों का सिविल-निर्माण कार्य जारी है। इस परियोजना के अन्तर्गत सेब, अखरोट और कुकुरमुत्ते के उत्पादकों को अल्पावधि ऋण देने की बात पर भी विचार किया गया है। कृषकों की अनिच्छा और सहकारी और वाणिज्य बैंकों द्वारा लगाई गई ब्याज दरों में समानता न होने के कारण इस वर्ग के अन्तर्गत आहरण कम हुआ है।

झ. राष्ट्रीय बीज परियोजनाएं

6.31. राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण 1 और 2 में 9 राज्य समाविष्ट हैं। इस परियोजना में अनाज, मूंगफली और सब्जी के बीजों की खेती के लिए अच्छे बीज के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है।

6.32. राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण 1 के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने वर्ष के दौरान राज्य बीज निगमों की 7 योजनाएं मंजूर की हैं और उनमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के वायदे 3.9 करोड़ रुपये के हैं। महाराष्ट्र में अकोला के कृषि महाविद्यालय के लिए एक परियोजना मंजूर की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत दो राज्यों में जून 1981 तक 87 लाख रुपये का वितरण किया गया है। योजना-समाप्ति की अवधि जून 1984 तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण 2 के अन्तर्गत तीन राज्यों में बीज अभिसंस्करण इकाई की 3 योजनाएं मंजूर की गई हैं और वर्ष के दौरान 84 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

6.33. कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम कृषि महाविद्यालयों, सहभागी बैंकों और रुचि लेने वाली अन्य एजेंसियों के लिए कार्यशालाएं चलाने की बात पर विचार कर रहा है ताकि इन संस्थाओं को परियोजना के अन्तर्गत मंजूर किए जाने वाले ऋण से सम्बन्धित कार्यप्रणाली के पहलुओं की अच्छी जानकारी दी जा सके।

ञ. एकीकृत रूई विकास परियोजना

6.34. एकीकृत रूई विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1980-81 के रूई के मौसम के दौरान अल्पावधि ऋण-वर्ग के अन्तर्गत 5.6 करोड़ रुपये का वितरण किया है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस वर्ग के अन्तर्गत जून 1981 के अन्त तक 3.8 करोड़ रुपये का दावा अभिसंघ के समक्ष पेश किया है जिससे इस वर्ग के अधीन निर्धारित 75 लाख डालर अभिसंघ ऋण में से 48 लाख डालर ऋण के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम हकदार हो गया। दीर्घावधि ऋण के अन्तर्गत हरियाणा में दो ओटाई और एक बीज अभिसंस्करण इकाई की और महाराष्ट्र में एक विलायक संदोहन इकाई की स्थापना की जा चुकी है और इनमें काम शुरू हो गया है। हरियाणा में तीसरी ओटाई इकाई और एक रूई बीज अभिसंस्करण इकाई तथा महाराष्ट्र में 3 रूई बीज अभिसंस्करण इकाइयों के प्रस्ताव, कार्यान्वियन के विविध स्तरों पर हैं। इस परियोजना में निहित इन दीर्घकालीन निवेशों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा लगता है कि समाप्ति अवधि (31 दिसम्बर 1981) को कम से कम 2 साल के लिए बढ़ानी पड़ेगी।

ट. रेशम परियोजना

6.35. कर्नाटक रेशम परियोजना के अन्तर्गत शहतूत की उन्नत किस्म के पेड़ लगाने, रेशम के कीड़े पालने के उपकरण जैसे खेत विकास कार्यक्रम के लिए सदस्य बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के कार्य से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम सम्बद्ध रहा है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 4.6 करोड़ रुपये के वायदे के साथ एक कार्यक्रम मंजूर किया है और इसके लिए अब तक 16 लाख रुपये का वितरण हो चुका है।

ठ. बहुराज्यीय काजू परियोजना

6.36. छोटी जोतवाले किसानों के लिए बनाए गए कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 राज्यों में 27,500 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 9 योजनाएं मंजूर की गई हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 4.7 करोड़ रुपये के वायदे किए हैं और 32 लाख रुपये की राशि वितरित की है। बागान निगम के लिए 5 योजनाएं मंजूर की गई हैं और इनमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 3.7 करोड़ रुपये के वायदे किए हैं। इनमें से बहुतसी योजनाएं हाल ही में मंजूर की गई हैं और 1981-82 से वितरण कार्य शुरू हो जाने की सम्भावना है।

सहायता देनेवाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

क. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से सहायता

6.37. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल, दोनों राज्यों में एक-एक परियोजना मंजूर की

है। इनमें निधि का एक अंश कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से दिया जाता है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने राजस्थान कमाण्ड क्षेत्र विकास और बन्दोबस्त परियोजना के बैंकिंग प्लान को अंतिम रूप दे दिया है। पश्चिम बंगाल की सुन्दरबन विकास परियोजना को गांवों में तालाब खोदने, डीजल पम्पसेटों की खरीद और ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के कार्य से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम सम्बद्ध रहा है। यह परियोजना हाल ही में लागू हुई है और भारत सरकार के साथ सहायक ऋण करार के निष्पादन का कार्य हो रहा है।

ख. क्रेडिटनस्टल्ट फर वेडराफबाउ (केएफडब्ल्यू) से सहायता प्राप्त तवा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना

6.38 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कार्यान्वित की जा रही तवा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने जून 1981 के अन्त तक 2.5 करोड़ रुपये का वितरण किया है। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी, काम करने के मौसम की सीमित अवधि, लाभार्थी कृषकों की अनिच्छा, दस्तावेज से सम्बन्धित औपचारिकताओं के निभाने में कानूनी अड़चनों से होने वाली देरी, परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रही है।

ग. द्विपक्षीय सहायता

6.39 विश्व बैंक समूह द्वारा दिए जाने वाले ऋण के अलावा पिछले कुछ वर्षों से सहायता देने वाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से अपनी द्विपक्षीय सहायता देने में अधिक रुचि दिखा रही हैं। जब दूसरी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम साख परियोजना बनाई गई थी और अंविसंघ द्वारा मंजूर की गई थी, तब यह आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी मात्रा में सहायता मिल सकेगी, परन्तु कुछ राष्ट्रों, जैसे यू. के. ने ओवरसीज डेवलपमेण्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कनाडा ने सी आई डी ए और ई ई सी के जरिए अपने विशेष कार्रवाई खातों से वर्ष 1979 में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को कुल 960 लाख अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया है। दानी देशों की निधियों के प्रवाह के एक उचित माध्यम के रूप में काम करनेवाले कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम में उनकी निरन्तर दिलचस्पी को देखते हुए, तीसरी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम साख परियोजना की तैयारी के समय यह आशा की गई थी कि परियोजना की दो वर्ष की अवधि में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के ऋण वितरण कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के लिए दानी देशों से 1800 लाख तक के अमेरिकी डालर प्राप्त हो जाएंगे। तदनुसार भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के बराबर लगभग 2500 लाख अमरीकी डालर की (लगभग 20,550 लाख रुपये) की 10 द्विपक्षीय ऋणों की बातचीत हो गई है। इनमें से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 356 लाख डालर का यू.एस.ए.आय.डी., 110 लाख यू. के. पाउण्ड, 620 लाख डी. एम. और 380 लाख डी.एम.के., 2 के.एफ.डब्ल्यू. (पश्चिम जर्मनी) ऋण तथा 500 लाख डी.एफ.एल.के. नीदरलैण्ड ऋण की बातचीत हुई।

6.40 सामान्यतया जिन प्रयोजनों के लिए द्विपक्षीय ऋण दिया जाता है वे अंविसंघ से दिए जानेवाले सामान्य पंक्ति के ऋण के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के पात्र हो जाते हैं, इसके साथ-साथ सी. आई. डी. ए. ऋण में राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से पम्पसेटों का ऊर्जीकरण, वन उद्योग और बाजार केन्द्र भी समाविष्ट है।

6.41 पिछले 3 सालों के दौरान आहरित द्विपक्षीय ऋण 1978-79 में 2225 लाख रुपये, 1979-80 में 8011 लाख और 1980-81 में 13320 लाख रुपये के बराबर थे।

अन्य विकास कार्य

निगरानी और मूल्यांकन

वर्ष के दौरान निगम ने कृपुविनि और सदस्य बैंकों की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास किया। इस संबंध में जो कदम उठाए गए हैं वे हैं—(क) अलग-अलग योजनाओं की निगरानी के बदले क्षेत्र विशेष पर आधारित निगरानी प्रारम्भ करना; (ख) सदस्य बैंकों को निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना करने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना; (ग) कृपुविनि, वाणिज्य बैंकों और अन्य अनुसंधान संस्थाओं द्वारा 50 मूल्यांकन अध्ययन पूरे करने के लिए दो वर्ष का एक कार्यक्रम प्रारम्भ करना; और (घ) कृपुविनि और बैंकों के स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना ताकि निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन करने में वे अधिक सक्षम हो सकें।

7.2 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया था कि निगम ने योजना पर आधारित निगरानी की बजाय जिला उन्मुख निगरानी प्रारम्भ करने का निर्णय किया है। यह नई परिवर्तित पद्धति जनवरी 1981 से प्रभावी हो गई और इसका तात्कालिक उद्देश्य यह था कि प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य के 20 से 25 प्रतिशत तक जिलों की निगरानी की जाए। 2 प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर बनाई गई जिला उन्मुख निगरानी प्रणाली का उद्देश्य, चालू विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में एक जिले में चल रही सब योजनाओं का एकीकृत पुनरीक्षण करना है ताकि आम समस्याओं को पहचाना जा सके और सहभागी बैंकों, सरकारी एजेंसियों और कृपुविनि के सम्मिलित प्रयत्नों से उनका हल ढूंढा जा सके तथा नए निवेशों की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

7.3 अगले दो वर्षों के दौरान वाणिज्य बैंकों ने हमारी ओर से 25 मूल्यांकन अध्ययन करना स्वीकार कर लिया है और 10 अनुसंधान संस्थाओं ने 14 मूल्यांकन अध्ययन करने का वचन दिया है।

7.4 कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की निगरानी में कुशलता लाने की दृष्टि से सदस्य बैंकों को परामर्श दिया गया था कि वे अपने यहां निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना करें और उनमें योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित स्टाफ रखें। 17 वाणिज्य बैंकों ने ऐसे कक्षों की स्थापना कर ली है। मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने में सम्बन्धित अधिकारियों की क्षमताओं में सुधार लाने की दृष्टि से कृपुविनि ने वर्ष के दौरान बम्बई में 3 सेमिनार आयोजित किए जिनमें निगम के 30 और वित्तपोषक बैंकों के 66 अधिकारियों ने भाग लिया।

7.5 वर्ष के दौरान निगम ने 15 मूल्यांकन अध्ययन किए। वर्ष के अन्त तक इनमें से 12 पर कार्य चल रहा था और 3 अन्य अध्ययन पूरे किए जा चुके थे और उनकी रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। पूरे किए गए अध्ययन इन विषयों से सम्बन्धित थे :—

(1) आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में खट्टे नीबू के उद्यानों का विकास;

(2) बिहार के भोजपुर जिले में नलकूपों से सिंचाई, और

(3) राजस्थान के कोटा जिले में लघु सिंचाई।

नेल्लूर जिले की खट्टा-नींबू उद्यान योजना के अन्तर्गत 28 प्रतिशत का वित्तीय लाभ हुआ। वित्तीय परिव्यय 2.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बढ़कर 3.6 करोड़ रुपये तक पहुंच गया परन्तु भौतिक उपलब्धियां अपने लक्ष्य के मुकाबले थोड़ा कम हुई। अर्थात् 7 प्रतिशत तक कम हो गई, भोजपुर जिले की नलकूप सिंचाई योजना के अन्तर्गत, लाभान्वित हुए लघु कृषकों की संख्या काफी संतोषजनक पाई गई जो 63 प्रतिशत रही और वित्तीय आय भी काफी ऊंची रही जो 43 प्रतिशत तक पहुंच गई। इस योजना से लगभग 460 श्रम वर्षों* के वार्षिक रोजगार का भी निर्माण हुआ। कोटा जिले में लघु सिंचाई के सम्बन्ध में चलाए गए अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि इस योजना से 2.80 करोड़ रुपये के कुल उत्पादन की वृद्धि हुई है और लगभग 8000 श्रम वर्षों के वार्षिक रोजगार का निर्माण हुआ है और 27 प्रतिशत का वित्तीय लाभ हुआ है।

परियोजना समाप्ति रिपोर्ट

7.6 वर्ष के दौरान निगम ने दूसरी कृषिविनि ऋण परियोजना और बिहार कृषि परियोजना से सम्बन्धित परियोजना समाप्ति रिपोर्ट पूरी कर ली। इन्हें मिलाकर, निगम द्वारा पूरी की गई परियोजना समाप्ति रिपोर्टों की संख्या 12 हो गई है जिनमें से 10 विभिन्न राज्यों की कृषि ऋण परियोजनाओं से सम्बन्धित हैं और 2 का सम्बन्ध पहली और दूसरी कृषिविनि ऋण परियोजनाओं से है। पश्चिम बंगाल कृषि ऋण परियोजना से सम्बन्धित परियोजना समाप्ति रिपोर्ट का कार्य भी इस वर्ष प्रारम्भ किया गया है। इससे सम्बन्धित आवश्यक क्षेत्र सर्वेक्षण का काम भी पूरा किया जा चुका है।

7.7 दूसरी कृषिविनि ऋण परियोजना से यह संकेत मिलता है कि 401 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता में से लघु सिंचाई ने 310 करोड़ रुपये (77 प्रतिशत) प्राप्त किए और बाकी के 91 करोड़ रुपये (23 प्रतिशत) विविध प्रयोजनों के हिस्से में आए। बढ़ा हुए उत्पादन का कुल मूल्य, चालू कीमतों के हिसाब से 360 करोड़ रुपये हुआ है। उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लगभग 9 लाख श्रम वर्षों का निर्माण हुआ। परियोजना से लाभान्वित किसानों में लघु कृषकों का हिस्सा भी औसतन 56 प्रतिशत पाया गया जबकि निर्धारित लक्ष्य 50 प्रतिशत का था।

7.8 बिहार कृषि ऋण परियोजना से सम्बन्धित उपलब्धियां भी परियोजना के अन्तर्गत अनुमानित लक्ष्यों से वास्तव में अधिक हो गई। लगभग 68,000 नलकूप खोदे गए और 35,500 पंपसेट लगाए गए जबकि मूल्यांकन के आधार पर 55,300 नलकूपों और 29,000 पंपसेटों का लक्ष्य रखा गया था। निर्मित आस्तियों से 1.28 लाख श्रम वर्षों के वार्षिक रोजगार का निर्माण हुआ। परियोजना की एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में लघु कृषकों को शामिल किया गया, दूसरे शब्दों में कुल लाभभोगियों में 80 प्रतिशत लघु कृषक ही थे। उत्पादन में हुई वृद्धि का शुद्ध मूल्य वर्तमान कीमतों के हिसाब से 65 करोड़ रुपये बनता था।

प्रकाशन

7.9 वर्ष के दौरान निगम ने भेड़पालन, सूअर पालन और रबड़, काजू और नारियल जैसे बागानों के लिए योजनाएं बनाने के सम्बन्ध में छोटी-छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं। वर्ष के दौरान प्रकाशित अन्य पुस्तिकायें निम्नलिखित हैं :—

(1) मार्डल फार प्रेजेन्टेशन आफ टेक्निकल अप्रेजल आफ

(क) डगवेल स्कीम इन हार्ड राक फोर्मेशन्ज।

(ख) शैलो ट्यूबवैल इन एल्लूवियल फोरमेशन्ज।

(ग) डीप ट्यूबवैल स्कीम इन एल्लूवियल फोरमेशन्ज।

(2) सोइल एण्ड वाटर कंजरवेशन।

(3) कृषि पंपसेटों के चयन के लिए मार्गनिर्देश।

(4) खेती में काम आनेवाले पंपसेटों का चयन—फील्ड कार्यकर्ताओं एवं किसानों के लिए सहायिका।†

अनुसंधान और विकास निधि

7.10 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में कृषिविनि की एक योजना का जिक्र किया गया था जिसके अन्तर्गत यह अपनी अनुसंधान और विकास निधि में से भूमि विकास बैंकों को उनके द्वारा तकनीकी कक्षों की स्थापना करने में कुछ आवर्ती किस्म की मदों पर किए गए खर्च के 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाएगा। योजना की कार्यविधि की समीक्षा वर्ष के दौरान की गई है और कुछ प्रतिबंध ढीले कर दिए गए हैं। संशोधित योजना के अन्तर्गत पहले साल राभूवि बैंकों को शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध होगी और चौथे वर्ष तक 20 प्रतिशत रह जाएगी। राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा अपने निगरानी और मूल्यांकन कक्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गए और सीधे भर्ती किए गए तकनीकी स्टाफ पर हुए खर्च के लिए भी कुछ शर्तों के अधीन उक्त निधि से सहायता प्राप्त होगी। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम कृषि के लिए योजनाबद्ध तरीके से सावधि ऋण देने में लगे, कुछ चुने हुए राज्य सहकारी बैंकों को भी इसी तरह की सहायता देने के लिए राजी हो गया है।

7.11 ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्याभिमुख परियोजनाओं और अनुसंधान को समर्थन देने के लिए भी इस निधि से सहायता उपलब्ध रहेगी। विशेष समिति अर्थात् अनुसंधान और विकास निधि समिति की वर्ष में दो बार बैठक हुई। यह समिति, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को निधि के प्रबन्ध के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए स्थापित की गई है। समिति ने अनुसंधान संस्थाओं को निधि से 7.26 लाख रुपयों की सहायता देने के लिए तीन प्रस्तावों की सिफारिश की, जिसमें गुजरात के एक जिले में खोदे गए कुओं के सम्बन्ध में एक शोध अध्ययन और कृषि ढांचे में क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर किया गया एक अध्ययन शामिल है। ये सिफारिशें निगम ने स्वीकार कर ली हैं।

समितियां, कार्यबल, अध्ययन आदि

7.12 कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण सम्बन्धी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए 1978-79 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री. शिवरामन की अध्यक्षता में गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान प्रकाशित की, चूंकि समिति की सिफारिशें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से सम्बन्धित हैं, अतः उनकी जांच निगम द्वारा की जा रही है।

7.13 विभिन्न राज्यों में असफल कुओं से सम्बन्धित वर्तमान पूरक योजनाओं की समीक्षा करने और एक आदर्श योजना सुझाने की दृष्टि से, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री मन्त दास की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक दल का गठन किया गया। इस दल को असफल कुओं की एक संतोषजनक परिभाषा भी सुझानी थी। दल ने योजना का नमूना तैयार कर लिया है और इसकी रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

*एक श्रम वर्ष का अर्थ 250 श्रम दिवस से है।

†हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में।

7.14 वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जानेवाले कृषि ऋणों के संबंध में उनकी वर्तमान कार्यप्रणाली की समीक्षा करने तथा उनमें सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा गठित की गई स्थायी समिति ने (वाणिज्य बैंकों के माध्यम से दिए जानेवाले कृषि ऋणों पर स्थायी समिति) प्रमुख वाणिज्य बैंकों की चुनी हुई शाखाओं में कृषि के सावधि ऋणों पर रहे अतिदेयों के सम्बन्ध में इसके अनौपचारिक दल की अध्ययन रिपोर्ट पर विचार किया और वसूली कार्य में सुधार लाने के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की। उक्त समिति की सिफारिशों और अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को उपयुक्त मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं। प्रमुख वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के कार्य में लगाए गए स्टाफ के नियुक्त करने से सम्बन्धित मानदण्डों का गहन अध्ययन करने के लिए समिति ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक अनौपचारिक दल की स्थापना की थी। बैंकों की चुनी शाखाओं का क्षेत्र अध्ययन पूरा कर लिया गया है और दल की रिपोर्ट बनाई जा रही है। कृषि ऋणकर्ताओं के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने पर, उन्हें राहत देने के लिए किए गए प्रावधानों से सम्बन्धित वर्तमान मार्गनिर्देशों की भी समिति ने समीक्षा की और वर्तमान मार्ग निर्देशों में विस्तार किए जाने की सिफारिश की। भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार को सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

7.15 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने एकीकृत ऋण की एक योजना चयनात्मक आधार पर शुरू करने हेतु एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी जिससे कि राज्य भूमि विकास बैंकों से उन किसानों की अल्पावधि आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रदान करने में सहायता मिल सके, जिन्हें सावधि ऋण दिए जा चुके हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां प्राथमिक सहकारी समितियां कमजोर हैं। दल द्वारा रिपोर्ट पूरी की जा रही है।

प्रशिक्षण

(I) वरिष्ठ और मध्य स्तरीय स्टाफ

7.19 निगम ने विदेशों से आनेवाले अतिथि अधिकारियों, कृषि योजना पाठयक्रमों और 2 संक्षिप्त कृषि परियोजना पाठयक्रमों का संचालन कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पुणे में किया गया। वर्ष के दौरान कृषि परियोजना पाठयक्रमों के भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक सप्ताह की अवधि के दो पुनश्चर्या पाठयक्रमों की व्यवस्था कर, एक नई शुरूआत भी कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में की गई। इसके अलावा, देश के अलग-अलग भागों में विभिन्न विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित 8 क्षेत्रीय कृषि परियोजना पाठयक्रम और 7 तकनीकी पाठयक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान अभी-अभी शुरू की गई क्षेत्र पर आधारित निगरानी कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, वित्तपोषक बैंकों और राज्य सरकारों आदि के कुल 1028 अधिकारियों ने उक्त कार्यक्रमों में भाग लिया। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने अब तक 147 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिनमें 3990 वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें से भूमि विकास बैंकों के अधिकारी 1235, वाणिज्य बैंकों के 1659, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 85 और शेष 1011 भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और अन्य संस्थानों के अधिकारी थे।

(II) भूमि विकास बैंकों का कनिष्ठ स्तरीय स्टाफ

7.17 निगम के व्यापक मार्गदर्शन के अन्तर्गत भूमि विकास बैंक के कनिष्ठ स्तर के स्टाफ के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के पांचवें वर्ष के दौरान राज्य भूमि विकास बैंकों ने अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में 120 पाठयक्रमों का संचालन किया जिसमें उनके 2801 अधिकारियों ने भाग लिया। जिन अधिकारियों ने उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत पहले प्रशिक्षण लिया था उनके ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने के लिए, इस वर्ष से एक सप्ताह की अवधि के पुनश्चर्या पाठयक्रम प्रारंभ किए गए हैं। 14 राज्य भूमि विकास बैंकों ने ऐसे 80 पुनश्चर्या पाठयक्रम संचालित किए जिनमें 1797 कनिष्ठ स्तरीय स्टाफ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

7.18 भूमि विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तरीय स्टाफ को उपलब्ध वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के कनिष्ठ स्तर के स्टाफ को भी सुलभ कराने का कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने निर्णय लिया है।

(III) अन्य प्रशिक्षण व्यवस्थाएं

7.19 निगम ने विदेशों से आनेवाले अतिथि अधिकारियों, कृषि और सहकारिता से सम्बन्धित राज्य सरकार के तथा वित्तपोषक संस्थाओं के अधिकारियों के लिए अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना जारी रखा है। वर्ष के दौरान मैक्सिको, सियरा लियोन, कोरिया और अन्य अफ्रीकी एशियाई देशों के 10 अधिकारियों ने तथा राज्य सरकारों और वित्तपोषक बैंकों के 127 अधिकारियों ने ऐसी सुविधाएं प्राप्त की।

(IV) कार्यशालाएं और सेमिनार

7.20 निगम ने सम्बन्धित राज्य सरकार और वित्तपोषक बैंकों के अधिकारियों को परियोजना निरूपण, मूल्यांकन, अनुवर्ती कार्रवाई आदि की तकनीकी जानकारी देने के लिए पश्चिम बंगाल के कल्याणी व कूच बिहार में एक-एक तथा त्रिपुरा के अगरतला में एक, इस प्रकार तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया।

7.21 वर्ष के दौरान निगम ने कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में दो सेमिनार आयोजित किए, पहला परियोजनाओं के वित्तपोषण से सम्बन्धित था और दूसरा कृषि परियोजना पाठयक्रम के भूतपूर्व सहभागियों के लिए था। प्रथम सेमिनार में राज्य भूमि विकास बैंकों के निदेशक और अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जैसे उच्चस्तरीय कार्यपालक अधिकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय सहकारी बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।

स्टाफ विकास

7.22 क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारियों को योजनाएं मंजूर करने के सम्बन्ध में प्रत्यायोजित अधिकारों के विस्तार के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों में बढ़ रहे कार्यभार को सम्भालने और उन्हें सौंपी गई विकास की भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाने के लिए निगम ने इन कार्यालयों से सम्बद्ध तकनीकी कक्षों में विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञता प्राप्त तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति कर इन कक्षों को और समक्ष बना दिया है। सात क्षेत्रीय कार्यालयों का ग्रेड बढ़ा दिया गया है और वहां वरिष्ठ निदेशकों को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। कार्यालय की प्रणालियों को सरल और कारगर बना दिया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की पुनर्व्यवस्था से सम्बन्धित निदेशों को सम्मिलित करते हुए इस संबंध में नवीन मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

भावी संभावनाएं

गत वर्ष की रिपोर्ट में यह हवाला दिया गया था कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980–85) में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 3000 करोड रुपये का भावी ऋण वितरण कार्यक्रम आरम्भ करेगा। यह कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को

ध्यान में रख कर बनाया गया था : (1) कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की मात्रा में वृद्धि; (2) कमजोर वर्गों के लिए अधिक से अधिक ऋण सहायता; (3) ऋण का प्रावधान कर क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम करना; (4) विभिन्न साख संस्थाओं के बीच अच्छा समन्वय; स्थापित करना और (5) ऋण के निरन्तर पुनश्चक्रण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्थागत ऋणों के वसूली कार्यों में सुधारा लाना। आमतौर पर कृपविनि के उद्देश्य वही हैं जो छठी पंचवर्षीय योजना में संस्थागत ऋण के लिए निर्धारित किए गए हैं।

8.2 छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं के दीर्घावधि ऋण को 1979-80 के 275 करोड़ रुपये (अनुमानित) से बढ़ाकर 1984-85 में 555 करोड़ रुपये किए जाने की सम्भावना है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों के लिए इस राशि को 1979-80 के 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1984-85 में 620 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की संभावना है। इसकी तुलना में 1979-80 के दौरान ऋण संस्थाओं द्वारा वास्तविक दीर्घावधि ऋण कुल 850 करोड़ रुपये रहा, जिसमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 412 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्रदान किया अर्थात कुल राशि का 48.5 प्रतिशत। यदि पुनर्वित्त का यही स्तर बना रहा तो छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में निवेश के लिए ऋण देनेवाली संस्थाओं द्वारा अपेक्षित कुल 1175 करोड़ रुपये के वितरण में से 570 करोड़ रु. का पुनर्वित्त 1984-85 तक वितरित कर दिए जाने की संभावना है हालांकि कृपविनि ने यह उम्मीद रखी है कि 1984-85 के दौरान इसका वितरण 750 करोड़ रु. तक पहुंच जाएगा जो कि ऊपर बताए गए संभावित वितरण का 64% होगा। इसका अर्थ यह है कि आनेवाले वर्षों में कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में निवेशों को प्रोत्साहित करने में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का योगदान काफी बड़ा होगा।

8.3 ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों को दिए जानेवाले ऋण के हिस्से में वृद्धि करने के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम इन वर्षों में लघु कृषि विकास से काफी नजदीकी से जुड़ा रहा। निरन्तर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और असम राज्यों को छोड़कर प्रत्येक राज्य में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम–योजनाओं के अन्तर्गत लघु कृषक समावेशन 50% से अधिक रहा, जैसा कि विभिन्न प्रयोजनों में होता है, विविध प्रयोजनों के मुकाबले लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लघु कृषकों को अधिक शामिल किया जो कई राज्यों में तो 60% से भी ज्यादा होता है। वियेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत वाणिज्य बैंकों द्वारा डेरी विकास, मुर्गीपालन, आदि के निवेशों के लिए दी जानेवाली वित्तीय सहायता के कारण विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत लघु कृषक उपलब्धियों का स्तर अधिक रहा। थोड़े से राज्यों में, वितरित राशि का अधिकांश हिस्सा ट्रैक्टरों जैसे प्रयोजनों के लिए था जो सीमित जोतवाले लघु कृषकों को लाभान्वित नहीं कर सकता था। आगामी वर्षों में, समाज के कमजोर वर्गों और लघु कृषकों के लाभ के लिए बैंकों के माध्यम से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बहुत सी योजनाएं बनाने की ओर ध्यान देगा। इस दिशा में पहले कदम के रूप में, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने विशेषकर लक्ष्य वर्ग का ही ध्यान रखनेवाले एग्राविका के अन्तर्गत बनाए गए कृषि विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बैंकिंग योजनाएं तैयार करने में पहल की है। देश के सभी खण्डों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के भारत सरकार के निर्णय के साथ ही, कृषि पनर्वित्त और विकास निगम और भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के सक्रिय सहयोग से कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट प्लान बनाने के कार्य में शामिल कर लिया है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने अपने अन्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ऋण देने के लिए परियोजना और क्षेत्र-आधार का जो रूख अपनाया है, वही एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भी स्वीकार कर लिया गया है। भविष्य में इस दिशा में और ठोस प्रयास किए जाएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 30% लाभार्थियों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने पर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बल देगा।

8.4 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने भावी ऋण वितरण कार्यक्रमों में कम विकसित राज्यों और राज्यों के भीतर ऐसे कम विकसित क्षेत्रों के लिए अधिक धन निर्धारित किया है। इन क्षेत्रों में उचित निवेशों के लिए ऋण देने हेतु विभिन्न स्तरों पर योजना निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

8.5 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 8 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण किए जाने की संभावना है, जिसमें 1 लाख हेक्टेयर के लिए सतही जल का और 7 लाख हेक्टेयर के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जाएगा। पर्वी तथा उत्तर-पर्वी राज्यों में और अन्य राज्यों के "श्वेत" क्षेत्रों में जल उपलब्धि की अपेक्षाकृत प्रचुर सम्भावनाएं हैं। लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए काफी प्रयास किए जाएंगे। कृषि पनर्वित्त और विकास निगम राज्य भूजल संगठनों को बराबर यह समझाता रहेगा कि वे अन्यथा "काले" माने गए क्षेत्रों पर भूजल क्षमता की खोज करने के लिए काफी गहन अध्ययन प्रारंभ करें। इसके साथ-साथ अखिल भारतीय आधार पर, कृषि पनर्वित्त और विकास निगम, गुण नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ करने की कोशिश कर रहा है, विशेष कर इकाइयों की क्षमता अत्यधिक करने और ईंधन बचाने की दृष्टि से पंपसेटों का चयन करने के सम्बन्ध में गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के अन्तर्गत 6 राज्य पहले से आ चुके हैं और इसके अतिरिक्त कृषि पनर्वित्त और विकास निगम 7 अन्य राज्यों में भी ऐसे ही प्रयोगात्मक अध्ययन करवाने को सोच रहा है।

8.6 संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित नीति के रूप में गहरे नलकूप लगाने, जलमार्गों को पक्का करने और उद्वहन सिंचाई इकाइयों आदि के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित सांविधिक निगमों की कार्यविधि का अध्ययन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम जारी रखेगा ताकि निर्मित सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार लाया जा सके और ध्यान में आई विभिन्न रूकावटों को दूर किया जा सके।

8.7 कृषि ऋणों के सम्बन्ध में, वाणिज्य बैंकों और सहकारी संस्थाओं, दोनों के अतिदेयों के बढ़ते हुए स्तर से काफी चिंता हो रही है। छठी योजना के दस्तावेज में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि वसूली स्थिति को सुधारने के उपाय किए जाएं ताकि पहले से ही कम पूंजी साधनों के पुनश्चक्रण में सुविधा हो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था के उच्च अधिकारों की समिति ने इस विषय पर कई सिफारिशें की हैं और जब इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा तो बैंकों की वसूली में सुधार होगा और अच्छी वसूली के लिए वातावरण भी तैयार होगा। संस्था निर्माण के प्रयासों के रूप में, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, जिन 6 राज्य भूमि विकास बैंकों के अतिदेय स्तर ऊंचे हैं, उनके संगठन, वितरण-व्यवस्था और गतिविधियों में सुधार लाने के लिए बहुत से उपाय खोज रहा है। जो वाणिज्य बैंक कृषि पनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त वितरणों के 50% से भी अधिक का उपयोग

कर रहे हैं उनकी वसूली स्थिति सुधारने की ओर भी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बहुत ध्यान दे रहा है।

8.8 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और सदस्य बैंक, दोनों द्वारा किए गए वितरणों की बढ़ती हुई मात्रा से, ऋण वितरण की गुणवत्ता में सुधार लाने आदि के साथ लाभार्थियों द्वारा जान बूझकर ऋण न लौटाने के खिलाफ प्रभावी निरीक्षण करने की बहुती जिम्मेदारी भी आ जाती है। अतः सभी स्तरों पर परियोजना निगरानी को मजबूत बनाने की व्यवस्था भी करनी होगी।

8.9 राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में पार्लियामेन्ट में बिल जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। इस नई संस्था का केन्द्र कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम होगा। इस प्रकार, इस नए संस्थान को कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सावधि-निदेशों के लिए कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा तैयार किए गए तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह नया बैंक कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारों आदि का वित्तपोषण करने के साथ-साथ संपूर्ण ग्रामीण विकास को एकाग्रतापूर्वक अबाधित और सशक्त निदेश देने में समर्थ हो सकेगा। यह नया बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से व्यापक साधन और अधिकार ग्रहण करेगा तथा विकेन्द्रीकरण के एक अंग के रूप में सहकारी समितियों को अल्पावधि साख के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने का उत्तरदायित्व भी लेगा।

वित्त

अपने ऋण कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए निगम को उपलब्ध निधियों के स्रोत 1979-80 के 450.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 1980-81 में 590.5 करोड़ रुपये हो गए हैं।

शेयर पूंजी

9.2 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम की धारा 20 (2) के अंतर्गत निगम की उधार लेने की क्षमता उसकी चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि की 20 गुनी राशि तक सीमित है। वर्ष के दौरान निगम की प्राधिकृत और चुकता शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 30 जून 1981 को यह राशि क्रमशः 100.0 करोड़ रुपये और 57.5 करोड़ रुपये रही। 30 जून 1981 की निगम की शेयर पूंजी में शेयर धारियों के विभिन्न वर्गों का अंशदान सारणी 20 में दिया गया है।

प्रारक्षित और अन्य निधियां

9.3 वर्ष 1979-80 के लाभ में से वर्ष के दौरान 5.1 करोड़ रुपये प्रारक्षित निधि, 3.0 करोड़ रुपये अनुसंधान और विकास निधि और 5.0 करोड़ रुपये भवन-निर्माण निधि के लिए रखे गए। इसके साथ-साथ 41 लाख रुपये की ब्याज की राशि अनुसंधान और विकास निधि में विनियोजित की गई है। 1976-77 से 1980-81 तक के पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न निधियों के स्रोतों का विवरण निम्नलिखित सारणी 19 में दिया गया है :—

सारणी 19—निधियों के स्रोत

करोड़ रुपये

स्रोत	1979–80	जोड़ का प्रतिशत	1980–81	जोड़ का प्रतिशत	जुलाई 1976 से जून 1981	जोड़ का प्रतिशत
1. प्रदत्त शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधि	5.2	1.1	5.1	0.9	58.7	3.0
3. प्रारक्षित पूंजी	—	—	—	—	5.0	0.3
3. भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष जमा राशियां	1.7	0.4	—	—	4.6	0.2
4. भारत सरकार से ऋण :						
(क) अंविसंघ/अंपुवि बैंक निधियां	104.4	23.2	136.1	23.0	514.9	26.6
(ख) अन्य	60.5	13.4	108.7	18.4	179.5	9.3
5. भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से लिए गए उधार	85.0	18.9	95.0	16.1	370.0	19.1
6. बांड	39.6	8.8	35.1	5.9	183.4	9.5
7. बैंकों द्वारा की गई चुकौतियां	154.4	34.2	201.7	34.2	600.4	31.0
8. शेष ऋण लेखे में जमा राशि	0.1	—	0.4	0.1	7.1	0.4
9. अनुसंधान और विकास निधि	—	—	3.4	0.6	5.4	0.3
10. भवन निर्माण निधि	—	—	5.0	0.8	5.0	0.3
जोड़	450.9	100.0	590.5	100.0	1934.0	100.0

सारणी 20—शेयर पूंजी में अंशदान—स्रोत

अभिदाता	संख्या	शेयर मूल्य (करोड़ रुपये)	जोड़ का प्रतिशत
1. भारतीय रिजर्व बैंक	31071	31.1	54.0
2. राज्य भूमि विकास बैंक	9268	9.2	16.1
3. राज्य सहकारी बैंक	4595	4.6	8.0
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11081	11.1	19.3
5. भारतीय जीवन बीमा निगम	893	0.9	1.6
6. अन्य बीमा और निवेश कम्पनियां	592	0.6	1.0
जोड़	57500	57.5	100.0

समीक्षाधीन वर्ष में तवा कमाण्ड क्षेत्र परियोजना के लिए अपेक्षित 1.18 लाख रुपये की राशि ब्याज विभेदक निधि में अंतरित की गई है। यह भारत सरकार को कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा चुकाई गई ब्याज की वह अधिक राशि है जो भारत सरकार द्वारा के. एफ. डब्ल्यू. को देय थी।

भारत सरकार से ऋण

9.4 वर्ष के दौरान, निगम ने 244.8 करोड़ रुपये भारत सरकार से उधार लिए जो विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत वितरित की गई राशि की प्रतिपूर्ति के बराबर थे। इसमें अंविसंघ/अंपुवि बैंक परियोजनाओं के अंतर्गत 136.1 करोड़ रुपये की राशि और सहायता देने वाली अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/देशों, जैसे ईईसी (7.0 करोड़ रुपये) यू. के. (11.0 करोड़ रुपये); सीआईडीए (17.5 करोड़ रुपये) और पश्चिम जर्मनी की के.एफ.डब्ल्यू. (42.4 करोड़ रुपये), नीदरलैंड (16.6 करोड़ रुपये); एस.आई.डी.ए. (11.7 करोड़ रुपये) और यू.एस.ए.आई.डी. (2.5 करोड़ रुपये) के अंतर्गत स्वीकृत सहायता के 108.7 करोड़ रुपये शामिल हैं।

बाजार से ऋण

9.5 वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कुल 35.1 करोड़ रुपये की राशि के बांडों की सोलहवीं श्रृंखला जारी की। इन बांडों को 6.75 प्रतिशत ब्याज दर से 12 वर्ष की अवधि के लिए सममूल्य पर जारी किया गया था। जून 1981 के अन्त में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा खुले बाजार से लिए गए ऋण की कुल राशि 321.1 करोड़ रुपये थी। सोलहवीं श्रृंखला के लिए विभिन्न अभिदाताओं से प्राप्त अभिदान की कुल राशि तथा पिछली श्रृंखलाओं के कुल योगदान की राशि सारणी 21 में दिखाई गई है।

सारणी 21 - विभिन्न एजेंसियों द्वारा बांडों में अभिदान

(करोड़ रुपये)

अभिदाता	श्रृंखला I से XV	श्रृंखला	जोड़
1. भारतीय स्टेट बैंक और सहायक बैंक	80.0	2.6	82.6
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	108.6	20.8	129.4
3. अन्य वाणिज्य बैंक	17.5	1.5	19.0
4. भारतीय जीवन बीमा निगम	3.7	1.0	4.7
5. अन्य बीमा और निवेश कम्पनियां	1.6	0.3	1.9
6. सहकारी बैंक	73.0	4.9	77.9
7. अन्य	1.6	4.0	5.6
जोड़	286.0	35.1	321.1

भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण

9.6 भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष में राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से 95.0 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया और निगम ने उस ऋण का पूरा उपयोग किया है। पिछले ऋणों की किस्तें चुकाने के बाद, 30 जून 1981 के अन्त में इस शीर्ष के अंतर्गत लिए गए ऋणों की बकाया राशि 366.4 करोड़ रुपये थी।

चुकौतियां

9.7 वर्ष के दौरान सदस्य बैंकों द्वारा की गई चुकौतियों की राशि 201.7 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्षों के दौरान उक्त राशि 154.4 करोड़ रुपये थी। जून 1981 के अन्त तक सदस्य बैंकों द्वारा 645.1 करोड़ रुपये की राशि चुकाई गई, जिसका ब्यौरा नीचे सारणी 22 में दिया गया है।

सारणी 22 – पुनर्वित्त की चुकौती

(करोड़ रुपये)

एजेंसी	कृपुविनि की योजनायें	अंविसंघ की सहायता प्राप्त योजनाएं	जोड़
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	164.0	129.3	293.3
2. राज्य भूमि विकास बैंक	112.0	215.6	327.6
3 राज्य सहकारी बैंक	13.5	10.7	24.2
जोड़	289.5	355.6	645.1

लाभ

9.8 पिछले वर्ष 115.42 लाख रुपये के लाभ को समायोजन सहित वर्ष 1980-81 के दौरान विनियोजन के लिए उपलब्ध निगम का निवल लाभ 1770.71 लाख रुपये रहा। निदेशकों ने लाभ के विनियोजन की सिफारिश नीचे लिखे अनुसार की है :

	लाख रुपये
अनुसन्धान और विकास निधि में अन्तरण	300.00
प्रारक्षित निधि में अन्तरण	340.08
भवन निर्माण निधि में अन्तरण	800.00
शेयरों पर लाभांश *	330.63
जोड़	1770.71

संगठन और अन्य बातें

शेयरधारी

वर्ष 1980-81 के दौरान, पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक लि. कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के सदस्य बने। पिछले वर्ष के 160 सदस्यों के मुकाबले, जून 1981 के अन्त तक निगम के कुल सदस्यों की संख्या 166 तक पहुंच गई (विवरण 14 देखें)।

निदेशक बोर्ड

10.2 वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की बैठकें 6 बार हुई।

10.3 भारत सरकार ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 10 (सी) के अन्तर्गत श्री बलदेव सिंह के स्थान पर श्री सी. पी. साहनी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) को निगम में निदेशक के रूप में नामित किया है।

10.4 दिनांक 29 सितम्बर 1980 को हुई साधारण सभा की बैठक में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 10 (डी.) के अन्तर्गत श्री बी. एस. विश्वनाथन के स्थान पर श्री सम्पतराव एन. पाटील को निगम के निदेशक के रूप में चुना गया था। उक्त बैठक में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम की धारा 10(एफ) और 10(ई) के अन्तर्गत क्रमशः सर्वश्री पी. सी. डी. नाम्बियार और वीरप्पा कुशनूर का निगम के निदेशक के पद पर दूसरी बार चुनाव किया गया।

10.5 श्री एम. ए. चिदम्बरम् के सेवा-निवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर जाने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के निदेशक बोर्ड के परामर्श से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम 1963 की धारा 10 (जी) के अन्तर्गत 1 जनवरी 1981 से श्री सन्त दास को निगम के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

10.6 बोर्ड ने निगम के निदेशकों के रूप में सर्वश्री बलदेव सिंह और बी. एस. विश्वनाथन तथा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री एम. ए. चिदम्बरम् द्वारा निगम के लिए की गई अमूल्य सेवाओं की भूरि-भूरि सराहना की।

हिन्दी का प्रयोग

10.7 दिन प्रति दिन हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का प्रतिनिधित्व जारी रहा। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है। श्रेणी 3 और 4 से सम्बन्धित कार्यालयपरिपत्रों को हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्य हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निगम के प्रधान कार्यालय में चलाये जा रहे केन्द्र में 21 अधिकारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, निगम के प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी व प्रारूप लिखने का प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में उपयोग में आनेवाले फार्म, मानक-मसौदे, रजिस्टर, साइन-बोर्ड आदि को द्विभाषिक रूप में तैयार किया गया है। निगम के प्रधान कार्यालय तथा छः क्षेत्रीय कार्यालयों में, हिन्दी में प्रकाशित, पत्रिकाएं खरीदी जाती हैं और इन क्षेत्रीय कार्यालयों में सामान्य रुचि की हिन्दी पुस्तकों के पुस्तकालय स्थापित किए जा चुके हैं। निगम द्वारा पहले अंग्रेजी में प्रकाशित, कुछ पुस्तिकाओं के हिन्दी संस्करण भी वर्ष के दौरान प्रकाशित हो चुके हैं। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के त्रैमासिक प्रकाशन ''एआरडीसी न्यूज'' में हिन्दी खण्ड शामिल किया गया है।

विदेश यात्रा

10.8 वर्ष 1980-81 के दौरान, निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने चार बार विदेश यात्राएं की और इस पर कुल व्यय 77,000 रुपये हुआ।

निदेशकों की ओर से
एम. रामकृष्णय्या
अध्यक्ष

22 अगस्त 1981

संक्षिप्त रूप	
कृऋवि	कृषि ऋण विभाग।
कृपपा	कृषि-परियोजना पाठ्यक्रम।
आप्रकेंस कृवि बैंक	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय सहकारी कृषि विकास बैंक।
कृपविनि	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम।
कक्षेप्रा	कमाण्ड क्षेत्र प्राधिकरण।
कक्षेवि	कमाण्ड क्षेत्र विकास।
कृबैम	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय।
कक्षेविप्रा	कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
वाबैंकृऋस	वाणिज्य बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण पर समिति।
कैअंविए	कैनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी।

वाबैंक	: वाणिज्य बैंक।
कृग्राविसंऋव्यसम	: कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण से सम्बन्धित व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए समिति।
जिउनि	: जिला उन्मुख निगरानी।
ईईसी	: यूरोपीयन इकोनोमिक कम्युनिटी।
भास	: भारत सरकार।
अंपुवि बैंक	: अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक।
एपविप	: एकीकृत पशु विकास परियोजना।
एरूविप	: एकीकृत रूई विकास परियोजना।
अंविसंघ	: अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ।
कृविअंनिधि	: कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि।
एग्राविका	: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
केकृविप	: केरल कृषि विकास परियोजना।
कडेविनि	: कर्नाटक डेरी विकास निगम।
केएफडब्ल्यू	: क्रेडिनस्टाल्ट फर वीदरोफबाउ।
भूवि बैंक	: भूमि विकास बैंक।
भूविनि	: भूमि विकास निगम।
राकृग्रावि बैंक	: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
राकृऋ (दी. प.)	: राष्ट्रीय कृषि ऋण (भारि बैंक की दीर्घावधि परिचालन निधि)।
पसरि	: परियोजना समाप्ति रिपोर्ट।
प्राभूवि बैंक	: प्राथमिक भूमि विकास बैंक।
प्राभूबं बैंक	: प्राथमिक भूमि बंधक बैंक।
भारि बैंक	: भारतीय रिजर्व बैंक।
राभूविनि	: राजस्थान भूमि विकास निगम।
ग्राआऋ कक्ष	: ग्रामीण आयोजना और ऋण कक्ष।
क्षेग्रा बैंक	: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
रास बैंक	: राज्य सहकारी बैंक।
स्वीअंविए	: स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी।
राभूवि बैंक	: राज्य भूमि विकास बैंक।
विकृप	: विशेष कृषि परियोजना।
संरा	: संयुक्त राज्य।
अंविअए	: अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेंसी।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. राशियों को निकटतम लाख रुपयों/करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

2. विवरणों में निम्नलिखित चिन्हों/संक्षिप्त नामों का उपयोग किया गया है।

चिन्ह : @अद्यतन उपलब्ध आंकड़े

—शून्य या नगण्य

संक्षिप्त नाम:

प्रयोजन:	लसिं	= लघु सिंचाई
	ग्राविनि/विकृप	= ग्रामीण विद्युतीकरण निगम/विशेष कृषि परियोजना
	भूवि/कक्षेवि	= भूमि विकास/उधार/संरक्षण/कमाण्ड क्षेत्र विकास
	कृम/कृउ/कृसेकें	= कृषि मशीनीकरण/कृषि उपकरण/कृषि सेवा केन्द्र
	बाग/बानी	= बगान/बागबानी
	मुपा	= मुर्गीपालन
	मपा	= मत्स्यपालन
	भेपा/सूपा	= भेड़ पालन/सूअर पालन
	डेवि	= डेरी विकास
	भं और बा	= भंडार और बाजार केन्द्र
	वन	= वन उद्योग
	कृवि	= कृषि विपणन
	एग्राविका	= एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
	एरूविप	= एकीकृत रूई विकास परियोजना
	गोसं	= गोबर गैस संयंत्र
	दीअ	= दीर्घावधि
	अअ	= अल्पावधि

अन्य = अन्य
संप्र = संयुक्त प्रयोजन
अवित्त = अंतरिम वित्त

एजेंसी : 1. राभूवि बैंक = राज्य भूमि विकास बैंक
2. वा बैंक = अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
3. रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक
4. क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

लाख रुपए

विवरण 1

1980-81 के दौरान मंजूरियां—क्षेत्रवार और राज्यवार

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योजनाओं की संख्या*	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे
1 2	3	4	5	6
I. उत्तरी क्षेत्र				
दिल्ली	5	34	28	6
हरियाणा	198	7813	6256	1557
हिमाचल प्रदेश	11	353	302	51
जम्मू और कश्मीर	21	349	311	38
पंजाब	253	7615	5849	1766
राजस्थान	200	3806	2781	1025
	688	19970	15527	4443
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
असम	63	2195	1975	220
मणिपुर	1	2	1	1
मेघालय	5	54	49	5
मिजोरम	1	9	8	1
नागालैण्ड	3	46	41	5
त्रिपुरा	44	349	313	36
	117	2655	2387	268
III. पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	215	4101	3409	692
उड़ीसा	178	5422	4678	744
पश्चिम बंगाल	264	2990	2648	342
	657	12513	10735	1778
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र				
मध्य प्रदेश	472	11495	9838	1657
उत्तर प्रदेश	492	18734	14968	3766
	964	30229	24806	5423
V. पश्चिमी क्षेत्र				
गोवा	14	225	184	41
गुजरात	142	3625	2939	686
महाराष्ट्र	367	9937	7823	2114
	523	13787	10946	2841

1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश . .	948	14330	11345	2985
कर्नाटक	290	4594	3615	979
केरल	86	1154	890	264
लक्षद्वीप	1	11	10	1
तमिलनाडु	219	2313	1673	640
पांडिचेरी	1	4	3	1
	1545	22406	17536	4870
जोड़: (I से)	4494	101560	81937	19623

*इसमें एग्राविका बैंकिंग प्लानें शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : वर्ष के दौरान चण्डीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा दादरा और नगर हवेली में कोई नई योजना मंजूर नहीं की गई।

विवरण 2

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का बटवारा–प्रयोजनवार और एजेंसीवार

(क) राज्य भूमि विकास बैंक

लाख रुपए

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिवनि के वायदे	वितरण
लघु सिंचाई	2720	164750	148540	96840
भूमि विकास	422	11859	9438	4644
कृषि मशीनीकरण	149	16126	12157	10632
बागान/बागवानी	558	12655	9736	3771
मुर्गीपालन/भेड़पालन/सूअरपालन . . .	170	2277	1739	778
मत्स्यपालन	96	1608	1389	375
डेरी विकास	249	2896	2224	917
भंडार और बाजार केन्द्र	8	130	103	--
गोबर गैस संयंत्र	32	246	186	5
अन्य	214	2096	1688	483
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम . . .	—	3754	3374	151
जोड़ . .	4618	218397	190574	118596

(ख) वाणिज्यिक बैंक

लाख रुपए

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के वायदे	वितरण
लघु सिंचाई	4255	103149	81719	41740
भूमि विकास	275	12279	9687	3213
कृषि मशीनीकरण	2181	46725	35671	28186
बागान/बागबानी	925	18752	15507	4755
मुर्गीपालन/भेड़पालन/सूअरपालन	919	5502	4515	2450
मत्स्यपालन	551	6449	5016	3337
डेरी विकास	1110	9948	8251	3223
भंडार और बाजार केन्द्र	1122	18339	14665	11028
कृषि विमानन	3	53	40	17
वन उद्योग	34	1783	1368	456
गोबर गैस संयंत्र	111	808	615	168
अन्य	195	1538	1275	411
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	--	10855	9767	1555
जोड़	11681	236180	188096	100539$

(ग) राज्य सहकारी बैंक

लाख रुपए

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के वायदे	वितरण
लघु सिंचाई	56	2394	2153	851
भूमि विकास	1	30	30	11
कृषि मशीनीकरण	2	73	67	56
बागान/बागबानी	22	352	316	57
मुर्गीपालन/भेड़पालन/सूअरपालन	29	1117	107	52
मत्स्यपालन	94	1172	873	506
डेरी विकास	23	277	235	26
भंडार और बाजार केन्द्र	19	1562	1469	1193
अन्य	29	694	591	412
एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम	--	1667	1500	11
जोड़	275	8338	7341	3175$

(घ) सभी एजेंसियां (क+ख+ग)

लाख रुपए

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिवित्त के वायदे	वितरण
लघु सिंचाई	7031	270293	232412	139431
भूमि विकास	698	24168	19155	7868
कृषि मशीनीकरण	2332	62924	47895	38874
बागान/बागवानी	1505	31759	25559	8583
मुर्गीपालन/भेड़पालन/सूअरपालन	1118	7896	6361	3280
मत्स्यपालन	741	9229	7278	4218
डेरी विकास	1382	13121	10710	4166
भंडार और बाजार केन्द्र	1149	20031	16237	12221
कृषि विमानन	3	53	40	17
वन उद्योग	34	1783	1368	456
गोबर गैस संयंत्र	143	1054	801	173
अन्य	438	4328	3554	1306
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	—	16276	14641	1717
जोड़ :	16574	462915	386011	222310$

टिप्पणी : वाणिज्य बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल है। $ इनमें अल्पावधि वित्त शामिल नहीं है।

विवरण 3

1980-81* के दौरान मंजूर योजनाओं का आकारवार और प्रयोजनवार वर्गीकरण

लाख रुपए

योजना का आकार	लघु सिंचाई		भूमि विकास		कृषि मशीनीकरण		बागान/बागबानी		मुर्गीपालन/भेड़ पालन/सूअर-पालन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 लाख रुपए तक	413	1188	39	107	90	289	118	306	311	784
5 से 10 लाख रुपए तक	588	4556	16	104	160	1252	121	897	123	919
10 से 25 लाख रुपए तक	755	10932	11	186	176	2850	83	1342	36	526
25 से 50 लाख रुपए तक	125	4358	11	446	79	2716	39	1300	14	463
50 से 100 लाख रुपए तक	76	5356	9	577	16	1183	7	572	2	140
100 लाख रुपए से ऊपर	54	17023	7	1217	15	2440	2	390	—	—
जोड़	2011	43413	93	2637	536	10730	370	4807	486	2832

योजना का आकार	मत्स्य पालन		डेरी विकास		भंडार और बाजार केन्द्र		अन्य		कुल जोड़	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5 लाख रुपए तक	85	218	178	475	31	120	184	503	1449	3990
5 से 10 लाख रुपए तक	53	395	136	960	44	360	108	743	1349	10185
10 से 25 लाख रुपए तक	21	398	57	850	32	514	26	384	1197	17982
25 से 50 लाख रुपए तक	7	241	5	172	11	356	3	91	294	10143
50 से 100 लाख रुपये तक	5	342	1	86	5	294	1	77	122	8627
100 लाख रुपये से ऊपर	—	—	1	240	3	726	1	392	83	22428
जोड़	171	1594	378	2783	126	2370	323	2190	4494	73356

*एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शामिल नहीं है।

विवरण 4

30 जून, 1981 तक मंजूर योजनाओं का, राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण 1980-81 के दौरान	वितरण 30 जून, 1981 तक
1. उत्तरी /क्षेत्र							
चण्डीगढ़	2	बान/बानी	1	4	3	—	3
दिल्ली	2	कृम	6	152	119	12	91
		भूवि	1	3	3	—	—
		मुपा	3	3	2	1	2
		डेवि	9	54	38	4	30
			19	212	162	17	123
	3	गुपा	1	6	6	—	6
			20	218	168	17	129
हरियाणा	1	लसि	60	7111	6400	897	5938
		भूवि	7	337	271	11	150
		कृम	11	3969	2977	696	2678
		बान/बानी	3	95	71	6	57
		डेवि	24	224	168	75	166
		अन्य	15	237	213	5	5
			120	11973	10100	1690	8994
	2	लसि	91	11515	9387	1131	4311
		ग्राविनि	21	427	214	68	101
		भूवि	24	424	348	34	57
		कृम	214	5303	3970	1134	3458
		मुपा	18	110	90	4	40
		भेपा	2	6	5	—	1
		डेवि	53	838	695	22	77
		भंबा	111	2377	1835	303	972
		कृवि	1	30	23	—	—
		गोसं	2	13	10	—	6
		अन्य	9	67	59	12	16
		ए ग्राविका	—	379	341	3	3
		रुविप (अ० अ०)	—	—	—	40	—
			546	21489	16977	2751	9042

विवरण 4 (जारी)

30 जून, 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनावार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के कुल वायदे	विवरण 1980-81 के दौरान	विवरण 30 जून, 1981 तक
हरियाणा (जारी)		डेवि	1	20	15	—	15
		चेभं/बा	10	508	456	10	268
	3	एरूविप (वी.अ.)	2	224	179	76	178
		एरूविप (अ.अ.)	—	—	—	407	79*
			13	752	650	493	540
			679	34214	27727	4934	18576
हिमाचल प्रदेश	1	लसिं	1	20	18	1	6
		कृम	1	37	27	—	—
		बान/बानी	6	112	84	4	29
		डेवि	1	13	9	1	1
			9	182	138	6	36
	2	कृम	3	30	22	7	18
		बान/बानी	21	862	736	147	373
		मुपा	4	28	24	12	13
		सूपा	1	2	2	—	
		डेवि	9	54	45	10	30
		अन्य	3	14	10	2	
		एग्राविका	—	269	242	10	10
			41	1259	1081	188	444
			50	1441	1219	194	480
जम्मू और कश्मीर	1	कृम	2	85	63	24	53
		बान/बानी	4	113	85	—	78
		भेपा	1	23	18	—	—
		डेवि	1	14	10	—	—
		अन्य	1	12	10	3	3
			9	247	186	27	134
	2	कृम	4	46	35	6	24
		बान/बानी	20	338	304	25	27
		डेवि	3	16	10	1	9
		अन्य	1	3	2	—	—
		एग्राविका	—	26	23	—	—
			28	429	374	32	60
			37	676	560	59	194

विवरण 4 (जारी)

30 जून, 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	विवरण: 1980-81 के दौरान	विवरण: 30 जून 1981 तक
पंजाब	1	लसि	62	4292	3885	241	3234
		भूवि	27	1649	1365	81	692
		कृम	28	4175	3131	1235	2847
		बान/बानी	15	368	276	—	—
		मुपा	30	251	188	61	61
		डेवि	21	269	201	76	76
		अन्य	16	105	78	5	5
		एग्राविका	—	12	11	—	—
			199	11121	9135	1699	6915
	2	लसि	70	8200	6904	1186	3333
		ग्राविनि	38	950	475	128	277
		भूवि	6	311	253	46	88
		कृम	171	10940	8216	3092	7553
		कृसेकें	9	167	125	18	64
		बान/बानी	3	53	40	—	1
		भेपा	1	1	1	—	—
		मूपा	37	242	195	17	77
		डेवि	73	767	639	31	212
		भं/बा	237	2620	2095	421	1888
		गोसं	2	23	17	—	—
		अन्य	4	15	14	1	2
		एग्राविका	—	348	313	20	20
		एरूविप (अ. अ.)	—	—	—	28	—
			651	24637	19287	4988	13515
	3	कृम	1	18	17	—	16
		भं/बा	4	747	730	—	651
		एरूविप (अ. अ.)	—	—	—	65	—
			5	765	747	65	667
			855	36523	29169	6752	21097

विवरणण 4 (जारी)

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार ब्यौरा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1980-81 के दौरान	30 जून 1981 तक
राजस्थान	1	लसि	155	5825	5338	548	3574
		भूवि	9	592	452	1	44
		कृम	39	829	621	132	222
		बान/बानी	15	205	164	—	25
		एग्राविका	—	21	19	10	10
			218	7472	6594	691	3875
	2	लसि	133	3256	2739	260	1365
		ग्राविनि	74	1538	769	184	365
		भवि	3	83	62	3	6
		कक्षेवि	18	3905	3103	132	937
		कृम	75	1733	1290	284	1012
		कृसेकें	3	68	51	—	
		बान/बानी	8	57	47	—	—
		मुपा	4	42	33	—	3
		भेंपा	18	369	331	75	202
		सूपा	1	2	2	—	—
		डेवि	62	1209	1001	31	149
		भं/बा	81	2151	1722	152	847
		संप्र	1	57	50	6	22
		अन्य	21	206	178	14	36
		एग्राविका	—	45	40	2	2
			502	14721	11418	1143	4946
	3	संप्र	16	327	293	56	153
		एग्राविका	—	28	25	—	—
			16	355	318	56	153
			736	22548	18330	1890	8974
			2378	95624	77176	13846	49453
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र							
असम	1	लसि	1	126	114	—	—
		बान/बानी	1	5	4	—	—
			2	131	118	—	—
	2	लसि	13	1232	1109	18	52
		भूवि	1	11	10	—	7
		कृम	4	85	77	—	10
		बान/बानी	168	5864	4981	535	1290
		सूपा	1	3	2	—	2
		मपा	3	39	36	—	2
		डेवि	9	90	81	—	17
		भं/बा	44	269	223	—	176
		अन्य	2	43	39	37	38
			245	7636	6558	590	1594

विवरण 4 (जारी)

30 जून, 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1980-81 के दौरान	30 जून 1981 तक
असम (जारी)	3	बान/बानी	6	121	109	19	19
			253	7888	6785	609	1613
मणिपुर	2	कृम	2	52	47	2	20
		बान/बानी	1	63	57	—	—
		मप	1	2	1	—	—
			4	117	105	2	20
	3	लसिं	1	4	3	1	1
		कृम	1	55	50	4	40
		बान/बानी	1	15	14	—	13
		सूपा	1	6	5	—	—
		मपा	74	77	69	—	22
		अन्य	1	28	25	2	2
			79	185	166	7	78
			83	302	271	9	98
मेघालय	2	सुपा	2	5	5	—	—
		डेवि	2	25	23	1	1
		वन	1	49	44	—	—
			5	79	72	1	1
	3	बान/बानी	3	25	23	—	—
		डेवि	1	10	9	—	—
		मपा	1	5	4	—	—
			5	40	36	—	—
			10	119	108	1	1
मिजोरम	2	डेवि	1	9	8	4	4
नागालैण्ड	2	कृम	2	17	15	—	—
		भं /बा	3	9	7	—	7
			5	26	22	—	7
	3	भूवि	1	30	30	—	11
		बान/बानी	3	40	36	—	—
			4	70	66	—	11
			9	96	88	—	18
त्रिपुरा	2	लसिं	9	24	22	—	6
		कृम	1	6	5	1	1
		बान/बानी	12	224	202	4	10
		मपा	1	10	9	1	4
		भेपा	3	11	10	—	—
		सूपा	3	25	22	—	—
		डेवि	4	12	11	—	—

विवरण 4 -(जारी-)

30 जून 1981 तक मजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपय

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेन्सी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1980-81 के दौरान	30 जून 1981 तक
त्रिपुरा (जारी)		भ/बा	1	8	5	—	5
		वन	2	50	40	—	—
		अन्य	1	9	8	1	4
			37	377	334	7	30
	3	लसि	3	12	10	—	—
		बान/बानी	3	19	17	—	—
		मुपा	5	22	20	—	—
		भेपा	3	11	10	—	—
		सूपा	3	10	9	—	—
		डेवि	2	18	16	—	—
			19	92	82	—	—
			56	469	416	7	30
			412	8883	7676	630	1764
III. पूर्वी क्षेत्र							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	बान/बानी	1	8	7	1	2
बिहार	1	लसि	25	6815	6134	826	4333
		भूवि	1	112	84	—	84
		कृम	2	140	126	9	92
		बान/बानी	2	23	18	—	6
		भेपा	1	4	3	—	—
		मपा	1	46	41	—	4
		अन्य	3	47	42	—	—
		एग्राविका	—	262	237	—	—
			35	7449	6685	835	4519
	2	लसि	437	10447	9378	956	5253
		ग्राविनि	90	1466	733	61	199
		भूवि	1	219	197	51	51
		कृम	137	3023	2687	394	1739
		बान/बानी	4	53	48	—	—
		मुपा	4	61	49	—	1
		सूपा	1	4	3	—	—
		भेपा	1	10	9	3	3
		मपा	2	32	29	—	1
		डेवि	45	379	340	35	60
		भं/बा	127	2359	2082	73	2026
		गोसं	15	56	50	2	2
		वन	3	166	116	—	23

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण 1980-81 के दौरान	वितरण 30 जून 1981 तक
बिहार (जारी)	2	अन्य	10	62	56	2	18
		संप्र	3	61	55	1	31
		एग्राविका	—	740	665	33	33
			880	19138	16497	1611	9440
	3	डेवि	3	34	29	—	10
			918	26621	23211	2446	13969
उड़ीसा	1	लसि	78	3434	3078	376	1650
		भूवि	10	131	106	4	46
		कृम	1	80	60	12	45
		बान/बानी	29	629	548	91	331
		मुपा	21	445	400	154	183
		गोर्म्त	1	5	4	—	—
		अन्य	17	124	112	77	81
		एग्राविका	—	689	620	26	26
			157	5537	4928	740	2362
	2	लसि	224	4521	4062	581	2006
		ग्राविनि	31	718	359	98	127
		भूवि	5	178	153	32	51
		कृम	7	122	107	16	85
		कृसेकें	1	2	2	—	1
		बान/बानी	10	201	175	—	1
		मुपा	3	40	33	1	1
	2	भेपा	4	32	28	8	11
		सुपा	2			—	3
		मपा	25	444	398	66	209
		डेवि	63	271	245	78	149
		भं/बा	7	63	55	—	20
		अन्य	2	5	4	—	—
		एग्राविका	—	1192	1072	116	116
			384	7789	6693	996	2780
	3	लसि	50	2365	2129	228	850
		बान/बानी	1	43	39	—	—
		भेपा	7	12	10	3	3
		मपा	1	24	22	—	14
		डेवि	11	90	81	1	1
		सूपा	1	3	2	—	—
		अन्य	7	24	21	—	—
		एग्राविका	—	705	635	11	11
			78	3266	2939	243	879
			619	16592	14560	1979	6021

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1980-81 के दौरान	30 जून 1981 तक
पश्चिम बंगाल	1	लसिं	207	4273	3853	151	1721
		कृम	19	259	235	21	82
		बान/बानी	48	414	370	38	119
		मपा	60	711	640	33	49
		डेवि	3	23	21	—	—
		गोसं	4	21	19	—	—
		अन्य	13	76	67	—	—
		अंवित्त	—	—	—	100	—
			354	5777	5205	343	1971
	2	लसिं	165	2895	2572		
		ग्राविनि	7	125	63	358	1598
		कृम	19	358	322	14	148
		कृसेकें	8	38	35	—	13
		बान/बानी	63	1844	1658	178	610
		मुपा	4	45	40	23	29
		मपा	6	113	102	9	30
		डेवि	6	77	70	—	32
		भं/बा	29	528	446	59	334
		अन्य	2	3	3	—	—
			309	6026	5311	641	2794
			663	11803	10516	984	4765
			2201	55024	48294	5410	24757
मध्यवर्ती क्षेत्र							
मध्य प्रदेश		लसिं	349	21416	19353	1080	8084
		भूवि/कक्षेवि	53	315	237	7	76
		कृम	4	276	207	5	91
		बान/बानी	2	51	38	—	—
		डेवि	1	5	4	—	—
		अन्य	11	44	39	—	—
		एग्राविका	—	34	30	—	—
			420	22141	19908	1092	8251

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण 1980-81 के दौरान	वितरण 30 जून 1981 तक
मध्य प्रदेश (जारी)	2	लसि	875	16815	14826	1845	7183
	2	ग्राविनि	124	1994	997	267	471
		कक्षेवि	102	574	430	138	196
		कृम	75	2224	1651	228	1029
		कृसेकें	98	83	65	—	43
		बान/बानी	1	2	2	—	—
		डेवि	28	199	168	1	16
		मुपा	21	70	54	9	22
		भं/बा	102	780	623	148	395
		वन	12	599	479	73	249
		गोसं	8	129	97	—	23
		अन्य	2	3	2	—	—
		एग्राविका	—	43	39	—	—
			1448	23515	19433	2709	9627
	3	भं/बा	1	18	13	—	11
			1869	45674	39354	3801	17889
उत्तर प्रदेश	1	लसि	242	37747	33813	3048	18970
		भूवि	17	140	116	—	—
		कक्षेवि	221	1551	1313	—	180
		कृम	6	72	54	—	—
		बान/बानी	17	228	171	9	61
		डेवि	22	296	239	—	—
		मपा	1	5	4	—	—
		भं/बा	7	106	85	—	—
		गोसं	5	29	22	—	—
		अन्य	75	710	543	60	62
		एग्राविका	—	1482	1330	—	—
		अंवित्त	—	—	—	700	—
			613	42366	37690	3817	19273
	2	लसि	201	6336	5482	867	3192
		ग्राविनि	159	3753	1877	529	541
		भूवि	8	1002	755	—	199
		कक्षेवि	25	43	35	—	—
		कृम	720	13103	9899	1650	7412
		कृसेकें	7	173	130	38	108
		डेवि	122	993	819	97	381
		मुपा	10	59	50	16	18
		भेपा	8	24	21	1	11
		सूपा	1	1	1	—	—
		मपा	8	83	72	2	5
		भं/बा	178	3355	2651	195	2087
		गोसं	27	108	82	2	14
		अन्य	53	208	170	10	20
		एग्राविका	—	3010	2705	25	73
			1527	32251	24749	3432	14061

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी कट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण 1980-81 के दौरान	वितरण 30 जून 1981 तक
उत्तर प्रदेश (जारी)	3	डेवि	2	64	48	—	—
		भं/आ	1	155	155	—	150
		एग्राविका	—	1	1	—	—
			3	220	204	—	150
			2143	74837	62643	7249	33484
			4012	120511	101997	11050	51373
5 पश्चिमी क्षेत्र,							
दादरा और नगर हवेली	2	डेवि	1	2	2	—	—
गोवा	2	लसि	3	21	17	—	15
		डेवि	6	10	8	1	4
		मुपा	7	36	29	6	26
		मपा	58	559	447	83	342
		गोंसं	1	2	1	—	1
		अन्य	1	97	77	20	20
		एग्राविका	—	48	44	23	23
			76	773	623	133	431
	3	बान/बानी	1	24	19	—	—
		मपा	1	40	30	—	30
		एग्राविका	—	7	6	—	—
			2	71	55	—	30
			78	844	678	133	461
गुजरात	1	लसि	95	5812	5430	55	4791
		कृम	1	351	263	—	239
		बान/बानी	2	30	22	—	22
		डेवि	17	363	280	12	73
		अन्य	1	1	1	—	—
		एग्राविका	—	103	93	—	—
			116	6660	6089	67	5125
	2	लसि	195	7052	6217	1210	4355
		ग्राविनि	46	1029	515	185	334
		भूवि	14	67	50	—	—
		कृम	84	2292	1730	255	1683
		कृसेकें	5	29	22	4	
		बान/बानी	1	3	3	—	—
		डेवि	64	1010	812	109	565
		मुपा	11	86	69	4	30
		मेपा	3	9	8	1	1
		मपा	29	1108	884	156	498
		भं/आ	16	308	243	—	242
		वन	1	490	392	—	—
		गोसं	14	71	53	13	32
		अन्य	3	7	6	1	1
		एग्राविका	—	546	491	35	38
			486	14107	11495	1973	7779
	3	भं/आ	1	2	2	—	2
			603	20769	17586	2040	12906

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1980-81 के दौरान	30 जून 1981 तक
महाराष्ट्र	1	लसि	378	18275	16443	3264	13953
		भूवि	8	411	368	—	368
		कृम	3	272	204	—	153
		बान/बानी	26	542	407	60	144
		डेवि	80	637	478	59	93
		भं/बा	1	24	18	—	—
		मृपा	9	88	67	—	—
		भेपा	6	68	51	—	—
		मपा	1	26	19	—	—
		गोसं	18	121	89	—	—
		एग्राविका	—	345	311	—	—
			530	20809	18455	3383	14711
	2	लसिं	505	5294	4397	291	2639
		ग्राविनि	183	3653	1827	237	450
		भूवि	7	185	160	—	—
		कक्षेवि	14	2543	1907	506	652
		कृम	240	2850	2156	299	147
		बान/बानी	26	170	138	23	54
		मृपा	67	621	496	119	328
		भेपा	14	33	29	4	12
		मपा	50	266	207	57	148
		डेवि	212	1610	1301	58	765
		भं/बा	19	783	624	96	519
		कृवि	1	7	5	—	5
		गोसं	14	128	95	17	30
		अन्य	13	123	98	15	58
		एग्राविका	—	1077	971	38	39
		एरूविप (दी०अ०)	1	40	30	4	30
		एरूविप (अ०अ०)	—	—	—	24	—
			1366	19383	14441	1788	7200
	3	मपा	5	180	84	—	92
		एग्राविका	—	141	126	—	—
			5	321	210	—	82
			1901	40513	33106	5171	21993
			2583	62128	51372	7344	35360

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	विवरण 1980-81 के दौरान	विवरण 30 जून 1981 तक
दक्षिणी क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	1	लसिं	590	29740	26753	3496	17030
		भूवि	35	3160	2524	40	1652
		कक्षेवि	7	1141	856	70	246
		कृम	6	3672	2757	647	2756
		बान/बानी	45	1335	1001	32	517
		मुपा	30	780	585	90	160
		भेपा	56	841	649	224	500
		मपा	9	283	216	21	119
		डेवि	46	838	641	195	469
		अन्य	23	430	324	139	252
		एग्राविका	—	482	433	77	77
			847	42702	36739	5031	23778
	2	लसिं	202	2720	2409	332	2118
		ग्राविनि	117	3147	1573	333	
		भूवि	19	389	290	36	82
		कक्षेवि	6	331	265	2	25
		कृम	116	1235	917	180	600
		कृसेकें	4	159	122	—	27
		बान/बानी	81	1088	868	123	200
		मुपा	301	1861	1475	399	834
		भेपा	170	786	671	170	390
		मपा	69	742	569	72	181
		डेवि	165	1155	960	72	377
		भं/बा	60	1339	948	—	411
		वन	7	292	187	35	99
		गोसं	7	15	11	—	1
		अन्य	42	180	148	23	39
		एग्राविका	—	1402	1263	266	484
			1366	16841	12676	2043	5868
	3	लसिं	1	11	9	—	—
		मुपा	7	9	7	3	5
		मपा	3	331	256	36	86
		एग्राविका	—	230	207	—	—
			11	581	479	39	91
			2224	60124	49894	7113	29737

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1980-81 के दौरान	30 जून 1981 तक
कर्नाटक	1	लसिं	272	11695	10568	390	5905
		भूवि	17	1557	1174	—	614
		कृम	23	1096	822	222	744
		बान/बानी	82	2709	2033	134	1027
		भेपा	21	135	110	14	28
		सूपा	2	16	13	—	—
		डेवि	11	103	87	10	10
		गोसं	3	59	44	—	2
		अन्य	33	268	222	38	47
		एग्राविका	—	217	194	38	38
			464	17855	15267	846	8415
	2	लसिं	86	1167	953	107	384
		ग्राविनि	21	515	257	75	99
		भूवि/कक्षेवि	14	324	244	—	3
		कृम	60	1428	1110	119	1113
		कृसेकें	11	90	67	—	
		बान/बानी	260	3585	2877	124	925
		मुपा	72	274	222	40	118
		भेपा	22	83	73	13	30
		मपा	116	1647	1203	178	1052
		डेवि	49	401	352	38	60
		भ/बा	75	1063	843	103	857
		गोसं	16	235	178	18	56
		वन	8	137	110	11	85
		अन्य	8	221	178	5	15
		एग्राविका	—	634	571	99	102
			818	11804	9238	930	4899
	3	लसिं	1	2	2	—	—
		बान/बानी	4	65	59	—	25
		मपा	2	207	143	—	137
		डेवि	2	33	30	—	—
		भ/बा	2	132	113	—	111
		एग्राविका	—	21	20	—	—
			11	460	367	—	273
			1293	30119	24872	1776	13587

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1980-81 के दौरान	30 जून 1981 तक
केरल	1	लसि	14	1076	969	366	862
		भूवि	5	110	82	—	22
		कृम	2	33	25	—	5
		बान/बानी	200	4204	3249	287	936
		मुपा	1	1	1	—	—
		मपा	1	38	28	4	4
		डेवि	6	45	35	10	11
		अंवित्त	—	—	—	100	—
			229	5507	4389	767	1840
	2	लसि	27	863	774	49	662
		ग्राविनि	10	109	55	10	10
		भूवि	4	1631	1380	96	819
		कृम	7	81	63	1	39
		कृसेकें	4	4	2	—	—
		बान–बानी	156	2951	2328	418	684
		मपा	106	679	503	53	369
		मुपा	2	7	5	—	—
		डेवि	39	189	151	20	50
		भं/बा	5	39	31	—	30
		कोसं	1	2	1	—	—
		एग्राविका	—	56	51	2	2
			361	6611	5344	649	2665
	3	मपा	3	162	162	—	56
		डेवि	1	8	7	—	—
		गन्य	3	91	73	—	—
		एग्राविका	—	59	52	—	—
			7	320	294	—	56
			597	12438	10027	1416	4561
लक्षद्वीप	2	मपा	1	11	10	—	—
पांडिचेरी	1	बान/बानी	1	29	22	1	1
		डेवि	1	5	4	—	1
		एग्राविका	—	9	8	—	—
			2	43	34	1	2
	2	लसि	1	2	1	—	1
		मपा	1	26	21	—	—
		डेवि	3	26	14	1	12
		एग्राविका	—	41	37	1	6
			5	95	73	2	19
	3	मपा	2	46	34	—	15
			9	184	141	3	36

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1980-81 के दौरान	30 जून 1981 तक
तमिलनाडु	1	लसि	191	7093	6391	57	6789
		चेभूवि	5	653	490	—	470
		कृम	1	780	585	—	625
		बान/बानी	60	1563	1173	55	418
		मुपा	2	6	5	—	—
		भेपा	11	64	49	2	29
		मपा	2	54	41	—	16
		डेवि	15	61	47	6	17
		गोसं	1	11	8	1	3
		अन्य	6	42	37	1	28
		एग्राविका	—	98	88	—	—
		अंवित्त	—	—	—	3	—
			294	10425	8914	125	8395
	2	लसि	12	179	142	5	86
		ग्राविनि	83	1134	567	106	207
		भूवि	3	56	42	—	40
		कृम	74	860	643	231	409
		कृसेकें	12	24	16	—	15
		बान/बानी	88	1382	1033	63	575
		मुपा	64	349	283	86	158
		भेपा	28	161	142	28	84
		सूपा	1	1	1	—	—
		मपा	75	688	525	39	496
		डेवि	82	552	458	79	229
		भं/बा	27	290	232	—	212
		कृवि	1	16	12	—	12
		गोसं	4	26	20	1	3
		अन्य	13	114	88	41	55
		एग्राविका	—	999	899	487	604
			567	6831	5103	1166	3185
	3	भेपा	1	38	38	—	38
		मपा	2	100	69	—	64
		एग्राविका	—	475	428	—	—
			3	613	535	—	102
			864	17869	14552	1291	11682
			4988	120745	99496	11599	59603
कुल जोड़ (I से IV)			16574	462915	386011	49879	222310$

टिप्पणी : वाणिज्य बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। $इसमें अल्पावधि वित्त शामिल नहीं हैं। *मध्यावधि परिवर्तन ऋण।

विवरण 5

30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का बटवारा—एजेंसीवार

लाख रुपये

एजेंसी	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के वायदे	वितरण
राज्य भूमि विकास बैंक	4618	218397 (47.2)	190574 (49.4)	118596 (53.3)
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11461	230474 (49.8)	183062 (47.4)	98361 (44.3)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	220	5706 (1.2)	5034 (1.3)	2178 (1.0)
राज्य सहकारी बैंक	275	8338 (1.8)	7341 (1.9)	3175 (1.4)
जोड़	16574	462915 (100.0)	386011 (100.0)	222310 (100.0)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं।

$इसमें अल्पावधि वित्त शामिल नहीं है।

विवरण 6

1979-80 और 1980-81 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर योजनाओं का बटवारा

लाख रुपये

राज्य	निम्नलिखित अवधि में क्षेत्रीय बैंकों की संख्या जिनके लिए योजना मंजूर की गई थी		निम्नलिखित वर्ष के दौरान मंजूर योजनाओं की संख्या		निम्नलिखित वर्ष के दौरान मंजूर वायदे		वायदे 30-6-81 तक	वितरण 30-6-81 तक
	30-6-81	30-6-81	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81		
I. उत्तरी क्षेत्र								
हरियाणा	1	2	1	2	34	59	92	18
जम्मू और कश्मीर	1	1	—	—	5	—	5	—
राजस्थान	2	2	3	12	77	192	283	112
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र								
असम	1	1	2	3	30	34	64	20
त्रिपुरा	1	1	4	18	26	70	95	11
III. पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	7	8	12	16	114	262	666	348
उड़ीसा	3	4	19	3	35	415	481	210
पश्चिम बंगाल	2	5	3	1	26	9	35	5
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र								
मध्य प्रदेश	2	5	1	14	110	472	600	217
उत्तर प्रदेश	6	13	11	3	708	294	1196	511
V. पश्चिमी क्षेत्र								
गुजरात	1	2	—	2	5	6	15	1
महाराष्ट्र	1	1	1	2	21	97	117	12
VI. दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	3	3	21	7	451	62	683	391
कर्नाटक	2	4	2	12	129	207	452	129
केरल	2	2	4	2	32	7	67	15
तमिलनाडु	1	1	—	1	148	5	183	178
जोड़ (I से तक)	36	55	84	98	1951	2191	5034	2178

विवरण 7

कम विकसित/कम बैंक सुविधावाले राज्य में वितरण

लाख रुपये

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान वितरण					30 जून 1981 तक
	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	
हिमाचल प्रदेश	2 (—)	23 (0.1)	50 (0.2)	185 (0.5)	194 (0.4)	480 (0.2)
जम्मू और कश्मीर	6 (—)	15 (0.1)	14 (—)	12 (—)	59 (0.1)	194 (0.1)
राजस्थान	787 (3.6)	1312 (5.6)	1616 (5.7)	1815 (4.4)	1890 (3.8)	8974 (4.0)
असम	70 (0.3)	273 (1.2)	235 (0.8)	286 (0.7)	609 (1.2)	1613 (0.7)
मणिपुर	8 (0.1)	23 (0.1)	43 (0.2)	10 (—)	9 (—)	98 (0.1)
मेघालय	—	—	—	—	1 (—)	1 (—)
मिजोरम	—	—	—	—	4 (—)	4 (—)
नागालैण्ड	3 (—)	5 (—)	—	—	—	18 (—)
त्रिपुरा	2 (—)	8 (—)	1 (—)	11 (—)	7 (—)	30 (—)
अंडमान और निकोबार	—	—	—	1 (—)	1 (—)	2 (—)
बिहार	1696 (7.7)	1864 (8.0)	2253 (7.9)	2468 (6.0)	2446 (4.9)	13969 (6.3)
उड़ीसा	565 (2.6)	816 (3.5)	875 (3.1)	1315 (3.2)	1979 (4.0)	6021 (2.7)
पश्चिम बंगाल	590 (2.7)	996 (4.3)	1045 (3.7)	981 (2.4)	984 (2.0)	4765 (2.1)
मध्य प्रदेश	2610 (11.8)	1670 (7.1)	1666 (5.9)	3647 (8.9)	3801 (7.6)	17889 (8.0)
उत्तर प्रदेश	3720 (16.9)	4317 (18.4)	4877 (17.1)	5660 (13.7)	7249 (14.5)	33484 (15.1)
जोड़ (सभी कम विकसित राज्य)	10059 (45.6)	11322 (48.3)	12675 (44.5)	16391 (39.8)	19233 (38.5)	87542$ (39.4)
जोड़ (अखिल भारतीय)	22082 (100.0)	23430 (100.0)	28487 (100.0)	41223 (100.0)	49879 (100.0)	222310$ (100.0)

$इसमें अग्र वित्त शामिल नहीं है।

विवरण 8

1980–81 के दौरान अनुमोदित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बैंकिंग प्लानें

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुमोदित नये बैंकिंग प्लानों की संख्या (जिलावार)	शामिल खण्डों की संख्या	वित्तीय सहायता	कुपुविनि के वायदे	वितरण 1980–81 के दौरान
I. उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	10	52	379	341	3
हिमाचल प्रदेश	8	44	242	218	10
जम्मू और कश्मीर	1	5	15	14	—
पंजाब	7	44	343	312	20
राजस्थान	4	8	94	84	12
	30	153	1073	969	45

विवरण 8 (जारी)

1980-81 के दौरान अनुमोदित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बैंकिंग प्लान

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुमोदित नये बैंकिंग प्लानों की संख्या (जिलावार)	शामिल खण्डों की संख्या	वित्तीय सहायता	कुपुविनि के वायदे	वितरण 1980-81 के दौरान
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
असम, अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
मणिपुर, मेघालय	—	—	—	—	—
नागालैण्ड, त्रिपुरा और मिजोरम	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
3. पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	7	49	986	888	33
उड़ीसा	8	125	2531	2278	153
पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—
	15	174	3517	3166	186
4. मध्यवर्ती क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	5	19	44	40	—
उत्तर प्रदेश	29	310	2780	2500	25
	34	329	2824	2540	25
5. पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	1	7	55	50	23
गुजरात	1	2	12	11	35
महाराष्ट्र	22	122	1243	1119	38
	24	131	1310	1180	96
5. दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्रप्रदेश	1	6	64	58	343
कर्नाटक	11	61	612	551	137
केरल	1	13	114	104	2
पांडिचेरी	—	—	—	—	1
तमिलनाडु	—	—	14	13	487
	13	80	804	726	970
जोड़ (1 से 6)	116	867	9528	8581	1322

अतिरिक्त कार्यक्रम

विवरण 9

30 जून 1981 तक अनुमोदित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बैंकिंग प्लानों का एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा

लाख रुपये

एजेंसी	प्रयोजन	वित्तीय सहायता	कुपुविनि के कुल वायदे	30 जून 1981 तक वितरण
राज्य भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	2882	2590	151
	अन्य	872	784	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	लघु सिंचाई	3712	3329	1155
	अन्य	7143	6438	
राज्य सहकारी बैंक	लघु सिंचाई	625	562	10
	अन्य	1042	938	1
	जोड़	16276	14641	1717

*इनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं।

विवरण 10

30 जून 1981 तक लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनाएं

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषुबिनिके कुल वायदे	वितरण	
						1980-81 के दौरान	30 जून 1981 तक
1. उत्तरी क्षेत्र							
दिल्ली	2	डेवि	8	49	35	3	28
हरियाणा	2	लसि	2	179	177	2	170
		मुपा	2	14	13	—	6
		डेवि	5	66	61	13	38
		अन्य	1	1	1	—	—
			10	260	252	15	214
हिमाचल प्रदेश	2	मुपा	2	11	10	1	2
		सूपा	1	2	2	—	—
		बान/बानी	2	6	5	1	1
		डेवि	6	27	24	2	14
		अन्य	2	9	6	1	5
			13	55	47	5	22
जम्मू और कश्मीर	1	बान/बानी	1	5	5	—	—
	2	डेवि	2	12	7	—	7
			3	17	12	—	7
पंजाब	1	लसि	4	179	179	—	138
	2	लसि	1	6	6	—	6
		मुपा/भेपा	3	36	33	—	4
		डेवि	44	417	377	14	136
		अन्य	2	5	4	1	2
			54	643	599	15	286
राजस्थान	1	लसि	31	904	858	—	522
	2	लसि	45	545	488	24	98
		बान/बानी	1	8	7	—	—
		चेपा	14	301	271	42	158
		डेवि	33	290	257	15	68
		अन्य	19	183	158	10	22
	3	संप्र	16	327	293	56	153
			159	2558	2332	147	1021
			247	3582	3277	185	1578
21. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र							
असम	1	लसि	1	126	114	—	—
	2	लसि	7	51	51	7	20
		बान/बानी	1	7	6	—	1
		मपा	1	15	14	—	2
		डेवि	2	23	20	7	13
			12	228	205	14	36

जारी

विवरण 10 (जारी)

30 जून 1981 तक लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनाएं

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कुपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1980–81 के दौरान	30 जून 1981 तक
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (जारी)							
मणिपुर	3	लसि	1	4	3	1	1
मेघालय	2	मुपा	2	5	5	—	—
	3	बान/बानी	2	11	10	—	—
			4	16	15	—	—
नागालैण्ड	3	बान/बानी	3	40	36	—	—
त्रिपुरा	2	लसि	2	17	15	—	4
		अन्य	1	9	8	1	4
			3	26	23	1	8
			23	314	282	16	45
3. पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	2	लसि	3	72	67	—	24
		कुम	1	5	5	—	5
		मुपा	1	1	1	—	—
		डेवि	6	34	31	—	9
			11	112	104	—	38
उड़ीसा	1	लसि	3	246	221	18	122
		भूवि	1	2	2	—	1
		बान/बानी	2	99	89	20	42
		अन्य	17	124	112	72	81
	2	लसि	7	557	506	77	222
		भूवि	1	16	14	—	5
		मुपा/भेपा/सूपा	7	36	33	9	15
		डेवि	62	262	237	77	144
		अन्य	2	5	4	—	—
	3	भेपा	7	12	10	3	3
		सूपा	1	3	2	—	—
		डेवि	11	90	81	1	1
		अन्य	7	24	21	—	—
			128	1476	1332	288	636
पश्चिम बंगाल	1	लसि	7	136	127	—	102
		बान/बानी	1	9	9	—	—
	2	लसि	6	67	62	—	68
		डेवि	2	15	15	—	7
			16	227	213	—	177
			155	1815	1649	288	851

जारी

विवरण 10 (जारी)

30 जून 1981 तक लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनाएं

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1980-81 के दौरान	30 जून 1981 तक
4. मध्यवर्ती क्षेत्र							
मध्य प्रदेश	1	लसि	13	507	479	—	355
		अन्य	11	44	39	—	—
	2	लसि	4	26	23	—	11
		डेवि	7	33	29	—	--
		अन्य	2	3	2	—	—
			37	613	572	—	366
उत्तर प्रदेश	1	लसि	8	931	911	—	557
		भूवि	3	21	19	—	—
		डेवि	7	51	46	—	—
	2	लसि	4	51	47	—	23
		भेपा	2	5	5	—	—
		डेवि	21	132	121	—	21
		अन्य	1	256	24	—	—
			46	1217	1173	—	601
			83	1830	1745	—	967
5. पश्चिम क्षेत्र							
गोवा	2	लसि	1	13	12	—	7
		मुपा	1	2	1	—	—
		डेवि	5	9	8	1	4
			7	24	21	1	11
गुजरात	1	लसि	1	4	3	—	—
		डेवि	2	10	9	—	2
		अन्य	1	1	1	—	—
	2	लसि	9	41	36	—	10
		डेवि	23	152	134	37	121
		अन्य	2	5	4	—	—
			38	213	187	37	133
महाराष्ट्र	1	लसि	22	580	528	—	316
	2	लसि	13	126	114	4	34
		डेवि	32	223	198	7	72
		अन्य	1	7	6	2	2
			68	936	846	13	424
			113	1173	1054	51	568

जारी

विवरण 10 (जारी)

30 जून 1981 तक लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनाएं

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी कूट	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कुपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1980–81 के दौरान	30 जून 1981 तक
6. दक्षिणी क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	1	लसि	16	2163	1976	600	1756
		भूवि	4	124	111	—	12
		भेपा	10	119	101	23	77
		डेवि	5	59	54	8	46
		अन्य	1	1	1	—	—
	2	लसि	25	425	384	36	293
		भूवि	2	8	7	2	2
		बान/बानी	2	11	9	—	—
		मुपा	8	49	43	14	19
		भेपा	40	173	155	38	163
		मपा	1	1	1	—	3
		डेवि	46	312	280	31	148
	3	लसि	1	11	99	—	—
			161	3456	3131	752	2519
कर्नाटक	1	लसि	4	484	484	—	429
	2	लसि	3	74	71	—	—
		भेपा	1	4	3	—	—
		डेवि	1	2	2	—	—
			9	564	560	—	429
केरल	1	लसि	4	37	33	—	—
	2	मपा	1	1	1	—	1
		डेवि	7	21	21	1	8
			12	59	55	1	9
पांडिचेरी	2	डेवि	1	9	6	—	6
तमिलनाडु	1	लसि	6	208	194	—	102
		भेपा	1	2	2	—	1
		डेवि	5	12	11	—	3
		अन्य	5	35	31	—	27
	2	बान/बानी	4	69	59	4	5
		मुपा	6	35	32	13	18
		भेप	19	99	89	22	63
		डेवि	26	215	184	50	97
		अन्य	6	100	76	40	53
			78	775	678	129	369
			261	4863	4430	882	3332
	जोड़ (1 से 6)		882	13577	12437	1422	7341

विवरण 11

अंविसंघ/अंपुविबैंक परियोजनाएं—प्रत्येक

चालू परियोजना का संक्षिप्त विवरण

1. (क) तीसरी कृपुविनि ऋण परियोजना (947 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत— 10050 लाख डालर की अविसंघ सहायता—कृपुविनि के माध्यम से दी जाने वाली राशि 2500 लाख डालर।

(ग) परियोजना कार्यान्वयन के दौरान भारत सरकार, अंविसंघ और कृपुविनि की सहमति से लघु सिंचाई (भूमि विकास सहित) और अन्य विविध वर्गों में निवेश।

(घ) राज्य भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और राज्य सहकारी बैंक।

(ङ) दो वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1981।

(च) यह परियोजना जनवरी 1980 से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत 30 जून 1981 तक निगम द्वारा कुल मिलाकर 377 करोड़ रुपये वितरित किये गये जिससे 2190 लाख डालर के ऋण की पात्रता मिल गई। वितरण का चालू स्तर भी, कृपुविनि की समीक्षा के अंतर्गत सोची गई 335 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से भी ऊंचा हो गया।

2. (क) आन्ध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना (815 आइ एन)

(ख) परियोजना की लागत – 365 लाख डालर, अंविसंघ सहायता-175 लाख डालर—कृपुविनि के माध्यम से दी जाने वाली राशि 39 लाख डालर।

(ग) मशीनयुक्त और मशीनरहित, दोनों प्रकार की मछली पकड़ने वाली नावें खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना ताकि विशाखपट्टणम्, काकीनाड़ा और निजामपट्टनम स्थित मछली पकड़ने के तीन महत्वपूर्ण बंदरगाहों में सुधार लाकर, आन्ध्र प्रदेश में समुद्री मत्स्यपालन उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। पहुंच सड़कों का निर्माण कर, इस परियोजना के अन्तर्गत, छोटे मछुआरों की उत्पादकता में भी सुधार लाया जाएगा।

(घ) आन्ध्रप्रदेश राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख-30 सितम्बर 1984।

(च) परियोजना की प्रगति काफी धीमी रही इसका कारण लागत में हुई बढ़ोतरी है। कृपुविनि का क्षेत्रीय कार्यालय आंकड़ों को अद्यतन बनाएगा ताकि परिचालनात्मक लागत में वृद्धि को देखते हुए मशीनयुक्त नावों की व्यवहार्यता का निर्धारण किया जा सके।

3. (क) आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास संमिश्र परियोजना

(1251 आइ एन)

(ख) परियोजना की लागत—2970 लाख डालर—अंपुविबैंक सहायता—1450 लाख डालर—कृपुविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 91 लाख डालर।

(ग) इस परियोजना में नागार्जुनसागर परियोजना (ना. सा. प.) के अन्तर्गत, गांवों में सड़कें बनाने और नहरों और नालों का जाल बिछाने से सम्बन्धित कार्य पूरा करने और नासाप, पोचमपड़ और तुंगभद्रा उच्च-स्तरीय नहर कमाण्ड क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास का कार्य प्रारम्भ करना शामिल है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय कृषि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1982

(च) कमाण्ड क्षेत्र विकास अधिकारियों को अनिच्छुक किसानों की भूमि का अनिवार्य रूप से विकास करने का अधिकार देने संबंधी विधेयक अभी राज्य विधानसभा में पेश किया जाना है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की गारंटी के समक्ष ऋण उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्याभूति विलेख में संशोधन कर लिया है और इसकी जांच कृपुविनि के विधिपरामर्शदाता द्वारा की जा रही है।

4. (क) गुजरात मत्स्यपालन परियोजना (695 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत—380 लाख डालर—अंविसंघ सहायता—180 लाख डालर—कृपुविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 47 लाख डालर।

(ग) गुजरात में मत्स्यपालन का एकीकृत विकास, वेरावल और मंगलूर में मछली पकड़ने के बंदरगाहों का विकास, तटीय सुविधाओं में सुधार, मछली अभिसंस्करण इकाइयों, बर्फ-संयंत्र तथा पारंपरिक मछुओं को छोटी नाव (डोंगी) और आउट-बोर्ड-मोटर-नौकाएं खरीदने के लिए ऋण।

(क) परियोजना शीर्षक (ख) परियोजना लागत—अंविसंघ सहायता (ग) निवेश कार्यक्रम (घ) वित्तपोषक बैंक (ङ) परियोजना की अवधि और समाप्ति की तारीख (च) परियोजना का दर्जा।

अब तक जो परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं:

(1) पहली कृपुविनि ऋण परियोजना (540 आइ०एन०). (2) दूसरी कृपुविनि ऋण परियोजना (715) आइ०एन०), (3) आन्ध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (226 आइ०एन०), (4) बिहार कृषि ऋण परियोजना (440 आइ०एन०), (5) बिहार बाजार केन्द्र परियोजना (294 आइ०एन०), (7) गुजरात कृषि ऋण परियोजना (191 आइ०एन०), (7) हरियाणा कृषि ऋण परियोजना (249 आइ०एन०), (8) कर्नाटक कृषि परियोजना (278 आइ०एन०), (9) मध्य प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (391 आइ०एन०), (10) महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना (293 आइ०एन०), (11) पंजाब कृषि ऋण परियोजना (203. आइ०एन०), (12) तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना (250 आइ० एन०), (13) तराईबीज परियोजना—उत्तर प्रदेश (614 आइ०एन०) और (14) उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (392 आइ० एन०).

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) वर्ष–समाप्ति की तारीख–30 जून 1983।

(च) गुजरात मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत जून 1981 के अंत तक कृपुविनि ने 21 करोड़ रुपये वितरित किये जबकि समीक्षा के समय 5.9 करोड़ रुपये का अंदाजा लगाया गया था। मछली पकड़ने की मशीनीकृत नावों का भौतिक कार्यक्रम कम कर दिया गया है। संशोधित बैंकिंग प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है।

5. (क) हरियाणा सिंचाई परियोजना (843 आइ एन.)।

(ख) परियोजना की लागत–2219 लाख डालर–अंविसंघ की सहायता–1110 लाख डालर–कृपुविनि के माध्यम से दी जाने वाली राशि 414 लाख डालर।

(ग) नहरों, जलमार्गों का आधुनिकीकरण, अधिक संख्या में नलकूपों आदि का निर्माण।

(घ) हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक, हरियाणा राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 5 वर्ष–समाप्ति की तारीख–अगस्त 1983।

(च) परियोजना के अन्तर्गत जून 1981 के अंत तक कृपुविनि का वितरण 18.2 करोड़ रुपये का था।

6. (क) हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना (456 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत–204 लाख डालर–अंविसंघ सहायता–130 लाख डालर–कृपुविनि के माध्यम से दी जाने वाली राशि 54 लाख डालर।

(ग) हिमाचल प्रदेश में सेब अभिसंस्करण और विपणन में सुधार।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष–समाप्ति की तारीख–31 दिसम्बर 1981।

(च) परियोजना की समाप्ति अवधि एक वर्ष बढ़ाकर 31 दिसम्बर 1981 तक कर दी गई। भौतिक कार्यों की प्रगति संतोषजनक है और परियोजना दिसम्बर 1981 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

7. (क) अंतर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना (963 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत–408 लाख डालर–अंविसंघ सहायता–200 लाख डालर–कृपुविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 93 लाख डालर।

(ग) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मत्स्यबीज हैचरी के लिए जगह बनाना और गहन मछलीपालन के लिए तालाबों को सुधारना।

(घ) वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक।

(ङ) 5 वर्ष–समाप्ति की तारीख–30 सितम्बर 1985।

(च) मछली पालने की तालाब परियोजना के अन्तर्गत 30 जून 1981 तक कृपुविनि के वायदों की राशि 1.7 करोड़ रुपये रही। विभिन्न कारणों से हैचरी स्थापित करने के लिए जगह चुनने में देरी हुई है।

8. (क) एकीकृत रूई विकास परियोजना (610 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत–360 लाख डालर–अंविसंघ की सहायता–180 लाख डालर–कृपुविनि के माध्यम से दी जाने वाली राशि 129 लाख डालर।

(ग) इसमें रूई की विभिन्न उन्नत किस्मों को उगाने के लिए मौसमी ऋणों तथा रूई की ओटाई के कारखानों एवं बिनौला अभिसंस्करण इकाइयों के लिए मीयादी ऋणों का प्रावधान करना जिसमें हरियाणा, पंजाब तथा महाराष्ट्र के परियोजना क्षेत्रों में इनका आधुनिकीकरण भी शामिल है।

(घ) राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 5 वर्ष–समाप्ति की तारीख–21 दिसम्बर 1981।

(च) जून 1981 के अंत तक एकीकृत रूई विकास परियोजना के अन्तर्गत रूई विकास के लिये परियोजना क्षेत्र में फसल ऋण के संबंध में भारत सरकार से 38 लाख रुपयों का संचयी आहरण किया गया। रूई की ओटाई एवं बिनौला अभिसंस्करण करने वाली इकाइयों की स्थापना संबंधी प्रगति संतोषजनक है। परियोजना समाप्ति की तारीख कम से कम 2 वर्ष और बढ़नी चाहिए।

9. (क) जम्मू और कश्मीर बागबानी परियोजना (806 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत–276 लाख डालर–अंविसंघ सहायता – 140 लाख डालर – कृपुविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 96 लाख डालर।

(ग) कृपुविनि सेबों का श्रेणीकरण और पैकिंग करनेवाले 25 केन्द्रों, 10 शीतगृहों, एक लदान केन्द्र का निर्माण करने और सेब, अखरोट एवं कुकुरमुत्ते (मशरूम) के उत्पादकों की सहायतार्थ लगभग 2 करोड़ रुपये के मौसमी ऋण देने में लगा हुआ है।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक और राज्य सहकारी बैंक।

(ङ) 5 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 31 दिसम्बर 1983।

(च) जून 1981 तक परियोजना के अन्तर्गत कृपुविनि द्वारा 25 लाख रुपये वितरित किये गये। परियोजना की धीमी प्रगति का कारण है – कुछ प्राथमिक कार्यों का पूरा न होना तथा सिमेंट जैसी दुर्लभ वस्तुओं की कमी।

10. (क) कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना (378 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 120 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता 80 लाख डालर – कृपुविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 79 लाख डालर।

(ग) सिविल कार्य, उपयोगी उपकरण आदि विपणन सुविधाएं।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 31 दिसम्बर 1979 से जून 1981 तक बढ़ा दी गई।

(च) जून 1981 के अन्त तक इस परियोजना के अंतर्गत कुल 6.5 करोड़ रुपये वितरित किए गए जो आबंटित ऋण को समाविष्ट करने के लिए पर्याप्त

थे। 34 बाजार केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष बाजार केन्द्रों के अक्तूबर 1981 तक पूर्ण होने की संभावना है।

11. (क) कर्नाटक डेरी विकास परियोजना (482 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 637 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता – 300 लाख डालर – कृपूविनि के माध्यम से दी जाने वाली राशि मूल रूप से 209 लाख डालर और परिशोधित 61 लाख डालर।

(ग) कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संकरण के माध्यम से अच्छी नस्ल के पशु पैदा करने तथा पशुओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाकर, दूध के उत्पादन को बढ़ाने तथा उसके विपणन के लिए एकीकृत कार्यक्रम।

(घ) कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 8 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 30 सितम्बर 1981।

(च) इस परियोजना के अन्तर्गत खेत विकास के लिए 61 लाख डालर का ऋण कृपूविनि के माध्यम से दिया जाना है। कर्नाटक डेरी विकास निगम ने भारत सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव पेश किया था कि उपलब्धि के वर्तमान स्तर पर खेत विकास के अन्तर्गत कार्यक्रम की समाप्ति करें। (कृपूविनि का वितरण 28 लाख रुपये)।

12. (क) कर्नाटक सिंचाई परियोजना (788 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 2844 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता – 1260 लाख डालर – कृपूविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 70 लाख डालर।

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत अलमट्टी तथा नारायणपुर बांधों तथा नारायणपुर के बायें किनारे की नहर और साथ ही उप-नहर के निर्माण तथा 4,25,000 हेक्टेयर कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा।

(घ) कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 31 मार्च 1984।

(च) कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने कृषकों से आवेदन पत्र लेना आरम्भ कर दिया है।

13. (क) कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना (1034 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 951 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता – 540 लाख डालर – कृपूविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 44 लाख डालर।

(ग) परियोजना का लक्ष्य है – रेशम उत्पादन में विकास और काटेज बेसिनों की स्थापना।

(घ कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 5 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 31 दिसम्बर 1985।

(च) बैंकों ने अब तक 16 लाख रुपये की पुनर्वित्त का आहरण किया है और चालू वर्ष में यह परियोजना पूरी हो जाने की संभावना है।

14. (क) केरल कृषि विकास परियोजना (680 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत 690 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता – 300 लाख डालर – कृपूविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 267 लाख डालर।

(ग) इस परियोजना में नारियल, काली मिर्च और काजू की फसलों का विकास करना तथा रबड़ फैक्टरी स्थापित करना आदि शामिल है। कृषक लघु सिंचाई के लिए ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(घ) केरल राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 7 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 31 मार्च 1985।

(च) अंविसंघ की सहमति से परियोजना जिलों के बाहर 17 पैकेज इकाइयां भी इनमें शामिल कर ली गई हैं। केरल सरकार के अध्ययन दल की सिफारिशों ने भी उनका ध्यान खींचा है। जून 1981 के अन्त तक परियोजना के अन्तर्गत कृपूविनि का वितरण कुल 6.0 करोड़ रुपये था।

15. (क) मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना (522 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत 312 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता – 154 लाख डालर – कृपूविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 137 लाख डालर।

(ग) डेरी संयंत्रों, पशुपालन फार्मों, चारे की मिलों आदि का निर्माण।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 7 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 30 जून 1982।

(च) इस परियोजना के अन्तर्गत भारतीय डेरी विकास निगम के माध्यम से ऋण वितरित किया जाना है।

16. (क) मध्य प्रदेश चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना (562 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 458 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता 240 लाख डालर – कृपूविनि के माध्यम से दी जाने वाली राशि 3 लाख डालर।

(ग) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में खेतों का विकास।

(घ) मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक तथा चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 4 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 30 जून 1980 तक बढ़ा दी गई है।

(च) परियोजना के अन्तर्गत खेत विकास कार्यक्रम को कम प्रतिक्रिया मिलने के मुख्य कारण हैं – कार्यवाही में देरी, चकबन्दी के सम्बन्ध में कृषकों का विरोध और सहमति एवं आवेदन प्रपत्रों को पूरा करने में कृषकों की अनिच्छा। खेती विकास कार्य के अन्तर्गत अंविसंघ ने अपनी ऋण सीमा 19 लाख डालर से घटा कर 3 लाख डालर कर दी है।

17. (क) महाराष्ट्र सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की संश्लिष्ट परियोजना (736 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 1400 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता 70 लाख डालर – कृपूविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 55 लाख डालर।

(ग) जायकवाड़ी और पूर्णा सिंचाई योजना क्षेत्रों में खेतों का विकास।

(घ) महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 31 मार्च 1983।

(च) 30 जून 1981 तक परियोजना के अन्तर्गत कृपूविनि द्वारा वितरित पुनर्वित्त की राशि 2 7 करोड़ रुपये थी। कार्य समाप्ति में निकास के आधार पर देरी होने के कारण भूमि विकास निगम स्वयं चुने हुए बकों के लिए अन्तरिमवित्त के आहरण में व्यस्त रहा।

18. (क) बहु-राज्यीय काजू परियोजना (1012 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 457 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता – 220 लाख डालर – कृपूविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 137 लाख डालर।

(ग) यह परियोजना आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्यों में काजू उत्पादन कार्यक्रमों के लिए पुनर्वित्त देने हेतु बनाई गई है।

(घ) राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 5 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 30 सितम्बर 1985।

(च) इस परियोजना के अन्तर्गत हाल ही में योजनाएं मंजूर की गई हैं। चालू वर्ष में वितरण में प्रगति की संभावना है।

19. (क) राष्ट्रीय बीज परियोजना – चरण ।। (1273 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 527 लाख डालर – अंपूवि बैंक की सहायता – 250 लाख डालर – कृपूविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 182 लाख डालर।

(ग) इस परियोजना का 4 राज्यों में राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के विकास का पहला चरण है।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 5 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 30 जून 1984।

(च) परियोजना की समाप्ति की तारीख बढ़ाकर 30 जून 1984 कर दी गई है। 30 जून 1981 के अन्त तक परियोजना के अन्तर्गत कृपूविनि की वितरित राशि 87 लाख रुपये थी।

20. (क) राष्ट्रीय बीज परियोजना – चरण ।। (816 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 348 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता – कृपूविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 145 लाख डालर।

(ग) राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के दूसरे चरण के अन्तर्गत पांच राज्य अर्थात् बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश आते हैं। इनमें अनाज, मूंगफली और सब्जियों के उत्तम किस्म के बीजों के उत्पादन पर मुख्यतः ध्यान दिया जाएगा। बीजों के उत्पादन में लगभग 115 लाख टन की वृद्धि होगी।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 31 दिसम्बर 1984।

(च) जून 1981 के अन्त तक परियोजना के अन्तर्गत कृपूविनि का वितरण 84 लाख रुपये था।

21. (क) उड़ीसा सिंचाई परियोजना (740 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 1160 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता – 580 लाख डालर – कृपूविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 24 लाख डालर।

(ग) हीराकुड, सानंदी और महानदी के कमाण्ड क्षेत्र में 5700 हेक्टेयर भूमि विकास की सिंचाई पद्धति।

(घ) राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 31 अक्तूबर 1983।

(च) लागत की वसूली के तरीके, आवश्यक कानूनी संशोधन आदि अनिर्णीत मामलों के बारे में उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पास उपयोग के लिए रखी हुई राशि में से खेतों में जल निकास नालियां बनाले।

22 (क) पंजाब सिंचाई परियोजना (889 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 2527 लाख डालर अंविसंघ की सहायता – 1290 लाख डालर – कृपूविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 460 लाख डालर।

(ग) जलनालियों का आधुनिकीकरण।

(घ) वाणिज्य बैंक।

(ङ) 5 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 30 जून 1985।

(च) जून 1981 के अन्त तक कृपूविनि ने इस परियोजना के अन्तर्गत 15 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

23 (क) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना – राजस्थान (1011 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत (कृपूविनि कार्यक्रम) – 120 लाख डालर – अंपूवि बैंक सहायता – कृपूविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 65 लाख डालर।

(ग) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में खेत विकास।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 7 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 30 जून 1982।

(च) परियोजना की समाप्ति की तारीख बढ़ाकर 30 जून 1982 कर दी गई है। 30 जून 1981 तक परियोजना के अन्तर्गत वितरित पुनर्वित्त की राशि 1 4 करोड़ रुपये थी।

24. (क) राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना (502 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 398 लाख डालर – अंविसंघ सहायता – कृपुविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 225 लाख डालर

(ग) राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र में खेत विकास।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 7 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 30 जून 1981।

(च) इस परियोजना के अन्तर्गत 664 चकों में कार्य पूरा हो चुका है जबकि शेष 887 चकों में हो रहा है। कृपुविनि से संस्थागत वित्तीय संस्थाओं ने 6.8 करोड़ रुपये की राशि आहरित की है।

25. (क) राजस्थान डेरी विकास परियोजना (521 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 518 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता – 277 लाख डालर – मूल आबंटन के अनुसार कृपुविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 223 लाख डालर।

(ग) डेरी सहकारी समितियां बनाना और डेरी संयंत्र स्थापित करना।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 7 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 31 दिसम्बर 1982।

(च) परियोजना के अधीन ऋण घटक भारतीय डेरी निगम के माध्यम से दिया जानेवाला है और कृपुविनि से पुनर्वित्त अपेक्षित नहीं है।

26. (क) पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना (541 आइ एन)।

(ख) परियोजना की लागत – 580 लाख डालर – अंविसंघ की सहायता – 340 लाख डालर – कृपुविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 221 लाख डालर।

(ग) उथले नलकूपों का निर्माण और नदी लिफ्ट सिंचाई इकाइयों और कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा बाजार विकास।

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 5 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 31 मार्च 1980 से मार्च 1981 तक बढ़ाई गई।

(च) पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना में कृपुविनि ने जून 1981 के अन्त तक 25.9 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। कृपुविनि के माध्यम से दिए जानेवाले ऋण को लेने के लिए यह पर्याप्त है परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

विवरण 12

30 जून 1981 को अंपुबि बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपये

परियोजना		शुरू होने/समाप्त होने की तारीख		प्रयोजन	कुल ऋण वितरण कार्यक्रम	कृपुविनि को अंपुबि बैंक/अंविसंघ से प्राप्त सहायता की राशि	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरण@	कृपुविनि द्वारा वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
क. अंपुबि बैंक की परियोजनाएं										
1. तराई बीज परियोजना (उत्तर प्रदेश)	(क)	12-9-69	भूवि	927	690	वा० बैंक	263	193	193
	(ख)	30-6-74							
	(ग)	31-12-77							
2. चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान)	(क)	12-12-74	भूवि	619	520	वा० बैंक	178	140	64
	(ख)	30-6-81							
	(ग) (राजस्थान)	30-6-82							
3. राष्ट्रीय बीज परियोजन (आन्ध्र प्रदेश हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र)	(क)	अक्तूबर 76	भूवि	2169	1634	वा० बैंक	97	87	27
	(ख)	30-6-81							
	(ग)	30-6-84							
4 आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की संमिश्र परियोजना,	(क)	8-9-76	भूवि	1241	819	राभूवि बैंक	328	246	187
	(ख)	31-12-82		60	45	वा० बैंक	36	24	
	जोड़ (क)			5016	8708		902	690	471

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1981 को अंपुवि बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपये

परियोजना		शुरू होने/ समाप्त होने की तारीख	प्रयोजन	कुल ऋण वितरण कार्यक्रम	कृपुविनि को अंपुवि बैंक/ अंविसंघ से प्राप्त सहायता की राशि	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/ प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरण@	कृपुविनि द्वारा वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि*
ख. अंविसंघ की परियोजनाएं									
I कृपुविनि ऋण परियोजना I.	(क)	5-8-75	लसि	11100	5520	राभूवि बैंक		9490	
						वा० बैंक	13816	2787	
	(ख)	31-12-77	अन्य प्रयोजन	900	400	रास० बैंक		18	
				12000	5920		13816	12295	2306
II कृपुविनि ऋण परियोजना II.	(ख)	31-12-79	लसि	28636	15750	राभूवि बैंक		19717	
			अन्य	3927	2260	वा० बैंक	36329	11177	
			प्रयोजन			रास० बैंक		360	
				32563	17910		36329	31254£	23064
III कृपुविनि ऋण परियोजना III	(क)	2-1-80	लसि	35638	17819	राभूवि बैंक			19450
	(ख)	31-12-81	अन्य प्रयोजन	7138	3569	वा० बैंक	42470	16121	13448
						रास० बैंक		566	
				42776	21388		42470	36137	1344
IV एकीकृत रूई विकास परियोजना	(क)	24-8-76	रूई के लिए अल्पावधि फसल ऋण	889	600	वा० बैंक	103	92	
	(ख)	31-12-81				रास० बैंक	525	472	
			रूई की ओटाई और बीज अभि-संस्करण मध्यावधि परिवर्तन	720	432	वा० बैंक	37	30$	470
						राब बैंक	224	179	
						रास० बैंक	93	79	
				1609	1032		982	852**	475
V कृषि साख योजनाएं									
1. आन्ध्र प्रदेश	(क)	10-5-71	लसि	2111	1393	राभूवि बैंक	2014	1776	
	(ख)	30-6-74	भूधि			वा० बैंक			
	(ग)	30-6-77					97	88	
				230	154	राभूवि बैंक	230	151	1920
			कृम	806	431	राभूवि बैंक	603	359	
						वा० बैंक	203	149	
				3147	1978		3147	2523	1920

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1981 को अंपुवि बैंक /अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपये

परियोजना		शुरू होने/ समाप्त होने की तारीख	प्रयोजन	कुल ऋण वितरण कार्यक्रम	कृपुविनि को अंपुवि बैंक/ अंविसंघ से ग्राह्य सहायता की राशि	एजेंसी	प्रापुवि बैंकों/ प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरण@	कृपुविनि द्वारा वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
2. बिहार	(क)	29 3-74	लसि	4473	2728	राभूवि बैंक	2267	2123	2609
	(ख)	31-12-77							
	(ग)	31-8-80				वा० बैंक	2391	2225	
				4473	2728		4658	4348	2609
3. गुजरात	(क)	14-9-70	लसि	4027	2344	राभूवि बैंक	4027	3635	2608
	(ख)	30-6-74							
	(ग)	31-3-75	कृम	351	182	राभूवि बैंक	319	233	
				4378	2526		4346	3868	2608
4. हरियाणा	(क)	2-11-71	लसि	1961	903	राभूवि बैंक	2841	1894	2140
	(ख)	31-3-75				वा० बैंक	76	64	
	(ग)	30-6-77	कृम	1433	1002	राभूवि बैंक	660	468	
						वा० बैंक	1060	792	
				3395	1905		4637	3218	2140
5. कर्नाटक	(क)	25-9-72	लसि और कुओं की खुदाई	3070	2057	राभूवि बैंक	3122	2795	3265
	(ख)	31-12-76				वा० बैंक	187	123	
	(ग)	30-6-77	भूवि भूमि उद्धार	525	315	राभूवि बैंक	256	185	
			उपकरण	105	105	वा० बैंक	4	3	
			कृम	1575	1008	राभूवि० बैंक	680	450	
						वा० बैंक	960	777	
				5275	3485		5209	4338	3565
6. केरल	(क)	29-6-77	वृक्ष फसलें रबड़ अभि-संस्करण और लसि	5060	2403	राभूवि बैंक	308	239	310
	(ख)	31-3-85				वा० बैंक	462	362	
				6060	2403		770	601	310
7. मध्य प्रदेश	(क)	10-10-73	लसि (भूवि सहित)	4003	2619	राभूवि बैंक	2930	2532	2854
	(ख)	31-12-76				वा० बैंक	2112	1866	
				4003	2619		5042	4398	2854

विवरण 12

30 जून 1981 को अंपुवि बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपये

परियोजना		शुरू होने/ समाप्त होने की तारीख	प्रयोजन	कुल ऋण वितरण कार्यक्रम	कृपुविनि को अंपुवि बैंक/ अंविसंघ से प्राप्त सहायता की राशि	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/ प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरण@	कृपुविनि द्वारा वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि*
8. महाराष्ट्र	(क)	31-1-73	लसि	3690	3136	राभूवि बैंक	3475	3140	
	(ख)	31-12-75				वा० बैंक	187	178	
	(ग)	30-6-76	भूवि	226	192	राभूवि बैंक	226	170	2558
			कृम	211	148	राभूवि बैंक	190	143	
				4127	3476		4078	3631	2558
9. पंजाब	(क)	4-9-70	कृम	4000	2380	राभूवि बैंक	1000	750	
	(ख)	31-12-73							2180
	(ग)	30-6-77				वा० बैंक	2228	1684	
				4000	2380		3228	2434	2180
10. तमिलनाडु	(क)	2-11-71	लसि	3001	1861	राभूवि बैंक	3001	2781	
	(ख)	31-12-74	भूवि	88	61	राभूवि बैंक	88	66	
	(ग)	31-12-77	कृम	780	492	राभूवि बैंक	834	625	
						वा० बैंक	29	22	2526
			मिट्टी हटाने की मशीन	243	243	वा० बैंक	46	35	
				4112	2657		3998	3529	2526
11. उत्तर प्रदेश	(क)	31-10-73	लसि	5516	3420	राभूवि बैंक	4277	3849	
	(ख)	31-12-76				वा० बैंक	1492	1152	3406
	(ग)	31-12-77							
				5516	3420		5769	5001	3406
12. पश्चिम बंगाल	(क)	28-8-75	लसि	2696	1483	राभूवि बैंक	1236	1113	
	(ख)	31-3-80				वा० बैंक	1559	1418	1172
	(ग)	31-3-81	कृम	145	80	वा० बैंक	12	10	
			भं/वा	87	48	वा० बैंक	52	47	
				2928	1611		2859	2586	1172
जोड़-V (1 से 12)				50414	31188		47741	40475	27548

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1981 को अंपुवि बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपये

परियोजना		शुरू होने/ समाप्त होने की तारीख	प्रयोजन	कुल ऋण वितरण कार्यक्रम	कृपुविनि को अंपुवि बैंक/ अंविसंघ से प्राप्त सहायता की राशि	एजेंसी	प्राभुवि बैंकों/ प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरण@	कृपुविनि द्वारा वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
अन्य परियोजनाएं									
1. बिहार बाजार केन्द्र परियोजना	(क)	31-7-72		1491	1002	वा० बैंक	1753	1577	1166
	(ख)	30-6-78							
	(ग)	31-12-79							
2 चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना	(क)	18-9-75		246	156	राभुवि बैंक	—	—	
	(ख)	31-12-79				वा० बैंक	—	—	—
(मध्य प्रदेश)	(ग)	30-6-81							
3. हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना	(क)	26-9-74		608	488	वा० बैंक	386	349	—
	(ख)	31-12-78							
	(ग)	31-12-81							
4. कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना	(क)	7-9-73		891	713	वा० बैंक	818	654	568
	(ख)	31-12-79							
	(ग)	30-6-81							
5. कर्नाटक डेरी विकास परियोजना	(क)	23-12-74		542	488	राभुवि बैंक		10	
	(ख)	30-9-82				वा० बैंक	31	18	—
						रास बैंक		—	
6. मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना	(क)	23-7-75		1389	1091	वा० बैंक	—	—	—
	(ख)	30-6-82							
7. पंजाब सिंचाई परियोजना	(क)	जून 1979		6691	3680	वा० बैंक	1810	1495	491
	(ख)	30-6-85							
8. राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना	(क)	12-12-74		5395	1800	वा० बैंक	855	678	468
	(ख)	30-6-81							
9. राजस्थान डेरी विकास परियोजना	(क)	8-8-75		2175	1784	वा० बैंक	—	—	—
	(ख)	31-12-82							
10. गुजरात मत्स्य-पालन परियोजना	(क)	19-7-77		810	423	वा० बैंक	260	208	94
	(ख)	30-6-83							
11. महाराष्ट्र सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास संमिश्र परियोजना	(क)	अप्रैल, 1977		825	495	राभुवि बैंक	—	—	74
	(ख)	31-3-83				वा० बैंक	369	272	
12. उड़ीसा सिंचाई परियोजना	(क)	नवम्बर, 1977		393	216	वा० बैंक	—	—	—
	(ख)	31-10-83							
13. कर्नाटक सिंचाई परियोजना	(क)	अप्रैल, 1978		1082	595	राभुवि बैंक	—	—	—
	(ख)	31-3-84				वा० बैंक	—	—	

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1981 को अंपुवि बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपये

परियोजना		शुरू होने/ समाप्त होने की तारीख	प्रयोजन	कुल ऋण वितरण कार्यक्रम	कृपुविनि को अंपुवि बैंक/ अंविसंघ से प्राप्य सहायता की राशि	एजंसी	प्राभूवि बैंकों/ प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरण@	कृपुविनि द्वारा वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
14. जम्मू और कश्मीर बागवानी परियोजना	(क)	जनवरी 79		822	768	वा० बैंक	28	25	—
	(ख)	31-12-83				रास बैंक	—	—	
15. राष्ट्रीय बीज परियोजना II	(क)	जनवरी, 79		2003	1267	वा० बैंक	94	84	—
	(ख)	31-12-84							
16 आन्ध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना	(क)	अक्तूबर, 79		609	335	वा० बैंक	75	37	24
	(ख)	30-9-84				रास बैंक		23	
17. हरियाणा सिंचाई परियोजना	(क)	दिसम्बर, 78		6473	3560	राभूवि बैंक	—	—	703
	(ख)	31-8-83				वा० बैंक	2247	1797	
						रास बैंक	31	25	
18. अन्तर्वेशीय मत्स्यपालन (बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश)	(क)	5-5-80		1449	797	राभूवि बैंक	—	—	—
	(ख)	30-9-85				वा० बैंक	1	1	
19 बहु-राज्यीय काजू परियोजना	(क)	3-9-80		3836	1180	राभूवि बैंक	6	5	—
	(ख)	30-9-85				वा० बैंक	34	27	
20. कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना	(क)	18-12-80		590	352	राभूवि बैंक	—	—	—
	(ख)	31-12-85				वा० बैंक	20	16	
		जोड़ (1 से 20)		35320	21190		8818	7301	3606
		जोड़ ख		174682	98628		150156	127750†	68141
		कुल जोड़ (क—ख)		179698	102336		151058	128440†	68612

@अद्यतन उपलब्ध आंकड़े

†एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना (अ० अ०) शामिल नहीं है।

ध्यान दीजिए : शुरू होने/समाप्त होने की तारीख।

(क) शुरू होने की तारीख
(ख) समाप्त होने की तारीख
(ग) परिशोधित समाप्ति दिनांक

£इसमें कृपुविनि III में अन्तरित राशि भी शामिल है।

$दीर्घावधि।

*इसमें अन्य दाताओं से संबंधित भारत सरकार से प्राप्त राशि शामिल नहीं है।

**इसमें पिछले वर्षों के एकमुश्त वितरण (अ अ) शामिल नहीं है।

††इसमें कृपुविनि II अन्तरित राशि शामिल नहीं है।

विवरण 13

1980–81 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किए गये डिबेंचरो/ऋण की कुल राशि	कृपुविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
I. उत्तरी क्षेत्र					
दिल्ली	बा० बैंक	कृषि मशीनीकरण	14	12	2
		मुर्गीपालन	2	1	1
		डेरी विकास	5	4	1
			21	17	4
हरियाणा	राभूबि बैंक	लघु सिंचाई	997	897	100
		भूमि विकास	15	11	4
		कृषि मशीनीकरण	928	696	232
		बागान/बागबानी	7	6	1
		डेरी विकास	100	75	25
		अन्य	6	5	1
			2053	1690	363
	बा० बैंक	लघु सिंचाई	1411	1131	280
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	136	68	68
		भूमि विकास	38	34	4
		कृषि मशीनीकरण	1512	1134	378
		मुर्गीपालन	5	4	1
		डेरी विकास	28	22	6
		भंडार और बाजार केन्द्र	379	303	76
		अन्य	13	12	1
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3	3	—
		एकीकृत रूई विकास परियोजना (अ० अ०)	45	40	5
			3570	2751	819
	रास बैंक	भंडार और बाजार केन्द्र	12	10	2
		एकीकृत रूई विकास परियोजना (दी० अ०)	84	76	8
		एकीकृत रूई विकास परियोजना (अ० अ०)	452	407	45
			548	493	55
			6171	4934	1237

जारी

विवरण 13 (जारी)

1980–81 के दौरान राज्य, एजेसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेसी	प्रयोजन	जारी किए गये डिबेंचरो/ऋण की कुल राशि	कृपुविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
हिमाचल प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	1	1	—
		बागान/बागबानी	6	4	2
		डेरी विकास	2	1	1
			9	6	3
	वा० बैंक	कृषि मशीनीकरण	9	7	2
		बागान/बागबानी	164	147	17
		मुर्गीपालन	15	12	3
		डेरी विकास	14	10	4
		अन्य	2	2	—
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	11	10	1
			215	188	27
			224	194	30
जम्मू और काश्मीर	राभूवि बैंक	कृषि मशीनीकरण	32	24	8
		अन्य	4	3	1
			36	27	9
	वा० बैंक	कृषि मशीनीकरण	7	6	1
		बागान/बागबानी	28	25	3
		डेरी विकास	2	1	1
			37	32	5
			73	59	14
पंजाब	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	294	241	53
		भूमि विकास	95	81	14
		कृषि मशीनीकरण	1647	1235	412
		मुर्गी पालन	81	61	20
		डेरी विकास	101	76	25
		अन्य	7	5	2
			2225	1699	526

जारी

विवरण 13 (जारी)

1980–81 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किए गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृपुविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
पंजाब (जारी)	वा० बैंक	लघु सिंचाई	1416	1186	230
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	256	128	128
		भूमि विकास	54	46	8
		कृषि मशीनीकरण	4109	3092	1017
		कृषि सेवा केन्द्र	22	18	4
		मुर्गीपालन	21	17	4
		डेरी विकास	37	31	6
		भंडार और बाजार केन्द्र	527	421	106
		अन्य	1	1	—
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम]	24	20	4
		एकीकृत रूई विकास परियोजना (अ० अ०)	31	28	3
			6498	4988	1510
	रास बैंक	एकीकृत रूई विकास परियोजना (अ० अ०)	72	65	7
			8795	6752	2043
राजस्थान	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	610	548	62
		भूमि विकास	3	1	2
		कृषि मशीनीकरण	164	132	32
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	11	10	1
			788	691	97
	वा० बैंक	लघु सिंचाई	287	260	27
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	368	184	184
		भूमि विकास	4	3	1
		कमाण्ड क्षेत्र विकास	145	132	13
		कृषि मशीनीकरण	380	284	96
		भेड़ पालन	85	75	10
		डेरी विकास	34	31	3
		भंडार और बाजार केन्द्र	188	152	36
		संयुक्त प्रयोजन	7	6	1
		अन्य	18	14	4
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2	2	—
			1518	1143	375

जारी

विवरण 13 (जारी)

1980–81 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किए गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृपुविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
राजस्थान (जारी)	रास बैंक	संयुक्त प्रयोजन	63	56	7
			2369	1890	479
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
असम	वा० बैंक	लघु सिंचाई	20	18	2
		बागान/बागबानी	594	535	59
		अन्य	41	37	4
			655	590	65
	रास बैंक	बागान/बागबानी	21	19	2
			676	609	67
मणिपुर	वा० बैंक	कृषि मशीनीकरण	3	2	1
	रास बैंक	लघु सिंचाई	1	1	—
		कृषि मशीनीकरण	5	4	1
		अन्य	3	2	1
			9	7	2
			12	9	3
मेघालय	वा० बैंक	डेरी विकास	1	1	—
मिजोरम	वा० बैंक	डेरी विकास	5	4	1
त्रिपुरा	वा० बैंक	कृषि मशीनीकरण	1	1	—
		बागान/बागबानी	5	4	1
		मत्स्यपालन	1	1	—
		अन्य	1	1	—
			8	7	1
III. पूर्वी क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	वा० बैंक	बागान/बागबानी	1	1	—

जारी

विवरण 13 (जारी)

1980–81 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किए गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृषुविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
बिहार	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	917	826	91
		कृषि मशीनीकरण	10	9	1
			927	835	92
	वा० बैंक	लघु सिंचाई	1062	956	106
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	122	61	61
		भूमि विकास	58	51	7
		कृषि मशीनीकरण	439	394	45
		डेरी विकास	38	35	3
		भंडार और बाजार केन्द्र	81	73	8
		गोबर गैस संयंत्र	2	2	—
		भेड़ पालन	4	3	1
		अन्य	3	2	1
		संयुक्त प्रयोजन	1	1	—
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	37	33	4
			1847	1611	236
			2774	2446	328
उड़ीसा	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	418	376	42
		भूमि विकास	4	4	1
		कृषि मशीनीकरण	16	12	4
		बाग़ान/बागबानी	129	91	38
		मत्स्यपालन	171	154	17
		अन्य	86	77	9
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	30	26	4
			855	740	115
	वा० बैंक	लघु सिंचाई	645	581	64
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	196	98	98
		भूमि विकास	35	32	3
		कृषि मशीनीकरण	18	16	2
		मुर्गीपालन	2	1	1
		भेड़ पालन	9	8	1
		मत्स्यपालन	73	66	7
		डेरी विकास	86	78	8
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	130	116	14
			1194	996	198

जारी

विवरण 13 (जारी)

1980–81 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किए गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृपुविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
उड़ीसा (जारी)	रास बैंक	लघु सिंचाई	253	228	25
		भेड़ पालन	4	3	1
		डेरी विकास	1	1	—
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	13	11	2
			271	243	28
			2320	1979	341
पश्चिम बंगाल	राभूविबैंक	लघु सिंचाई	167	151	16
		कृषि मशीनीकरण	23	21	2
		बागान/बागवानी	42	38	4
		मत्स्यपालन	36	33	3
		अन्तरिम वित्त	—	100	—
			268	343	25
	वा० बैंक	लघु सिंचाई/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	397	358	39
		कृषि मशीनीकरण	15	14	1
		बागान/बागवानी	198	178	20
		मुर्गीपालन	25	23	2
		मत्स्यपालन	10	9	1
		भंडार और बाजार केन्द्र	74	59	15
			719	641	78
			987	984	103
मध्यवर्ती क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	1200	1080	120
		भूमि विकास	10	7	3
		कृषि मशीनीकरण	6	5	1
			1216	1092	124

विवरण 13 (जारी)

1980–81 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किए गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृषिविति द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारो/बैंकों का अंशदान
मध्य प्रदेश (जारी)	वा० बैंक	लघु सिंचाई	2049	1845	204
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	534	267	267
		कमाण्ड क्षेत्र विकास	184	138	46
		कृषि मशीनीकरण	360	228	132
		डेरी विकास	1	1	—
		मुर्गीपालन	11	9	2
		भंडार और बाजार केन्द्र	185	148	37
		वन उद्योग	91	73	18
			3415	2709	706
			4631	3801	830
उत्तर प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	3387	3048	339
		बागान/बागवानी	12	9	3
		अन्य	79	60	19
		अन्तरिम वित्त	—	700	—
			3478	3817	361
	वा० बैंक	लघु सिंचाई	962	867	95
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	1058	529	529
		कृषि मशीनीकरण	2276	1650	626
		कृषि सेवा केन्द्र	52	38	14
		डेरी विकास	127	97	30
		मुर्गीपालन	21	16	5
		भेड़ पालन	2	1	1
		मत्स्यपालन	3	2	1
		भडार और बाजार केन्द्र	233	195	38
		गोबर गैस संयंत्र	3	2	1
		अन्य	15	10	5
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	38	25	13
			4790	3432	1358
			8268	7249	1719
V. पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	वा० बैंक	डेरी विकास	2	1	1
		मुर्गीपालन	7	6	1
		मत्स्यपालन	110	83	27
		अन्य	25	20	5
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	28	23	5
			172	133	39

विवरण 13 (जारी)

1980–81 के दौरान राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किए गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृषुविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
गुजरात	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	61	55	6
		डेरी विकास	16	12	4
			77	67	10
	वा० बैंक	लघु सिंचाई	1345	1210	135
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	370	185	185
		कृषि मशीनीकरण	340	255	85
		कृषि सेवा केन्द्र	5	4	1
		डेरी विकास	137	109	28
		मुर्गीपालन	5	4	1
		भेड़ पालन	1	1	—
		मत्स्यपालन	196	156	40
		गोबरगैस संयंत्र	17	13	4
		अन्य	1	1	—
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	52	35	17
			2469	1973	496
			2546	2040	506
महाराष्ट्र	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	3626	3264	362
		बागान/बागवानी	80	60	20
		डेरी विकास	78	59	19
			3784	3383	401
	वा० बैंक	लघु सिंचाई	323	291	32
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	474	237	237
		कमाण्ड क्षेत्र विकास	606	506	100
		कृषि मशीनीकरण	400	299	101
		बागान/बागवानी	29	23	6
		मुर्गीपालन	149	119	30
		भेड़ पालन	5	4	1
		मत्स्यपालन	71	57	14
		डेरी विकास	73	58	15
		भंडार और बाजार केन्द्र	121	96	25
		गोबर गैस संयंत्र	23	17	6
		अन्य	21	15	6
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43	38	5
		एकीकृत रूई विकास परियोजना (दी० अं०)	5	4	1
		एकीकृत रूई विकास परियोजना (अ० अ०)	27	24	3
			2370	1788	582
			6154	5171	983

विवरण 13 (जारी)

1980-81 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किए गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृपुविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
VI. दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	3885	3496	389
		भूमि विकास	44	40	4
		कमाण्ड क्षेत्र विकास	80	70	10
		कृषि मशीनीकरण	880	647	233
		बागान/बागवानी	43	32	11
		डेरी विकास	273	195	78
		मुर्गीपालन	103	90	13
		भेड़पालन	295	224	71
		मत्स्यपालन	28	21	7
		अन्य	186	139	47
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	86	77	9
			5903	5031	872
	वा० बैंक	लघु सिंचाई	370	332	38
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	666	333	333
		भूमि विकास	39	36	3
		कमाण्ड क्षेत्र विकास	3	2	1
		कृषि मशीनीकरण	240	180	60
		बागान/बागवानी	153	123	30
		मुर्गीपालन	470	399	71
		भेड़पालन	210	170	40
		मत्स्यपालन	90	72	18
		डेरी विकास	90	72	18
		वन उद्योग	44	35	9
		अन्य	30	23	7
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	296	266	30
			2701	2043	658
	रास बैंक	मुर्गीपालन	4	3	1
		मत्स्यपालन	45	36	9
			49	39	10
			8653	7113	1540
कर्नाटक	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	443	390	53
		कृषि मशीनीकरण	295	222	73
		बागान/बागवानी	181	134	47
		भेड़पालन	16	14	2
		डेरी विकास	11	10	1
		अन्य	42	38	4
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	42	38	4
			1030	846	184

विवरण (13 (जारी) लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृपुविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अंशदान
कर्नाटक (जारी)	वा० बैंक	लघु सिंचाई	116	107	9
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	150	75	75
		कृषि मशीनीकरण	148	119	29
		बागान/बागवानी	155	124	31
		मुर्गीपालन	49	40	9
		भेड़ पालन	16	13	3
		मत्स्यपलन	226	178	48
		डेरी विकास	49	38	11
		भंडार और बाजार केन्द्र	134	103	31
		गोबर गैस संयंत्र	22	18	4
		वन उद्योग	14	11	3
		अन्य	6	5	1
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	110	99	11
			1195	930	265
			2225	1776	449
केरल	राभूबि बैंक	लघु सिंचाई	406	366	40
		बागान/बागवानी	384	287	97
		मत्स्यपालन	5	4	1
		डेरी विकास	13	10	3
		अन्तरिम वित्त	–	100	–
			808	767	141
	व.० बैंक	लघु सिंचाई	57	49	8
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	20	10	10
		भूमि विकास	106	96	10
		कृषि मशीनीकरण	1	1	–
		बागान/बागवानी	557	418	139
		मत्स्यपालन	71	53	18
		डेरी विकास	28	20	8
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2	2	–
			842	649	193
			1650	1416	334

विवरण 13 (जारी)

1980-81 के दौरान राज्य एजंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशी

लाख रुपये

संघ/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किए गये डिबेंचरों ऋण की कुल राशि	कृपविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/ वितरण ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंशदान
VI. दक्षिणी क्षेत्र—जारी					
पांडिचेरी	राभूवि बैंक	बागान/बागवानी	1	1	–
	वा० बैंक	डेरी विकास	2	1	1
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1	1	–
			3	2	1
			4	3	1
तमिलनाडु	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	63	57	6
		बागान/बगवानी	72	55	17
		भेड़पालन	3	2	1
		डेरी विकास	8	6	2
		गोबर गैस संयंत्र	2	1	1
		अन्य	1	1	–
		अन्तरिम वित्त	–	3	–
			149	125	27
	वा० बैंक	लघु सिंचाई	6	5	1
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	212	106	106
		कृषि मशीनीकरण	280	231	49
		बागान/बागबानी	77	63	14
		मुर्गीपालन	101	86	15
		भेड़पालन	32	28	4
		मत्स्यपालन	47	39	8
		डेरी विकास	88	79	9
		गोबर गैस संयंत्र	1	1	–
		अन्य	45	41	4
		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	535	487	48
			1424	1166	258
			1573	1296	285
		जोड़ (I से VI)	60313	49879 $	11337

$ इसमें अ० अ० वित्त शामिल है।

विवरण 14

30 जून 1981 को शेयरधारियों की सूची

1. भारतीय रिजर्व बैंक
2. राज्य भूमि विकास बैंक (19)
   1. आन्ध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक लिमिटेड।
   2. असम सहकारी मध्यवर्ती भूमि बंधक बैंक लिमिटेड।
   3. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति।
   4. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
   5. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड।
   6. हिमाचल प्रदेश मध्यवर्ती सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड।
   7. जम्मू और कश्मीर सहकारी मध्यवर्ती भूमि बंधक बैंक लिमिटेड।
   8. कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड।
   9. केरल सहकारी मध्यवर्ती भूमि बंधक बैंक लिमिटेड।
   10. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति।
   11. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड।
   12. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
   13. पांडिचेरी सहकारी मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक लिमिटेड।
   14. पंजाब राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड।
   15. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड।
   16. तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड।
   17. त्रिपुरा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड।
   18. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड।
   19. पश्चिम बंगाल मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक लिमिटेड।

3. राज्य सहकारी बैंक (25)
   1. अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   2. आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   3. असम सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड।
   4. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   5. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   6. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   7. गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   8. हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   9. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   10. जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   11. कर्नाटक राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड।
   12. केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   13. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   14. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   15. मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   16. मेघालय सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड।
   17. नागालैण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   18. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   19. पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   20. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   21. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   22. तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   23. त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।
   24. उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड।
   25. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक (66)
   1. भारतीय स्टेट बैंक।
   2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर।
   3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद।
   4. स्टेट बैंक आफ इंदौर।
   5. स्टेट बैंक आफ मैसूर।
   6. स्टेट बैंक आफ पटियाला।
   7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र।
   8. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर।
   9. इलाहाबाद बैंक।
   10. आन्ध्र बैंक।
   11. बैंक आफ बड़ौदा।
   12. बैंक आफ इंडिया।
   13. बैंक आफ महाराष्ट्र।
   14. केनरा बैंक।
   15. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया।
   16. कार्पोरेशन बैंक।
   17. देना बैंक।
   18. इंडियन बैंक।
   19. इंडियन ओवरसीज बैंक।
   20. न्यू बैंक आफ इंडिया।
   21. ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स।
   22. पंजाब नेशनल बैंक।
   23. पंजाब और सिंध बैंक।
   24. सिंडिकेट बैंक।
   25. यूनियन बैंक आफ इंडिया।
   26. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया।
   27. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक।
   28. विजया बैंक।
   29. बैंक आफ कोचीन लिमिटेड।
   30. बैंक आफ कराड़ लिमिटेड।
   31. बैंक आफ मदुरा लिमिटेड।
   32. बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड।
   33. बरेली कारपोरेशन (बैंक) लिमिटेड।
   34. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड।
   35. भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड।
   36. कैथालिक सीरियन बैंक लिमिटेड।
   37. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड।
   38. फेडरल बैंक लिमिटेड।
   39. हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक लिमिटेड।
   40. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड।
   41. कर्नाटक बैंक लिमिटेड।
   42. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड।
   43. कुंभकोणम् सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड।
   44. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड।
   45. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड।
   46. लार्ड कृष्ण बैंक लिमिटेड।
   47. नैनीताल बैंक लिमिटेड।
   48. नेडुंगाडी बैंक लिमिटेड।
   49. पूर्वांचल बैंक लिमिटेड।
   50. रत्नाकर बैंक लिमिटेड।

51. सांगली बैंक लिमिटेड।
52. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।
53. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड।
54. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड।
55. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड।
56. वि बैंक आफ तंजौर लिमिटेड।
57. वैश्य बैंक लिमिटेड।
58. एल्जीमेने बैंक नीदरलैंड्स्।
59. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग्ज कार्पोरेशन।
60. बैंक आफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एंड सेविंग्स एसोसिएशन।
61. बैंक आफ टोकियो लिमिटेड।
62. बैंक नेशनल दि पैरिस।
63. चार्टर्ड बैंक।
64. ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड।
65. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड।
66. मित्सुई बैंक लिमिटेड।

5. ग्रामीण बैंक (49)

1. बाराबंकी ग्रामीण बैंक।
2. भागीरथ ग्रामीण बैंक।
3. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक।
4. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
5. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक।
6. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
7. कावेरी ग्रामीण बैंक।
8. चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
9. कटक ग्राम्य बैंक।
10. गौड़ ग्रामीण बैंक।
11. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
12. गुड़गांव ग्रामीण बैंक।
13. हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक।
14. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
15. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक।
16. जामनगर ग्रामीण बैंक।
17. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक।
18. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक।
19. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
20. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद।
21. कृष्णा ग्रामीण बैंक।
22. कच्छ ग्रामीण बैंक।
23. मगध ग्रामीण बैंक.
24. मलप्रभा ग्रामीण बैंक।
25. मल्लभूम ग्रामीण बैंक।
26. मराठवाडा ग्रामीण बैंक।
27. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक।
28. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
29. मुरलधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
30. नागार्जुन ग्रामीण बैंक।
31. नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक।
32. पंड्यन ग्राम बैंक।
33. प्राग्ज्योतिष गांवलिया बैंक।
34. प्रथमा बैंक।
35. पूरी ग्राम्य बैंक।
36. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
37. रायलसीमा ग्रामीण बैंक।
38. रीवा सिधी ग्रामीण बैंक।
39. सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
40. संथाल परगना ग्रामीण बैंक।
41. शेखावाटी ग्रामीण बैंक।
42. साउथ मलबार ग्रामीण बैंक।
43. श्री अनंता ग्रामीण बैंक।
44. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक।
45. सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
46. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक।
47. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक।
48. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
49. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

6. जीवन बीमा निगम

बीमा और निवेश कंपनियां आदि (6)

1. जनरल इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन आफ इंडिया।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम।
3. नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड।
4. न्यू. इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड।
5. ओरिएण्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड।
6. यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड।

विवरण 15

प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय

प्रधान कार्यालय			
प्रबन्ध निदेशक	सन्त दास		
महा प्रबन्धक	नागेश्वर राव के० बो० रगांक्कर वाई० एस०	जावडेकर एम० एस० गाडगील एम० बी०	
वरिष्ठ निदेशक	काशीविश्वनाथन टी० के० कौल आर० एन० कोटय्या पी०	रमणन एस० जी० वी० सत्यमूर्ति ए० शेट्टी बी० आर	सुब्रह्मण्यम सी० जी० त्रिवेदी आई० एच०

विवरण (15) जारी
प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय

निदेशक	अहमद रजा	माईकल ई० एस०	राव० के० एस० के०
	अरान्हा एस० ई०	मुदलियार के० ई०	रोजारियो ए० आई०
	बन्धोपाध्याय एन० बी०	मुखर्जी एस० एन०	संगल एस० पी०
	दांडेकर आर० जी०	नरसिंगाचारी टी०	सान्याल बी०
	कालिया एस० के०	नूरुल्हा	साठे बी० एस०
	करमरकर एन० डी०	पैस जी० ए०	शर्मा बी० एन०
	कृष्णमूर्ति एस०	फडणीस एन० ए०.	वेंकटनारायण जी०
	कुट्टी एम० एन०	रामन पी०	वेंकटरमन के० जी०
	श्रीमती मजमूदार एस० डी०	रामलिंगम सी०	वर्मा आर० एन०
	माहेश्वरी जे० पी०	राममूर्ति एस०	

क्षेत्रीय कार्यालय*

कार्यालय	पता	वरिष्ठ निदेशक	निदेशक
अहमदाबाद	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया भवन, 7वीं मंजिल, पो० बा० नं० 208, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001	—	भंडारी एम० सी०
बेंगलूर	इण्डियन एक्सप्रैस भवन नं० 1 क्वीन्स रोड, पो० बा० नं० 5324, बेंगलूर-560001	—	वेंकटरत्नम बी०
भोपाल	गुरु नानक काम्प्लेक्स 34, मालवीय नगर भोपाल-462003	मुखर्जी ए० एन०	बिसारिया एम० सी०
भुवनेश्वर	प्लाट नं० 101, (पहली मंजिल) जनपथ स्टेशन, स्क्वेयर पोस्ट बॉक्स नं० 179 भुवनेश्वर-751001	—	धर्मलिंगम एस०
कलकत्ता	4 और 4/1 रेड क्रास प्लेस पो० बा० सं० 71 कलकत्ता-700001	पन्त एस० सी०	कृष्णन ए स० मोत्याल बी० एस०
चण्डीगढ़	एस० सी० ओ० 179-180 सैक्टर 17 सी०, पो० बा० नं० 35, चण्डीगढ़-160017।	राममूर्ति के.	सैनी एस० एस०
गौहाटी	लक्ष्मीभवन, डा० जे० सी० दास रोड पान बाजार, पो० बा० नं० 81 गौहाटी-781001	—	बिष्ट जे० एस०
हैदराबाद	6-1-91 वासावी नगर सेक्रेटरीएट, रोड, लकड़ी का पुल हैदराबाद-500004।	बनर्जी एस० पी०	रामाराव पी० वी० ए०

*प्रधान कार्यालय के परिसर में स्थित बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय को छोड़ कर ।

विवरण 15 (जारी)

प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय

कार्यालय	पता	वरिष्ठ निदेशक	निदेशक
जयपुर	सी–93, सुभाष मार्ग सी०-स्कीम, पो० बा० नं० 10, जयपुर-302001	—	रामास्वामी एन०
लखनऊ	सहकारी किसान भवन चौथी तथा 5वीं० मंजिल, 2 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001	मोहन कृष्णन डी०	पांडे एस० के० सी०
मद्रास	रेगीना मैंशन नं० 46, सैकेण्ड लाइन बीच मद्रास-600001	अरुल रायन	रामास्वामी डब्ल्यू० एम०
पटना	अरूणाचल भवन, चौथी मंजिल, डाक बंगला और प्रदर्शनी रोड क्रासिंग पटना-800001	बरबोजा जे०	रामासामी सी० आर०
त्रिवेन्द्रम	बेल्ला क्रिस्टा, टी० सी० नं० 3/463, कोदियार एवेन्यू, पो० बा० नं० 804 त्रिवेन्द्रम-695003	—	राव यू० एस०
नई दिल्ली	द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक पार्लियामेंट स्ट्रीट, पो० बा० नं० 696 नई दिल्ली-110001	—	म्योकन्द एस० एम० (प्रभारी अधिकारी)

विवरण 16

कृषिविनि के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	एक प्रति की कीमत रु० पै०
1. टेक्निकल आस्पेक्ट्स आफ एग्रिकल्चरल प्रोजेक्टस-1978	12.00£
2. इकानामिक अनालिसिस आफ एग्रिकल्चरल प्रोजेक्टस ले: जे० प्राइस जिटिंगर	9.00£
3. डेवलपमेंट आफ हार्टिकल्चरल प्लान्टेशन्स एण्ड फोरेस्टस इन नार्थ-इस्टर्न रीजन प्री०-इनवेस्टमेंट स्टडी	10.00
4. रिपोर्ट आफ दी कमिटी आन इन्टेग्रेशन आफ को-आपरेटिव क्रेडिट इन्स्टिटयूशन्ज	18.00£
5. कमिटी आन इन्टेग्रेशन आफ कोआपरेटिव क्रेडिट इन्स्टिटयूशन्स रिपोर्ट आफ दी० स्टडी ग्रुप्स एण्ड नोट्स	30.00£
6. इवैल्यूएशन स्टडी आफ माइनर इरिगेशन स्कीम-कन्स्ट्रक्शन आफ न्यू वेल्स एण्ड इन्स्टालेशन आफ पम्पसेटस देअर आन इन शोलापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र (1969-70—1972-73)	4.00
7. इवैल्यूएशन स्टडी आफ माइनर इरिगेशन स्कीम—इन्स्टालेशन आफ शैली ट्यूबवेल्स इन करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा (1967-68—1971-72)	4.00
8. इवैल्यूएशन स्टडी आफ भद्रा लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट-स्कीम कोर रिक्लेमेशन एण्ड डेवलपमेंट आफ लैंड—कर्नाटक (1966–1972)	4.00
9. इवल्यूएशन स्टडी आफ लैंड डेवलपमेंट अण्डर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट मिरयालगडा तालुका, आन्ध्र प्रदेश (1964-1969)	4.00
10. सर्क्यूलर्ज आफ एआरडीसी जनवरी 1976 टू जनवरी 1979	6.00£
11. रिपोर्ट फाफ दि कमेटी टू एस्टीमेट द डिमान्ड फार पम्पसेट्स् ड्यूरिंग 1978–83 एण्ड स्टडी द पोलिसी एण्ड प्रोसीजर आफ फाइनेंसिंग इट	5.00£
12. सर्क्यूलर्ज आफ ए आर डी० सी० फ्राम फरवरी 1979 टू दिसम्बर 1979	5.50£

प्रकाशन का नाम	एक प्रति की कीमत रु० पै०
13. रिपोर्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर ओवरएक्सप्लॉइटेशन कमिटी	7.00£
14. फाइनैनशियल अप्रैजल ऑफ फार्म इनवेस्टमेंट	10.00£
15. हैण्डबुक ऑन ऑन-फार्म डेवलपमेंट	—
16. सोइल वाटर इण्टर रिलेशनशिप्ज (इरिगेटेड एग्रिकल्चर)	—
17. लाइनिंग ऑफ फील्ड वाटर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम	—
18. नो यूअर सोइलस्	—
19. इरिगेटेड एग्रिकल्चर	—
20. *सिलेक्शन ऑफ एग्रिकल्चरल पम्पसैट्स—फील्ड स्टाफ-एण्ड फारयर्स गाइड	—
21. गाइडलाईन्स फॉर सिलेक्शन ऑफ एग्रिकल्चरल पम्पससेट्	—
22. सोइल्ज एण्ड वाटर कंजरवेशन	—
23. मॉडेल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्निकल अप्रैजल ऑफ डग वेल स्कीम इन हार्ड रॉक फॉर्मेशन्स	—
24. मॉडेल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्निकल अप्रैजल ऑफ डीप ट्यूबवेल स्कीम इन एल्यूमिनियम फॉर्मेशन्स	—
25. मॉडेल फॉर प्रेजेन्टेशन ऑफ टेक्निकल अप्रैजल ऑफ शैली ट्यूबवेल इन एल्यूवियल फार्मेशन्स	—
26. सेमिनार ऑन इन्सिटट्यूशनल फाईनान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लान्टेशन क्रॉप्स	—
27. ए० आर० डी० सी० आब्जेक्टिव्ज, एक्टीविटीज एण्ड अँचीवमेंटस	—
28. पम्फलेट्स ऑन	
(i) *पौल्ट्री फॉर्मिंग	
(ii) *डेरी फार्मिंग	
(iii) *टी प्लान्टेशन	
(iv) *फिशरीज डेवलपमेंट	
(v) *काफी डेवलपमेंट	
(vi) रबड़ प्लॉन्टेशन	
(vii) कोकोनेट डेवलपमेंट	
(viii) कैश्यू डेवलपमेंट	
(ix) पिगरी डेवलपमेंट	
(x) शीप डेवलपमेंट	

*अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में

£डाक खर्च अलग

ध्यान दीजिये: कीमत वाले प्रकाशन यदि माल उपलब्ध न हों तो, उसकी कीमत अदा करके निदेशक, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, प्रशासन प्रभाग, श्रीनिकेतन, डॉ० ए० बी० रोड, वरली, बम्बई-400018 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

शाह एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

मेकर भवन नं० 2
18, न्यू मरिन लाइन्स
बम्बई-400020

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र और उसी तारीख के लाभ-हानि लेखे की जांच की है और हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

1. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जिनकी हमें आवश्यकता थी और वे संतोषजनक पाये गये हैं ।

2. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हम दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और निगम की बहियों मे दर्शाये गये अनुसार, उक्त तुलन-पत्र संपूर्ण और सही है, उसमे निगम के अधिनियम और उसकी सामान्य विनियमावली के अनुसार सभी आवश्यक विवरण हैं और वे उचित रूप से इस प्रकार तैयार किये गये हैं कि निगम के कार्यों की यथार्थ और सही स्थिति का पता लग सके।

हस्ता:०
शाह एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

बम्बई : 25 अगस्त, 1981

कृषि पुनर्वित्त
30 जून, 1981

देयतायें			30-6-1980 को
	रु०	रु०	रु०
1. पूंजी			
प्राधिकृत			
प्रत्यक 10,000 रुपय के 100,000 शेयर		100,00,00,000	100,00,00,000
जारी की गई अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक 10,000 रुपये के 57,500 प्रदत्त शेयर (टिप्पणी 1)		57,50,00,000	57,50,00,000
2. प्रारक्षित निधि और अधिशेष			
(क) प्रारक्षित निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (टिप्पणी 2)	25,44,83,000		25,44,83,000
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित	5,06,53,500		—
		30,51,36,500	25,44,83,000
(ख) प्रारक्षित पूंजी			
पिछले पुलन पत्र के अनुसार		5,00,00,000	5,00,00,000
(ग) अनुसन्धान और विकास निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	2,00,00,000		2,00,00,000
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित	3,00,00,000		—
ब्याज-विनियोजित	40,85,160		—
		5,40,85,160	2,00,00,000
(घ) भवन निधि			
लाभ-हानि लेख से अन्तरण	5,00,00,000	5,00,00,000	—
(ङ) ब्याज विभेदक निधि (टिप्पणी 3)		1,18,058	—
(च) लाभ हानि लेखा			
आगे लाया गया लाभ	13,06,53,646		238
घटाएं (i) अनुसन्धान और विकास निधि में अन्तरित	3,00,00,000		
	10,06,53,646		
(ii) प्रारक्षित निधि में अन्तरित	5,06,53,500		
	5,00,00,146		
(iii) भवन निधि में अन्तरित	5,00,00,000		
	146		
जोड़े : इस वर्ष का लाभ	17,70,71,271		16,37,15,908
	17,70,71,417		16,37,16,146
घटायें : चालू वर्ष में लाभांश की व्यवस्था के लिए अन्तरित राशि	3,30,62,500		3,30,62,500
		14,40,08,917	13,06,53,646
3. विशेष जमा :		6,88,76,237	6,88,76,237
आगे ले जाया गया		124,72,24,872	109,90,12,883

और विकास निगम
का तुलन पत्र

परिसम्पत्तियां			30-6-1980 को
	रु०	रु०	रु०
1. नकदी			
(क) हाथ में 3 . . .	5,156		4,269
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास . .	5,42,27,606		2,65,42,932
(ग) दूसरों के पास .			
(i) भारत में	5,00,397		3,87,353
(ii) विदेश में	—		—
		5,47,33,159	2,69,34,554
2. ऋण			
(क) पुनर्वित्त के रूप में . . .	732,50,38,454		553,02,54,363
(ख) अन्य	2,84,57,110		1,68,72,900
	735,34,95,564		554,71,27,263
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था	—		—
		735,34,95,564	554,71,27,263
3. डिबेंचर		857 33,00,693	748,85,61,753
4. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर) (अंकित मूल्य 64,75,73,000 रु०)		64,63,70,133	23,62,92,442
5. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज . . .		90,37,113	24,07,397
6. अन्य परिसम्पत्तियां			
(क) फर्नीचर फिटिंग और जुड़नार, कार्यालय उपस्कर आदि	48,79,004		37,59,436
(30-6-1980 तक लागत) . .			
जोड़ें : इस वर्ष के दौरान वृद्धि . . .	22,81,014		11,19 767
	71,60,018		48,79,203
घटाएं : बेची गई/समायोजित वस्तुएं . .	8,363		199
	71,51,655		48,79,004
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यह्रास .	23,08,623		17,07,390
	48,43,032		31,71,614
(ख) सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमा राशि . . .	14,68,236		15,94,056
	63,11,268		47,65,670
आगे ले जाया गया	63,11,268	1663,69,36,662	1330,13,23,349

देयतायें		कृषि पुनर्वित्त और 30 जून 1981	30-6-1980 को
	रु०	रु०	रु०
आगे लाया गया		124,72,24,872	109,90,12,883
4. गारण्टीकृत लाभांश के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया भुगतान		—	—
5. बांड और डिबेंचर :			
5¾% कृपुविनि बांड 1982 पहली शृंखला	10,93,77,000		
5¾% कृपुविनि बांड 1982 दूसरी शृंखला	8,52,50,000		
5¾% कृपुविनि बांड 1984 तीसरी शृंखला	8,25,00,000		
5¾% कृपुविनि बांड 1985 चौथी शृंखला	11,0,000,000		
5¾% कृपुविनि बांड 1985 पांचवीं शृंखला	16,50,00,000		
5¾% कपुविनि बांड 1986 छठी शृंखला	11,00,00,000		
6% कृपुनिवनि बांड 1984 सातवीं शृंखला	16,50,00,000		
6% कपुविनि बांड 1985 आठवीं शृंखला	16,50,00,000		
6% कृपुविनि बांड 1985 नौवीं शृंखला	11,00,00,000		
6% कृपुविनि बांड 1986 दसवीं शृंखला	27,50,00,000		
6% कृपुविनि बांड 1987 ग्यारहवीं शृंखला	16,50,00,000		
6% कृपुविनि बांड 1987 बारहवीं शृंखला	27,50,00,000		
6% कृपुविनि बांड 1988 तेरहवीं शृंखला	20,62,50,000		
6½% कृपुविनि बांड 1988 चौदहवीं शृंखला	44,05,00,000		
6½% कृपुविनि बांड 1990 पन्द्रहवीं शृंखला	39,60,00,000		
6¾% कृपुविनि बांड 1993 सोलहवीं शृंखला	35,12,50,000		
		321,11,27,000	285,98,77,000
6. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण			
(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन	—		—
(ख) अन्य ऋण	878,54,12,448		644,60,73,696
		878,54,12,448	644,60,73,696
7. अन्य उधार			
(क) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार			
(i) दीर्घावधि	366,40,00,000		314,70,00,000
(ii) अल्पावधि	—		—
		366,40,00,000	314,70,00,000
(ख) दूसरों से लिये गये उधार			
(i) भारत में	—	—	—
(ii) विदेश में	—	—	—
8. मीयादी जमाराशियां			
(क) विशेष ऋण लेखे के लिये			
(i) (केन्द्रीय सरकार से)	4,24,48,000		3,91,48,000
(ij) (राज्य सरकारों से)	2,81,56,904		2,76,31,904
		7,06,04,904	6,67,79,904
(ख) दूसरों से	—	—	—
आगे ले जाया गया		1697,83,69,224	1361,87,43,483

विकास निगम
का तुलन पत्र

परिसम्पत्तियां			30-6-1980 को
	रु०	रु०	रु०
आगे लाया गया	63,11,268	1663,69,36,662	1330,13,23,349
6. अन्य परिसम्पत्तियां (जारी)			
(ग) फुटकर अग्रिम	3,33,04,736		4,16,49,614
(घ) पुनर्वित्त के रूप में दिये गये ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज	25,09,73,891		19,20,03,297
(ङ) डिबेंचरों पर प्रोद्भूत ब्याज	34,45,95,419		29,93,94,645
(च) कपुविनि बांडों पर छूट	64,24,611		77,85,861
(छ) 1976-77 तक के वर्षों के लिये अग्रिम चुकाया गया कर	36,25,416		9,62,55,995
(ज) कपुविनि ऋण परियोजना III के अधीन प्रशिक्षण पर वसूली योग्य व्यय (टिप्पणी 5)	6,36,854		28,40,162
		64,58,72,195	64,46,95,244
आगे ले जाया गया		1728,28,08,857	1394,60,18,593

कृषि पुनर्वित्त और
30 जून, 1981

देयतायें			30-6-1980 को
	रु०	रु०	रु०
आगे लाया गया जोड़		1697,83,69,224	1361,87,43,483
9. लाभांश की व्यवस्था (लाभ और हानि लेखे से अन्तरित राशि)		3,30,62,500	3,30,62,500
10. कराधान के लिये व्यवस्था (टिप्पणी 4)		36.25,416	8,79,43,614
11. अन्य देयतायें			
फुटकर लेनदार	3,95,29,084		4,12,03,677
निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं है।			
(क' केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण	18,19,26,308		12,57,39,049
(ख) बांज और डिबेंचर	4,62,96,325		3,93,26,270
		26,77,51,717	20,62,68,996
आनुषंगिक देयतायें			
(क) भारत के बाहर से पूंजीगत माल खरीदने के लिये आस्थगित अदायगी के सम्बन्ध में दी गई गारण्टी		—	—
(ख) अन्य		—	—
जोड़ रुपये		1728,28,08,857	1394,60,18,593

टिप्पणियां : 1. कृषुबिनि अधिनियम 1963 की धारा 6 के अनुसार इन शेयरों के [मूलधन की चुकौती और केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की गई दर पर न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान, केन्द्रीय सरकार द्वारा गारण्टीकृत है।

2. इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अनुसार 3,67,47,000 रुपये की विशेष प्रारक्षित निधि शामिल है। पिछले वर्ष यह राशि 3,67,47,000 रु० थी)।

3. तवा कमाण्ड क्षेत्र परियोजना समझौते के अनुसार कृषुबिनि को दिये गये ऋणों पर भारत सरकार द्वारा 6 1/2 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज लिया जाना है, इसमें से 4 1/2 प्रतिशत ब्याज विभेदक निधि में जमा किया जाना है और जिसका उपयोग कुछ विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये किया जाना है तथा वास्तव में भारत सरकार को केवल 2 प्रतिशत का भुगतान किया जाना है।

4. चूंकि निगम को लेखा वर्ष 1977-78 से 4 वर्षों के लिये आयकर की अदायगी से छूट मिल गई है, इसलिये पहले के वर्षों से संबंधित विवादस्पद मदों के लिये किये गये प्रावधान लम्मित रहे।

5. कृषुबिनि ऋण परियोजना 111 के अन्तर्गत हुए व्यय के सम्बन्ध में 72,29,100 रुपये की सहायता—अनुदान की राशि भारत सरकार से प्राप्त हो गई है और वह समायोजित कर दी गई है।

6. आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष से आंकड़ों पर पुनवर्गीकरण कर दिया गया है और रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एम० एस० जावडेकर
महा प्रबन्धक
वित्त
बम्बई, 13 अगस्त, 1981

हस्ता:
शा एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
बम्बई, 25 अगस्त, 1981

विक्रास निगम
का तुलन पत्र

परिसम्पत्तियां	30-6-1981 को	
	रु०	रु०
आगे लाया गया	1728,28,08,857	1394,60,18,593
जोड़ रुपय	1728,28,08,857	1394,60,18,593

एम० रामकृष्णय्या		अध्यक्ष
संपतराव एन० पाटील वीरशेट्टी कुशनर पी० सी० डी० नाम्बियार	)	निदेशक
सस्त दास		प्रबन्ध निदेशक

बम्बई, 22 अगस्त, 1981

कृषि पुनर्वित्त और
30 जून 1981

		पिछले वर्ष	
		रु०	रु०
1.	अदा किया गया ब्याज (टिप्पणी 1)	80,06,91,644	63,04,38,533
2.	वेतन और भत्ते	4,84,37,553	3,64,60,308
3.	कर्मचारी भविष्य निधि, पेन्शन और अन्य निधियों में अंशदान	55,58,819	44,43,071
4.	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के सम्बन्ध में यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते	35,202	25,929
5.	निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस	1,750	700.
6.	किराया, उपकर, बीमा, बिजली आदि	51,30,998	32,40,513
7.	यात्रा व्यय	21,33,410	12,71,349
8.	मुद्रण और लेखन सामग्री	12,84,276	8,61,219
9.	डाक, तार और टेलीफोन	10,31,775	7,05,591
10.	सम्पत्ति की मरम्मत	52,938	49,847
11.	लेखा परीक्षाकों की फीस	25,000	15,000
12.	विधि सम्बन्धी व्यय	41,428	30,983
23.	विविध व्यय (टिप्पणी 2)	75,80,618	85,83,060
14.	मूल्य-ह्रास	6,07,749	4,11,977
15.	तुलन-पत्र में ले जाया गया निवल लाभ	17,70,71,272	16,37,15,908
	जोड़ रुपये	104,96,84,432	85,02,62,988

टिप्पणी. 1. बोर्ड द्वारा अपनी 109 वीं बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसार अनुसंधान और विकास निधि में 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज विनियोजित किया जाना है जो भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से निगम के उधारों पर वर्तमान लागू ब्याज दर है, तदनुसार चालू वर्ष के लिए 28,49,160 रुपये के ब्याज की राशि विनियोजित की गई और वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के लिए एक साथ 12,36,000 रुपये की राशि रखी गई।

2. विविध व्यय में ये राशियां शामिल हैं :—
   (क) बाण्ड शृंखला VII से VIII पर बट्टा 13,61,250.00 रुपये (पिछले वर्ष 13,61,250.00 रुपये)
   (ख) आतिथ्य खर्चे 28,263.15 रुपये (पिछले वर्ष 18,980.55 रुपये)
   (ग) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ऋण परियोजना III के अन्तर्गत प्रशिक्षण व्यय में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का 26,86,224.50 रुपये का हिस्सा।

3. इसमें अभिदत्त डिबेंचरों पर प्राप्त 2,24,194.89 रुपये का बट्टा शामिल है। (पिछले वर्ष 4,92,201.61 रुपये)।

4. भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को 13 अक्तूबर 1980 से अपने बांडों पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान की छूट प्रदान की गई है, स्क्रीय पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए पिछले वर्ष किए गए 86,58,410 रुपये के प्रावधान को शृंखला XI से XV के सन्दर्भ में 13 अक्तूबर, 1980 को जारी किया जाना था, जिसे रद्द कर दिया गया है।

5. पिछले वर्ष कराधान के लिए गए 30,23,888 रुपये के प्रावधान को अब वापस ले लिया गया है।

6. आकड़े निकटतम रुपये में पूर्णकित किए गए हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
हस्ताक्षर/-
शाह एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
बम्बई, 25 अगस्त, 1981।

एम० एस० जावडेकर
महाप्रबन्धक
वित्त
बम्बई, 13 अगस्त, 1981।

विकास निगम

को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा

			पिछले वर्ष
	रु०	रु०	रु०
1. प्राप्त ब्याज			
(क) ऋणों और डिबेंचरों पर	95,48,62,326		78,75,51,732
(ख) निवेशों पर	8,20,01,303		5,72,59,977
(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा राशि पर	81,870		81,870
(घ) अन्य जमा राशियों पर	9,71,127		9,25,864
		103,79,16,626	84,58,19,443
2. बट्टा कमीशन आदि			
3. अन्य मदें			
(क) शेयर अन्तरण शुल्क	20		2
(ख) विविध प्राप्तियां (टिप्पणी 3)	2,25,770		44,43,543
		2,25,790	44,43,545
(ग) पिछले वर्षों के लाभों के सम्बन्ध में समायोजन :			
(i) बांडों पर स्टांप शुल्क का प्रावधान, जिसे देने की आवश्यकता नहीं (टिप्पणी 4)	86,58,410		—
(ii) कराधान का प्रावधान, जिसे देने की आवश्यकता नहीं (टिप्पणी 5)	30,23,888		—
(iii) व्यय का प्रावधान, जिसका तीन वर्षों से अधिक की अवधि से दावा नहीं किया गया	10,95,718		—
	1,27,78,016		
घटाएं : वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए अनुसंधान और विकास निधि में विनियोजित ब्याज (टिप्पणी 1)	12,36,000		—
		1,15,42,016	
जोड़ रुपये		104,96,84,432	85,02,62,988

एम० रामकृष्णय्या अध्यक्ष

सम्पतराव एन० पाटील)
वीरशेट्टी कुशनूर) निदेशक
पी० सी० डी० नाम्बियार)

सन्त दास प्रबन्ध निदेशक

बम्बई, 22 अगस्त, 1981

"इंडियन एयरलाइन्स"

भुद्धि पत्र

इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारी भविष्य निधि दिनांक 13 जून 1981 के भारतीय राजपत्र भाग 3 के अनुभाग 4 पृष्ट 1426 में छपी अधिसूचना के पैरा 1 (1) में 1980 को 1981 पढ़ा जाए ।

एन० सी० शर्मा, विंग कमांडर
सचिव

छावनी बोर्ड रानीखेत

रानीखेत छावनी, दिनांक 8 नवम्बर 1981

का० नि० आ० 243/60/ए०टी०टी०एन० :— रानीखेत छावनी में माल, वाहनों और पशुओं के प्रवेश पर पथकर लगाए जाने के सम्बन्ध में, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का० नि० आ० 378 दिनांक 21 नवम्बर, 1968 में प्रस्तावित कतिपय संशोधनों के बारे मे एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 26 मई, 1981 को जारी की गई थी और उक्त सूचना छावनी अधिनियम 1924 (1924 का. 2) की धारा 61 के साथ पठित धारा 255 की अपेक्षानुसार छावनी बोर्ड, रानीखेत के कार्यालय के सहज दृश्य स्थान पर चिपकाकर प्रकाशित की गई थी और उक्त सूचना द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त 30 दिन की अवधि के पूर्व छावनी बोड को जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अत: छावनी बोर्ड, रानीखेत, उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से उक्त अधिसूचना का० नि० आ० 378 तारीख 21 नवम्बर, 1968 की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 11 के सामने "10.00 रु० प्रति वाहन +1.00 रु० प्रति अधिकृत स्थान" शब्दों और अंकों के स्थान पर "15.00 रु० प्रति-वाहन+1.50 रु० प्रति अधिकृत स्थान" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(फाईल संख्या 53/1/सी०/एल० एण्ड सी०/81)

आर० डी० चतुर्वदी
छावनी कार्यपालक अधिकारी

RESERVE BANK OF INDIA
AGRICULTURAL CREDIT DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE

Bombay-400 018, the 22nd October 1981

No. ACD. 59/A.18-81/82.—In pursuance of sub-section (2) of Section 36 A read with clause (2a) of Section 56 of Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the following salary earners' socities have ceased to be co-operative banking within the meaning of the said Act.

Sr. No., Name of the Society and State
1. Western Railway Employees' Co-operative Credit Society Ltd., Udaipur.—Rajasthan
2. 'B' Ward Conservancy Employees' Co-operative Credit Society Ltd., Bombay.—Maharashtra

R. R. PRADHAN
Addl. Chief Officer

STATE BANG OF INDIA
CENTRAL OFFICE

Bombay, the 25th September 1981

NOTICE

The following appointment on the Bank's Staff is hereby notified :—

Shri N. Agrawal has assumed charge as Chief Vigilance Officer, Central Office, in the rank of General Manager, with effect from the 22nd September 1981.

Shri N. N. Mahajan has assumed charge as Chief General Manager, Kanpur Circle, with effect from the 10th September 1981.

R. P. GOYAL
Deputy Managing Director
(Personnel & Services)

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

No G.S.R.—In pursuance of Section 32(2) of the ARDC Act, 1963 (10 of 1963) the report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 30 June 1981 and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year ended 30 June 1981 are published hereunder.

ARDC AT A GLANCE

(Rs. crores)

Sources	Year ended 30 June			Uses	Year ended 30 June		
	1979	1980	1981		1979	1980	1981
Paid-up share capital, reserve fund and other funds	85	90	103	Refinance provided to : (outstanding)			
Borrowings from :				State Land Development			
GOI . . .	502	645	879	Banks	663	750	859
(of which IDA/				(of which under IDA/			
IBRD assistance) .	(444)	(548)	(679)	IBRD projects)	(435)	(484)	(559)
RBI				Scheduled Commercial			
LTO Fund. . .	264	315	366	Banks	372	539	715
Short-term . . .	—	—	—	(Of which under IDA/ IBRD projects)	(184)	(269)	(358)
Open Market . . .	246	286	321	State Co-operative Banks	11	15	18
				(of which under IDA projects)	(3)	(8)	(12)

RECORD OF GROWTH.

(Rs. Crores)

Particulars	As at the end of June							
	1969	1974	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Paid-up share capital, reserve fund and other funds .	5	17	29	42	59	85	90	103
Specail Deposit . .	1	1	2	3	4	5	7	7
Borrowings from :								
GOI	26	164	250	340	428	502	645	879
RBI	—	66	140	173	217	264	315	366
Short-term . .	—	12	2	—	—	—	—	—
Long-term . .	—	54	138	173	217	264	315	366
Open market . .	—	66	138	182	202	246	286	321
Number of schemes sanctioned	233	1457	2905	4487	6221	8655	12225	16574
Total ARDC commitment.	156	704	1147	1465	1770	2303	3077	3860
Refinance granted (net) .	30	310	549	722	874	1046	1304	1592
Debentures . . .	28	272	426	525	590	661	749	857
Loans . . .	2	38	123	197	284	385	555	735
Investment and cash reserves . .	1	—	—	—	23	32	26	70
Gross income . . .	1	16	30	41	55	69	85	105
Net Profit . . .	—	1	3	5	12	14	16	18
Dividend paid . . .	—	1	1	2	2	3	3	3

TABLE 1 —DISBURSEMENT OF REFINANCE-PURPOSEWISE (JULY-JUNE)

Rs. Crores

Purpose	During								upto 30 June 1981
	1963-69£	1969-74£	1974-76£	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	
Minor irrigation	13 (43·3)	242 (84·6)	192 (69·3)	142 (64·3)	143 (61·1)	171 (60·0)	227 (55·1)	265 (53·1)	1394 (62·7)
Land development*	14 (46·7)	14 (4·9)	7 (2·5)	6 (2·7)	4 (1·7)	11 (3·8)	10 (2·4)	13 (2·6)	79 (3·5)
Farm mechanization*	—	7 (2·5)	58 (20·9)	52 (23·5)	28 (12·0)	41 (14 4)	92 (22·4)	110 (22·1)	389 (17 5)
Plantation/Hoticulture	2 (6·7)	9 (3·1)	5 (1·8)	5 (2·3)	8 (3·4)	12 (4·2)	21 (5·1)	24 (4·8)	86 (3·9)
Poultry farming/Sheep breeding/ Piggery	—	—	1 (0·4)	1 (0·4)	2 (0 9)	4 (1 4)	11 (2 7)	14 (2·8)	33 (1·5)
Fisheries	—	2 (0·7)	4 (1·4)	2 (0·9)	5 (2·2)	8 (2·8)	10 (2·4)	10 (2 0)	42 (1·9)
Dairy development	—	2 (0·7)	4 (1·5)	3 (1·4)	4 (1·7)	7 (2·5)	10 (2·4)	11 (2·2)	42 (1 9)
Storage & market yards	1 (3·3)	10 (3·5)	6 (2·2)	10 (4·5)	38 (16·2)	27 (9·5)	15 (3·7)	16 (3·2)	122 (5·5)
Forestry	—	—	—	—	1 (0·4)	1 (0·4)	1 (0·2)	1 (0·2)	4 (0·2)
Integrated cotton development project (S.T.)	—	—	—	—	1 (0·4)	3 (1·0)	5 (1·2)	6 (1·2)	—
Gobar gas plants	—	—	—	—	—	—	1 (0·2)	1 (0·2)	2 (0·1)
others	—	—	—	—	—	—	9 (2·2)	28 (5·6)	30 (1·3)
Total	30 (100·0)	286 (200·0)	277 (100·0)	221 (000·0)	234 (100·0)	285 (100·0)	412 (100·0)	499 (100·0)	2223$ (100·0)

TAELE 2—DISBURSEMENT OF REFINANCE—AGENCYWISE(JULY- JUNE)

Rs. crores

Agency	During								Up to 30 June 1981 $
	1963-69£	1969-74£	1974-76£	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	
State Land Developmnct Banks	28 (93·4)	246 (86·0)	176 (63·5)	127 (57·4)	112 (47·9)	131 (46·0)	164 (39·8)	212 (42·5)	1186 (53·4)
of which under IBRD project	—	—	—	—	—	1	1	1	3
IDA projects	—	122	143	100	86	88	109	133	781
Scheduled Commercial Banks	1 (3·3)	28 (9·8)	98 (35·4)	93 (42·1)	120 (51·3)	150 (52·6)	239 (58 0)	278 (55·7)	1005 (45·2)
Of which under IBRD projects	—	1	1	—	—	—	1	1	4
IDA projects	—	4	51	55	46	72	120	139	484
State Co-operative Banks	1 (3·3	12 (4.2)	3 (1 1)	1 (0 5)	2 (0 8)	4 (1.4)	9 (2.2)	9 (1.8)	32 (1.4
Of which under *IDA projects*	—	—	—	—	2	4	8	9	12
Total	30 (100·0)	286 (100·0)	277 (100·0)	221 (100·0)	234 (100·0)	285 (100·0)	412 (100·0)	499 (100·0)	222 3 (100·0)

Figures in brackets are percentages to the total.

£ Year-wise break-up given in earlier publications.

*Please see note 2 under explanatory notes on page 59.

$Excludes short-term finance.

HIGHLIGHTS

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

18TH ANNUAL REPORT 1980-81

Aggregate disbursements during the year reached an all time high level of Rs. 499 crores as against Rs. 412 crores in the previous year, recording an increase of 21 per cent.

Similarly, commitments in respect of new schemes approved touched the highest ever mark of Rs. 800 crores.

Cumulative disbursements under the Third ARDC Credit Project which had become effective from 2 January 1980, reached a level of Rs. 377 crores and exceeded the IDA estimate of Rs. 335 crores by Rs. 42 crores at the end of June 1981.

The Sunderban Development Project in West Bengal State for assistance from International Fund for Agricultural Development (IFAD) was negotiated during the year.

Resources required were raised : Rs. 245 crores from Government of India, Rs. 95 crores from Reserve Bank of India, Rs. 35 crores by market borrowings, the rest were out of repayments from member-banks.

ARDC availed of bilateral donors' credit to the tune of Rs. 133 crores in 1980-81, which again in the highest level ever attained.

OPERATIONS

Agricultural Situation

The year 1979-80 experienced unprecedented drought, affecting 380 lakh hectares. As a result, the index of agricultural production (triennium ending 1969-70=100) declined by 21 points to 116.5. Some parts of the country were affected by drought during 1980-81 as well. In particular, mention may be made of deficient rainfall during the Khariff season in Tamil Nadu, East and West Rajasthan and Rayalseema area of Andhra Pradesh affecting over 223 lakh hectares and drought or semi drought conditions during the Rabi season in 260 districts, particularly in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka Rajasthan, Maharashtra and Haryana. Besides, crops in eastern Uttar Pradesh, Orissa and Assm suffered due to floods.

1.2 Adverse weather conditions in parts of the country notwithstanding, the overall index of agricultural production during the year (138.6) increased by 19% over that in the preceding year. Foodgrains production alone increased by 22% to reach new high of 1330 lakh tonnes. Non-foodgrain production also recorded an increase of about 11 per cent. It may however, be noted that nearly two-thirds of the increase in foodgrains production during 1980-81 was recorded in just 3 states namely, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar. In Karnataka and Tamil Nadu, production of foodgrains during the year was below that during the preceding year. In 5 major states viz. Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh and Rajasthan, but conspicuously in Rajasthan, foodgrains production during 1980-81 was below the record level reached in 1978-79.

1.3 The increase in agricultural production during 1980-81 was as much the result of good weather conditions over a large part of the country as of vigorous efforts put in to make up for the losses sustained during 1979-80. Mention may be made of the additional irrigation facility created, expansion of the area under high-yielding varieties (HYV) of seeds availability of adequate and timely farm inputs, particularly fertilizers and pesticides and increased flow of credit. Thus, additional irrigation potential was created for 25 lakh hectares during 1980-81; the cumulative level of irrigation potential is now placed at 590 lakh hectares. The area under HYV was extended by almost 100 lakh hectares to 452 lakh hectares, covering over one fourth of the gross cropped area during the year. The Government of India (GOI) also organised massive imports of fertilizers. As a result despite 38 per cent increase in their prices, consumption of fertilisers during the year is estimated to have gone up by 3.2 lakh tonnes to 55.8 lakh tonnes. The programmes to increase agricultural production were adequately supported by increased flow of institutional credit.

1.4 Despite record production, supply constraints were evident. As a result, the annual average index number of wholesale prices of primary articles (1970-71=100) moved up by a further 15% to 237 during 1980-81. The upward trend in the prices of agricultural produce notwithstanding, the downward trend in the terms of trade for agriculture continued during the year. Thus, the price index of primary articles as a percentage of the price index of manufactured products, which had sharply declined from 101.1 in 1978-79 to 95.7 in 1979-80, moved down further to 92.3 during 1980-81. Considering the changes in the terms of trade for agriculture, support/procurement prices for both foodgrains and important cash crops during 1980-81 were fixed higher than those in the preceding year.

Sanctions

1.5 The number of schemes sanctioned and commitments made by the Corporation were higher during the year as compared to the position in the previous year. During the year, 4494 schemes were sanctioned to member banks as against 3657 schemes in 1979-80. The total commitments under these schemes were also larger at Rs. 819 crores than Rs. 757 crores made in the previous year. The increase in commitments was shared by all the major states except Assam, Bihar, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab and Tamil Nadu. State-wise and region-wise details of sanctions during the year are given in Statement 1.

1.6 The size-wise classification of the schemes sanctioned according to size-group of commitments is given in Statement 3. Summary position is given in Table3.

TABLE 3—SIZE-WISE CLASSIFICATION OF SCHEMES SANCTIONED DURING 1979-80 AND 1980-81

Size of schemes	1979-80£		1980-81£	
	No. of schemes	Commitments (Rs. crores)	No. of schemes	Commitments (Rs. crores)
Upto 5 lakhs (Rs.)	1182	31	1449	40
5 to 10 ,, ,,	897	68	1349	102
10 to 25 ,, ,,	1031	169	1197	180
25 to 50 ,, ,,	372	130	294	10
50 to 100 ,, ,,	93	63	122	86
Above 100 ,, ,,	82	235	83	224
Total	**3657**	**696**	**4494**	**733**

£Excluding IRDP commitments.

1.7 Size-wise, 2798 schemes having commitments upto Rs. 10 lakhs accounted for 62% of total number of schemes sanctioned, though in terms of commitments they constituted only 19% of the total. A fairly large number of schemes fell in the slab of Rs. 10 to 25 lakhs. The number of schemes involving a commitment of over Rs. 100 lakhs per scheme was almost the same as last year. Purpose-wise, 1756 schemes for minor irrigation were in the first three slabs. The average size of the scheme for that purpose was smaller at Rs. 22 lakhs as against Rs. 28 lakhs in the previous year. The majority of the schemes under poultry sheep breeding, dairy development and fisheries were of small size upto Rs. 10 lakhs.

1.8 The average size of commitment for all the schemes sanctioned during the year decreased further from Rs. 19 lakhs in 1979-80 to Rs. 16 lakhs in 1980-81 indicating disposal of larger number of schemes with comparatively lower commitments. As compared to commercial banks (Com. Bks), the average size of schemes sanctioned to state land development banks (SLDBs) was larger.

1.9 All the agencies participating in ARDC's programmes excepting the state co-operative banks (SCBs), recorded an increase in the number of schemes sanctioned in their favour during the year. While commitments in respect of schemes sanctioned to SLDBs and SCBs showed a marginal fall as compared to last year, commitments for Com. Bks. increased sizeably. Summary position of agency-wise break-up of sanctions and commitments is given in Table 4.

TABLE 4—SCHEMES SANCTIONED AGENCY-WISE@

Year	SLDBs	Com. Bks	RRBs	SCBs	Total
A. *Number of schemes*					
1979-80	919 (25)	2553 (70)	84 (2)	101 (3)	3657 (100)
1980-81	1346 (30)	2978 (66)	98 (2)	72 (2)	4494 (100)
B. *ARDC Commitments (Rs. crores)*					
1979-80	296 (43)	371 (53)	15 (2)	14 (2)	696 (100)
1980-81	294 (40)	415 (56)	14 (2)	10 (2)	733 (100)
C. *Average size of schemes (Rs. Lakhs)*					
1979-80	32	15	18	14	19
1980-81	22	14	14	14	16

@Excluding IRDP.

(Figures in brackets are percentages to the total).

1.10 Regional rural banks (RRBs) sponsored more schemes during the year; the commitments thereunder were marginally less than that of the previous year. 98 schemes with ARDC commitment of Rs. 14 crores (excluding IRDP) were sanctioned to RRBs during the year as against 84 schemes with commitment of Rs. 15 crores sanctioned during the previous year. The number of RRBs which were participating in ARDC's operations rose during the year from 36 to 55 with total commitment of Rs. 50 crores of which an aggregate sum of Rs. 22 crores had been drawn. Statewise position of RRBs availing of refinance from ARDC is given in Statement 6 and summary position is given in Table 5.

TABLE 5—REFINANCE SANCTIONED TO RRBs DURING 1979-80 AND 1980-81.

(Rs. crores)

Year	Commitments	Disbursements	Cumulative as on 30 June 1981 Commitments	Cumulative as on 30 June 1981 Disbursements
1979-80	20	9	27	12
1980-81	22	10	50	22

1.11 Purposewise, minor irrigation accounted for the largest number of schemes sanctioned and commitments as in the past. Out of the total refinance of Rs. 819 crores committed during the year, minor irrigation accounted for Rs. 434 crores constituting 53 per cent as against 50 per cent in the previous year. Next to minor irrigation, schemes for farm mechanization and plantation/horticulture absored sizeable shares of 13 per cent and 6 per cent respectively even though their shares were less than their shares in the previous year at 16 per cent and 9 per cent respectively. with diversification of their activities by various agencies, the number of schemes sanctioned for diversified purposes had increased during the year. Scheme for land development showed a decline both in number and commitments. Purposewise distribution of sanction of schemes is given in Table 6.

TABLE 6 SANCTIONS DURING 1980-81— PURPOSE-WISE

Purpose	No. of schemes excluding IRDP	ARDC commitments including IRDP (Rs. crores)
Minor irrigation	2011	434
Land development	93	26
Farm mechanization	536	107
Plantation/Horticulture	370	48
Poultry farming/sheep breeding/ piggery	486	28
Fisheries	171	16
Dairy development	378	28
Storage and Market yards	126	24
Others	323	108
Total	**4494**	**819**

1.12 Under IRDP, ARDC had made substantial commitments during 1980-81. The additional commitments made were of the order of Rs. 85 crores during 1980-81 as compared to Rs. 61 crores in 1979-80 due to vigorous efforts made by the Regional Offices. An on 30 June 1981, banking plans covering 1538 blocks involving total ARDC commitment of Rs. 146 crores were sanctioned. Statewise and agencywise position of IRDP banking plans approved by ARDC is given in Statements 8 and 9. Summary position is given in Table 7.

TABLE 7—REGION-WISE POSITION OF SANCTIONS UNDER IRD PROGRAMME DURING 1979-80 AND 1980-81.

Region	No. of blocks covered by IRDP banking plans during 1979-80	No. of blocks covered by IRDP banking plans during 1980-81	Commitments sanctioned during (Rs. crores) 1979-80	Commitments sanctioned during (Rs. crores) 1980-81
Northern	6	153	1	10
North-Eastern	—	—	—	—
Eastern	3	174	1	31
Central	217	329	15	25
Western	81	131	9	12
Southern	364	80	35	7
Total	**671**	**867**	**61**	**85**

As a result of larger coverage under IRDP in Southern Region particularly in Tamil Nadu and Andhra Pradesh during the previous year, coverage in terms of blocks and commitments was lower during the year.

1.13 Aggregate commitments of ARDC under all the schemes sanctioned since its inception in July 1963 reached Rs. 3860 crores as on 30 June, 1981 (Statement 2). Of this, SLDBs' share was Rs. 1906 crores and that of the Com. Bks (including RRBs) amounted to Rs. 1881 crores (Statement 5). Minor irrigation continued to be the major purpose with largest share in cumulative commitments (60%).

1.14 ARDC continued its efforts to bring the uncovered blocks in the country under one scheme or other. As on 30 June 1981, out of 5004 blocks in the country (excluding Sikkim), 4883 blocks had one type or other of ARDC schemes sanctioned for implementation. The number of uncovered blocks (excluding Sikkim) had declined from 190 as on 30 June 1980 to 121 as at the end of June 1981. It is significant to mention that during the year uncovered blocks (27) in Jammu and Kashmir, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Tripura and Uttar Pradesh referred to in the last Report were covered by one or the other type of ARDC schemes. Statewise position of uncovered blocks is given below :

State/Union Territory	No. of blocks not covered by ARDC schemes
Andaman and Nicobar Islands	4
West Bengal	4
Arunachal Pradesh	48
Assam	9
Manipur	11
Meghalaya	12
Mizoram	18
Nagaland	15
Total	121

Disbursements

1.15 During the year ended 30 June 1981 the disbursements touched a new height at Rs. 499 crores as against Rs. 412 crores disbursed during the previous year or an increase of 21 per cent over the last year. The disbursements were larger in all the major states than in 1979-80 though there was short-fall in Bihar and Gujarat. The cumulative disbursements by ARDC since inception aggregated Rs. 2223 crores (excluding short-term finance of Rs. 15 crores made during the year). As in the previous years, the disbursements were heavy in the month of June amounting to Rs. 156 crores, as against Rs. 142 crores made in the corresponding month of the previous year. Out of the total disbursements of Rs. 499 crores, Rs. 284 crores or 57 per cent of the total were under the projects assisted by the World Bank/IDA/KFW group and Government of India was eligible to draw foreign exchange there against to the extent of $ 168 million. In addition, under the bilateral assistance from donor countries the disbursements qualified for availment of further assistance of the order of $ 162 million. The comparative position of disbursements in 1979-80, 1980-81 and upto 30 June 1981 under projects with external aid and their percentage share in total disbursements are given in Table 8.

TABLE 8 --DISBURSEMENT OF REFINANCE

(Rs. crores)

Disbursement	During		Upto 30 June 1981$
	1979-80	1980-81	
Under IDA/IBRD/Other donor countries assisted projects	240 (58)	284 (57)	1287 (58)
Other projects	172 (42)	215 (43	936 (42)
Total	**412 (100)**	**499 (100)**	**2223 (100)**

$ Excluding short-term finance.

The cumulative disbursements under various projects assisted by IBRD group and other donor countries aggregated Rs. 1287 crores qualifying for drawal of foreign exchange by Government of India of over $ 1200 million including bilateral assistance from donor countries.

1.16 The highest disbursements were made in favour of Uttar Pradesh (Rs. 72 crores), closely followed by Andhra Pradesh (Rs. 71 crores). These two states together with Punjab, Maharashtra and Haryana accounted for 63 per cent of the total disbursements made by ARDC during the year.

The share of less-developed states in the total amount of refinance disbursed rose from Rs. 164 crores in 1979-80 to Rs. 192 crores in 1980-81 and formed 39 per cent of the total as against 40 per cent in the previous year. The other states registered an aggregate increase of Rs. 59 crores over the previous year. The inadequate infrastructural facilities in North-Eastern and Eastern states continue to be responsible for smaller flow of refinance in these regions. ARDC is, however, continuing its efforts in persuading the state governments concerned to extend necessary support to speed up development of agriculture in these areas. The response by way of increase in commitments under schemes sanctioned during the year in most of these states is encouraging.

1.17 Among the agencies participating in ARDC's operations, except the SCBs all the other agencies viz. SLDBs, Com. Bks and RRBs availed themselves of larger quantum of refinance during the year. The amount drawn by the SCBs remained at the last year's level of Rs. 9 crores. Agencywise disbursements are given in Table 2. The summary position of agencywise disbursements during the last two years and upto 30 June 1981 together with percentage share of each agency in the total are given in Table 9.

TABLE 9—AGENCY-WISE DISBURSEMENTS

(Rs. crores)

Agency	During		Upto 30 June 1981)$
	1979-80	1980-81	
SIDBs	164 (40)	212 (42)	1186 (53)
Com. Bks.	230 (56)	268 (54)	983 (44)
RRBs	9 (2)	10 (2)	22 (1
SCBs	9 (2)	9 (2)	32 (2)
Total	**412 (100)**	**499 (100)**	**2223 (100)**

$ Excluding short-term finance.

1.18. A notable feature during the year was the improvement shown by SLDBs in availing refinence from ARDC. Their share increased not only in absolute amount but also in terms of percentage of total disbursements during the year as compared to the previous year. The refinance disbursed to these institutions rose from Rs. 164 crores in 1979-80 to Rs. 212 crores during the year under review constituting 42 per cent of the total as against 40 per cent in the previous year. Except in the states of Rajasthan, West Bengal, Madhya Pradesh, Gujarat and Tamil Nadu, SLDBs in other states improved their performance as compared to last year, especially in Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Punjab, Haryana, Bihar and Karnataka. The first position, in receiving ARDC funds was taken by the Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank (APCCADB). Various measures taken for rehabilitation of the weak SLDBs in Maharashtra, Bihar and Karnataka enabled them to draw a larger quantum of refinance during the year.

1.19. The amount drawn by the Com. Bks increased from Rs. 230 crores in 1979-80 to Rs. 268 crores, constituting 54 per cent of the total as against 56 per cent in the previous year. The increase in the flow of refinance was shared by all the major states excepting Bihar, Gujarat and Karnataka. The RRBs showed only a marginal improvement during the year by drawing Rs. 10 crores as compared to Rs. 9 crores availed of in the previous year.

1.20. The purpose-wise disbursements of refinance are indicated in Table 1. Disbursements recorded an increase under all major purposes over the previous year. The summary position of disbursements for the last two years and upto 30 June 1981 is given in Table 10.

TABLE 10—PURPOSE-WISE DISBURSEMENTS

(Rs. crores)

Purpose	During		Upto 30 June
	1979-80	1980-81	1981$
Minor irrigation	227 (55)	265 (53)	1394 (63)
Land development	10 (3)	13 (3)	79 (3)
Farm mechanization	92 (22)	110 (22)	389 (18)
Plantation/Horticulture	21 (5)	24 (5)	86 (4)
Storage and Market yards	15 (4)	16 (3)	122 (5)
Others	47 (11)	71 (14)	153 (7)
Total	**412 (100)**	**499 (100)**	**2223 (100)**

$Excluding short-term finance.

(Figures in brackets are percentages to total).

Minor irrigation absorbed Rs. 265 crores out of Rs. 499 crores disbursed during the year under review. Even though it continued to be the single largest purpose of refinance, its share in total refinance declined from 60 per cent in 1978-79 to 55 per cent in 1979-80 and further to 53 per cent during the year under review. Shortage of power and critical materials like cement, bricks etc. is reported to have affected the progress in implementation of minor irrigation programmes and drawal of funds from ARDC. Partly, the growing disbursements for diversified purposes also accounted for this trend. The disbursements under this category included refinance of Rs. 23 crores provided to commercial banks under SPA Programmes for rural electrification and a sum of Rs. 53 crores to member banks for financing State Electricity Boards for energization of pumpsets. Agency-wise, larger refinance for minor irrigation was availed of by the SLDBs (Rs. 148 crores), while Rs. 115 crores were availed of by the Com. Bks. including RRBs.

1.21. During the year, disbursements under farm mechanization remained at the same level as in the previous year (22 per cent) although in absolute terms it increased from Rs. 92 crores to Rs. 110 crores. Due to modernization of agriculture, there was heavy demand for tractors particularly in Punab (Rs. 43 crores), Haryana (Rs. 18 crores) and Uttar Pradesh (Rs. 17 crores).

1.22. Disbursements under land development schemes had increased a little from Rs. 10 crores during previous year to Rs. 13 crores during the year under review out of this sum, Rs. 9 crores were disbursed under SAD Projects, of which Rs. 5 crores related to Maharashtra State alone. Disbursements under other land development schemes amounted to Rs. 4 crores, the bulk of which was availed of in Punjab and Kerala States.

1.23. Disbursements under other diversified purposes improved during the year and formed 22 per cent of the total as against 20 per cent during the previous year. Among the items of development financed under this category, disbursements under plantation and horticulture rose from Rs. 21 crores in the previous year to Rs. 24 crores in the current year. The Southern Region alongwith Assam and West Bengal accounted for major portion of disbursements under this category. Refinance availed of under schemes for poultry/sheep breeding/piggery and dairy development increased by Rs. 3 crores and Rs. 1 crore respectively during the year.

1.24. There was also significant improvement in regard to disbursements under IRDP. Refinance availed of under the IRD Programme increased from Rs. 4 crores in 1979-80 to Rs. 13 crores in 1980-81. Drawals were however, not commensurate with commitments made due to reasons such as disbursements of loans under Differential Rate of Interest Scheme by commercial banks to the target group, delay in communication between implementing banks' branches and head offices of banks regarding disbursements already made and procedural delays in release of subsidy by state governments.

1.25. Disbursement during the year under storage and market yards showed only a marginal increase of Rs. 1 crore. Out of Rs. 16 crores disbursed, Rs. 11 crores were for storage and balance of Rs. 5 crores was market yards mainly under IDA assisted Karnataka Market Yards Project.

1.26. All the regions recorded an increase in the flow of refinance during the year in absolute amount but percentagewise their share remained more or less constant as compared to the previous year (Table 11). Summary position of region-wise disbursements is given in Table 12.

TABLE 11 – DISBURSEMENT OF REFINANCE—STATEWISE (JULY—JUNE)

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	1963-69£	1969-74£	1974-76£	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	Upto 30 June 1981
I. *NORTHERN REGION*									
Chandigarh	—	—	—	—	3 (—)	—	—	—	3 (—)
Delhi	—	13 (0·1)	40 (0·1)	10 (0·1)	19 (0·1)	15 —	14 (—)	17 (—)	129 (0·1)
Haryana	303 (9·9)	2774 (9·7)	2644 (9·5)	1770 (8·0)	1111 (4·7)	2101 (7·4)	3946 (9·6)	4934 (9·9)	18576 (8·4)
Himachal Pradesh	—	4 (—)	20 (0·1)	2 (—)	23 (0·1)	50 (0·2)	185 (0·5)	194 (0·4)	480 (0·2)
Jammu & Kashmir	32 (1·0)	38 (0·1)	17 (0·1)	6 (—)	15 (0·1)	14 (—)	12 (—)	59 (0·1)	194 (0·1)
Punjab	653 (21·4)	2692 (9·4)	1713 (6·2)	1731 (7·8)	1177 (5·0)	1625 (5·7)	5018 (12·2)	6782 (13·6)	21097 (9·5)
Rajasthan	6 (0.2)	656 (2.3)	886 (3·2)	787 (3.6)	1312 (5·6)	1616 (5.7)	1815 (4.4)	1890 (3.8)	8974 (4.0)
	994 (32·5)	6177 (21·6)	5320 (19·2)	4306 (19·5)	3660 (15·6)	5421 (19·0)	10990 (26·7)	13846 (27·8)	49453 (22·3)
II. *NORTH-EASTERN REGION*									
Assam	70 (2·4)	65 (0·2)	5 (—)	70 (0·3)	273 (1·2)	235 (0·8)	286 (0·7)	609 (1·2)	1613 (0·7)
Manipur	—	—	5 (—)	8 (0·1)	23 (0·1)	43 (0·2)	10 (—)	9 (—)	98 (0·1)
Meghalaya	—	—	—	—	—	—	—	1 (—)	1 (—)
Mizoram	—	—	—	—	—	—	—	4 (—)	4 (—)
Nagaland	—	4 (—)	6 (0·1)	3 (—)	5 —	—	—	—	18 (—)
Tripura	—	—	1 (—)	2 (—)	8 (—)	1 (—)	11 (—)	7 (—)	30 (—)
	70 (2·4)	69 (0·2)	17 (0.1)	83 (0.4)	309 (1·3)	279 (1·0)	307 (0·7)	630 (1·2)	1764 (0·8)

TABLE 11—(*Concld.*) DISBURSEMENT OF REFINANCE—STATEWISE (JULY-JUNE)

Rs lakhs

Region/State/Union Territory	During								Upto 30 June
	1963-69£	1969-74£	1974-76£	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981$
III. *EASTERN REGION*									
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	—	—	—	1 (—)	1 (—)	2 (—)
Bihar	18 (0·6)	980 (3·4)	2250 (8·1)	1696 (7·7)	1864 (8·0)	2253 (7·9)	2468 (6·0)	2446 (4·9)	13969 (6·3)
Orissa	4 (0·1)	51 (0·2)	420 (1·5)	565 (2·6)	816 (3·5)	875 (3·1)	1315 (3·2)	1979 (4·0)	6021 (2·7)
West Bengal	2 (0·1)	42 (0·1)	228 (0·8)	590 (2·7)	996 (4·3)	1045 (3·7)	981 (2·4)	984 (2·0)	4765 (2·1)
	24 (0·8)	1073 (3·7)	2898 (10·4)	2851 (13·0)	3676 (15·8)	4173 (14·7)	4765 (11·6)	5410 (10·9)	24757 (11·1)
IV. *CENTRAL REGION*									
Madhya Pradesh	29 (1·0)	1291 (4·5)	3166 (11·4)	2610 (11·8)	1670 (7·1)	1666 (5·9)	3647 (8·9)	3801 (7·6)	17889 (8·0)
Uttar Pradesh	122 (4·0)	3794 (13·3)	4447 (16·0)	3720 (16·9)	4317 (18·4)	4877 (17·1)	5660 (13·7)	7249 (14·5)	33484 (15·1)
	151 (5·0)	5085 (17·8)	7613 (27·4)	6330 (28·7)	5987 (25·5)	6543 (23·0)	9307 (22·6)	11050 (22·1)	51373 (23·1)
V. *WESTERN REGION*									
Dadra and Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goa	—	3 —	28 (0·1)	24 (0·1)	68 (0·3)	84 (0·3)	121 (0·3)	133 (0·2)	461 (0·2)
Gujarat	207 (6·8)	4165 (14·6)	760 (2·7)	402 (1·8)	1319 (5·6)	1516 (5·3)	2497 (6·1)	2040 (4·1)	12906 (5·8)
Maharashtra	189 (6·2)	3041 (10·6)	3606 (13·0)	1928 (8·7)	1974 (8·4)	2431 (8·5)	3688 (8·9)	5171 (10·4)	21993 (9·9)
	396 (13·0)	7209 (25·2)	4394 (15·8)	2354 (10·6)	3361 (14·3)	4031 (14·1)	6306 (15·3)	7344 (14·7)	35360 (15·9)
VI. *SOUTHERN REGION*									
Andhra Pradesh	809 (26·5)	2504 (8·8)	2187 (7·9)	2122 (9·6)	3853 (16·4)	4958 (17·4)	6193 (15·0)	7113 (14·3)	29737 (13·4)
Karnataka	261 (8·6)	2269 (7·9)	2954 (10·6)	2190 (9·9)	1320 (5·6)	1429 (5·0)	1387 (3·4)	1776 (3·6)	13587 (6·1)
Kerala	17 (0.5)	345 (1.2)	308 (1.1)	247 (1.1)	370 (1·6)	960 (3.4)	998 (2.4)	1416 (2.8)	4561 (2.1)
Lakshadweep	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pondicherry	—	8 (—)	19 (0·1)	—	—	—	6 (—)	3 (—)	36 (—)
Tamil Nadu	325 (10·7)	3877 (13·6)	2045 (7·4)	1599 (7·2)	894 (3·9)	693 (2·4)	964 (2·3)	1291 (2·6)	11682 (5·2)
	1412 (46·3)	9003 (31·5)	7513 (27·1)	6158 (27·8)	6437 (27·5)	8040 (28·2)	9548 (23·1)	11599 (23·3)	59603 (26·8)
Total (I to VI)	**3047** (100·0)	**28618** (100·0)	**27755** (100·0)	**22082** (100·0)	**23430** (100·0)	**28487** (100·0)	**41223** (100·0)	**49879** (100·0)	**222310$** (100·0)

Figures in brackets are percentages to the total.

£Year-wise break-up given in earlier publications. $Excludes short-term finance.

TABLE 12—DISBURSEMENTS– REGION-WISE

(Rs. crores)

Region	Disbursement during		Up to 30 June 1981$
	1979-80	1980-81	
Northern	110 (27)	139 (28)	449 (22)
North-Eastern	3 (1)	6 (1)	18 (1)
Eastern	48 (12)	54 (11)	247 (11)
Central	93 (22)	111 (22)	514 (23)
Western	63 (15)	73 (15)	354 (16)
Southern	95 (23)	116 (23)	59 (27)
Total	**412 (1.00)**	**499 (100)**	**2223 (100)**

$Excluding short-term finance.
(Figures in brackets are percentages to total)

The refinance disbursed in the North-Eastern Region had doubled from Rs. 3 crores in 1979-80 to Rs. 6 crores during the current year.

ECONOMIC IMPACT

The economic impact of ARDC lendings on agriculture manifests itself in the form of (i) creation of physical assets and (ii) flow of incremental output, income and employment.. ARDC has conducted several field studies, mainly in the nature of ex-post evaluations, which provide an idea of the real impact of investments under the completed schemes in different parts of the country. The results of some such studies are presented in Tables 13 and 14.

TABLE 13—BENEFITS DERIVED FROM MINOR IRRIGATION AND LAND DEVELOPMENT INVESTMENTS

Type of Investment	State/District or Region/Reference Year of the study	Per unit of investment							
		Cost of investment	Net benefited area	Increase in cropped area	Additional production of food grains per annum	Gross value of additional production (all Crops) per annum	Incremental net incpme per annum*	Additional on farm employment per annum	Financial rate of return
		(Rs.)	(ha)	(ha)	(quintals)	(Rs.)	(Rs.)	(man-days)	(%)
MINOR IRRIGATION									
Shallow Tubewell	Haryana/Karnal/ 1973-74	6,210	3·57	1·43	N.A.	8,686	4,617	343	over 50
	Uttar Pradesh/ 6 districts in Eastern Uttar Pradesh/1976-77	6,965	2·47	1·81	50	5,229	2,090	232	33
	Bihar/Saran 1978-79	6,600	1·65	0.56	57	8,800	2,3665	316	22
Dugwell with pumpset	Maharashtra/ Sholapur/1973-74	9,066	2·00	0·28	N.A.	3,794	2,569	300	29
	Madhya Pradesh 6 districts/1977-78	10,210	3·20	0·61	35	8,653	4,960	170	37
	Karnataka/Entire state excluding coastal districts/ 1976-77	11,790	1·20	0·48	12	3,040	1,600	145	21
LAND DEVELOPMENT	Karnataka/Bhadra Project-Chitradurga/ 1973-74	3,005	3·07	N.A.	N.A.	14,557	7,939	744	over 50
	Andhra Pradesh/ Nagarjuna Sagar-Nalgonda/1973-74	3,435	3·06	N.A.	N.A.	12,646	5,806	755	over 50

*Includes also income from sale of water.

TABLE 14—BENEFITS DERIVED FROM DIVERSIFIED INVESTMENTS

Type of investment/ Size of investment unit	State/District or Region/Reference year of study	Cost of investment	Per unit of investment						
			Annual Production			Gross value of prodution per annum	Net income per annum	Additional employment	Financial rate of return
			Item	Unit	Quantity				
		(Rs.)				(Rs.)	(Rs.)	(man-days)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POULTRY									
Layer Unit/ 100 layers	Andhra Pradesh/ Karim nagar/1974-75	4,885	Eggs	'000	22·5	7,290†	'1,165	40	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MARINE FISHERIES									
Mechanised Boat/ 30′ boat	Karnataka/South Kanara/1975-76	85,430	Prawns Others	Quintal Quintal	50·3 220·5	68,540	26,260	1,480	41
32′ boat		1,02,840	Prawns Others	Quintal Quintal	62·3 255·8	83,940	35,410	1,950	42
DAIRY DEVELOPMENT									
Purchase of buffaloes/ 1 buffalo	Haryana/Ambala/ 1976-77	2,171	Milk	Litres	1,207	1,890‡	544	200	40
1 buffalo	Punjab/Faridkot/ 1976-77	1,554	Milk	Litres	1,182	1,415†	430	N.A.	49
HORTICULTURE									
Development of Acid lime gardens/1·23 ha @	Andhra Pradesh/ Nellore/1978-79	16,430*	Limes	'000	405	21,125	14,945	345	28
Development of grade garden£ 0·40 ha Anab-e-shahi	Karnataka/Bijapur/ 1979-80	23,836	Grapes	Tonnes	5·79	18,110	7,480	500	22
0·40 ha Thompson seedless.		27,505	Grapes	Tonnes	5·99	28,050	12,610	600	39

*Composite investment including irrigation.

@includes a small part (0·18 ha) under field crops.

£Data are provisional.

†includes sale of manure and culled birds.

‡includes sale of manure.

Cumulative ARDC Disbursements

2.2 The total refinance provided by ARDC upto end-March 1981 amounted to Rs. 2,028 crores. Minor irrigation (64%) and farm mechanization (17%) were the two most important investments, claiming 81% of the total refinance.

Cumulative Investment Cost at Farm Level

2.3 Providing for on-lending by banks, farmers' own contribution to investment costs and government subsidy in SFDA/MFAL areas, the ground level cost of investments at current prices works out to Rs. 2,865 crores.

Creation of Physical Assets

2.4. The physical units of completed investments, corresponding with the ARDC refinance, are shown in Table 15. To estimate such units, appropriate adjustments have been made for the units financed from April 1980 to March 1981 but not completed by the latter date. For horticulture, plantation, storage and market yards, which have long gestations, similar adjustments have been made for units financed even before April 1980 which are not expected to be completed by March 1981.

TABLE 15—PHYSICAL UNITS FINANCED AND COMPLETED

Investment	Units	Physical units financed upto		Physical units completed upto
		31 March 1980	31 March 1981	31 March 1981
MINOR IRRIGATION				
Tubewells with pumps	'000 Nos.	325	445	385
Dugwells with pumps	'000 Nos.	430	448	439
Dugwells with conventional lifts	'000Nos.	93	119	106
2. LAND DEVELOPMENT	'000 ha	1,118	1,206	1,162
3 FARM MECHANIZATION				
Tractors	Nos.	53,107	75,800	75,800
Power tillers	Nos.	1,871	1,914	1,914
Other farm mechanization equipments	Nos.	1,386	1,922	1,922
4. PLANTATION AND HORTICULTURE	'000 ha.	112	143	71
5. STORAGE	'000 Tonnes	6,100	7,100	5,500
6. MARKET YARDS	Nos.	152	195	121
7. POULTRY	'000 Birds	2,346	4,224	3,285
8. SHEEP BREEDING	'000 Animals	553	907	907
9. DAIRY	'000 Animals	135	176	176
10. FISHERIES boats	No. of mechanized	3,400	4,300	4,300

Note : on account of revision in the system of estimation, data on physicalunits financed, indicated above, may not tally with those published in the previous Reports.

Economic Impact

2.5. The data on economic impact presented in Tables 13 and 14 cover minor irrigation, land development, poultry, dairy marine fishery and horticulture. The reference period of the studies stretches from 1973-74 to 1979-80. Since the valuation of costs and benefits was attempted in each study at the prices current in the scheme area during the respective year, the monetary values of costs and benefits across the years and the regions covered by the schemes are not strictly comparable. Nevertheless, they indicate the order of magnitudes involve. In the case of minor irrigation investments, in order to provide a comparable picture, data relating to incremental foodgrains production per unit of investment have also been presented. Since incremental production of all commodities (foodgrains, cotton, sugarcane, etc.) cannot be aggregated in physical terms, it is indicated in terms of gross and net values. The physical magnitudes of variables such as the net area irrigated per well, the increase in cropped area and the rise in

foodgrains production are neutral to prices. However, these variables are not neutral to time in the sense that agricultural change is a continuing process and the physical magnitudes measured at one point of time may differ at some other time.

The impact of investments in different sectors is presented below.

Minor Irrigation

2.6. The term 'minor irrigation' includes dugwells, tubewells, river lift units and pumpsets. These investments augment the farm output, income and employment through improvements in cropping pattern, cropping intensity, crop yields and level of technology. Empirical data available so far through ARDC's studies relate to shallow tubewells and dugwells with pumpsets. The level of costs and benefits associated with these two investments is found to vary inter-se and between regions, even after providing for the influence of variation in prices used for evaluation in different studies. A shallow tubewell generated a flow of annual incremental net income ranging from Rs. 2,100 in Uttar Pradesh to Rs. 4,600 in Haryana. That these variations were not due entirely to price differences is borne out by a comparison of the additional production of foodgrains, net irrigated area and the increase in cropped area per unit of investment. The incremental foodgrains production varied from 5.00 tonnes in Uttar Pradesh to 5.70 tonnes in Bihar. Similarly, the increase in gross cropped area per unit varied from 0.56 hectare in Bihar to 1.81 hectares in Uttar Pradesh. These variations were broadly in tune with those in the net benefited (irrigated) area per unit, which ranged from 1.65 hectares in Bihar to 3.57 hectares in Haryana. Investment in a shallow tubewell led to the generation of additional on-farm employment, on a recurring basis, of 232 to 343 man-days per year. In other words, a shallow tubewell created additional on-farm employment for atleast one person round the year.

2.7. As for dugwells with pumpsets, the annual incremental net income per unit varied widely from Rs. 1,600 in Karnataka to Rs. 4,960 in Madhya Pradesh. These differences were also reflected in the incremental production of foodgrains per unit, which ranged from 1.20 tonnes in Karnataka to 3.50 tonnes in Madhya Pradesh. Increase in the gross cropped area per unit was the lowest at 0.28 hectare in Maharashtra and the highest at 0.61 hectare in Madhya Pradesh. The variation in the net benefited area ranged from 1.20 hectares in Karnataka to 3.20 hectares in Madhya Pradesh. The additional annual on-farm employment generated on a recurring basis by each unit varied from 145 to 300 man-days depending upon variations in the combined impact of net benefited area and the increase in cropped area per unit.

2.8. The financial rate of return varied from 22% to over 50% for shallow tubewells and from 21% to 37% for dugwells with pumpsets.

Land Development

2.9. Studies made in respect of two land development schemes within the command areas of major canal irrigation projects, one each in Karnataka and Andhra Pradesh, indicate that, on the average, investment in land development covering an area of about 3 hectares resulted in annual incremental net income of Rs. 5,800 to Rs. 7,900 and generated annual additional on-farm employment, on a recurring basis, of about 250 man-days per hectare. The financial rate of return exceeded 50% under both the projects. One reason for the favourable rate of return on this investment is that a part of the total investment cost is ignored. The benefits from land development in the command areas of major canal systems arise from both the public outlay on the irrigation system itself and the private outlay on land development. However, for working out the benefit-cost relationship separately for land development schemes (financial analysis), the public outlay is ignored since it is not borne by the individual beneficiaries.

Poultry

2.10. Investment in a poultry unit in Andhra Pradesh with 100 layers produced about 22.5 thousand eggs per annum (about five dozen eggs per day) which at 1974-75 prices were valued at Rs. 7,290. Such a unit yielded a net annual income of Rs. 1,165. The financial rate of return on the investment was 29%.

Marine Fisheries

2.11. Purchase of mechanized boats is an important item in this sector, the financing of which is undertaken with the primary objective of augmenting the fish catch, especially that of exportable varieties like prawns. In Karnataka, a unit with a mechanized boat of 30' length resulted in harvesting annually 50 quintals of prawns and 220 quintals of other fish jointly valued at Rs. 68,000 at 1975-76 prices. On the other hand a mechanized boat of 32' length collected an annual catch comprising 62 quintals of prawns and 260 quintals of other fish valued at Rs. 84,000. The investment resulted in the generation of additional annual employment on a recurring basis of 1,480 to 1,950 man-days per boat, which could provide round-the-year work for 6 to 8 fishermen. The financial rate of return on the investment was 41%-42%.

Dairy Development

2.12. Financing the purchase of milch animals, i.e. graded buffaloes and cross-bred cows, is a major component of dairy development. The data available for two states *viz.*, Punjab and Haryana, which have comparable conditions for dairying, indicate that a unit with one buffalo produced annually about 1,180 to 1,200 litres of milk and yielded a net income of Rs. 430 to Rs. 550 per unit, valued at 1976-77 prices. It also generated additional on-farm employment of about 200 man-days in a year.

Horticulture

2.13. In this sector, a wide variety of horticultural crops, *e.g.*, apple, pine-apple, orange, mango, grape, etc. is financed by ARDC. However, studies on the impact of investment are available in respect of only two crops, *viz.*, citrus (acid lime) and grapes.

2.14. Investment in the development of an acid lime garden in Andhra Pradesh on slightly more than a hectare of land, yielded, at full development stage, 4 lakh fruits (lime) per annum and generated an incremental net income of Rs. 15,000 at 1978-79 prices. The creation of additional on-farm employment was 345 man-days per annum.

2.15. In the case of grapes in Karnataka, investment in a one-acre (0.40 hectare) garden, resulted, on full development, in an annual production of grapes of 5.80 tonnes (valued at 1979-80 prices at Rs. 18,000) in the case of Anab-e-Shahi variety, and of 6.00 tonnes (valued at Rs. 28,000) in the case of Thompson seedless variety. The investment generated an incremental net income of Rs. 7,500 in the case of the former variety and Rs. 12,600 in the case of the latter variety. The financial rates of return were 22% and 39% for the two varieties. The creation of additional annual on-farm employment, of a recurring nature, was 500 man-days for Anab-e-Shahi and 600 man-days for the Thompson seedless varieties.

STATE-WISE PROFILES

Andhra Pradesh

During the year, refinance to the tune of Rs. 71.1 crores was availed of by member banks in the State as against Rs. 61.9 crores drawn in 1979-80 and Rs. 49.6 crores in 1978-79. The performance of APCCADB was noteworthy inasmuch as its share of Rs. 50.3 crores in the refinance was more than double that availed of by Com. Bks (Rs. 18.9 crores) and constituted over 70% of the total. Besides, the bank had taken active interest in the implementation of schemes in drought/flood affected areas. 3 RRBs together drew substantial amount of Rs. 1.5 crores. The SCB also improved its performance by availing refinance of Rs. 39 lakhs, as against Rs. 13 lakhs availed of by it in the previous year. This bank is also participating in the IDA assisted Andhra Pradesh Fisheries Project under implementation in the State.

3.2. Though a major portion of disbursements by ARDC was under minor irrigation (Rs. 41.6 crores) followed by

farm mechanization (Rs. 8.3 crores), refinance for diversified purposes excluding land development also increased substantially by Rs. 2.2 crores to Rs. 19.7 crores compared to last year.

Note . Figures shown in maps are in Rs. crores disbursed upto 30 June 1981 and cover major purposes only.

3.3. Intensive poultry development projects were initiated in 10 districts in the State. Refinance of the order of Rs. 4.9 crores was availed of in the State for poultry development during the year.

3.4. An interesting development in the State is that the State Government is evincing considerable interest in the market yard development programme with the preparation of a Master Plan for development of 100 markets. Individual proposals under the crash plan were being formulated in consultation with ARDC.

3.5. With the commitment of Rs. 113.5 crores during the year, cumulative commitments of ARDC stood at Rs. 498.9 crores at the end of the year against which cumulative disbursements aggregated Rs. 297.4 crores.

Assam

3.6. Refinance disbursed during the year at Rs. 6.1 crores showed a two-fold increase from the previous year (Rs. 2.9 crores). Though the refinance was drawn mainly by Com. Bks. RRBs as well as the SCB also had availed of assistance. The SLDB has been advised to start schematic lending and create a technical cell for the purpose. Plantation/horticulture sector continued to account for the major share of refinance disbursed while minor irrigation absorbed only Rs. 18 lakhs.

3.7. The refinance commitment made during the year at Rs. 19.8 crores was lower than Rs. 20.7 crores in 1979-80. Special mention may however be made of sanction of a project with ARDC's involvement to the tune of Rs. 8.3 crores for the installation of shallow tubewells and low lift points in 7 districts of Assam by the Assam State Minor Irrigation Development Corporation to be implemented over a two year period 1980-81 and 1981-82.

3.8 The cumulative disbursements made by ARDC totalled Rs. 16.1 crores out of total commitments of Rs. 67.9 crores.

3.9. The refinance availed of by banks in the State during the year under review at Rs. 24.5 crores is slightly lower compared to Rs. 24.7 crores in the previous year. Disbursements to Com. Bks including 8 RRBs accounted for Rs. 16.1 crores which constituted 66 per cent of the total. The lending to SLDB was of the order of Rs. 8.4 crores as against Rs. 3.6 crores in the previous year.

3.10. The overall proportion of refinance for minor irrigation and land development at Rs. 18.9 crores formed 77 per cent of the total disbursements, followed by farm mechanization at Rs. 4.0 crores. The lending for other diversified purposes at Rs. 1 6 crores was almost same as that of last year.

3.11. A Joint Study Team of the Corporation and RBI visited Bihar and had made some recommendations to rehabilitate SLDB. These have been accepted. The recovery performance of the SLDB also improved during the year.

3.12. IDA-assisted National Seeds Project, Phase II and Inland Fisheries Project were also under implementation in the State. While under the Seeds Project, State Bank of India disbursed Rs. 59 lakhs and drew refinance of Rs. 52 lakhs, under the Fisheries Project, sites for 2 hatcheries have been identified and approved by GOI.

3.13. During the year, Banking Plans under IRDP covering 7 districts with ARDC refinance of Rs. 8.9 crores involving participation of SLDB, 11 nationalised banks and 3 RRBs were sanctioned.

3.14. With refinance commitment of Rs. 34.1 crores during the year, the cumulative commitments at the end of the year amounted to Rs. 232.1 crores, against which cumulative disbursements aggregated Rs. 139.7 crores i.e. 60 per cent.

Gujarat

3.15. The total refinance disbursed in the State during 1980-81 was Rs. 20.4 crores which was less than the amount disbursed in the previous year (Rs. 25.0 crores). While refinance availed of by the SLDB was negligible at Rs. 0.7 crore, the Com. Bks also drew lesser volume of refinance at Rs. 19.7 crores as compared to Rs. 23.8 crores disbursed to them in the previous year. The continued low drawals by SLDB were due to the high level of overdues and consequent ineligibility of its branches to lend higher amounts. ARDC has, in consultation with the RBI, suggested further measures for the rehabilitation of the bank.

3.16. The investments for minor irrigation absorbed a major share of refinance at Rs. 14.5 crores or 71% of the total followed by farm mechanization at Rs. 2.6 crores. The balance of Rs. 3.3 crores was accounted by other diversified investments.

3.17. An IDA-assisted Marine Fisheries Project is under implementation, in which selected Com. Bks. are participating. The total refinance disbursed at the end of June 1981 under this project amounted to Rs. 2.1 crores.

3.18. The State has good potential for forestry development. During the year a forest development project has been sanctioned with refinance commitment of Rs. 3.9 crores. The project is expected to increase the availability of timber and bamboo, raise faster growing species of economic value and improve the infrastructural facilities and socio-economic conditions of the tribal population.

3.19. With the refinance commitment of Rs. 29.4 crores during the year the cumulative commitments increased to Rs. 175.9 crores as at the end of the year against which cumulative drawals amounted to Rs. 129.1 crores.

Haryana

3.20 The State continued to avail larger refinance from ARDC, thanks to the consistently good recovery performance of SLDB. Refinance availed increased from Rs. 21.0 crores in 1978-79 to Rs. 39.5 crores in 1979-80 and further to Rs. 49.3 crores in 1980-81. The share of Com. Bks in the refinance was larger at Rs. 27.5 crores as against Rs. 16.9 crores of SLDB, the balance of Rs. 4.9 crores relating to the short term finance was availed of mainly by the SCB, under the IDA-assisted Integrated Cotton Development Project.

3.21 Minor irrigation absorbed a major share (Rs. 21.0 crores) followed by farm mechanization (Rs 18.3 crores). Disbursements for other diversified purposes at Rs 10.0 crores were marginally higher than the amount disbursed during the previous year.

3.22 The Haryana Irrigation Project assisted by IDA is under implementation in the State since 1978. ARDC has cleared schemes under the project for construction of 2215 water courses, installation of 525 augmentation tubewells and construction of 24 out of 26 market yards under the project. While disbursements under the various programmes were picking up, the progress in implementation of the project was rather slow on account of scarcity of essential raw materials like cement, coal and bricks.

3.23 With the refinance commitment at Rs 62.6 crores during the year, the cumulative commitments at the end of the year amounted to Rs 277.3 crores against which cumulative drawals aggregated Rs 185.8 crores.

Himachal Pradesh

3.24 The disbursements made by the Corporation during the year at Rs 1.9 crores were marginally higher than those of Rs 1.8 crores during the previous year. Com. Bks were the main recipients (97%), refinance availed of by SLDB being low at about Rs 6 lakhs.

3.25 A major portion of the Corporation's disbursements to Com. Bks was for plantations and horticulture which accounted for Rs 1.5 crores, mostly under the IDA-assisted Apple Processing and Marketing Project. The other programmes for which disbursements were made by the Corporation where dairy development (Rs. 11 lakhs), poultry (Rs 12 lakhs) and IRDP (Rs 10 lakhs).

3.26 11 schemes involving ARDC's commitments of Rs 3.0 crores were sanctioned during the year as compared to 8 schemes with ARDC's commitments of Rs 62 lakhs sanctioned in the previous year. The total commitments of the Corporation amounted to Rs. 12.2 crores as on 30 June 1981, of which total refinance availed of was Rs 4.8 crores.

3.27 An IDA-assisted Apple Processing and Marketing Project has progressed satisfactorily during the year. During the year ARDC sanctioned schemes under the project for 6 grading/packing centres including 5 with cold storage, 4 grading centres, one transhipment centre and one apple juice concentrate plant.

Jammu & Kashmir

3.28 The offtake of refinance in the State improved during the year to Rs 59 lakhs from Rs 12 lakhs in 1979-80. This improvement was shared equally by the SLDB and the Com. Bks. While the SLDB's drawals were mainly for farm mechanization schemes and work bullocks, the Com. Bks participated also in financing horticulture and dairy development besides farm mechanization. A major portion of the drawal (Rs. 30 lakhs) related to farm mechanization schemes followed by horticulture schemes (Rs. 25 lakhs).

3.29 A significant development during the year was that under the IDA-assisted Jammu & Kashmir Horticulture Project the participating banks had sought refinance in respect of credit provided by them for setting up of some of the apple grading centres. ARDC had sanctioned schemes for setting up of 9 more apple grading centres, 8 walnut centres involving refinance of Rs. 2.8 crores during the year under this project. Another welcome development was that the entire State had been covered by one or the other of ARDC schemes.

3.30 During the year, ARDC sanctioned 21 schemes with refinance assistance of Rs 3.1 crores as compared to 6 schemes with refinance commitment of Rs. 78 lakhs in the previous year. The cumulative commitments of ARDC stood at Rs. 5.6 crores under 37 schemes as at the end of June 1981 out of which the financing banks had drawn Rs. 1.9 crores.

Karnataka

3.31. Refinance to the tune of Rs. 17.8 crores availed of by financing institutions in the State during the year represented an increase of about 27 per cent over the level of disbursements of about Rs. 14 crores during each of the years 1978-79 and 1979-80. The Com. Bks and SLDB shared the refinance disbursed almost equally. The disbursements to SLDB at Rs. 8.5 crores during the current year were more than double the amount of refinance (Rs. 4.0 crores) availed of during 1979-80. The balance amount of Rs. 0.8 crore was availed of by the RRBs.

3.32. The schemes for minor irrigation including those under the REC programme of energisation of pumpsets absorbed Rs. 5.7 crores reflecting continued demand for minor irrigation investment, while farm mechanization and diversified purposes accounted for Rs. 3.4 crores and Rs. 8.7 crores respectively. Of the diversified purposes ,plantation/horticulture accounted for Rs. 2.6 crores followed by fisheries (Rs. 1.8 crores) and IRDP (Rs. 1.4 crores) and the balance of Rs. 2.9 crores was disbursed for market yards, poultry, dairy, sheep breeding etc. schemes. A notable feature of this year was that disbursements under IRDP were higher as against a meagre sum of Rs. 3 lakhs disbursed during the previous year.

3.33 Karnataka is the only State in which six IDA-assisted projects were in operation. The IDA credit to be routed through ARDC under the Karnataka Agricultural Wholesale Markets Projects has been fully utilized during the year. Two other projects viz. Dairy Development and Sericulture Projects are under implementation.

3.34 With the refinance commitment of Rs 36.1 crores under the schemes sanctioned during the year, the cumulative commitments of ARDC stood at Rs 248.7 crores as at the end of the year against which cumulative drawals aggregated Rs 135.9 crores.

Kerala

3.35 There was a significant improvement in availment of refinance by financing institutions in the State during the year 1980-81. The disbursements of the Corporation in the State improved from Rs 10 0 crores during 1979-80 to Rs 14.2 crores during 1980-81 showing an increase of 42% over the last year. The SLDB's share was higher at Rs 7.7 crores (54%) than that of the Com. Bks at Rs 6.4 crores (45%), the balance of Rs 0.1 crore being absorbed by the RRBs.

3.36 Minor irrigation registered a marginal increase in drawals from Rs 4.1 crores in 1979-80 to Rs 4.3 crores during 1980-81. Drawals under plantation and horticulture amounted to Rs 7.1 crores and accounted for 50% of total, as against Rs 3.3 crores during the previous year. A major portion of this year's disbursements (Rs 4.2 crores) under this category was under the IDA-assisted Kerala Agricultural Development Project (KADP).

3.37 During the year, an IRDP banking plan for one district with an aggregate refinance assistance of Rs 1.0 crore was sanctioned, of which a sum of Rs 2 lakhs was availed of.

3.38 As in the previous two years, the recovery performance of SLDB continued to be satisfactory with overdues at less than 5% of demand. Except one Primary Land Mortgage Bank (PLMB) all the other 29 units were eligible for unrestricted lending.

3.39 With the refinance assistance of Rs 8.9 crores sanctioned during the year, the cumulative ARDC commitments as at the end of June 1981 amounted to Rs 100.3 crores, against which total amount disbursed by the Corporation was Rs 45.6 crores.

Madhya Pradesh

3.40 There had been a marginal increase in the refinance disbursed during the year at Rs 38.0 crores when compared to the previous year (Rs 36.5 crores). Com. Bks accounted for a major share of the disbursements (71%). Their drawal of refinance increased from Rs 24.6 crores in 1979-80 to Rs 27.1 crores in 1980-81, while the share of SLDB declined from Rs 11.8 crores to Rs 10.9 crores during the same period. The performance of SLDB was constrained by heavy overdues of several PLDBs and their consequent restricted lending eligibility. Disbursements continued to weigh in favour of minor irrigation (84%) followed by farm mechanization (6%), storage (4%) and land development (4%).

3.41 Madhya Pradesh is the beneficiary of two command area development projects, one assisted by IDA and the other assisted by West German Government (KFW). While under the former project the disbursements are yet to be made, under the latter, disbursements amounted to Rs 2.5 crores upto 30 June 1981.

3.42 The refinance commitments under schemes sanctioned during the year were Rs 98.4 crores as against Rs 106 crores during the previous year. The aggregate commitments since inception stood at Rs 393.5 crores of which Rs 178.9 crores were utilised till the end of the year.

Maharashtra

3.43 Refinance disbursed during the year at Rs 51.7 crores recorded an appreciable rise of about 40 per cent over the disbursements of Rs 36.9 crores in the preceding year.

3.44 The refinance availed of by SLDB was higher by Rs 13.4 crores over the previous year (Rs 20.4 crores), showing an increase of over 65 per cent. Com. Bks. availment marginally increased from Rs 16.5 crores in 1979-80 to Rs 17.9 crores in 1980-81. Amongst the purposes, minor irrigation continued to dominate by absorbing Rs 37.9 crores of which more than 86% was accounted by SLDB. While share of farm mechanization at Rs 3 crores was entirely availed of by Com. Bks, the balance of Rs 10.8 crores related to other diversified purposes.

3.45 An IDA assisted Command Area Development Project is under implementation in the state. The disbursements under the project aggregated Rs 2.7 crores upto 30 June 1981.

3.46 A significant development during the year was approval of a forestry project covering four forest regions in Nagpur, Chandrapur, Nasik, Thane, Bhandara, Dhule and Nanded districts envisaging development of new teak plantations in an area of 57400 ha. at an estimated cost of Rs 31.5 crores, the Corporation's commitment being Rs 18.6 crores. Also a mention may be made of the sanction of the project for establishment of the two poultry development centres for breeding, research and development of Pureline Foundation Stock of Babcock layers and Cobb Broilers approved by the Corporation in the State, in the context of the proposed ban on import of grand parent stocks.

3.47 With the refinance commitment of Rs 78.2 crores during the year the cumulative commitments of the Corporation stood at Rs 331.1 crores as at the end of the year against

which cumulative drawals aggregated Rs 219.9 crores.

Manipur

3.48 Out of total refinance of Rs 9 lakhs disbursed by ARDC during the year, the SCB and Com. Bks availed of Rs 7 lakhs and Rs 2 lakhs respectively. Purposewise, farm mechanization absorbed major portion at Rs 6 lakhs with minor irrigation absorbing Rs 1 lakh. The balance of Rs 2 lakhs was for other diversified purposes like work bullock schemes. Groundwater potential was not being exploited in the State due to physiographical constraints. The constraints referred to in the last report viz., weakness of the co-operative credit structure, lack of response from farmers and absence of land records in hilly areas continued to affect the progress in the formulation and implementation of the agricultural development schemes in the State. Cumulative drawals at the end of the year stood at Rs 1 crore against commitments of Rs 2.7 crores.

Meghalaya

3.49 For the first time, refinance of Rs 1 lakh was drawn from ARDC during 1980-81 in respect of a dairy development scheme sanctioned to a commercial bank during the year. Forestry development was a major purpose for which a commitment of Rs 44 lakhs was made earlier by ARDC but no drawals had been made so far under this scheme though the documentation work had been completed.

3.50 Five schemes (4 dairy and 1 orange plantation) were sanctioned during the year with financial assistance of Rs 54 lakhs and refinance assistance of Rs 49 lakhs. The total number of schemes sanctioned has increased to 10, with ARDC's commitments of Rs 1.1 crores of which Rs 72 lakhs is in favour of Com. Bks and Rs 36 lakhs in favour of SCB.

Nagaland

3.51 Out of 3 schemes sanctioned by ARDC during the year with commitment of Rs 41 lakhs, one was for coffee plantation involving financial assistance of Rs 29 lakhs and ARDC refinance of Rs 26 lakhs. The total number of schemes sanctioned in the State at the end of June 1981 stood at 9 involving ARDC commitments of Rs 88 lakhs, of which a sum of Rs 30 lakhs was for land development and the balance of Rs 58 lakhs related to diversified purposes. No refinance was drawn during the year. The cumulative disbursements stood at the same level of Rs 18 lakhs as mentioned in the previous Report. The main factors affecting the progress of agricultural development in the State are absence of land records, lack of motivation among farmers, lack of technical staff and inadequacy of infrastructural facilities.

Orissa

3.52 Refinance to the tune of Rs 19.8 crores availed of by the State during the year was about 50% higher than the previous year (Rs 13.2 crores). However, it represented more than two-fold increase as compared to the position 2 years ago (Rs. 8.7 crores in 1978-79). The Com. Bks continued to maintain their lead in this respect by absorbing Rs 10.0 crores or 50% of the total. SLDB's share also increase from Rs 2.9 crores in 1978-79 to Rs 7.4 crores during the year. The balance of Rs 2.4 crores was availed of by the SCB. The performance of financing banks during the year would still have been better but for the floods in 8 out of 13 districts.

3.53 The schemes for minor irrigation absorbed Rs 12.8 crores and those for diversified purposes accounted for the balance of Rs 7.0 crores. A welcome development during the year was that under IRDP 8 banking plans covering 123 blocks involving ARDC commitment of Rs 22.8 crores were approved and a sum of Rs 1.5 crores was disbursed thereunder.

3.54 In the last Report, a reference was made to ARDC officers' visit to tribal blocks for formulation of a scheme for construction of dugwells. The scheme has been sanctioned during the year with ARDC commitment of Rs 5.8 lakhs covering exclusively the tribal beneficiaries in Rayagada block in Ganjam district.

3.55 A seed processing plant complex at Bargarh in Sambalpur district under National Seeds Project, Phase II and a cashew programme for small holders under the Multi-State Cashew Project have been sanctioned during the year.

3.56 Under the Inland Fisheries Project outline plans and estimates have been prepared for 2 hatcheries and the approval of the Central Project Unit of GOI has been obtained for one.

3.57 With the refinance commitment of Rs 46.8 crores during the year, the cumulative commitments of ARDC stood at Rs 145.6 crores as at the end of the year against which cumulative disbursements aggregated Rs 60.2 crores.

Punjab

3.58 Refinance to the tune of Rs 67.5 crores was availed of by member banks in the State during the year as compared to Rs 50.2 crores in 1979-80. However, it represented more than fourfold increase as compared to the position two years ago (Rs 16.3 crores in 1978-79). The Com. Bks continued to maintain their lead in this respect by absorbing Rs 49.9 crores or 74% of the total. SLDB's share also increased from only Rs 3.5 crores in 1978-79 to Rs 17 crores during the year. The balance of Rs 0.6 crore was availed of by the SCB. Among other factors, good recovery performance of the SLDB accounted for the rapid expansion of development finance in the State.

3.59 The schemes for farm mechanization absorbed Rs 43.3 crores reflecting continued demand for tractors, while minor irrigation and diversified purposes accounted for Rs 15.5 crores and Rs 8.7 crores respectively. A major part of the disbursements under minor irrigation was under the IDA-assisted Punjab Irrigation Project which involved lining of water courses and sinking of deep tubewells. A welcome development during the year was that the SLDB had, for the first time, financed schemes for diversified purposes like dairy, poultry farming, and animal driven carts which largely benefit weaker sections of the rural community. Further, the State Government had proposed an ambitious project for horticultural development in the State, covering 25,000 acres for fruit orchards over a 5-year period. ARDC has initially approved a smaller programme of development of 10,000 acres in a 2-year period. Such schemes should result in greater diversification of the lending pattern in the State.

3.60 Besides the Irrigation Project, an IDA-assisted National Seeds Project, Phase I is under implementation in the State. Under this project, ARDC approved during the year a proposal for setting up of a seed processing plant at Kartarpur in Jullundur district.

3.61 With the refinance commitment of Rs 58.5 crores during the year, the cumulative commitments of ARDC stood at Rs 291.7 crores as at the end of the year against which cumulative drawals aggregated Rs 211.0 crores.

Rajasthan

3.62 The total disbursements of refinance increased from Rs 16.2 crores in 1978-79 to Rs 18.2 crores in 1979-80 and further to Rs 18.9 crores in 1980-81. The share of Com. Bks including RRBs was larger at Rs 11.4 crores as against Rs 6.9 crores availed of by SLDB; the balance of Rs 0.6 crore was availed of by the SCB under the Antyodaya Programme intended to provide financial assistance to the poorest of the poor in the State. Minor irrigation and land development absorbed a major share (Rs 10.0 crores) and accounted for 53 per cent of the total disbursements. While generally the trend of disbursements under various other purposes was the same as last year, disbursements under farm mechanization schemes improved by nearly Rs 2.3 crores.

3.63 Under the two IDA/IBRD assisted Command Area Development Projects (CADP), the progress was slow due to shortage of construction materials like cement and coal and procedural difficulties connected with alienation of land, high overdues of cultivators, delay in updating land records etc. Under the two projects an aggregate sum of Rs 8.2 crores has been drawn by the banks upto 30 June 1981. During the year, the banking plan under the Command Area Development and Settlement Project assisted by the International Fund for Agricultural Development (IFAD) was finalised.

3.64 With the refinance commitment of Rs 27.8 crores during the year, the cumulative commitments at the end of

the year amounted to Rs 183.3 crores of which Rs 89.7 crores had been availed of by banks in the State.

Sikkim

3.65 ARDC has not so far been able to extend its refinance facilities to this state due to certain difficulties in the banking infrastructure. Recently the Governor of Sikkim held discussions wih ARDC and it has been agreed to finance schemes being sponsored by two Com. Bks. which have branches in the State. The matter is being pursued with the State authorities as well as the banks concerned.

Tamil Nadu

3.66 The banks in Tamil Nadu could draw refinance to the extent of Rs 12.9 crores during the year 1980-81 as against Rs 9.6 crores in the previous year. The Com. Bks accounted for a major share of the refinance disbursed. The SLDB was mainly engaged in a rehabilitation effort and could avail of refinance to the extent of Rs 1.3 crores only because of the ineligibility of many PLDBs.

3.67 The IRDP schemes picked up momentum in the State during the year and the Com. Bks. could draw refinance to the extent of Rs 4.9 crores covering their advances under IRDP. Pandyan Grama Bank has come in a big way for participating in the IRD programme and could draw refinance from ARDC to the extent of Rs 77 lakhs. The other schemes covered by the Com. Bks were mainly in diversified loaning including farm mechanization.

3.68 The SLDB was mainly engaged in rephasement of its dues in respect of farmers affected by natural calamities and also in large scale recoveries of its outstanding loans. The State Government actively helped in the recovery of dues and the collections reached the level of Rs 21 crores by the end of June 1981. This together with the rephasement of loan instalments due from farmers affected by natural calamities rendered a large number of PLDBs eligible for lending. As against 182 units, 161 units gained eligibility for fresh lending. With this, it is expected that loaning by SLDB in the State will pick up in the year 1981-82.

3.69 Total sanction of refinance during the year was to the tune of Rs 16.7 crores bringing the cumulative ARDC commitments to Rs 145.5 crores. The cumulative drawals against the commitments stood at Rs 116.8 crores.

Tripura

3.70 Refinance provided in the State during the year was lower at Rs 7 lakhs as compared to Rs 11 lakhs disbursed in the previous year. Purposewise, farm mechanization absorbed Rs 1 lakh while the balance of Rs 6 lakhs was utilised for diversified purposes comprising Rs 1 lakh for fisheries development, Rs 4 lakhs for plantation and horticulture and Rs 1 lakh for other purposes. Though no drawal was made under the forestry development scheme sanctioned to the Tripura Forest Development and Plantation Corporation, the scheme has made good progress and drawals would be made as soon as documentation work is completed.

3.71 Progress in the agricultural development of the State is constrained by weakness of the co-operative credit structure, absence of infrastructural facilities, the non-availability of uptodate land records and lack of motivation among the tribals.

3.72 Total commitments of ARDC in the State amounted to Rs 4.2 crores as at the end of June 1981 of which a sum of Rs 3.1 crores was committed during the year in respect of 44 schemes. Cumulative refinance availed of by the financing banks in the State stood at Rs 30 lakhs at the end of the year.

Uttar Pradesh

3.73 The State continued to avail of sizeable refinance from ARDC, which increased from Rs 48.8 crores in 1978-79 to Rs 56.6 crores in 1979-80 and further to Rs 72.5 crores in 1980-81. The share of the SLDB in the refinance was larger at Rs 38.2 crores as against Rs 34.3 crores availed of by Com. Bks. SLDB's performance improved considerably inasmuch as refinance availed of has increased by about Rs 10 crores (from Rs 28.7 crores in 1979-80 to Rs 38.2 crores in 1980-81) while Com. Bks accounted for an increase of Rs 6.4 crores over the previous year.

3.74 Minor irrigation including energisation of pumpsets accounted for the major share (Rs 51.4 crores) followed by farm mechanization (Rs 16.5 crores). Diversified purposes accounted for only Rs 4.6 crores. With the approval of schemes for 2 new blocks, all the blocks in the State are now covered by ARDC schemes.

3.75 The National Seeds Project, Phase II and the Inland Fisheries Project assisted by IDA are under implementation in the State. While under the Seeds Project ARDC approved a proposal for farm development and seed processing-cum-cold storage, a few schemes for development of pond fisheries were approved under the Inland Fisheries Project.

3.76 With the refinance commitment of Rs 149.7 crores during the year, the cumulative commitments of ARDC stood at Rs 626.4 crores as at the end of the year against which the cumulative drawals aggregated Rs 334.8 crores.

West Bengal

3.77 Refinance to the tune of Rs 9.84 crores was availed of by the State during the year 1980-81 which was marginally higher than Rs 9.81 crores disbursed in the previous year. The Com. Bks continued to maintain their lead by accounting for Rs 6.4 crores of refinance or 65% of the total while the SLDB accounted for Rs 3.4 crores or 35% of the total.

3.78 An IDA assisted Agricultural Development Project under implementation in the State was fully implemented and closed by 31 March 1981.

3.79 Purposewise, minor irrigation schemes occupied the most important place accounting for refinance of Rs 5.1 crores. The refinance disbursed for diversified purposes including plantation and forestry amounted to Rs 4.7 crores.

3.80 Government of West Bengal has decided to implement the schemes of community nature through the Panchayat Samitis and Zilla Parishads under the IRD Programme. ARDC has agreed on an experimental basis to refinance banks lendings to Panchayat Samitis and Zilla Parishads subject to certain assurances and safeguards from the State Government. The relevant Tripartite Agreements between the State Government, ARDC and financing banks are currently under execution.

3.81 Under the IDA assisted Inland Fisheries Project, so far, ARDC has sanctioned 28 schemes with refinance assistance of Rs 1.2 crores.

3.82 A special feature of development in the State is formulation of a project by the State Government for development of Sunderban area with financial assistance from IFAD. The project with an estimated outlay at Rs 31.8 crores and IFAD's credit at Rs 14.0 crores has been approved. Of this, the programme to be implemented with institutional credit would entail an outlay of Rs 2.0 crores requiring refinance of Rs 1.7 crores from ARDC.

3.83 With the commitment of Rs 26.5 crores during the year, the cumulative commitments of the Corporation in the State aggregated Rs 105.2 crores as at the end of June 1981 against which cumulative availment was of the order of Rs 47.7 crores.

IMPORTANT POLICY DECISIONS DURING THE YEAR

(1) Period of loans for pumpsets

In the light of representations received from the financing institutions especially from SLDBs for enhancement in the period of loans for pumpsets, the Corporation decided to increase the maturity period of loans for pumpsets from 7 years to 9 years for all types of farmers. The maximum period of composite loans for small farmers identified under ARDC definition continues to be 15 years with repayment period for pumpset loans increased to 9 years. The enhanced maturity period for pumpset loans was made applicable in respect of fresh loans disbursed by the financing institutions after 1 October 1980.

(2) *Interest rates*

4.2 Consequent upon revival of tax by GOI during 1980-81 on interest earnings of scheduled commercial banks and the decision to pass on the incidence of such tax to the ultimate borrowers, the rates of interest to be charged by

the financing banks to the ultimate borrowers under ARDC schemes were revised by the Corporation as under with effect from 1 July 1980 in conformity with the directives issued by RBI :

Purpose	Rate of interest to ultimate borrowers (not exceeding)
(*a*) Minor irrigation and land development	10·25 per cent per annum
(*b*) Diversified purposes	
(*i*) Small farmers	10·25 ,,
(*ii*) Others	11·35 ,,

To maintain parity as regards interest rates charged by Com. Bks, SLDBs and SCBs which were not liable to pay tax were advised to charge the above rates to their borrowers.

4.3 With the subsequent revision of general interest rate structure by RBI in March 1981, the rates of interest to the ultimate borrowers under ARDC schemes were further revised by the Corporation as shown below and were made applicable to the loans sanctioned by the financing banks under ARDC schemes with effect from 2 March 1981 :

Purpose	Rate of interest to ultimate borrowers
(*a*) Minor irrigation on land development	10·25 per cent per annum
(*b*) Diversified purposes	
(*i*) Small farmers	10·25 ,,
(*ii*) Others	12·50 ,,

It is mandatory for banks to charge the prescribed rates. The rates of interest on ARDC refinance to the financing institutions obtaining immediately prior to 1 July 1980 however remained unchanged.

4.4 With a view to increasing the margin from 2 per cent to 3 per cent to the implementing agency in the Command Area Development Programmes (CADP), the rates of interest to be charged by the ARDC to the financing banks and those charged by the latter to the implementing agency as also the rates charged on Special Loan Account to the ineligible farmers under the Command Area Development Projects were revised by the Corporation as under with effect from 1 July 1980 :

Particulars	Old rate of interest	Revised rate of interest
(*a*) On ARDC refinance to the financing banks out of Special Loan Account	10 per cent per annum	9 per cent per annum
(*b*) Financing banks to Land Development Corporation (LDC) /Command Area Authority (CAA)	11 ,,	10·80* ,,
(*c*) LDC/CAA to inteligble beneficiary farmers	13 ,,	13·80 ,,

*Includes the tax payable by Com. Bks.

(3) *Refinance facility for setting up of Janata Biogas (gobar gas) plants*

4.5 ARDC had earlier extended refinance facility for installation of gobar gas plants of the type designed by Khadi and Village Industries Commission (KVIC). Corporation decided during the year to extend refinance facility to the eligible institutions for the installation of Janata type biogas plants subject to certain terms and conditions.

(4) *Refinance for construction of milk houses (Dudhghar) by village milk co-operative societies*

4.6 Under the National Dairy Project (Operations Flood Phases I and II), it is envisaged to organise a large number of dairy co-operative societies in the country in the next few years. Considering the need for funds, ARDC agreed to provide refinance, on a selective basis, to the eligible institutions for construction of milkhouses by the village co-operative milk societies. Suitable guidelines covering the terms and conditions of ARDC refinance were issued.

(5) *Refinance facility for replacement/revitalization of machinery/equipments*

4.7 With a view to enabling savings in capital costs and for better utilization of the existing equipment by replacing some of its parts and thereby enhancing its useful life, the Corporation agreed to refinance the banks in respect of loans given by them for replacement of major parts or additions to heavy equipments like mechanised fishing boats, milk processing plants, bulldozers/drilling rigs etc. where the amount involved was Rs. 0.50 lakh and more.

(6) *Recovery performance of commercial banks*

4.8 Mention was made in the last year's Report about the measures taken by ARDC to improve the recovery performance of Com. Bks under agricultural term loans. In the light of a recommendation made by Committee on Agricultural Loans through Commercial Banks (CALCOB), the banks were advised during the year that in case of branches with overdues exceeding 50 per cent of demand under term loans, the Com. Bks will have to submit along with the scheme, concrete action plan indicating steps taken/to be taken for reducing the overdues. If the information furnished or measures suggested by the bank are not to the satisfaction of ARDC, Corporation may indicate further measures subject to which only refinance can be sanctioned.

(7) *Enhancement of delegated powers of sanction of refinance*

4.9 For expeditious sanction of schemes, certain limited powers of sanction of refinance were delegated by the Corporation to the Senior Officers in Head Office as well as officers-in-charge of the Regional Offices as mentioned in the Report for 1978-79. ARDC reviewed the position in this behalf during the year and enhanced the limits of delegated powers to the above officials suitably.

(8) *Loans to small farmers by PLDBs under IRDP-Relaxations in overdues discipline*

4.10 With the decision of GOI to extend the IRD Programme to all the blocks in the country and setting up of a separate agency viz. District Rural Development Agency in each district to administer, monitor and supervise the implementation of special programmes, RBI/ARDC decided to extend the relaxations in the overdues discipline available to PLDBs/branches of SLDBs for their lendings to small farmers under special programmes to their lendings under IRDP also. Accordingly, PLDBs/branches of SLDBs having some eligibility for fresh lending would be eligible to unrestricted lending for financing families identified under IRDP. PLDBs/branches having no eligibility for fresh lending under the overdues criteria would also be eligible for lending to such identified families under IRDP provided a rehabilitation programme is prepared for the concerned PLDB/branch to the satisfaction of RBI/ARDC.

MAJOR OBJECTIVES AND ACHIEVEMENTS

The Corporation had a fresh look at its objectives keeping in view the national policy and priorities and its role as a development bank. The major objectives set before itself by the Corporation are : (i) increase in agricultural production and employment through investments in agricultural and allied sectors; (ii) reduction in regional imbalances; (iii) larger coverage of small farmers and other weaker sections under the schemes including greater participation in IRD programme and (iv) institution building. Several steps were taken by the Corporation during the year towards achieving these major objectives. It has extended necessary help to banks and state governments in translating their development programmes into bankable projects and provided refinance support for their implementation, as may be evidenced from the performance reviewed in Chapters 1 and 3.

5.2 Evaluation of the ARDC schemes already implemented has revealed that the main objective of achieving increased agricultural production through extension of irrigation by use of modern technology was largely achieved and financial returns to the farmers were satisfactory. The scheme formulation efforts in the less-developed areas were stepped up

during the year. The refinance disbursed in the less-developed areas increased from Rs 164 crores in 1979-80 to Rs 192 crores out of total disbursement of Rs 499 crores (Table 16).

TABLE 16—DISBURSEMENTS MADE IN LESS DEVELOPED/UNDER BANKED STATES

(Rs. crores)

Year	Sanctions		Disbursements
	No. of schemes	ARDC Commitments	
1976-77	725	128	101
1977-78 . . .	917	141	113
1978-79	1237	273	127
979-80	1749	371	164
1980-81 . . .	1970	413	192
As on 30 June 1981 . .	7448	1781	875

5.3 As part of its institution building efforts, ARDC in collaboration with RBI had earlier drawn up rehabilitation programmes for the SLDBs, including their affiliated primaries or branches under unitary structure, in five states, viz. Bihar, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra and Karnataka. One important aspect of the programme related to rephasement of the dues of borrowers to these SLDBs in areas affected by natural calamities and consequent deferment of SLDBs' obligations to the refinancing agency. A team of senior officers from ARDC and RBI had visited the states concerned and finalised such proposals. The state governments concerned have also, on the advice of RBI/ARDC, extended necessary financial assistance for strengthening the financial position of these SLDBs. In order to arrest the increasing trend of agricultural overdues of Com. Bks., ARDC, in pursuance of the recommendations made by the CALCOB, has issued guidelines to the Com. Bks covering various aspects relating to deployment of adequate and experienced staff for recovery work, taking persuasive/coercive measures for recovery against wilful defaulters and timely grant of relief to clients by way of conversion/rephasement of loans in the event of natural calamities. ARDC has also advised the Com Bks that information regarding overdues position of implementing branches should be invariably furnished with scheme proposals and in cases where overdues exceed 50 per cent of demand, steps satisfactory to ARDC should be taken

Small Farmers Coverage

5.4 Since 1975, ARDC has placed greater emphasis on improved coverage of small farmers under its schemes. The cut-off point for classification of a small farmer beneficiary is drawn in relation to subsistence level of income for a rural family of 5 persons during the pre-development period. The ceiling which was earlier fixed at Rs. 2 000/- at 1972 prices was revised to Rs 3 500/- at 1979-80 prices during the year. State-wise, the variations in the income ceilings range from Rs. 3,200/- to Rs 3 900/- This definition of a small farmer beneficiary, as evolved by ARDC, is such that even the landless but economically weak rural households would fall within its scope

5.5 ARDC continued to provide concessions such as lower down payment, lower rate of interest and longer repayment period for investments by small farmers Special schemes of GOI involving capital subsidy are also refinanced by ARDC The programmes cover both land-based and non-land-based investments. Emphasis is also placed on a larger coverage of the scheduled castes and scheduled tribes

5 6 Following the intensive efforts made over the last 5 years the share of small farmers in the total refinance disbursed under ARDC schemes rose from 35% in 1975-76 to 58% in 1979-80 and further to 60 3% during the year under review (Table 17 below) :

TABLE 17—FINANCE TO SMALL FARMERS*

(Rs. crores)

Purpose	Total disbursements during 1980-81	Disbursements to small farmers during 1980-81		Percentage
		Amount	No. of accounts	
Minor irrigation and land development . .	276·5	176·5	235000	63·8
Diversified purposes. .	78·7	37·6	94000	47·8
Total . . .	**355·2**	214.1	**329000**	**60·3**

Note : Excludes farm mechanization, storage and market yards interim finance to SLDBs, ICDP forestry and National. Sed Projects.

*Figures provisional.

Though the data are based on the information received from banks, ARDC's experience has been that the banks tend to under-report the small farmer achievements due to use of SFDA acreage ceilings to identify small farmers.

5.7 ARDC had taken a lead under the IRDP which is a special programme for the benefit of the target group, by preparing 208 banking plans covering 1538 blocks, in which its commitments aggregated Rs. 146.4 crores as at the end of June 1981. The drawals thereunder amounted to Rs. 17.2 crores only as on that date mainly because of the grant of loans under Differential Rate of Interest Scheme by Com. Bks and the time-lag between disbursements and drawal of refinance. With the extension of the programme to cover all the blocks in the country, ARDC, with the concurrence of RBI, had entrusted to the lead banks the work of preparation of such plans as part of their Annual Action Plans.

PROJECTS WITH EXTERNAL AID

1. IDA/IBRD Assisted Projects

As at the end of June 1981; ARDC has been associated with the implementation of forty World Bank Group assisted projects. Besides three General Lines of Credit for $ 525 million, the other projects comprised twelve agricultural credit projects, seven command area development projects, three dairy development projects, three seeds projects, three fisheries projects, 2 market yards projects, 2 horticultural project, two irrigation projects, an integrated cotton development project, a multistate cashewnut project and a sericulture project. Of the total credit of $ 2,060 million sanctioned by the World Bank Group under these projects, credit of the order of $ 1,200 million is being routed through ARDC for investments to be supported with institutional credit. The disbursements of ARDC refinance till the end of June 1981 under the various World Bank Group projects amounted to Rs. 1,290 0 crore contributing to the flow of foreign exchange to the country of the order of $ 905 million.

6 2 The purposewise lending programme., disbursements made so far under the projects and the amount of IDA credit eligible for reimbursement at the end of June 1981 are presented in the following Table 18 ·

6.3 Brief details of on-going projects are given in Statement 11 The details regarding lending programmes, disbursements and other data are presented in Statement 12

6 4 During the year under review, two projects, namely, West Bengal Agricultural Development Project and Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project were completed. Thus, sixteen projects including two general lines of credit (for a credit of $ 275 million) involving an IDA credit of $ 634 million have been fully implemented by June 1981 The progress in implementation of the on-going World Bank Group assisted projects is discussed in the following paragraphs.

TABLE 18—IDA/IBRD PROJECTS ACCORDING TO PURPOSE

(Rs. crores)

Purpose	Disbursement necessary to utilise the IDA credit	Amount of IDA/ IBRD assistance fos ARDC programme	Refinance provided by ARDC as on 30 June 1981	Amount of disbursement from IDA IBRD through the GOI as on 30 June 1981	Amount of credit eligible from IDA against ARDC disbursement ($/million)
1. Minor irrigation	1230·9	682·7	1021·6	587·1	761·2
2. Land development	11·7	8·3	5·8		
3. Farm mechanization	95·4	59·7	65·0		
4. Market yards development	23·8	17·2	22·3	17·3	21·7
5. Processing and marketing of horticulture produce	14·3	12·6	3·7	—	4·5
6. Dairy development	41·1	33·6	0·3	—	0·3
7. Command area development	68·6	46·5	13·6	8·1	10·6
8. Seeds production	51·0	35·9	3·6	2·2	2·5
9. Fisheries development	28·7	15·5	2·7	1·2	1.7
10. Cotton development and processing†	16·1	10·3	8·5	4·8	7·5
11. Sericulture	5·9	3·5	0·2	—	0·1
12. Cashewnut development	20·7	11·8	0·3	—	0·3
13. Diversified purposes	120·5	61·8	136·4	62·3	90·3
14. Others*	50·6	24·0	6·0	3·1	4·4
	1779·3	1023·4	1290·0	686·1	905·1@

*Rubber processing, coconut development etc. under Kerala Agricultural Development Project.

†Includes short-term credit of $7·5 million earmarked for growing improved variety of cotton under the ICDP.

@Does not include credit from donor countries.

A. ARDC Credit Projects

6.5 The Third ARDC Credit Project involving a credit of $250 million is under implementation from January 1980. ARDC disbursements under this project for minor irrigation and land development purposes amounted to Rs 274.9 crores; for diversified purposes refinance disbursed was of the order of Rs 102.1 crores. The total disbursements under the project till the end of the June 1981 at Rs. 377.0 crores (excluding expenditures under the training category) exceeded the disbursements of Rs. 335.0 crores expected while appraising the project. Under the training component, an expenditure of Rs 1.0 crore has been incurred so far.

6.6 Nineteen States/Union Territories have benefitted under this project for investments in minor irrigation and land development schemes; in regard to schemes for diversified lendings, the disbursements under this project were spread over twenty two states/union territories. The disbursements under this category are larger than what was anticipated at appraisal. Amongst the diversified purposes, ARDC disbursements for plantation and horticulture (Rs 23.8 crores), animal husbandry (Rs 20.4 crores) and fisheries development (Rs 14.6 crores) programmes were sizeable.

6.7 As part of the project, with the objective of introducing an All-India programme for the supervision and improvement of quality controls over minor irrigation works, pilot studies were conducted and completed in six states. The findings of the studies will be used to draw up guidelines for introduction of quality control measures in each state.

6.8 Mention was made in the last year's Report of the preparation of project proposals for sanction of the Fourth General Line of Credit to ARDC from IDA. During the year, the project report was submitted to the IDA through the Government of India The project which contemplates a credit of $350 million from IDA has been appraised by a World Bank Mission. It is expected that the negotiations of the credit will take place early.

B. State Agricultural Credit Projects

6.9 In 1980-81, under the West Bengal Agricultural Development Project, ARDC disbursements aggregating Rs 25.9 crores to utilise the IDA credit of $22.0 million allotted to ARDC were completed. Further claims covering a credit of $0.1 million have also been submitted to utilise additional sum reallocated to ARDC A Project Completion Report is being prepared in the ARDC.

6.10 The Kerala Agricultural Development Project is the only one in the category of state-oriented agricultural credit project under implementation now. Till the end of June 1981, ARDC has committed Rs 19.5 crores in respect of small holders development, cashew development and rubber processing programmes against which the disbursements till the end of June 1981 amounted to Rs 6 crores. A team of the Government of Kerala which also comprised ARDC representatives had conducted a mid-term reappraisal of the project. The study points out that for coconut rehabilitation, scope for further development exists mainly under irrigated conditions. It would also be necessary to ensure energisation of pumpsets on a required scale. These and other recommendations of the Study Team are under the consideration of the Government of Kerala. Fifteen additional package units under pepper rehabilitation and 2 units under coconut rehabilitation outside project districts have been included under the project with IDA's concurrence. Regarding cashewnut development, out of 1470 ha. of forest land needed for development, only 1120 ha. have been handed over to the Plantation Corporation of Kerala for development. Non-availability of construction material has delayed the setting up of the crumb rubber processing factory.

C. Command Area Development Projects

6.11 The command area development projects involve composite development covering modernisation, improvement of drainage, on-farm development works, infrastructure development, etc. Under these projects only credit for on-farm development is being routed through ARDC. Seven such projects are now in operation: one project each in Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Orissa and two projects in Rajasthan. Under the Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project, land development programme covering 1.78 lakh acres was to be completed against which ARDC has sanctioned a programme covering 1.58 lakh acres. Out of the ARDC commitment of Rs 12.4 crores the disbursements till the end of June 1981 amounted to Rs 2.7 crores.

6.12 Under the Karnataka Irrigation Project, out of 31,000 ha. to be covered under on-farm development works in the Malaprabha and Ghataprabha commands about 11,000 acres have been notified for development. ARDC has sanctioned 13 schemes involving aggregate refinance assistance of Rs 5.3 crores. No disbursement has, however, been made under the project. The collection of consent-cum-loan application forms from farmers is in progress.

6.13 In the Madhya Pradesh Chambal Command Area Development Project, the on-farm development work, which was initially to be done on 12,000 ha., have since been pruned down to 5,000 ha. The disbursement for on-farm development works is negligible (Rs 24,000 only) on account of procedural delays, opposition from the cultivators for land consolidation and unwillingness of the farmers to execute consent-cum-application forms.

6.14 Under the Maharashtra Irrigation and Command Area Development Composite Project, the IDA programme has been confined to Jayakwadi III and IV commands in about 45,000 ha. ARDC has so far sanctioned refinance assistance of Rs. 8.3 crores against which disbursements of the order of Rs 2.7 crores have been made. Administrative delays continue to hamper the progress of the project.

6.15 In the Orissa Irrigation Project, Government of Orissa is contemplating the implementation of the on-farm development programmes with Plan funds without recourse to bank credit.

6.16 In the Rajasthan Canal Command Area Development Project, 2 lakh ha. (1400 *chaks*)* are to be covered under the on-farm development programme. ARDC has so far cleared schemes covering 1332 *chaks;* work has been completed in 664 *chaks* while it is in progress in 887 *chaks.* The Rajasthan Land Development Corporation (RLDC) has availed itself of financial assistance to the extent of Rs 8.5 crores from the financing institutions which in turn have availed of refinance assistance of Rs. 6.8 crores.

6.17 In the Chambal Command Area Development Project (Rajasthan) total targetted area to be covered under on-farm development programme was of the order of 50,000 ha. ARDC has cleared 7 schemes and refinance to the extent of Rs 1.4 crores has been disbursed till the end of June 1981. Legal and procedural difficulties, non-availability of critical construction materials, lac of appreciation by farmers of the advantages of on-farm development works, paucity of machinery, etc. had resulted in slow progress of CAD projects in Rajasthan. The closing date of Chambal Command Area Development Project (Rajasthan) has since been extended upto June 1982.

6.18 In the CAD projects for financing the development in the fields of farmers who are ineligible for financial assistance from banks for one reason or the other, a Special Loan Account has been constituted in ARDC to which contributions are being made by GOI, ARDC and the concerned state governments. At the end of June 1981, an amount of Rs. 4.7 crores has been contributed by all concerned to this Account. Of these, only a sum of Rs 1.6 crores has been drawn under the Rajasthan Canal Command Area Development Project.

6.19 Government of India have decided in April 1980, that water courses/field channels should be constructed from budgetary resources upto blocks of 5 ha. to 8 ha. in respect of the CAD projects.

6.20 Under the various CAD projects assisted by the World Bank Group the proportion of refinance available from the Bank has varied between 55 to 65 per cent. On a representation made by the ARDC/GOI, the World Bank has since agreed to reimburse upto 65 per cent of ARDC disbursements under CAD projects for on-farm development works in the fields of all farmers including loans given under Special Loan Account. This decision will improve the drawals under these projects.

D Dairy Development Projects

6.21 Of the three dairy development projects sanctioned by IDA for Karnataka, Madhya Pradesh and Rajasthan, only the crossbred cows programme in the Karnataka Dairy Development Project is being financed with refinance assistance from ARDC At the end of June 1981, ARDC has disbursed only Rs 28 lakhs The slow progress of the component was attributed to shortage of crossbred cows and low unit cost. ARDC has since made upward revision in the unit cost However, the Karnataka Dairy Development Corporation (KDDC) has proposed to the Government of India that the on-farm development programme may be closed at the existing level of achievement and the savings be diverted to other categories.

E. Market Yards Projects

6.22 During the year, ARDC's disbursements (Rs 6.5 crores) necessary to absorb IDA's credit allocations to be routed through ARDC under the Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project were completed. Out of 47 markets, 15 have been fully completed while another 19 would have been completed by now. The remaining 13 markets are expected to be ready by October 1981. A Project Completion Report on this project is being prepared by the Government of Karnataka. With the completion of the project, both the specialised projects sanctioned by IDA for market yard development have been fully disbursed.

F. Fisheries Projects

6.23 Two marine fisheries projects, viz., Andhra Pradesh Fisheries Project and the Gujarat Fisheries Project and an Inland Fisheries Project covering 5 states, viz. Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal are also under implementation.

6.24 Under the Andhra Pradesh Fisheries Project, due to cost escalations, ARDC agreed after a study for upward revision in the unit cost for fishing vessels. The recent hike in the input prices may necessitate revision of the economics of such investments. In order to speed up the development, 5 more banks have been inducted for financing the programme.

6.25 In the Gujarat Fisheries Project, ARDC is associated in the programme for providing processing facilities, construction of mechanised fishing vessels and provision of canoes to traditional fishermen through the Gujarat Fisheries Central Co-operative Association. On a review made, the physical programme of mechanised fishing vessels has been brought down from 270 to 168 due to lack of demand and cost escalation. The entire programme of setting up of freezing and ice plants would also be dropped as adequate capacities are available in the units already in operation in the project areas at Veraval and Mongrol. ARDC disbursements under this project amounted to Rs. 2.1 crores as on 30 June 1981.

6.26 Under the Inland Fisheries Project, according to IDA appraisal, fish pond improvement programme was to commence from the year 1981-82 only. ARDC has already committed Rs. 1.7 crores under 32 schemes in this category against which nominal disbursement of Rs. 1 lakh has also been made. ARDC is organising state level workshops for the benefit of various agencies participating in the project for better appreciation of the project, to sort out the problems and to quicken the pace of implementation One such workshop in Patna had already been held. The project also contemplates setting up of fish seed hatcheries. There has been delay in selection of sites for setting up of hatcheries. Till the end of June 1981 detailed plans and estimates have been prepared in respect of one site which has been cleared by the Central Project Unit (GOI). In respect of sites tentatively selected, the concerned Fish Seed Development Corporations have taken up soil testing, etc.

G. Irrigation Projects

6.27 Two irrigation projects, one each in Punjab and Haryana, are under implementation. In the Punjab Irrigation Project ARDC disbursements till the end of June 1981 amounted to Rs. 15 crores against phased ARDC commitment of Rs. 29 crores. The project contemplates lining of 2820 water courses against which ARDC has sanctioned schemes covering 498.6 lakh feet. The available data indicate that lining has been completed to the extent of 122.8 lakh feet. The progress of the project was recently reviewed and a line of action for speedier implementation has been suggested.

6.28 The Haryana Irrigation Project contemplates ARDC assistance through financing institutions for modernisation of water courses, construction and electrification of augmentation tubewells, construction of market yards and land levelling. ARDC has already committed Rs. 64.4 crores against various items of development and as at the end of June 1981 ARDC has disbursed Rs. 18.2 crores under the project. All the 2215 water courses have been sanctioned by ARDC against which 787 water courses have been completed. In order to speed up implementation of the project and for effective co-ordination of procurement and distribution of materials, a task force has been constituted by the state government. The market yard component has progressed slowly due to delays in land acquisition and transfer of sites to the Marketing Board.

II. Horticulture Projects

6.29 Under the Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project, the progress is satisfactory in regard to the construction of grading and packing centres, cold storages and juice concentration plant. Out of aggregate refinance assistance of Rs. 4.2 crores sanctioned, disbusements till the end of June 1981 amounted to Rs. 3.5 crores. 5 packing and grading centres have been completed and commissioned; in 4 other centres they are expected to be ready shortly. A packing house at one centre is likely to be completed by September 1981 while cold storage unit may take a little longer time. The proposal for aerial cableways will be considered by ARDC on receipt of techno-financial feasibility report. The project is likely to be completed by the extended closing date *viz.* 31 December 1981.

6.30 In the Jammu & Kashmir Horticulture Project, ARDC has sanctioned schemes for 9 more apple grading centres and 8 walnut hulling and drying centres involving ARDC refinance of Rs. 2.8 crores. Till the end of June 1981 ARDC disbursements amounted to Rs. 25 lakhs. Civil work construction for apple grading centres and for 7 walnut centres is on hand. The project also contemplates provision of short-term loans to apple, walnut and mushroom growers. Farmers' reluctance and disparity in interest rate charge by the co-operatives and commercial banks contributed to low off-take of credit under this category.

I. National Seeds Projects

6.31 The National Seeds Project Phase I and II cover 9 states. The major thrust of this project is on the production of quality seeds for cereal crops, groundnut and vegetable seeds.

6.32 Under the National Seeds Project Phase I, ARDC sanctioned 7 schemes to the state seed corporations involving the Corporation's commitment of Rs. 3.9 crores during the year. In Maharashtra one proposal has been sanctioned to the Agricultural University at Akola. The disbursements under the project till the end of June 1981 amounted to Rs. 87 lakhs in 2 states. The project closing date has been extended till the end of June 1984. Under the National Seeds Project Phase II, 3 schemes have been sanctioned for seed processing units in 3 states. During the year, disbursements amounted to Rs. 84 lakhs.

6.33 ARDC proposes to organise workshops for agricultural universities, participating banks and other interests to enable better appreciation of the procedural aspects in regard to sanctioning of loans under the project.

Integrated Cotton Development Project

6.34 Under the Integrated Cotton Development Project, ARDC disbursements under the short-term loans category during 1980-81 season amounted to Rs. 5.6 crores. The claims submitted by ARDC to IDA under this category amounted to Rs. 3.8 crores till the end of June 1981 which qualified for a credit of $ 4.8 million against the allocated credit of $ 7.5 million under this category. Under the long-term loans category two ginneries and one seed processing unit in Haryana and one solvent extraction unit in Maharashtra have been completed and commissioned. Proposals for a third ginnery, and a cotton seed processing unit in Haryana and 3 cotton seed processing units in Maharashtra are in different stages of implementation. Looking to these long-term investments being contemplated under this project, the present closing date (31 December 1981) may need extension by at least 2 years.

K. Sericulture Project

6.35 Under the Karnataka Sericulture Project, ARDC is involved in the provision of financial assistance to member banks for on-farm development programmes such as plantation and replantation of improved varieties of mulberry, silk worm rearing equipment etc. ARDC has approved a programme with a commitment of Rs. 4.6 crores against which disbursements of Rs. 16 lakhs have already been made.

L. Multi-State Cashewnut Project

6.36 Under the small holders programme 9 scheme covering an area of 27,500 ha. have been sanctioned in 4 states. ARDC commitments under these schemes amounted to Rs. 4.6 crores against which disbursements of Rs. 32 lakhs have been made. 5 schemes have been sanctioned to the Plantation Corporations involving ARDC commitments of Rs. 3.7 crores. Most of the schemes have been sanctioned recently and the disbursements are expected from 1981-82 onwards.

II. Projects Assisted by other International Aid Agencies

A. Assistance by International Fund for Agricultural Development (IFAD)

6.37 The International Fund for Agricultural Development had sanctioned two projects, one each in Rajasthan and West Bengal for which part of the funds are being routed throug, the ARDC. In the Rajasthan Command Area Development and Settlement Project, the Banking Plan was finalised by the ARDC. In the Sunderban Development Project in West Bengal, ARDC is involved in the provision of financial assistance for excavation of village tanks, purchase of diesel pumpsets and construction of rural godowns through village co-operative societies. The project became effective recently and the subsidiary loan agreement with the GOI has been entered into.

B. Tawa Command Area Development Project assisted by Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW)

6.38 Under the Tawa Command Area Development Project being implemented in Hoshangabad district of Madhya Pradesh, ARDC disbursements till the end of June 1981 stood at Rs 2.5 crores. The major constraints in the implementation of the project are, inadequacy of trained personnel, short duration of the working season, unwillingness of the beneficiary farmers and legal delays in the completion of documentation formalities.

C. Bilateral Assistance

6.39 Apart from credits flowing from World Bank Group, other international aid agencies have evinced keen interest in channelling part of their bilateral assistance through ARDC in recent years. Although the Second ARDC Credit Project did not anticipate such assistance when it was formulated and sanctioned by IDA, some countries like U.K. through the Overseas Development Administration, Canada through its CIDA and EEC out of its Special Action Account allocated in 1979 credits aggregating U.S. $ 96 million to ARDC. Taking note of their continuing interest in ARDC acting as channel for their funds, during the preparation of Third ARDC Credit Project it was expected that resources to the extent of U.S. $ 180 million would be available to ARDC from donor countries to finance ARDC's lending programme during the two year span of the project. Rs against this, 10 bilateral credits in various currencies equivalent to about U.S. $ 250 million (Rs 2055 million approximately) were negotiated through GOI. Out of these, USAID credit of $ 35.6 million, U.K. credit of £ 11 million, 2 KFW (West Germany) credits for DM 62 million and DM 38 million and Netherlands credit of Dfl. 50 million were negotiated during the year under review.

6.40 Generally, the bilateral credits supported the purposes eligible for reimbursement under the general lines of credit from IDA. Additionally, the CIDA credit also covered energization of pumpsets through state electricity boards, forestry programmes and market yards.

6.41 Bilateral credits drawn upon during the last 3 years were equivalent of Rs 222.5 million in 1978-79, Rs 801.1 million in 1979-80 and Rs 1332 million in 1980-81.

OTHER DEVELOPMENTS

Monitoring and Evaluation

During the year, efforts were made by the Corporation to improve the monitoring and evaluation system of ARDC and member banks. The steps taken included (a) instituting the system of area-based monitoring to replace monitoring of individual schemes; (b) persuading member banks to establish and strengthen monitoring and evaluation cells; (c) initiation of a two year programme to complete 50 evaluation studies by ARDC, Com. Bks and other research institutions and (d) conducting training programme for the staff of ARDC and banks to improve their capability in the conduct of monitoring and evaluation studies.

7.2. A reference was made in the last year's Report to the Corporation's decision to switch over from scheme-based monitoring to District-Oriented Monitoring (DOM). The

switch over became effective from January 1981 with the immediate objective of monitoring 20 per cent to 25 per cent of all the districts in each state annually. The DOM system evolved on the basis of 2 pilot studies aims at an integrated review of all on-going schemes in a district in the context of the current development programmes to facilitate identification of common problems and their solutions through co-ordinated efforts by participating banks, government agencies and ARDC and identifying potential for new investments.

7.3. Com. Bks have agreed to carry out 25 evaluation studies while 10 research institutions have agreed to undertake 14 evaluation studies on behalf of the Corporation during the next 2 years.

7.4. With a view to improving efficiency in the monitoring of schemes under implementation, member banks were advised earlier to set up monitoring and evaluation cells with adequately qualified and trained staff. Such cells have been set up by 17 nationalised Com. Bks. To improve the capabilities of the concerned officials in conducting evaluation studies, ARDC organised 3 seminars in Bombay during the year in which 30 officers of the Corporation and 66 officers from financing banks participated.

7.5. During the year, 15 evaluation studies were undertaken by the Corporation. While 12 of them were in progress at the end of the year, 3 other studies were completed and the reports were finalised. The studies completed related to —(i) Development of acid lime gardens in Nellore District of Andhra Pradesh; (ii) Tubewells irrigation in Bhojpur District of Bihar and (iii) Minor irrigation in Kota District of Rajasthan. Under the acid lime garden scheme in Nellore District, the financial rate of return worked out to 28 per cent. However, the physical achievements fell short of the targets marginally by 7 per cent, although financial outlay at Rs. 3.6 crores had exceeded the anticipated cost of Rs. 2.5 crores. Under the tubewell irrigation scheme in Bhojpur District, the percentage of small farmers benefited was found to be very satisfactory at 63 and the financial rate of return was quite high at 43 per cent. The scheme also resulted in the creation of annual employment of about 460 man years. The minor irrigation study in Kota District revealed that the scheme had contributed to net incremental production of Rs. 2.80 crores and the annual employment generated was about 8000 man years; the financial rate of return worked out to 27 per cent.

Project Completion Reports (PCRs)

7.6. The Corporation completed during the year Project Completion Reports (PCRs) in respect of Second ARDC Credit Project and Bihar Agricultural Credit Project. With these, the total PCRs completed by the Corporation were 12, of which 10 related to Agricultural Credit Projects in various states and 2 related to the First and Second ARDC Credit Projects. The work pertaining to PCR in respect of West Bengal Agricultural Credit Project was also initiated during the year by taking up and completing the field surveys necessary for the purpose.

7.7. The PCR in respect of Second ARDC Credit Project indicates that out of total financial assistance of Rs. 401 crores provided, minor irrigation absorbed Rs. 310 crores (77%) and the balance of Rs. 91 crores (23%) was accounted for by diversified purposes. The net value of incremental production at current prices amounted to Rs. 360 crores. The annual employment generated as a result of the implementation of the above project works out to about 9 lakh man years. The percentage of small farmers among the beneficiaries of the project was also found to be on an average 56 as compared to the objective of 50.

7.8. The achievements in physical terms in respect of Bihar Agricultural Credit Project exceeded the targets planned under the Project. About 68,000 tubewells were bored and 35,500 pumpsets were installed as against the target of 55,300 tubewells and 29,000 pumpsets planned at appraisal. The assets created generated annual employment of 1.28 lakh man years. Another noteworthy feature of the Project was the very high coverage of small farmers, accounting for 80 per cent of the beneficiaries. Net value of incremental production at current prices was to the extent of Rs. 65 crores.

*A man year is taken to mean 250 man days.

Publications

7.9. The Corporation brought out during the year small pamphlets on the formulation of schemes for development of sheep, piggery and plantations like rubber, cashew and coconut. Following are the other publications brought out during the year :

(1) Model for presentation of technical appraisal of

(a) Dugwell scheme in hard rock formations.

(b) Shallow tubewell in alluvial formations.

(c) Deep tubewell scheme in alluvial formations.

(2) Soil and water conservation.

(3) Guidelines for selection of agricultural pumpsets.

(4) Selection of agricultural pumpsets—field staff and farmers guide. (Both in English and Hindi).

Research and Development Fund

7.10. A mention was made in the last year's Report about Corporation's scheme to provide grants from its Research and Development Fund to SLDBs to the extent of 50 per cent of certain recurring items of expenditure to be incurred by them for setting up technical cells. The working of the scheme was reviewed during the year and certain conditions have been liberalised. Under the revised scheme, cent per cent assistance is available to SLDBs in the first year which will gradually taper down to 20 per cent in the fourth year. Expenditure on technical staff appointed on deputation basis and on those recruited directly by SLDBs for their monitoring and evaluation cells would also be eligible for assistance from the Fund subject to certain conditions. ARDC also agreed to give similar assistance to selected SCBs having sizeable involvement in schematic term lending in agriculture.

7.11. Assistance from the Fund is also available for supporting research and action oriented projects in the area of rural development. The Special Committee viz. Research and Development Fund Committee set up for guiding ARDC on the administration of the Fund met twice during the year and recommended three proposals including a research study of dugwells in a district of Gujarat and a study on regional variations in agrarian structure, for giving assistance of Rs. 7.26 lakhs from the Fund to research institutes. The recommendations have since been approved by the Corporation.

Committees, Working Groups, Studies etc.

7.12. The report of the High Power Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development (CRAFICARD) set up by RBI in 1978-79 under the Chairmanship of Shri B. Sivaraman was published by RBI during the year. The various recommendations of the Committee so far as they relate to ARDC are being examined by the Corporation.

7.13. An Informal Group was set up by ARDC under the Chairmanship of Shri Sant Dass, the Managing Director of the Corporation, to review existing compensation schemes for failed wells in various states and recommend a model scheme. The Group was also to suggest an acceptable definition of failed wells. The model scheme has been prepared by the Group and its report is being finalised.

7.14. The Standing Committee constituted by ARDC to review the existing arrangements and recommend suitable measures of improvement in respect of agricultural loans by commercial banks (CALCOB) considered the study report of its Informal Group in respect of overdues in agricultural term loans of selected branches of major commercial banks and recommended various measures for improvement in recovery performance. Based on the study report and recommendations of CALCOB, ARDC, in consultation with RBI issued suitable guidelines to Com. Bks in this regard. An Informal Group consisting of Senior Officers of ARDC and RBI was also set up by CALCOB to conduct an indepth study of the staffing norms established by major Com. Bks. in deployment of staff to look after agricultural loans. The field studies at the selected branches of the banks have been completed and the report of the Group is under preparation. CALCOB also reviewed the existing guidelines in regard to provision of relief to agricultural borrowers in the event of natural calamities and has made recommendations to expand

the scope of existing guidelines. The recommendations have been sent to RBI/GOI for necessary action.

7.15. A Working Group was set up by ARDC for introducing a scheme of integrated credit on a selective basis to enable SLDBs to finance the short-term requirements of farmers who are granted term loans, especially in areas where primary co-operative societies are weak. The report of the Group is being finalised.

Training

(i) *Senior and Middle level staff*

7.16. During the year, 21 Agricultural Project Courses (APCs) of 4 weeks duration and 2 condensed APCs were conducted at the College of Agricultural Banking, Pune. A beginning was also made during the year by arranging two refresher courses of one week duration at CAB, Pune for the alumni of APCs. Besides, 8 regional APCs and 7 technical courses in different disciplines were organised in different parts of the country. A programme on newly introduced area-based monitoring was also arranged during the year. A total of 1028 officers from ARDC, financing banks and state governments participated in the above programme. So far ARDC has conducted in all 147 training programmes in which 3990 senior and middle level officials received training. Of these 1235 were from LDBs, 1659 from Com. Bks. 85 from RRBs and remaining 1011 from RBI, ARDC and other institutions.

(ii) *Junior-level LDB staff*

7.17. During the fifth year of the training programme for junior-level LDB staff being implemented by the SLDBs under overall guidance of ARDC, 120 courses were conducted by SLDBs at their training centres for their 2801 officials. With a view to up-dating the knowledge of those officials who received training in the early stages of the above programme, refresher courses of one week duration were introduced from this year. Eighty such refresher courses were conducted by 14 SLDBs in which 1797 junior level staff received training.

7.18. ARDC has decided to extend the existing training facilities available to the junior staff of LDBs, to the junior staff of RRBs, SCBs and district central co-operative banks.

(iii) *Other training arrangements*

7.19. Corporation continued to offer study facilities to the visiting officers from foreign countries, state government officials connected with co-operation and agriculture and officials of the financing institutions. During the year, 10 officials from Mexico, Sierra, Leone, Korea, Pakistan, Ceylon and Bangladesh and 127 officials from the state governments and financing banks received such facilities from ARDC.

(iv) *Workshops and Seminars*

7.20. Three workshops to provide orientation on the techniques of project formulation, appraisal, follow-up etc. were arranged by the Corporation, two in West Bengal, one each at Kalyani and Cooch Behar and one in Tripura at Agartala for the officers of financing banks and concerned state governments.

7.21. Two seminars were organised by the Corporation at CAB Pune during the year, one on project financing and the other for ex-participants of APCs. The first seminar was attended by the top executives such as Chairman/Vice-Chairman and Directors of SLDBs, Chairman of RRBs and officials of SCBs.

Staff Development

7.22. To enable the regional offices to handle the increasing workload and to play effectively the developmental role assigned to them, apart from enhacing powers of sanction of refinance delegated to regional-in-charges, the Corporation strengthened the technical cells attached to these offices by posting technical personnel in various disciplines. Seven regional offices were upgraded and Senior Directors were posted as their in-charges. The office procedures were streamlined and fresh guidelines were issued in this behalf including instructions for reorganising the set up of regional offices.

Future Perspective

Reference was made in the last Report that ARDC had projected a perspective lending programme of Rs. 3000 crores for the Sixth Plan period (1980-85). This programme was drawn up keeping in view the following objectives : (i) increase in volume of institutional credit for agriculture and rural development; (ii) larger share of credit for the weaker sections; (iii) reduction in regional imbalances in provision of credit; (iv) greater co-ordination between different credit institutions and (v) improvement in the recovery of institutional loans to ensure continuous recycling of credit. In general, ARDC's over-all objectives are in line with the objectives of institutional credit as laid down in the Sixth Five Year Plan.

8.2 The long term loans of the co-operative credit institutions are projected to increase during the Sixth Plan period from Rs. 275 crores (anticipated) in 1979-80 to Rs. 555 crores in 1984-85 and those of the Com. Bks. including RRBs are expected to increase from Rs. 400 crores in 1979-80 to Rs. 620 crores in 1984-85. Against this, the actual long term loans estimated to have been disbursed by the credit institutions during 1979-80 aggregated Rs. 850 crores for which ARDC provided refinance support of Rs. 412 crores or 48.5% of the total. At the same level of involvement during the Sixth Plan period the refinance to be disbursed in 1984-85 would have to be of the order of Rs. 570 crores out of Rs. 1175 crores expected to be disbursed by the credit institutions for investments in agriculture and allied sectors. However, ARDC has projected that its disbursements would reach a higher level of Rs. 750 crores in 1984-85 which would constitute 64% of expected disbursements mentioned above. This would mean larger involvement of ARDC in promoting investments in agriculture and allied sectors in the coming years.

8.3 In order to increase the share of credit flowing to weaker sections of the rural community, ARDC has been closely involved in small farmer development over the years. As a result of persistent efforts made, the coverage of small farmers under ARDC schemes has exceeded 50% in each state except Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Assam. As between various purposes, the small farmer achievement is larger under minor irrigation exceeding 60% in many states, than under diversified purposes. The lower level of small farmer achievements under diversified purposes is largely because of financing of investments such as dairy development, poultry farming etc. by Com. Bks. under the Differential Rate of Interest Scheme. In a few states, the bulk of disbursements had been for purposes like tractors which are not intended to directly benefit small farmers with limited landholdings. In the coming years, ARDC would devote greater attention to the formulation of a large number of schemes through the banks for the benefit of small farmers and others belonging to the weaker sections of the community. As a first step in this direction, ARDC has taken a lead in preparing banking plans for implementation of agricultural development programmes envisaged under the IRDP which caters exclusively to the target group. With the decision of GOI to extend the programme to cover all the blocks in the country, ARDC and RBI have inducted the Com. Bks. into the task of preparing credit plans for the programme with active support extended by the Regional Offices of ARDC. The project and area-based approach to lending being adopted by ARDC in regard to its other programmes has also been accepted for implementing the IRDP These efforts will be intensified in future. ARDC would also stress on the fulfilment of the objective of the programme to cover 30% of the beneficiaries from out of those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

8.4 The perpective lending programme of ARDC provides for larger allocation to less developed states and such regions within the states. Steps are being taken to assist in scheme formulation at different levels, in these areas to increase credit flow for worthwhile investments.

8.5 During the Sixth Plan, additinoal irrigation potential to be created under minor irrigation schemes is expected to be of the order of 8 million hectares comprising 1 million hectares through surface water and 7 million hectares by groundwater exploitation. Greater efforts would be devoted to the formulation of minor irrigation schemes in eastern and north-eastern states and in 'white' areas in other states where there is relatively abundant potential available for exploitation. ARDC would continue to press the State Groundwater Organisations to undertake micro-level studies to identify groundwater potential in areas otherwise designated as 'dark'. Simultaneously, ARDC is endeavouring to introduce quality control programme on an All-India basis, especially in regard to selection of pumpsets to conserve fuel and maximise efficiency of the units. ARDC proposes to

carry out pilot studies in 7 more states in addition to the 6 states already covered for quality control programmes.

8.6 As part of its policy to foster the development of institutions, ARDC will continue to study the working of statutory corporations set up by the state governments for installation of deep tubewells, lining of water courses, lift irrigation units etc. in order to improve the utilisation of the irrigation potential created and for removing the various bottlenecks observed.

8.7 The rising level of overdues of both the Cooperatives and Com. Bks. in regard to agricultural loans is causing concern. The Sixth Plan document has specifically emphasised that measures should be taken to improve the recovery performance so that recycling of scarce capital resources is facilitated. The CRAFICARD, a high power committee constituted by RBI, has made a number of recommendations on this issue which, when implemented, will improve the recovery of the banks and also the general climate to facilitate better recovery. As part of institution building efforts, ARDC, in consultation with RBI, is evolving a package of measures to improve the performance, organisationally, financially and operationally, of six SLDBs, whose over dues are high. Greater attention is also being paid to improving the recovery performance of the Com. Bks. which are absorbing more than 50% of the refinance disbursements of ARDC.

8.8 The growing volume of disbursements, both by ARDC and member-banks brings with it greater responsibility for improving the quality of lending and for effective supervision to guard against wilful default by the beneficiaries. Arrangements will, therefore, be made to strengthen project monitoring at all levels.

8.9 There is a proposal to set up a National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). The Bill may be introduced in the Parliament shortly. The new institution will have ARDC as its nucleus. Thus, the technical and financial expertise built up by ARDC for term investments in agriculture and allied sectors will be available to the new institution. Further, the new Bank will be able to provide undivided attention and forceful direction to cover the entire spectrum of integrated rural development including financing of cottage and village industries, rural artisans, etc. The new Bank with a wider resource base and powers will also take over from the RBI the responsibility for provision of refinance for short-term credit to cooperatives as a part of the decentralisation exercise.

FINANCES

The resources available to the Corporation or financing its operations have increased from Rs. 450.9 crores in 1979-80 to Rs. 590.5 crores in 1980-81. The trends in the various sources of funds during the past 5 years i.e. 1976-77 to 1980-81 are indicated in the following Table 19.

TABLE 19—SOURCES OF FUNDS

(Rs. crores)

Sources	1979-80	Per cent of total	1980-81	Per cent of total	July 1976 to June 1981	Per cent of total
1. Paid-up share capital and reserves	5·2	1·1	5·1	0·9	58·7	3·0
2. Capital reserve	—	—	—	—	5·0	0·3
3. Special deposits by RBI	1·7	0·4	—	—	4·6	0·2
4. Borrowings from GOI						
(a) IDA/IBRD funds	104·4	23·2	136·1	23·0	514·9	26·6
(b) Others	60·5	13·4	108·7	18·4	179·5	9·3
5. Borrowings from the RBI NAC (LTO) Fund	85·0	18·9	95·0	16·1	370·0	19·1
6. Bonds	39·6	8·8	35·1	5·9	183·4	9·5
7. Repayments by banks	154·4	34·2	201·7	34·2	600·4	31·0
8. Special loan account deposit	0·1	—	0·4	0·1	7·1	0·4
9. Research & Development Fund	—	—	3·4	0·6	5·4	0·3
10. Building Fund	—	—	5·0	0·8	5·0	0·3
Total	450·9	100·0	590·5	100·0	1934·0	100·0

Share Capital

9.2 The borrowing power of the Corporation is restricted to 20 times of its paid-up capital and reserves under Section 20(2) of ARDC Act. There was no change in the authorised and paid-up share capital of the Corporation during the year, which stood at Rs. 100.0 crores and Rs. 57.5 crores respectively as on 30 June 1981. The contributions of the various categories of share holders to the share capital of the Corporation as on 30 June 1981 are indicated in Table 20.

TABLE 20—CONTRIBUTION TO SHARE CAPITAL SOURCES

Subscribers	shares		Per cent of total
	No.	Value (Rs. crores)	
1. RBI	31071	31·1	54·0
2. SLDBS	9268	9·2	16·1
3. SCBS	4595	4·6	8·0
4. Scheduled Com. Bks. including RRBs	11081	11·1	19·3
5. Life Insurance Corporation of India	893	0·9	1·6
6. Other Insurance and Investment Companies	592	0.6	1·0
Total	**57500**	**57·5**	**100·0**

Reserves and other Funds

9.3 During the year, out of the profits, for the year 1979-80, Rs 5.1 crores were allocated to Reserve Fund, Rs. 3.0 crores to Research and Development Fund and Rs. 5.0 crores to Building Fund. Additionally, an amount of Rs. 41 lakhs was also appropriated to Research and Development Fund by way of interest. During the year under review, an amount of Rs. 1.81 lakhs was transferred to Interest Differential Fund as required under Tawa Command Area Project, being the excess of interest paid by ARDC to GOI over that payable by GOI to KFW.

Borrowings from GOI

9.4 During the year, the Corporation borrowed Rs. 244.8 crores from GOI by way of reimbursement against amounts disbursed under the various projects. This comprised an aggregate sum of Rs. 136.1 crores under IDA/IBRD Projects and Rs. 108.7 crores under assistance sanctioned by other International Aid Agencies/Countries like EEC (Rs. 7.0 crores), U.K. (Rs. 11.0 crores), CIDA (Rs. 17.5 crores), KFW of West Germany (Rs. 42.4 crores), Netherlands (Rs. 16.6 crores), SIDA (Rs. 11.7 crores) and USAID (Rs. 2.5 crores).

Market Borrowings

9.5 During the year, ARDC issued the sixteenth series of bonds for an aggregate sum of Rs. 35.1 crores. These 12 year bonds were issued at par and carried interest at the rate of 6.75 per cent per annum. At the end of June 1981, the total market borrowings of ARDC stood at Rs. 321.1

crores. Table 21 indicates the amounts received from various agencies for the sixteenth series of bonds issued during the year as well as the aggregate contributions to the previous issues :

TABLE 21—CONTRIBUTION TO BONDS BY VARIOUS AGENCIES

(Rs. crores)

Subscribers	Series I to XV	Series XVI	Total
1. State Bank of India and Subsidiaries . .	80·0	2·6	82·6
2. Nationalised Banks .	108·6	20·8	129·4
3. Other Com. Bks.. .	17·5	1·5	19·0
4. Life Insuran ce Corporation of India . . .	3·7	1·0	4·7
5. Other Insurance and Investment Compan ies .	1·6	0·3	1·9
6. Co-operative Banks .	73·0	4·9	77·9
7. Others . . .	1·6	4·0	5·6
Total . . .	**286·0**	**35·1**	**321.1**

Borrowings from Reserve Bank of India

9.6. During the year, the RBI sanctioned a credit limit of Rs. 95.0 crores for drawals from the NAC (LTO) Fund and this limit was fully utilised by the Corporation. The outstanding borrowings under this head stood at Rs. 366.4 crores on 30 June 1981 after repayment of instalments in respect of past drawals.

Repayments

9.7. Repayments by member banks amounted to Rs. 201.7 crores during the year as against Rs. 154.4 crores during the previous year. As at the end of June 1981 the repayments by member banks aggregated Rs. 645.1 crores, the break up of which is given below in Table 22.

TABLE 22—REPAYMENT OF REFINANCE

(Rs. crores)

Agency	ARDC schemes	IDA assisted schemes	Total
1. Scheduled Com. Bks.	164·0	129·3	293 3
2. SLDBs . . .	112·0	215·6	327·6
3. SCBs. . . .	13·5	10·7	24·2
Total . . .	**289·5**	**355·6**	**645. 1**

Profit

9 8 The net profit of the Corporation for 1980-81 available for appropriation amounted to Rs. 1770.71 lakhs including adjustments relating to previous year's profits amounting to Rs. 115.42 lakhs. The Directors recommend appropriation of the profit as under :

	Rs. Lakhs
Transfer to Research and Development Fund . .	300 00
Transfer to Reserve Fund	340.08
Transfer to Building Fund	800.00
Dividend on shares	330.63
Total . .	1770.71

ORGANISATION AND OTHER MATTERS

Share holders

Five RRBs and Andaman and Nicobar State Co-operative Bank Limited became members of ARDC during 1980-81. The total membership of the Corporation stood at 16 at the end of June 1981 as against 160 at the end of the previous year (Statement 14).

Board of Directors

10.2. The Board of Directors met six times during the year.

10.3. The Government of India nominated in June 1981 Shri V. P. Sawhney, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) as a Director of the Corporation under Section 10(c) of the ARDC Act, 1963 vice Shri Baldev Singh.

10.4. At the last general body meeting held on 29 September 1980, Shri Sampatrao N. Patil was elected as a Director of the Corporation in terms of Section 10(d) of the ARDC Act, 1963 vice Shi B. S. Vishwanathan. Sarvashri Veershetty Kushnoor and P.C.D. Nambiar were re-elected as Directors of the Corporation under Section 10(e) and 10(f) respectively of the ARDC Act, 1963 at the said meeting.

10.5 Consequent on Shri M. A. Chidambaram proceeding on leave preparatory to retirement, Reserve Bank of India in consultation with the Board of ARDC appointed Shri Sant Dass as Managing Director of the Corporation under Section 10(g) of the ARDC Act, 1963 with effect from 1 January 1981.

10.6 The Board placed on record its deep appreciation of the valuable services rendered to the Corporation by Sarvashri Baldev Singh and B. S. Vishwanathan as Directors of the Corporation and Shri M. A. Chidambaram as Managing Director of the Corporation.

Use of Hindi

10.7 ARDC continued to be represented on the Official Language Implementation Committee of the Reserve Bank of India to popularise the use of Hindi in the day-to-day working. All letters received in Hindi were replied in Hindi only. Office circulars relating to Class III and IV employees are issued both in Hindi and English. Under the Compulsory Hindi Teaching Scheme of Reserve Bank of India, 21 officers of the Corporation availed of the facility of learning Hindi during the year in the centre opened in the Head Office of the Corporation. Besides, a workshop was conducted at Head Office of the Corporation for training the employees in preparing noting and drafting etc. in Hindi. Forms, standard drafts, registers, sign boards which are in use at Head Office and Regional Offices have been prepared in bilingual form Magazines published in Hindi are subscribed to by the Head Office as well as by six Regional Offices of ARDC and libraries with Hindi books of general interest have also been set up in these Regional Offices. Hindi version of a few pamphlets published by the Corporation earlier in English were brought out during the year. Hindi khand has been introduced in the 'ARDC NEWS' a quarterly publication of ARDC.

Foreign Travel

19.8 During the year 1980-81, the senior officials of the Corporation undertook four foreign visits and a total expenditure of Rs. 77,000 was incurred on this account

On behalf of the Directors
M. RAMAKRISHNAYYA
Chairman

22 August 1981

ABBREVIATIONS

ACD.	Agricultural Credit Department
APC.	Agricultural Projects Course
APCCADB	Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank
ARDC	Agricutural Refinance & Development Corporation
CAA	Command Area Authority
CAB	College of Agricultural Banking
CAD	Command Area Development
CADA	Command Area Development Authority
CALCOB	Committee on Agricultural Loans through Commercial Banks
CIDA	Canadian International Development Agency
Com. Bks.	Commercial Banks
CRAFICARD	Committee to Review Arrangements For Institutional Credit for Agriculture & Rural Development
DOM	District Oriented Monitoring
EEC	European Economic Community
GOI	Government of India
HYV	High Yielding Variety
IBRD	International Bank for Reconstruction & Development
ICDP	Integrated Cotton Development Project
IDA	International Development Association
IFAD	International Fund for Agricultural Development
IRDP	Integrated Rural Development Programme
KADP	Kerala Agricultural Developmpent Project
KDDC	Karnataka Dairy Development Corporation
KFW	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau
LDB	Land Development Lank
LDC	Land Development Corporation
NABARD	National Bank for Agriculture & Rural Development
NAC (LTO) FUND	National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund
PCR.	Project Completion Report
PLDB	Primary Land Development Bank
PLMB	Primary Land Mortgage Bank
RBI.	Reserve Bank of India
RLDC	Rajasthan Land Development Corporation
RPCC	Rural Planning Credit Cell
RRB	Regional Rural Bank
SCB	State Co-operative Bank
SIDA	Swedish International Development Agency
SLDB	State Land Development Bank,
SPA	Special Project Agriculture
UK	United Kingdom
USAID	United States Agency for International Development

EXPLANATORY NOTES

1. The amounts have been rounded off to the nearest lakh of rupees/crore of rupees.

2. The following symbols /abbreviations have been used in the Statements.

Symbols: @Latest available data
—Nil or negligible

Abbreviations :

Purpose :

MI	Minor irrigation
REC/SPA	Rural Electrification Corporation/Special Project Agriculture
LD/CAD	Land development /Reclamation/Soil conservation/Command area development
FM/ASC	Farm mechanization/Farm equipments/Agro-service centres
P/H	Plantation/Horticulture
PF/SB/Pig	Poultry farmihg/Sheep breeding/Piggery
FS	Fisheries
DD	Dairy development
SG & MY	Storage & Market yards
FR	Forestry
AA	Agricultural aviation
IRDP	Integrated rural development programme
ICDP	Integrated cotton development project
GG	Gobar gas plants
X	Others
Y	Combined purposes
LT	Long-term
ST	Short-term
Int. Fin.	Interim Finance

Agency :

1. SLDB	State Land Development Bank
2. Com. Bks.	Scheduled Commercial Banks (Including RRBs)
3. SCB	State Co-operative Bank
RRBs	Regional Rural Banks

STATEMENT 1

SANCTIONS DURING 1980-81 —REGION-WISE AND STATE-WISE

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	No. of Schemes*	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of Governments/Banks
1. *NORTHERN REGION*				
Delhi	5	34	28	6
Haryana	198	7813	6256	1557
Himachal Pradesh	11	353	302	51
Jammu & Kashmir	21	349	311	38
Punjab	253	7615	5849	1766
Rajasthan	200	3806	2781	1025
	688	19970	15527	4443
II. *NORTH-EASTERN REGION*				
Assam	63	2195	1975	220
Manipur	1	2	1	1
Meghalaya	5	54	49	5
Mizoram	1	9	8	1
Nagaland	3	46	41	5
Tripura	44	349	313	36
	117	2655	2387	268
III. *EASTERN REGION*				
Bihar	215	4101	3409	692
Orissa	178	5422	4678	744
West Bengal	264	2990	2648	342
	657	12513	10735	1778
IV. *CENTRAL REGION*				
Madhya Pradesh	472	11495	9838	1657
Uttar Pradesh	492	18734	14968	3766
	964	30229	24806	5423
V. *WESTERN REGION*				
Goa	14	225	184	41
Gujarat	142	3625	2939	686
Maharashtra	367	9937	7823	2114
	523	13787	10946	2841
VI. *SOUTHERN REGION*				
Andhra Pradesh	948	14330	11345	2985
Karnataka	290	4594	3615	979
Kerala	86	1154	890	264
Lakshadweep	1	11	10	1
Pondicherry	1	4	3	1
Tamil Nadu	219	2313	1673	640
	1545	22406	15536	4870
Total (I to VI)	**4494**	**101560**	**81937**	**19623**

*Excludes IRDP Banking Plans.

N.B.—No new schemes were sanctioned during the year in Chandigarh, Andaman & Nicobar Islands and Dadra and Nagar Haveli.

STATEMENT 2

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981—PURPOSE-WISE AND AGENCY-WISE

(a) *State Land Development Banks*

(Rs. lakhs)

Purpose	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Disbursement
Minor irrigation	2720	164750	148540	96840
Land development	422	11859	9438	4644
Farm mechanization	149	16126	12157	10632
Plantation/Horticulture	558	12655	9736	3771
Poultry farming/Sheep breeding/Piggery	170	2277	1739	778
Fisheries	96	1608	1389	375
Dairy development	249	2896	2224	917
Storage and Market yards	8	130	103	—
Gobar gas plants	32	246	186	5
Others	214	2096	1688	483
IRDP	—	3754	3374	151
Total	**4618**	**218397**	**190574**	**118596$**

(b) *Scheduled Commercial Banks*

Minor irrigation	4255	103149	81719	41740
Land development	275	12279	9687	3213
Farm mechanization	2181	46725	35671	28186
Plantation/Horticulture	925	18752	15507	4755
Poultry farming/Sheep breeding/Piggery	919	5502	4515	2450
Fisheries	551	6449	5016	3337
Dairy development	1110	9948	8251	3223
Storage and Market yard	1122	18339	14665	11028
Agricultural aviation	3	53	40	17
Forestry	34	1783	1368	456
Goban gas plants	111	808	615	168
Others	195	1538	1275	411
IRDP	—	10855	9767	1555
Total	**11681**	**236180**	**188096**	**100539$**

(c) *State Co-operative Banks*

Minor irrigation	56	2394	2153	851
Land development	1	30	30	11
Farm mechanization	2	73	67	56
Plantation/Horticulture	22	352	316	57
Poultry farming/Sheep breeding/Piggery	29	117	107	52
Fisheries	94	1172	873	506
Dairy development	23	277	235	26
Storage and Market yards	19	1562	1469	1193
Others	29	694	591	41
IRDP	—	1667	1500	11
Total	**275**	**8338**	**7341**	**3175$**

STATEMENT 2 (*Concld.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981—PURPOSE-WISE AND AGENCY-WISE

(*d*) *Total for all agencies* (*a*+*b*+*c*)

(Rs. lakhs)

Purpose	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Disbursement
Minor irrigation	7031	270293	232412	139431
Land development	698	24168	19155	7868
Farm mechanization	2332	62924	47895	38874
Plantation/Horticulture	1505	31759	25559	8583
Poultry farming/Sheep breeding/Piggery	1118	7896	6361	3280
Fisheries	741	9229	7278	4218
Dairy developmeent	1382	13121	10710	4166
Storage and Market yards	1149	20031	16237	12221
Agricultural aviation	3	53	40	17
Forestry	34	1783	1368	456
Gobar gas plants	143	1054	801	173
Others	438	4328	3554	1306
IRDP	—	16276	14641	1717
Total	**16574**	**462915**	**386011**	**222310$**

N.B.—Commercial banks inclerde RRBs.

$Excludes S.T. finance.

STATEMENT 3

SIZE-WISE AND PURPOSE-WISE CLASSIFICATION OF SCHEMES SANCTIONED DURING 1980-81*

(Rs. lakhs)

Size of scheme	Minor irrigation		Land development		Farm mechanization		Plantation/ Horticulture		Poultry farming/Sheep breeding/Piggery	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upto Rs. 5 lakhs	413	1188	39	107	90	289	118	306	311	784
Rs. 5-10 lakhs	588	4556	16	104	160	1252	121	897	123	919
Rs. 10- 25 lakhs	755	10932	11	186	176	2850	83	1342	26	526
Rs. 25-50 lakhs	125	4358	11	446	79	2716	39	1300	14	463
Rs. 50-100 lakhs	76	5356	9	577	16	1183	7	572	2	140
Above Rs. 100 lakhs	54	17023	7	1217	15	2440	2	390	—	—
Total	**2011**	**43413**	**93**	**2637**	**536**	**10730**	**370**	**4807**	**486**	**2832**

STATEMENT 3 (*Contd*).

(Rs. lakhs)

Size of scheme	Fisheries		Dairy development		Storage & market yards		others		Grand Total	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Upto Rs. 5 lakhs	85	218	178	475	31	120	184	503	1449	3990
Rs. 5-10 lakhs	53	395	136	960	44	360	108	743	1349	10186
Rs. 10-25 lakhs	21	398	57	850	32	514	26	384	1197	17982
Rs. 25-50 lakhs	7	251	5	172	11	356	3	91	294	10143
Rs. 50-100 lakhs	5	342	1	86	5	294	1	77	122	8627
Above Rs. 100 lakhs	—	—	1	240	3	726	1	392	83	22428
Total	**171**	**1594**	**378**	**2783**	**126**	**2370**	**323**	**1190**	**4494**	**73356**

*Excludes IRDP.

STATEMENT 4

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakh

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commitment	Disbursement During 1980-81	Disbursement Upto 30 June 1981
1. *NORTHERN REGION*							
Chandigarh	2	P/H	1	4	3	—	3
Delhi	2	FM	6	152	119	12	91
		LD	1	3	3	—	—
		PF	3	3	2	1	2
		DD	9	54	38	4	30
			19	212	162	17	123
	3	PF	1	6	6	—	6
			20	218	168	17	129
Haryana	1	MI	60	7111	6400	897	5938
		LD	7	337	271	11	150
		FM	11	3969	2977	696	2678
		P/H	3	95	71	6	57
		DD	24	224	168	75	166
		X	15	237	213	5	5
			120	11973	10100	1690	8994
	2	MI	91	11515	9387	1131	4311
		REC	21	427	214	68	101
		LD	24	424	348	34	57
		FM	214	5303	3970	1134	3458
		PF	18	110	90	4	40
		SB	2	6	5	—	1
		DD	53	838	695	22	77
		SG/MY	111	2377	1835	303	972
		AA	1	30	23	—	—
		GG	2	13	10	—	6
		X	9	67	59	12	16
		IRDP	—	379	341	3	3
		ICDP (S.T.)	—	—	—	40	—
			546	21489	16977	2751	9042
	3	DD	1	20	15	—	15
		SG/MY	0	508	456	10	268
		ICDP (. T.)	2	224	179	76	178
		ICDP (S. T.)	—	—		407	79•
			13	752	650	493	540
			679	34214	27727	4934	18576
Himachal Pradesh	1	MI	1	20	18	1	6
		FM	1	37	27	—	—
		P/H	6	112	84	4	29
		DD	1	13	9	1	1
			9	182	138	6	36
	2	FM	3	30	22	7	18
		P/H	21	862	736	147	373
		PF	4	28	24	12	3
		Pig	1	2	2	—	
		DD	9	54	45	10	30
		X	3	14	10	2	
		IRDP	—	269	242	10	10
			41	1259	1081	188	444
			50	1441	1219	194	480

Continued

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1980-81	Upto 30 June 1981
Jammu & Kashmir	1	FM	2	85	63	24	53
		P/H	4	113	85	—	78
		SB	1	23	18	—	—
		DD	1	14	10	—	—
		X	1	12	10	3	3
			9	247	186	27	134
	2	FM	4	46	35	6	24
		P/H	20	338	304	25	27
		DD	3	16	10	1	9
		X	1	3	2	—	—
		IRDP	—	26	23	—	—
			28	429	374	32	60
			37	676	560	59	194
Punjab	1	MI	62	4292	3885	241	3234
		LD	27	1649	1365	81	692
		FM	28	4175	3131	1235	2847
		P/H	15	368	276	—	—
		PF	30	251	188	61	61
		DD	21	269	201	76	76
		IRDP	16	105	78	5	5
			—	12	11	—	—
			199	11121	9135	1699	6915
	2	MI	70	8200	6904	1186	3333
		REC	38	950	475	128	277
		LD	6	311	253	46	88
		FM	171	10940	8216	3092	7553
		ASC	9	167	125	18	64
		P/H	3	53	40	—	1
		SB	1	1	1	—	—
		PF	37	242	195	17	77
		DD	73	767	639	31	212
		SG/MY	237	2620	2095	421	1888
		GG	2	23	17	—	—
		X	4	15	14	1	2
		IRDP	—	348	313	20	20
		ICDP (S.T.)	—	—	—	28	—
			651	24637	19287	4988	13515
	3	FM	1	18	17	—	16
		SG/MY	4	747	730	—	651
		ICDP (S.T.)	—	—	—	65	—
			5	765	747	65	667
			855	36523	29169	6752	21097
Rajasthan	1	MI	155	5825	5338	548	3574
		LD	9	592	452	1	4
		FM	39	829	621	132	222
		P/H	15	205	164	—	25
		IRDP	—	21	19	10	10
			218	7472	6594	691	3875

Continued

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1980-81	Upto 30 June 1981
Rajasthan—(*Contd.*)	2	MI	133	3256	2739	260	1365
		REC	74	1538	769	184	365
		LD	3	83	62	3	6
		CAD	18	3905	3103	132	937
		FM	75	1733	1290	284	1012
		ASC	3	68	51	—	
		P/H	8	57	47	—	—
		PF	4	42	33	—	3
		SB	18	369	331	75	202
		Pig.	1	2	2	—	—
		DD	62	1209	1001	31	149
		SG/MY	81	2151	1722	152	847
		Y	1	57	50	6	22
		X	21	206	178	14	36
		IRDP	—	45	40	2	2
			502	14721	11418	1143	4946
	3	Y	16	327	293	56	153
		IRDP	—	28	25	—	—
			16	355	318	56	153
			736	22548	18330	1890	8974
			2378	95624	77176	13846	49453
II. *NORTH-EASTERN REGION*							
Assam	1	MI	1	126	114	—	—
		P/H	1	5	4	—	—
			2	131	118	—	—
	2	MI	13	1232	1109	18	52
		LD	1	11	10	—	7
		FM	4	85	77	—	10
		P/H	168	5864	4981	535	1290
		Pig.	1	3	2	—	2
		FS	3	39	36	—	2
		DD	9	90	81	—	17
		SG/MY	44	269	223	—	176
		X	2	43	39	37	38
			245	7636	6558	590	1594
	3	P/H	6	121	109	19	19
			253	7888	6785	609	1613
Manipur	2	FM	2	52	47	2	20
		P/H	1	63	57	—	—
		FS	1	2	1	—	—
			4	117	105	2	20

Continued

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1980-81	Up to 30 June 1981
Manipur—(*Contd.*)	3	MI	1	4	3	1	1
		FM	1	55	50	4	40
		P/H	1	15	14	—	13
		Pig	1	6	5	—	—
		FS	74	77	69	—	22
		X	1	28	25	2	2
			79	185	166	7	78
			83	302	271	9	98
Meghalaya	2	PF	2	5	5	—	—
		DD	2	25	23	1	1
		FR	1	49	44	—	—
			5	79	72	1	1
	3	P/H	3	25	23	—	—
		DD	1	10	9	—	—
		FS	1	5	4	—	
			5	40	36	—	—
			10	119	108	1	1
Mizoram	2	DD	1	9	8	4	4
Nagaland	2	FM	2	17	15	—	—
		SG/MY	3	9	7	—	
			5	26	22	—	7
	3	LD	1	30	30	—	11
		P/H	3	40	36	—	—
			4	70	66	—	11
			9	96	88	—	18
Tripura	2	MI	9	24	22	—	6
		FM	1	6	5	1	1
		P/H	12	224	202	4	10
		FS	1	10	9	1	4
		SB	3	11	10	—	—
		Pig.	3	25	22	—	—
		DD	4	12	11	—	—
		SG/MY	1	6	5	—	5
		FR	2	50	40	—	—
		X	1	9	8	1	4
			37	377	334	7	30
	3	MI	3	12	10	—	—
		P/H	3	19	17	—	—
		PF	5	22	20	—	—
		SB	3	11	10	—	—
		Pig.	3	10	9	—	—
		DD	2	18	16	—	—
			19	92	82	—	—
			56	469	416	7	30
			412	8883	7676	630	1764

Continued

STATEMENT 4 (*Contd.*)
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of Schemes	Financial assistance	Total ARDC commitment	Disbursement During 1980-81	Disbursement Upto 1981
III. *EASTERN REGION*							
Andaman & Nicobar Islands	2	P/H	1	8	7	1	2
Bihar	1	MI	25	6815	6134	826	4333
		LD	1	112	84	—	84
		FM	2	140	128	9	92
		P/H	2	23	18	—	6
		SB	1	4	3	—	—
		FS	1	46	41	—	4
		X	3	47	42	—	—
		IRDP	—	262	237	—	—
			35	7449	6685	835	4519
	2	MI	437	10447	9378	956	5253
		REC	90	1486	733	61	189
		LD	1	219	197	41	51
		FM	137	3023	2687	394	1739
		P/H	4	53	48	—	—
		PF	4	61	49	—	1
		SB	1	10	9	3	3
		Pig.	1	4	3	—	—
		FS	2	32	29	—	1
		DD	45	379	340	35	60
		SG/MY	127	2359	2082	73	2026
		GG	15	56	50	2	2
		FR	3	166	116	—	23
		X	10	62	56	2	18
		Y	3	61	55	1	31
		IRDP	—	740	665	33	33
			880	19138	16497	1611	9440
	3	DD	3	34	29	—	10
			918	26621	23211	2448	13969
Orissa	1	MI	78	3434	3078	376	1650
		LD	10	131	106	4	46
		FM	1	80	60	12	45
		P/H	29	629	548	91	331
		FS	21	445	400	154	183
		GG	1	5	4	—	—
		X	17	124	112	77	81
		IRDP	—	689	620	26	26
			157	5537	4928	740	2362
	2	MI	224	4521	4062	581	2006
		REC	31	718	359	98	127
		LD	5	178	153	32	51
		FM	7	122	107	16	85
		ASC	1	2	2	—	1
		P/H	10	201	175	—	1
		PF	3	40	33	1	1
		SB	4	32	28	8	11
		Pig.	2			—	3
		FS	25	444	398	66	209
		DD	63	271	245	78	149
		SG/MY	7	63	55	—	20
		X	2	5	4	—	—
		IRDP	—	1192	1072	116	116
			384	7789	6693	996	2780
	3	MI	50	2365	2129	228	850
		P/H	1	43	39	—	—
		SB	7	12	10	3	3
		FS	1	24	22	—	14
		DD	11	90	81	1	1
		Pig.	1	3	2	—	—
		X	7	24	21	—	—
		IRDP	—	705	635	11	11
			78	3266	2939	243	879
			619	16592	14560	1979	6021

Continued

STATEMENT 4 *(Contd.)*

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement During 1980-81	Disbursement Upto 30 June 1981
West Benga	1	MI	207	4273	3853	151	1721
		FM	19	259	235	21	82
		P/H	48	414	370	38	119
		FS	60	711	640	33	49
		DD	3	23	21	—	—
		GG	4	21	19	—	—
		X	13	76	67	—	—
		Int. Fin.	—	—	—	100	—
			354	5777	5205	343	1971
	2	MI	165	2895	2572	358	1598
		REC	7	125	63		
		FM	19	358	322	14	148
		ASC	8	38	35	—	13
		P/H	63	1844	1658	178	610
		PF	4	45	40	23	29
		FS	6	113	102	9	30
		DD	6	77	70	—	32
		SG/MY	29	528	446	59	334
		X	2	3	3	—	—
			309	6026	5311	641	2794
			663	11803	10516	984	4765
			2201	55024	48294	5410	24757
IV. *CENTRAL REGION*							
Madhya Pradesh	1	MI	349	21416	19353	1080	8084
		LD/CAD	53	315	237	7	76
		FM	4	276	207	5	91
		P/H	2	51	38	—	—
		DD	1	5	4	—	—
		X	11	44	39	—	—
		IRDP	—	34	30	—	—
			420	22141	19908	1092	8251
	2	MI	875	16815	14826	1845	7183
		REC	124	1994	997	267	471
		CAD	102	574	430	138	196
		FM	75	2224	1651	228	1029
		ASC	98	83	65	—	43
		P/H	1	2	2	—	—
		DD	28	199	168	1	16
		PF	21	70	54	9	22
		SG/MY	102	780	623	148	395
		FR	12	599	479	73	249
		GG	8	129	97	—	23
		X	2	3	2	—	—
		IRDP	—	43	39	—	—
			1448	23515	19433	2709	9627
	3	SG/MY	1	18	13	—	11
			1869	45674	39354	3801	17889
Uttar Pradesh	1	MI	242	37747	33813	3048	18970
		LD	17	140	116	—	—
		CAD	221	1551	1313	—	180
		FM	6	72	54	—	—
		P/H	17	228	171	9	61
		DD	22	296	239	—	—
		FS	1	5	4	—	—
		SG/MY	7	106	85	—	—
		GG	5	29	22	—	—
		X	75	710	543	60	62
		IRDP	—	1482	1330	—	—
		Int. Fin.	—	—	—	700	—
			613	42366	37690	3817	19273

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1980-81	Upto 30 June 1981
Uttar Pradesh—(*Contd.*)	2	MI	201	6336	5482	867	3192
		REC	159	3753	1877	529	541
		LD	8	1002	755	—	199
		CAD	25	43	35	—	—
		FM	720	13103	9899	1650	7412
		ASC	7	173	130	38	108
		DD	122	993	819	97	381
		PF	10	59	50	16	18
		SB	8	24	21	1	11
		Pig.	1	1	1	—	—
		FS	8	83	72	2	5
		SG/MY	178	3355	2651	195	2087
		GG	27	108	82	2	14
		K	63	208	170	10	20
		IRDP	—	3010	2705	25	73
			1527	32251	24749	3432	14061
	3	DD	2	64	48	—	—
		SG/MY	1	155	155	—	150
		IRDP	—	1	1	—	—
			3	220	204	—	150
			2143	74837	62643	7249	33484
			4012	120511	101997	11050	51373
V. *WESTERN REGION*							
Dadra and Nagar Haveli	2	DD	1	2	2	—	—
Goa	2	MI	3	21	17	—	15
		DD	6	10	8	1	4
		PF	7	36	29	6	26
		FS	58	559	447	83	342
		GG	1	2	1	—	1
		X	1	97	77	20	20
		IRDP	—	48	44	23	23
			76	773	623	133	431
	3	P/H	1	24	19	—	—
		FS	1	40	30	—	30
		IRDP	—	7	6	—	—
			2	71	55	—	30
			78	844	678	133	461
Gujarat	1	MI	95	5812	5430	55	4791
		FM	1	351	263	—	239
		P/H	2	30	22	—	22
		DD	17	363	280	12	73
		X	1	1	1	—	—
		IRDP	—	103	93	—	—
			116	6660	6089	67	5125

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Terriory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Distbursement	
						During 1980-81	Upto 30 June 1981
Gujarat—(*Contd.*2)	2	MI	195	7052	6217	1210	4355
		REC	46	1029	515	185	334
		LD	14	67	50	—	—
		FM	84	2292	1730	255	1683
		ASC	5	29	22	4	
		P/H	1	3	3	—	—
		DD	64	1010	812	109	565
		PF	11	86	69	4	30
		SB	3	9	8	1	1
		FS	29	1108	884	156	498
		SG/MY	16	308	243	—	242
		FR	1	490	392	—	—
		GG	14	71	53	13	32
		X	3	7	6	1	1
		IRDP	—	546	491	35	38
			486	14107	11495	1973	7779
	3	SG/MY	1	2	2	—	2
			603	20769	17586	2040	12906
Maharashtra	1	MI	378	18275	16443	3264	13953
		LD	8	411	368	—	368
		FM	3	272	204	—	153
		P/H	26	542	407	60	144
		DD	80	637	478	59	93
		SG/MY	1	24	18	—	—
		PF	9	88	67	—	—
		SB	6	68	51	—	—
		FS	1	26	19	—	—
		GG	18	121	89	—	—
		IRDP	—	345	311	—	—
			530	20809	18455	3383	14711
	2	MI	505	5294	4397	291	2639
		REC	183	3653	1827	237	450
		LD	7	185	160	—	—
		CAD	14	2543	1907	506	652
		FM	240	2850	2156	299	1471
		P/H	26	170	138	23	54
		PF	67	621	496	119	328
		SB	14	33	29	4	12
		FS	50	266	207	57	148
		DD	212	1610	1301	58	765
		SG/MY	19	783	624	96	519
		AA	1	7	5	—	5
		GG	14	128	95	17	30
		X	13	123	98	15	58
		IRDP	—	1077	971	38	39
		ICDP (L.T.)	1	40	30	4	30
		ICDP (S.T.)	—	—	—	24	—
			1366	19383	14441	1788	7200
	3	FS	5	180	84	—	82
		IRDP	—	141	126	—	—
			5	321	210	—	82
			1901	40513	33106	5171	21993
			2583	62128	51372	7344	35360

STATEMENT 4 (*Contd.*)
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. yf schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1980-81	Upto 30 June 1981
VI. *SOUTHERN REGION*							
Andhra Pradesh	1	MI	590	29740	26753	3496	17030
		LD	35	3160	2524	40	1652
		CAD	7	1141	856	70	246
		FM	6	3672	2757	647	2756
		P/H	45	1335	1001	32	517
		PF	30	780	585	90	160
		SB	56	841	649	224	500
		FS	9	283	216	21	119
		DD	46	838	641	195	469
		X	23	430	324	139	252
		IRDP	—	482	433	77	77
			847	42702	36739	5031	23778
		MI	202	2720	2409	332	2118
		REC	117	3147	1573	333	
		LD	19	389	290	36	82
		CAD	6	331	265	2	25
		FM	116	1235	917	180	600
		ASC	4	159	122	—	27
		P/H	81	1088	868	123	200
		PF	301	1861	1475	339	834
		SB	170	786	671	170	390
		FS	69	742	569	72	181
		DD	165	1155	960	72	377
		SG/MY	60	1339	948	—	411
		FR	7	292	187	35	99
		GG	7	15	11	—	1
		X	42	180	148	23	39
		IRDP	—	1402	1263	266	484
			1366	16841	12676	2043	5868
	3	MI	1	11	9	—	—
		PF	7	9	7	3	5
		FS	3	331	256	36	86
		IRDP	—	230	207	—	—
			11	581	479	39	91
			2224	60124	49894	7113	29737
Karnataka	1	MI	272	11695	10568	390	5905
		LD	17	1557	1174	—	614
		FM	23	1096	822	222	744
		P/H	82	2709	2033	134	1027
		SB	21	135	110	14	28
		Pig.	2	16	13	—	—
		DD	11	103	87	10	10
		GG	3	59	44	—	2
		X	33	268	222	38	47
		IRDP	—	217	194	38	38
			464	17855	15267	846	8415
	2	MI	86	1167	953	107	384
		REC	21	515	257	75	99
		LD/CAD	14	324	244	—	3
		FM	60	1428	1110	119	1113
		ASC	11	90	67	—	
		P/H	260	3585	2877	124	925
		PF	72	274	222	40	118
		SB	22	83	73	13	30
		FS	116	1647	1203	178	1052
		DD	49	401	352	38	60
		SG/MY	75	1063	843	103	857
		GG	16	235	178	18	56
		FR	8	137	110	11	85
		X	8	221	178	5	15
		IRDP	—	634	571	99	102
			818	11804	9238	930	4899

STATEMENT 4 (*Con td*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1980-81	Upto 30 June 1981
Karnataka—(*Contd.*)	3	MI	1	2	2	—	—
		P/H	4	65	59	—	25
		FS	2	207	143	—	137
		DD	2	33	30	—	—
		SG/MY	2	132	113	—	111
		IRDP	—	21	20	—	—
			11	460	367	—	273
			1293	30119	24872	1776	13587
Kerala	1	MI	14	1076	969	366	862
		LD	5	110	82	—	22
		FM	2	33	25	—	5
		P/H	200	4204	3249	287	936
		PF	1	1	1	—	—
		FS	1	38	28	4	4
		DD	6	45	35	10	11
		Int. Fin.	—	—	—	100	—
			229	5507	4389	767	1840
	2	MI	27	863	774	49	662
		REC	10	109	55	10	10
		LD	4	1631	1380	96	819
		FM	7	81	63	1	39
		ASC	4	4	2	—	—
		P/H	156	2951	2328	418	684
		FS	106	679	503	53	369
		PF	2	7	5	—	—
		DD	39	189	151	20	50
		SG/MY	5	39	31	—	30
		GG	1	2	1	—	—
		IRDP	—	56	51	2	2
			361	6611	5344	649	2665
	3	FS	3	162	162	—	56
		DD	1	8	7	—	—
		X	3	91	73	—	—
		IRDP	—	59	52	—	—
			7	320	294	—	56
			597	12438	10027	1416	4561
Lakshadweep	2	FS	1	11	10	—	—
Pondicherry	1	P/H	1	29	22	1	1
		DD	1	5	4	—	1
		IRDP	—	9	8	—	—
			2	43	34	1	2
	2	MI	1	2	1	—	1
		FS	1	26	21	—	—
		DD	3	26	14	1	12
		IRDP	—	41	37	1	6
			5	95	73	2	19
	3	FS	2	46	34	—	15
			9	184	141	3	36

STATEMENT 4 (*Concld.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1980-81	Upto 30 June 1981
Tamil Nadu	1	MI	191	7093	6391	57	6789
		LD	5	653	490	—	470
		FM	1	780	585	—	625
		P/H	60	1563	1173	55	418
		PF	2	6	5	—	—
		SB	11	64	49	2	29
		FS	2	54	41	—	16
		DD	15	61	47	6	17
		GG	1	11	8	1	3
		X	6	42	37	1	28
		IRDP	—	98	88	—	—
		Int. Fin.	—	—	—	3	—
			294	10425	8914	125	8395
	2	MI	12	179	142	5	86
		REC	83	1134	567	106	207
		LD	3	56	42	—	40
		FM	74	860	643	231	409
		ASC	12	24	16	—	15
		P/H	88	1382	1033	63	575
		PF	64	349	283	86	158
		SB	28	161	142	28	84
		Pig.	1	1	1	—	—
		FS	75	688	525	39	496
		DD	82	552	458	79	229
		SG/MY	27	290	232	—	212
		AA	1	16	12	—	12
		GG	4	26	20	1	3
		X	13	114	88	41	55
		IRDP	—	999	899	487	604
			567	6831	5103	1166	3185
	3	SB	1	38	38	—	38
		FS	2	100	69	—	64
		IRDP	—	475	428	—	—
			3	613	535	—	102
			864	17868	14552	1291	11682
			4988	*120745*	*99496*	*11599*	*59603*
Grand Total (I to VI)			**16574**	**462915**	**386011**	**49879**	**222310$**

Note : Commercial banks Include RRBs.
$Exclude short-term finance.
*Medium-term conversion loan.

STATEMENT 5

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981—AGENCYWISE

Rs. lakhs

Agency	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Disbursement
State Land Development Banks	4618	218397 (47·2)	190574 (49·4)	118569 (53·3)
Scheduled Commercial Banks	11461	230474 (49·8)	183062 (47·4)	98361 (44·3)
Regional Rural Banks	220	5706 (1·2)	5034 (1·3)	2178 (1·0)
State Co-operative Banks	275	8338 (1·8)	7341 (1·9)	3175 (1·4)
Total	**16574**	**462915 (100·0)**	**386011 (100·0)**	**222310£ (100·0)**

Figures in brackets are percentages to the total

$Excludes short-term finance.

STATEMENT 6
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED TO RRBs DURING 1979-80 AND 1980-81

Rs. lakh s

Region/State	No. of RRBs to which schemes were sanctioned as on		No. of schemes sanctioned during		Commitments sanctioned during		Commitments upto 30-6-81	Disbursements upto 30-6-81
	30-6-80	30-6-81	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81		
I. *NORTHERN REGION*								
Haryana	1	2	1	2	34	59	92	18
Jammu & Kashmir	1	1	—	—	5	—	5	—
Rajasthan	2	2	3	12	77	192	283	112
II. *NORTH EASTERN REGION*								
Assam	1	1	2	3	30	34	64	20
Tripura	1	1	4	18	26	70	85	11
III. *EASTERN REGION*								
Bihar	7	8	12	16	114	262	666	348
Orissa	3	4	19	3	35	415	481	210
West Bengal	2	5	3	1	26	9	35	5
IV. *CENTRAL REGION*								
Madhya Pradesh	2	5	1	14	110	472	600	217
Uttar Pradesh	6	13	11	3	708	294	1196	51
V. *WESTERN REGION*								
Gujarat	1	2	—	2	5	6	15	1
Maharashtra	1	1	1	2	21	97	117	12
VI. *SOUTHERN REGION*								391
Andhra Pradesh	3	3	21	7	451	62	683	
Karnataka	2	4	2	12	129	207	452	129
Kerala	2	2	4	2	32	7	67	15
Tamil Nadu	1	1	—	1	148	5	183	178
Total (I to VI)	**36**	**55**	**84**	**98**	**1951**	**2191**	**5034**	**2178**

STATEMENT 7

DISBURSEMENTS MADE IN LESS DEVELOPMENT/UNDER BANKED STATES

Rs. lakhs

State/Union Territory	Disbursements during					As on 30 June
	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981
Himachal Pradesh	2 (—)	23 (0·1)	50 (0·2)	185 (0·5)	194 (0·4)	480 (0·2)
Jammu & Kashmir	6 (—)	15 (0·1)	14 (—)	12 (—)	59 (0·1)	194 (0·1)
Rajasthan	787 (3·6)	1312 (5·6)	1616 (5·7)	1815 (4·4)	1890 (3·8)	8974 (4·0)
Assam	70 (0·3)	273 (1·2)	235 (0·8)	286 (0·7)	609 (1·2)	1613 (0·7)
Manipur	8 (0·1)	23 (0·1)	43 (0·2)	10 (—)	9 (—)	98 (0·1)
Meghalaya	—	—	—	—	1 (—)	1 (—)
Mizoram	—	—	—	—	4 (—)	4 —
Nagaland	3 (—)	5 (—)	—	—	—	18 (—)
Tripura	2 (—)	8 (—)	1 (—)	11 (—)	7 (—)	30 (—)
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	1 (—)	1 (—)	2 (—)
Bihar	1696 (7·7)	1864 (8·0)	2253 (7·9)	2468 (6·0)	2446 (4·9)	13969 (6·3)
Orissa	565 (2·6)	816 (3·5)	876 (3·1)	1315 (3·2)	1979 (4·0)	6021 (2·7)
West Bengal	590 (2·7)	996 (4·3)	1045 (3·7)	981 (2·4)	984 (2·0)	4765 (2·1)
Madhya Pradesh	2610 (11·8)	1670 (7·1)	1666 (5·9)	3647 (8·9)	3801 (7·6)	17889 (8·0)
Uttar Pradesh	3720 (16·9)	4317 (18·4)	4877 (17·1)	5660 (13·7)	7249 (14·5)	33484 (15·1)
Total (All less developed states)	**10059 (45·6)**	**11322 (48·3)**	**12675 (44·5)**	**16391 (39·8)**	**19233 (38·5)**	**87542$ (39·4)**
Total (All India)	**22082 (100·0)**	**23430 (100·0)**	**28487 (100·0)**	**41223 (100·00)**	**49879 (100·0)**	**222310 (100·0**

$Excudes short-term finance.

STATEMENT 8

IRDP BANKING PLANS APPROVED DURING 1980-81

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	No. of new banking plans approved (District-wise)	No. of blocks covered	Financial assistance	ARDC commitment	Disbursement during 1980-81
I. *NORTHERN REGION*					
Haryana	10	52	379	341	3
Himachal Pradesh	8	44	242	218	10
Jammu & Kash mir	1	5	15	14	—
Punjab	7	44	343	312	20
Rajasthan	4	8	94	84	12
	30	153	1073	969	45
II. *NORTH-EASTERN REGION*					
Assam, Arunachal Pradesh	—	—	—	—	—
Manipur, Meghalaya	—	—	—	—	—
Nagaland, Tripura & Mizoram	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
III. *EASTERN REGION*					
Bihar	7	49	986	888	33
Orissa	8	125	2531	2278	153
West Bengal	—	—	—	—	—
	15	174	3517	3166	186
IV. *CENTRAL REGION*					
Madhya Pradesh	5	19	44	40	—
Uttar Pradesh	29	310	2780	2500	25
	34	329	2824	2540	25
V. *WESTERN REGION*					
Goa	1	7	55	50	23
Gujarat	1	2	12	11	35
Maharashtra	22	122	1243	1119	38
	24	131	1310	1180	96
VI. *SOUTHERN REGION*					
Andhra Pradesh	1	6	64	58	343
Karnataka	11	61	612	551	137
Kerala	1	13	114	104	2
Pondicherry	—	—	—	—	1
Tamil Nadu$	—	—	14	13	487
	13	80	804	726	970
Total (I to VI)	**116**	**867**	**9528**	**8581**	**1322**

$Additional Programme.

STATEMENT 9

DISTRIBUTION OF IRDP BANKING PLANS APPROVED UPTO 30 JUNE 1981 BY AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Agency	Purpose	Financial assistance	ARDC commitment	Disbursement upto 30 June 1981
State land Development Banks	MI	2882	2590	151
	Others	872	784	
Scheduled Commercial Banks	MI	3712	3329	
				1555
	Others	7143	6438	10
State Co-operative Banks	MI	625	562	
	Others	1042	938	1
Total		**16276**	**14641**	**1717**

*Include RRBs.

STATEMENT 10

SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD AGENCIES AS ON 30 JUNE 1981

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1980-81	Upto 30 June 1981
I. *NORTHERN REGION*							
Delhi	2	DD	8	49	35	3	28
Haryana	2	MI	2	179	177	2	10
		PF	2	14	13	—	67
		DD	5	66	61	13	38
		X	1	1	1	—	—
			10	260	252	15	214
Himachal Pradesh	2	PF	2	11	10	1	2
		PSlg.	1	2	2	—	—
		P/H	2	6	5	1	1
		DD	6	27	24	2	14
		X	2	9	6	1	5
			13	55	47	5	22
Jammu & Kashmir	1	P/H	1	5	5	—	—
	2	DD	2	12	7	—	7
			3	17	12	—	7
Punjab	1	MI	4	179	179	—	138
	2	MI	1	6	6	—	6
		PF/SB	3	36	33	—	4
		DD	44	417	377	14	136
		X	2	5	4	1	2
			54	643	599	15	286
Rajasthan	1	MI	31	904	858	—	522
	2	MI	45	545	488	24	98
		PH	1	8	7	—	—
		SB	14	301	271	42	158
		DD	33	290	257	15	68
		X	19	183	158	10.	22
	3	Y	16	327	293	56	153
			159	2558	2332	147	1021
			247	3582	3277	185	1578
II. *NORTH-EASTERN REGION*							
Assam	1	MI	1	126	114	—	—
	2	MI	7	57	51	7	20
		P/H	1	7	6	—	1
		FS	1	15	14	—	2
		DD	2	23	20	7	13
			12	228	205	14	36
Manipur	3	MI	1	4	3	1	1
Meghalaya	2	PF	2	5	5	—	—
	3	P/H	2	11	10	—	—
			4	16	15	—	—
Nagaland	3	P/H	3	40	36	—	—
Tripura	2	MI	2	17	15	—	4
		X	1	9	8	1	4
			3	28	23	1	8
			23	314	282	16	45

STATEMENT 10 (*Contd.*)

SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD AGENCIES AS ON 30 JUNE 1981

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						Durng 1980-81	Upto 30 June 1981
III. *EASTERN REGION*							
Bihar	2	MI	3	72	67	—	24
		FM	1	5	5	—	5
		PF	1	1	1	—	—
		DD	6	34	31	—	9
			11	112	104	—	38
Orissa	1	MI	3	246	221	18	122
		LD	1	2	2	—	1
		P/H	2	99	89	20	42
		X	17	124	112	72	81
	2	MI	7	557	506	88	222
		LD	1	16	14	—	5
		PF/SB/Pig	7	36	33	9	15
		DD	62	262	237	77	144
		X	2	5	4	—	—
	3	SB	7	12	10	3	3
		Pig.	1	3	2	—	—
		DD	11	90	81	1	1
		X	7	24	21	—	—
			128	1476	1332	288	636
West Bengal	1	MI	7	136	127	—	102
		P/H	1	9	9	—	—
	2	MI	6	67	62	—	68
		DD	2	15	15	—	7
			16	227	213		177
			155	1815	1649	288	851
IV. *CENTRAL REGION*							
Madhya Pradesh	1	MI	13	507	479	—	355
		X	11	44	39	—	—
	2	MI	4	26	23	—	11
		DD	7	33	29	—	—
		X	2	3	2	—	—
			37	613	572	—	366
Uttar Pradesh	1	MI	8	931	911	—	556
		LD	3	21	19	—	—
		DD	7	51	46	—	—
	2	MI	4	51	47	—	23
		SB	2	5	5	—	—
		DD	21	132	121	—	21
		X	1	26	24	—	—
			46	1217	1173	—	601
			83	1830	1745	—	967
V. *WESTERN REGION*							
Goa	2	MI	1	13	12	—	7
		PF	1	2	1	—	—
		DD	5	9	8	1	4
			7	24	21	1	11

STATEMENT 10 (*Contd.*)
SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD AGENCIES AS ON 30 JUNE 1981

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1980-81	Upto 30 June 1981
Gujarat	1	MI	1	4	3	—	—
		DD	2	10	9	—	2
		X	1	1	1	—	—
	2.	MI	9	41	36	—	10
		DD	23	152	134	37	121
		X	2	5	4	—	—
			38	213	187	37	133
Maharashtra	1	MI	22	580	528	—	316
	2	MI	13	126	114	4	34
		DD	32	223	198	7	72
		X	1	7	6	2	2
			68	936	846	13	424
			113	1173	1054	51	568
VI. *SOUTHERN REGION*							
Andhra Pradesh	1	MI	16	2163	1976	600	1756
		LD	4	124	111	—	12
		SB	10	119	101	23	77
		DD	5	59	54	8	46
		X	1	1	1	—	—
	2	MI	25	425	384	36	293
		LD	2	8	7	2	2
		P/H	2	11	9	—	—
		PF	8	49	43	14	19
		SB	40	173	155	38	163
		FS	1	1	1	—	3
		DD	46	312	280	31	148
	3	MI	1	11	9	—	—
			161	3456	3131	752	2519
Karnataka	1	MI	4	484	484	—	429
	2	MI	3	74	71	—	—
		SB	1	4	3	—	—
		DD	1	2	2	—	—
			9	564	560	—	429
Kerala	1	MI	4	37	33	—	—
		FS	1	1	1	—	1
	2	DD	7	21	21	1	8
			12	59	55	1	9
Pondicherry	2	DD	1	9	6	—	6
Tamil Nadu	1	MI	6	208	194	—	102
		SB	1	2	2	—	1
		DD	5	12	11	—	3
		X	5	35	31	—	27
	2	P/H	4	69	59	4	5
		PF	6	35	32	13	18
		SB	19	99	89	22	63
		DD	26	215	184	50	97
		X	6	100	76	40	53
			78	775	678	129	369
			261	4863	4430	882	3332
Total (I to VI)			**882**	**13577**	**12437**	**1422**	**7341**

N.B. : SFDA since renamed as District Rural Development Agency (DRDA)

STATEMENT II

IDA/IBRD PROJECTS—BRIEF DESCRIPTION OF EACH ON-GOING PROJECT

1. (a) Third ARDC Credit Project (947 IN).

(b) Cost of the project—$ 10005 million—IDA Assistance—$ 250 million to be routed through ARDC.

(c) Investments in minor irrigation (including land development) and other diversified categories as may be agreed to by GOI, IDA and ARDC during the currency of the project.

(d) State land development banks, scheduled commercial banks and state co-operative banks.

(e) 2 years—closing date—31 December 1981.

(f) This project is under implementation since January 1980. ARDC disbursements under the project till 30 June 1981 aggregated Rs. 337 crores qualifying for a credit of $ 219 million. The current level of disbursement also exceeded the appraisal expectations of ARDC disbursement of Rs. 335 crores.

2. (a) Andhra Pradesh Fisheries Project (815 IN).

(b) Cost of the project—$ 36.5 million, IDA assistance—$ 17.5 million—$ 5.9 million to be routed through ARDC.

(c) To increase marine fisheries production in Andhra Pradesh by improving 3 important fishing harbours at Visakhapatnam, Kakinada and Nizamapatnam by providing credit for acquisition of fishing vessels, both mechanised and non-mechanised, to be owned and operated by individuals, companies and co-operatives. The project will also improve the productivity of small fishermen by construction of access roads.

(d) Andhra Pradesh State Co-operative Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—30 September 1984.

(f) Progress under the project continues to be slow. The slow progress is mainly due to escalation in cost. ARDC regional office would update the data so as to determine viability of mechanised boats in the light of escalation of operational costs.

3. (a) Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project (1251 IN).

(b) Cost of the project—$ 297 million—IBRD assistance—$ 145 million—$ 9.1 million to be routed through ARDC.

(c) The project includes completion of canal and drainage network and construction of village roads in Nagarjunasagar Project (NSP) and initiates command areas development in NSP, Pochampad and Tungabhadra high level canal command areas.

(d) Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank and selected commercial banks.

(e) 6 year—closing date—31 December 1982.

(f) Legislation empowering CAD authorities to develop land of the unwilling farmers on a compulsory basis is yet to be introduced in the state legislature. The Government of Andhra Pradesh have since revised the deed of guarantee for providing loan against state government guarantee which is being examined by ARDC's Legal Adviser.

4. (a) Gujarat Fisheries Project (695 IN).

(b) Cost of the project—$ 38 million—IDA assistance—$ 18 million—$ 4.7 million to be routed through ARDC.

(c) Integrated development of fisheries in Gujarat, improvement of fishing harbours in Veraval and Mongrol, improvement of shore facilities, provision of credit towards fishing, processing unit, ice plans and to the traditional fishermen for purchase of canoes and outboard motors.

(d) Selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—30 June 1983.

(f) Under the Gujarat Fisheries Project ARDC disbursements till the end of June 1981 stood at Rs. 2.1 crores as against appraisal estimate of Rs. 5.9 crores. The physical programme of mechanised fishing vessels has been reduced. A revised banking plan has been finalised.

5. (a) Haryana Irrigation Project (843 IN).

(b) Cost of the project—$ 221.9 million—IDA assistance—$ 111.0 million—$ 41.4 million to be routed through ARDC.

(c) Modernization of canals, water courses, construction of augmentation tubewells, etc.

(d) Haryana State Land Development Bank, Haryana State Co-operative Bank and selected commercial banks.

(e) 5 years—closing date—August 1983.

(f) ARDC disbursements at the end of June 1981 under the project were Rs. 18.2 crores.

6. (a) Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project (456 IN).

(b) Cost of the project—$ 20.4 million—IDA assistance—$ 13.0 million—$ 5.4 million to be routed through ARDC.

(c) Improvements in apple processing and marketing in Himachal Pradesh.

(d) Selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 December 1981.

(f) The closing date of the project was extended by one year to 31 December 1981. The progress of physical work is satisfactory and the project is expected to be completed by December 1981.

7. (a) Inland Fisheries Project (963 IN).

(b) Cost of the project—$ 40.8 million—IDA assistance—$ 20 million — $ 9.3 million to be routed through ARDC.

(c) Construction of fish seed hatchery complexes and improvement to fish ponds for intensive fish culture in West Bengal, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

(d) Commercial banks, regional rural banks, state co-operative banks and land development banks.

(e) 5 years—closing date—30 September 1985.

(f) Under the project ARDC commitment till 30 June 1981 for fish pond programme amounted to Rs. 1.7 crores and the ARDC disbursements amounted to Rs. 1.0 lakh. There has been delay in selection of sites for setting up of hatcheries.

8. (a) Integrated Cotton Development Project (610 IN).

(b) Cost of the project—$ 36 million—IDA assistance—$ 18 million—$ 12.9 million to be routed through ARDC.

(c) Provision of seasonal credit for growing improved

(*a*) Project title. (*b*) Project cost/IDA/IBR D assitance.

(*c*) Investment programme. (*d*) Financing banks. (*e*) Project period and closing date (*f*) Project status.

N.B. : The projects completed so far are:

(1) First ARDC Credit project (540 IN),

(2) Second ARDC Credit Project (715 IN).

(3) Andhra Pradesh Agricultural Credit project (226 IN), (4) Bihar Agricultural Credit Project (440 IN), (5) Bihar Market Yards Project (294 IN) (6) Gujarat Agricultural Credit (191 IN) (7) Haryana Agricultural Credit Project(249 IN), (8) Karnataka Agricultural Credit Project (278 IN), (9) Madhya Pradesh Agricultural Credit Project (391 IN), (10) Maharashtra Agricultural Credit Projedct (293 IN), (11) Punjab Agricultral Credit Project (203 IN), (12) Tamil Nadu Agricultural Credit Project (250 IN), (13) Tarai Seeds Projects—U.P. (614 IN) and (14) Uttar Pradesh Agricultural Credit, Project (392 IN).

varieties of cotton and term credit for ginneries and cotton seed processing units including modernisation in the project areas in Haryana, Punjab and Maharashtra.

(d) State co-operative banks and selected commercial banks.

(e) 5 years—closing date—31 December 1981.

(f) Under the ICDP, cumulative drawals from GOI in respect of crop loans for cotton in the project areas amounted to Rs. 3.8 crores till the end of June 1981. As regards setting up of ginneries and seed processing units progress is satisfactory. The project closing date needs extension by at least two years.

9. (a) Jammu & Kashmir Horticulture Project (806 IN).

(b) Cost of the project—$27.6 million—IDA assistance—$ 14.0 million—$ 9.6 million to be routed through ARDC.

(c) ARDC is involved in the construction of 25 apple grading and packing centres, 10 cold storages, one transhipment centre and seasonal credit of about Rs. 2.0 crores to help the apple, walnut and mushroom growers.

(d) Selected commercial banks and State Co-operative Bank.

(e) 5 years—closing date—31 December 1983.

(f) ARDC disbursements under the project till June 1981 were Rs 25 lakhs. Slow progress of the project is attributed to the delay in completion of several preliminaries and shortage of critical inputs like cement, etc.

10. (a) Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project (378 IN).

(b) Cost of the project—$ 12 million—IDA assistance—$ 8 million—$ 7.9 million to be routed through ARDC.

(c) Marketing facilities including civil works, utility equipments, etc.

(d) Selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 December 1979 since extended to June 1981.

(f) The disbursements at the end of June 1981 under this project aggregated Rs. 6.5 crores which were sufficient to absorb the allocated credit. The construcion of 34 markets is over while remaining markets are expected to be ready by October 1981.

11. (a) Karnataka Dairy Development Project (482 IN).

(b) Cost of the project—$ 63.7 million—IDA assistance—$ 30 million—originally $ 20.9 million and revised to $ 6.1 million to be routed through ARDC.

(c) Integrated programme for increasing milk production in rural areas of Karnataka by providing technical services for quality cross breeding and animal health and marketing.

(d) Karnataka State Land Development Bank, State Co-operative Bank and selected commercial banks.

(e) 8 years—closing date—30 September 1982.

(f) Under this project, a credit of only $ 6.1 million earmarked for on-farm development is to be routed through ARDC. Karnataka Dairy Development Corportion had proposed to the GOI closure of programme under the on-farm development at the current level of achievement (ARDC disbursement of Rs. 28 lakhs).

12. (a) Karnataka Irrigation Project (788 IN).

(b) Cost of the project—$ 284.4 million—IDA assistance—$ 126 million— $ 7 million to be routed through ARDC.

(c) The project envisages financing of completion of Almatti and Naryanpur dams and Naryanpur Left Bank Canal as well as construction of branch canal and covering cultivable command area of 4,25,000 ha.

(d) Karnataka State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 March 1984.

(f) The CADA has started collection of applications from farmers.

13. (a) Karnataka Sericulture Project (1034 IN).

(b) Cost of the project—$ 95.1 million—IDA assistance—$ 54.0 million—$ 4.4 million to be routed through ARDC.

(c) Project aims at develoment of sericulture and establishment of cottage basins.

(d) Karnataka State Land Development Bank and selected commercial banks

(e) 5 years—closing date—31 December 1985.

(f) The banks have so far drawn refinance to the extent of Rs. 16 lakhs and the project is expected to pick up in the current year.

14. (a) Kerala Agricultural Development Project (680 IN).

(b) Cost of the project—$ 69 million—IDA assistance—$ 30 million—$ 26.7 million to be routed through ARDC.

(c) Development of tree crops such as coconut, pepper and cashew plantation, setting up of crumb rubber factories, etc. Farmers are also eligible for loans for minor irrigation investments.

(d) Kerala State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—31 March 1985.

(f) Seventeen package units outside the project districts have been included with IDA's concurrence. The recommendations of a study team of Government of Kerala are receiving their attention. ARDC disbursements under the project at the end of June 1981 totalled Rs. 6 crores.

15. (a) Madhya Pradesh Dairy Development Project (522 IN).

(b) Cost of the project—$ 31.2 million—IDA assistance—$ 16.4 million—$ 13.7 million to be routed through ARDC.

(c) Construction of dairy plants—cattle breeding farm, feed mills, etc.

(d) Selected commercial banks.

(e) Selected commercial banks.

(e) 7 Years—closing date—30 June 1982.

(f) Credit under the project is to be routed through Indian Dairy Corporation.

16. (a) Madhya Pradesh Chambal Command Area Development Project (562 IN).

(b) Cost of the project—$ 45.8 million—IDA assistance—$ 24 million—$ 0.3 million to be routed through ARDC.

(c) On-farm development in the Chambal command area.

(d) Madhya Pradesh State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 4 years—closing date—extended to 30 June 1981.

(f) The main reason for poor response to the on-farm development programme under the project was on account of procedural delays, opposition from the cultivators for land consolidation and unwillingness of the farmers to execute consent-cum-application forms. IDA has reduced credit allocation under OFD works from $ 19. million to $ 0.3 million.

17. (a) Maharashtra Irrigation and Command Area Development Composite Project (736 IN).

(b) Cost of the project—$ 140 million—IDA assistance—$ 70 million—$ 5.5 million to be routed through ARDC for on-farm development.

(c) On-farm development in Jayakwadi and Purna Irrigation Scheme areas.

(d) Maharashtra State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 March 1983.

(f) Under this project ARDC disbursements upto 30 June 1981 amounted to Rs. 2.7 crores. Owing to delay in completing the works on an outlet basis the LDC confined itself to selected *chaks* for drawal of interim finance.

18. (a) Multi-Satte Cashewnut Project (1012 IN).

(b) Cost of the project — $ 45.7 million — IDA assistance — $ 22 million — $ 13.7 million to be routed through ARDC.

(c) The project is designed to help finance a programme of cashew production in the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Orissa.

(d) State land development banks and selected commercial banks.

(e) 5 Years—closing date—30 September 1985.

(f) The schemes under this project were sanctioned recently. The disbursements are expected to gather pace in the current year.

19. (a) National Seed Project—Phase I (1273) IN).

(b) Cost of the project — $ 52.7 million — BRD assistance — $ 25 million — $ 18.2 million to be routed through ARDC.

(c) The procjct is the first phase for development of national seed programme covering 4 states.

(d) Selected commercial banks.

(e) 5 Years—closing date—30 June 1984.

(f) Closing date of the project has been extended upto 30 June 1984, ARDC disbursements under the project were Rs 87 lakhs till the end of June 1981.

20. (a) National Seed Project — Phase II (816 N).

(b) Cost of the project—$ 34.8 million—IDA assistance—$ 14.5 million to be routed through ARDC.

(c) Second phase of the national seed programme covers five states, *viz.*, Bihar, Karnataka, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh. The major thrust is on the production of quality seeds for cereal crops, groundnut and vegetable seeds. Seed output would be increased by about 125 lakh tonnes.

(d) Selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 December 1984.

(f) ARDC disbursements under the project were Rs. 84 lakhs till the end of June 1981.

21. (a) Orissa Irrigation Project (740 IN).

(b) Cost of the project—$ 116 million—IDA assistance—$ 58 million—$ 2.4 millian. to be routed through ARDC.

(c) On-farm development of 57,000 ha. in command areas of Hirakud, Salandi and Mahanadi irrigation systems.

(d) State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 October 1983.

(f) The Government of Orissa has decided on construction of field channels and drainage works from funds placed at the disposal of the concerned CADA, pending decision on matters like mode of recovery of the cost, legal amendments necessary, etc.

22. (a) Punjab Irrigatoin Project (889 IN).

(b) Cost of the project—$ 257.5 million—IDA assistance—$ 129 million—$ 46 million to be routed through ARDC.

(c) Modernisation of water courses.

(d) Commercial banks.

(e) 5 years—closing date—30 June 1985.

(f) Under Punjab Irrigation Project ARDC disbursements till the end of June 1981 amounted to Rs. 15 crores.

23. (a) Chambal Command Area Development Project—Rajasthan (1011 IN).

(b) Cost (ARDC programme) of the project—$12 million—IBRD assistance—$ 6.5 million to be routed through ARDC.

(c) On-farm development in the Chambal command area.

(d) Selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—30 June 1981.

(f) Closing date of the project has been extended upto 30 June 1982. ARDC disbursements under the project amounted to Rs. 1.4 crores till 30 June 1981.

24. (a) Rajasthan Canal Command Area Development Project (502 IN).

(b) Cost of the project—$ 39.8 million—IDA assistance—$ 22.5 million to be routed through ARDC.

(c) On farm development in the Rajasthan canal command area.

(d) Selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—30 June 1981.

(f) Under the project the work has been completed in 664 *chaks* while it is in progress in 887 *chaks*. Drawals by financing institutions from ARDC amounted to Rs. 6.8 crores.

25. (a) Rajasthan Dairy Development Project (521 IN).

(b) Cost of the project—$ 51.8 million—IDA assistance—$ 27.7 million—$ 22.3 million to be routed through ARDC as per original allocation.

(c) Setting up of dairy co-operatives and dairy plants.

(d) Selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—31 December 1982.

(f) The credit component under the project is to be routed through the Indian Dairy Corporation and no ARDC refinance is expected.

26. (a) West Bengal Agricultural Development Project (541 IN).

(b) Cost of the project—$ 59 million—IDA assistance—$ 34 million—$ 22.1 million to be routed through ARDC.

(c) Construction of shallow tubewells and setting up of river lift irrigation units, agro-service centres and market yards development.

(d) West Bengal State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 5 years—closing date—31 March 1980 extended upto March 1981.

(f) In the West Bengal ADP, ARDC disbursements upto the end of June 1981 were Rs. 25.9 crores. This is sufficient to absorb the credit to be routed through ARDC. A Project Completion Report is under preparation.

STATEMENT 12
POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1981

Rs. Lakhs

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total lending programme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissible to ARDC	Agency	Disbursement by PLDBs/ PCBs@	Disbursement by ARDC	Amount received from Government of India*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. IBRD PROJECTS								
1. Tarai Seeds Project (U.P.)	(a) 12-9-69 (b) 30-6-74 (c) 31-12-77	LD	927	690	Com. Bks.	263	193	193
2. Chambal Command Area Development Project (Rajasthan)	(a) 12-12-74 (b) 30-6-81 (c) 30-6-82	LD	619	520	Com. Bks.	178	140	64
3. National Seed Project (A.P., Haryana, Punjab and Maharashtra)	(a) Oct 76 (b) 30-6-81 (c) 30-6-84	LD	2169	1634	Com. Bks.	97	87	27
4. A.P. Irrigation and Command Area Development Composite Project.	(a) 8-9-76 (b) 31-12-82	LD	1241	819	SLDB	328	246	187
			60	45	Com. Bks.	36	24	
		Total	5016	3708		902	690	471
B. IDA PROJECTS								
I. ARDC Credit Project—I	(a) 5-8-75 (b) 31-12-77	MI	11100	5520	SLDBs		9490	
		Other purposes	900	400	Com. Bks. SCBs	13816	2787 18	
			12000	5920		13816	12295	23064
II. ARDC Credit Project-II	(b) 31-12-79	MI	28636	15750	SLDBs		19717	
		Other purposes	3927	2160	Com. Bks. SCBs	36329	11177 360	
			32563	17910		36329	31254£	23064
III. ARDC Credit Project-III	(a) 2-1-80 (b) 31-12-81	MI	35638	17819	SLDBs		19450	
		Other purposes	7138	3569	Com. Bks. SCBs	42470	16121 566	13448
			42776	21388		42470	36137††	13448
IV. Integrated Cotton Development Project	(a) 24-8-76 (b) 31-12-81	S.T. crop loan for cotton	889	600	Com. Bks. SCBs	103 525	92 472	
		Cotton ginning & seed processing	720	432	Com. Bks. SCBs	37 224	30$$ 179$	475
		M.T. Conversion			SCB	93	79	
			1609	1032		982	852**	475
V. AGRICULTURAL CREDIT PROJECTS								
1. Andhra Pradesh	(a) 10-5-71 (b) 30-6-74 (c) 30-6-77	MI	2111	1393	SLDB	2014	1776	
					Com. Bks.	97	88	
		LD	230	154	SLDB	230	151	1920
		FM	806	431	SLDB	603	359	
					Com. Bks.	203	149	
			3147	1978		3147	2523	1920
2. Bihar	(a) 29-3-74 (b) 31-12-77 (c) 31-3-80	MI	4473	2728	SLDB	2267	2123	
					Com. Bks.	2391	2225	2609
			4473	2728		4658	4348	2609

Continued

STATEMENT 12 (*Contd.*)

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1981

Rs. lakhs

Project		Effective/ closing dates	Purpose	Total lending programme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissible to ARDC	Agency	Disbursement by PLDBs/ PCBs@	Disbursement by ARDC	Amount received from Government of India*
3. Gujarat	(a)	14-9-70	MI	4027	2344	SLDB	4027	3635	2608
	(b)	30-6-74							
	(c)	31-3-75	FM	351	182	SLDB	319	233	
				4378	2526		4364	3868	2608
4. Haryana	(a)	2-11-71	MI	1962	903	SLDB	2841	1894	2140
	(b)	31-3-75				Com. Bks.	76	64	
	(c)	30-6-77	FM	1433	1002	SLDB	660	468	
						Com. Bks.	1060	792	
				3395	1905		4637	3218	2140
5. Karnataka	(a)	25-9-72	MI & Well	3070	2057	SLDB	3122	2795	3265
	(b)	31-12-75	Rigs			Com. Bks.	187	128	
	(c)	30-6-77	LD	525	315	SLDB	256	185	
			LR Equip.	105	105	Com. Bks.	4	3	
			FM	1575	1008	SLDB	680	450	
						Com. Bks.	960	777	
				5275	3485		5209	4338	3265
6. Kerala	(a)	29-6-77	Tree Crops.	5060	2403	SLDB	308	239	310
	(b)	31-3-85	Rubber Processing & MI			Com. Bks.	462	362	
				5060	2403		770	601	310
7. Madhya Pradesh	(a)	10-10-73	MI (in-	4003	2619	SLDB	2930	2532	2854
	(b)	31-12-76	cluding LD)			Com. Bks.	2112	1866	
				4003	2619		5042	4398	2854
8. Maharashtra	(a)	31-1-73	MI	3690	3136	SLDB	3475	3140	2558
	(b)	31-12-75				Com. Bks.	187	178	
	(c)	30-6-76	LD	226	192	SLDB	226	170	
			FM	211	148	SLDB	190	143	
				4127	3476		4078	3631	2558
9. Punjab	(a)	4-9-70	FM	4000	2380	SLDB	1000	750	2180
	(b)	31-12-73							
	(c)	30-6-77				Com. Bks.	2228	1684	
				4000	2380		3228	2434	2180
10. Tamil Nadu	(a)	2-11-71	MI	3001	1861	SLDB	3001	2781	2526
	(b)	31-12-74	LD	88	61	SLDB	88	66	
	(c)	31-12-77	FM	780	492	SLDB	834	625	
						Com. Bks.	29	22	
			Earth moving machinery	243	243	Com. Bks.	46	35	
				4112	2657		3998	3529	2526
11. Uttar Pradesh	(a)	31-10-73	MI	5516	3420	SLDB	4277	3849	3406
	(b)	31-12-76				Com. Bks.	1492	1152	
	(c)	31-12-77							
				5516	3420		5769	5001	3406
12. West Bengal	(a)	28-8-75	MI	2696	1483	SLDB	1236	1113	1172
	(b)	31-3-80				Com. Bks.	1559	1416	
	(c)	31-3-81	FM	145	80	Com. Bks.	12	10	
			SG & MY	87	48	Com. Bks.	52	47	
				2928	1611		2859	2586	11
	Total V (1 to 12)			50414	31188		47741	40475	2754

Continued

STATEMENT 12 (*Contd.*)

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1981

Rs. Lakhs

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total landing programme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissible to ARDC	Agency	Disbursement by PLDBs/ PCBs@	Disbursement by ARDC	Amount received from Government of India*
VI. OTHER PROJECTS								
1. Bihar Market Yards Project	(a) 31-7-72 (b) 30-6-78 (c) 31-12-79		1491	1002	Com. Bks.	1753	1577	1166
2. Chambal Command Area Development Project (M.P.)	(a) 18-9-75 (b) 31-12-79 (c) 30-6-81		246	156	SLDB Com. Bks.	— —	— —	—
3. Himachal Pradesh Apple Processing & Marketing Project	(a) 26-9-74 (b) 31-12-78 (c) 31-12-81		608	488	Com. Bks.	386	349	—
4. Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project	(a) 7-9-73 (b) 31-12-79 (c) 30-6-81		891	713	Com. Bks.	818	654	568
5. Karnataka Dairy Development Project	(a) 23-12-74 (b) 30-9-82		542	488	SLDB Com. Bks. SCB	31	10 18 —	—
6. Madhya Pradesh Dairy Development Project	(a) 23-7-75 (b) 30-6-82		1389	1091	Com. Bks.	—	—	—
7. Punjab Irrigation Project	(a) June 79 (b) 30-6-85		6691	3680	Com. Bks.	1810	1495	491
8. Rajasthan Canal Command Area Development Project	(a) 12-12-74 (b) 30-6-81		2395	1800	Com. Bks.	855	678	486
9. Rajasthan Dairy Development Project	(a) 8-8-75 (b) 31-12-82		2175	1784	Com. Bks.	—	—	—
10. Gujarat Fisheries Project	(a) 19-7-77 (b) 30-6-83		810	423	Com. Bks.	260	208	94
11. Maharashtra Irrigation CAD Composite Project	(a) April 77 (b) 31-3-83		825	495	SLDB Com. Bks.	— 369	— 272	74
12. Orissa Irrigation Project	(a) Nov. 77 (b) 31-10-83		393	216	Com. Bks.	—	—	—
13. Karnataka Irrigation Project	(a) April 78 (b) 31-3-84		1082	595	SLDB Com. Bks.	— —	— —	—
14. Jammu & Kashmir Horticulture Project	(a) Jan. 79 (b) 31-12-83		822	768	Com. Bks. SCB	28 —	25 —	—
15. National Seed Project-II	(a) Jan. 79 (b) 31-12-84		2003	1267	Com. Bks.	94	84	24
16. Andhra Pradesh Fisheries Project	(a) Oct. 79 (b) 30-9-84		609	335	Com. Bks. SCB	75	37 23	—
17. Haryana Irrigation Project	(a) Dec. 78 (b) 31-8-83		6473	3560	SLDB Com. Bks. SCB	— 2247 31	— 1797 25	703
18. Inland Fisheries Project (Bihar, Orissa, West Bengal, Madhya Pradesh & Uttar Pradesh)	(a) 5-5-80 (b) 30-9-85		1449	797	SFDBs Com. Bks.	— 1	— 1	—
19. Multistate Cashewnut Project	(a) 3-9-80 (b) 30-9-85		3836	1180	SLDBs Com. Bks.	6 34	5 27	—
20. Karnataka Sericulture Project	(a) 18-12-80 (b) 31-12-85		590		SLDB Com. Bks.	— 20	— 16	—
	Total VI (1 to 20)		35320	21190		8818	7301	3606
	Total B		174682	98628		150156	127750+	68141
	Grand Total (A+B)		179698	102336		151058	128440+	68612

@Latest available data

+Excludes ICDP(S.T.)

‡Includes switch-over to ARDC III.

$ Long-term.

*Excludes amount received from GOI in resect of other donors.

**Excludes previous year's ICDP disbursements (S.T.)

**Excludes switch-over from ARDC II.

N.B. Effective/closing dates.

(a) Effective date

(b) Closing date

(c) Revised closing date

STATEMENT 13

DISBURSEMENT DURING 1980-81 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by ARDC	Contribution by Governments/ Banks
1. NORTHERN REGION					
Delhi	Com. Bks.	Farm mechanization	14	12	2
		Poultry farming	2	1	1
		Dairy development	5	4	1
			21	17	4
Haryana	SLDB	Minor irrigation	997	897	100
		Land development	15	11	4
		Farm mechanization	928	696	232
		Plantation/Horticulture	7	6	1
		Dairy development	100	75	25
		Others	6	5	1
			2053	1690	363
	Com. Bks.	Minor irrigation	1411	1131	280
		REC	136	68	68
		Land development	38	34	4
		Farm mechanization	1512	1134	378
		Poultry farming	5	4	1
		Dairy development	28	22	6
		Storage and Market yards	379	303	76
		Others	13	12	1
		IRDP	3	3	—
		ICDP (S.T.)	45	40	5
			3570	2751	819
	SCB	Storage and Market yards	12	10	2
		ICDP (L.T.)	84	76	8
		ICDP (S.T.)	452	407	45
			548	493	55
			6171	4934	1237
Himachal Pradesh	SLDB	Minor irrigation	1	1	—
		Plantation/Horticuture	6	4	2
		Dairy development	2	1	1
			9	6	3
	Com. Bks.	Farm mechanization	9	7	2
		Plantation/Horticulture	164	147	17
		Poultry farming	15	12	3
		Dairy development	14	10	4
		Others	2	2	—
		IRDP	11	10	1
			215	188	27
			224	194	30
Jammu & Kashmir	SLDB	Farm mechanization	32	24	8
		Others	4	3	1
	Com. Bks	Farm mechanization	7	6	1
		Plantation/Horticulture	28	25	3
		Dairy development	2	1	1
			73	59	14
Punjab	SLDB	Minor irrigation	294	241	53
		Land development	95	81	14
		Farm mechanization	1647	1235	412
		Poultry farming	81	61	20
		Dairy development	101	76	25
		Others	7	5	2
			2225	1699	526

(Contd.)

STATEMENT 13 (*Contd.*)

DISBURSEMENT DURING 1980-81 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by ARDC	Contribution by Governments/ Banks
Punjab (*Contd.*)	Com. Bks.	Minor irrigation	1416	1186	230
		REC	256	128	128
		Land development	54	46	8
		Farm mechanization	4109	3092	1017
		Agro-service centres	22	18	4
		Poultry farming	21	17	4
		Dairy development	37	31	6
		Storage and Market yards	527	421	106
		Others	1	1	—
		IRDP	24	20	4
		ICDP (S.T.)	31	28	3
			6498	4988	1510
	SCB	ICDP (S.T.)	72	65	7
			8795	6752	2043
Rajasthan	SLDB	Minor irrigation	610	548	62
		Land development	3	1	2
		Farm mechanization	164	132	32
		IRDP	11	10	1
			788	691	97
	Com. Bks.	Minor irrigation	287	260	27
		REC	368	184	184
		Land development	4	3	1
		Command area development	145	132	13
		Farm mechanization	380	284	96
		Sheep breeding	85	75	10
		Dairy development	34	31	3
		Storage and Market yards	188	152	36
		Combined purposes	7	6	1
		Others	18	14	4
		IRDP	2	2	—
			1518	1143	375
	SCB	Combined purposes	63	56	7
			2369	1890	479
II. NORTH-EASTERN REGION					
Assam	Com. Bks.	Minor irrigation	20	18	2
		Plantation/Horticulture	594	535	59
		Others	41	37	4
			655	590	65
	SCB	Plantation/Horticulture	21	19	2
			676	609	67
Manipur	Com. Bks.	Farm mechanization	3	2	1
	SCB	Minor irrigation	1	1	—
		Farm mechanization	5	4	1
		Others	3	2	1
			9	7	2
			12	9	3
Meghalaya	Com. Bks.	Dairy development	1	1	—
Mizoram	Com. Bks.	Dairy development	5	4	1

Continued

STATEMENT 13 (*Contd.*)

DISBURSEMENT DURING 1980-81 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by ARDC	Contribution by Governments/ Banks
Tripura	Com. Bks.	Farm mechanization	1	1	—
		Plantation/Horticulture	5	4	1
		Fisheries	1	1	—
		Others	1	1	—
			8	7	1
III. EASTERN REGION					
Andaman & Nicobar Islands	Com. Bks.	Plantation/Horticulture	1	1	—
Bihar	SLDB	Minor irrigation	917	826	91
		Farm mechanization	10	9	1
			927	835	92
	Com. Bks.	Minor irrigation	1062	956	106
		REC	122	61	61
		Land development	58	51	7
		Farm mechanization	439	394	45
		Dairy development	38	35	3
		Storage and Market yards	81	73	8
		Gobar gas plants	2	2	—
		Sheep breeding	4	3	1
		Others	3	2	1
		Combined purposes	1	1	—
		IRDP	37	33	4
			1847	1611	236
			2774	2446	328
Orissa	SLDB	Minor irrigation	418	376	42
		Land development	5	4	1
		Farm mechanization	16	12	4
		Plantation/Horticulture	129	91	38
		Fisheries	171	154	17
		Others	86	77	9
		IRDP	30	26	4
			855	740	115
	Com. Bks.	Minor irrigation	645	581	64
		REC	196	98	98
		Land development	35	32	3
		Farm mechanization	18	16	2
		Poultry farming	2	1	1
		Sheep breeding	9	8	1
		Fisheries	73	66	7
		Dairy development	86	78	8
		IRDP	130	116	14
			1194	996	198
	SCB	Minor irrigation	253	228	25
		Sheep breeding	4	3	1
		Dairy development	1	1	—
		IRDP	13	11	2
			271	243	28
			2320	1979	341

Continued.

STATEMENT 13 (*Contd.*)

DISBURSEMENT DURING 1980-81 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by ARDC	Contribution by Governments/ Banks
West Bengal	SLDB	Minor irrigation	167	151	16
		Farm mechanization	23	21	2
		Plantation/Horticulture	42	38	4
		Fisheries	36	33	3
		Interim finance	—	100	—
			268	343	25
	Com. Bks.	Minor irrigation/REC	397	358	39
		Farm mechanization	15	14	1
		Plantation/Horticulture	198	178	20
		Poultry farming	25	23	2
		Fisheries	10	9	1
		Storage and Market yards	74	59	15
			719	641	78
			987	984	103
IV. CENTRAL REGION					
Madhya Pradesh	SLDB	Minor irrigation	1200	1080	120
		Land development	10	7	3
		Farm mechanization	6	5	1
			1216	1092	124
	Com. Bks.	Minor irrigation	2049	1845	204
		REC	534	267	267
		Command area development	184	138	46
		Farm mechanization	360	228	132
		Dairy development	1	1	—
		Poultry farming	11	9	2
		Storage and Market Yards	185	148	37
		Forestry	91	73	18
			3415	2709	706
			4631	3801	830
Uttar Pradesh	SLDB	Minor irrigation	3387	3048	339
		Plantation/Horticulture	12	9	3
		Others	79	60	19
		Interim finance	—	700	—
			3478	3817	361
	Com. Bks.	Minor irrigation	962	867	95
		REC	1058	529	529
		Farm mechanization	2276	1650	626
		Agro-service centres	52	38	14
		Dairy development	127	97	30
		Poultry farming	21	16	5
		Sheep breeding	2	1	1
		Fisheries	3	2	1
		Storage and Market yards	233	195	38
		Gobar gas plants	3	2	1
		Others	15	10	5
		IRDP	38	25	13
			4790	3432	1358
			8268	7249	1719

STATEMENT 13 (*Contd.*)

DISBURSEMENT DURING 1980-81 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by ARDC	Contribution by Governments/ Banks
V. WESTERN REGION					
Goa	Com. Bks.	Dairy development	2	1	1
		Poultry farming	7	6	1
		Fisheries	110	83	27
		Others	25	20	5
		IRDP	28	23	5
			172	133	39
Gujarat	SLDB	Minor irrigation	61	55	6
		Dairy development	16	12	4
			77	67	10
	Com. Bks.	Minor irrigation	1345	1210	135
		REC	370	185	185
		Farm mechanization	340	255	85
		Agro-service centres	5	4	1
		Dairy development	137	109	28
		Poultry farming	5	4	1
		Sheep breeding	1	1	—
		Fisheries	196	156	40
		Gobar gas plants	17	13	4
		Others	1	1	—
		IRDP	52	35	17
			2469	1973	496
			2546	2040	506
Maharashtra	SLDB	Minor irrigation	3626	3264	362
		Plantation/Horticulture	80	60	20
		Dairy development	78	59	19
			3784	3383	401
	Com. Bks.	Minor Irrigation	323	291	32
		REC	474	237	237
		Command area development	606	506	100
		Farm mechanization	400	299	101
		Plantation/Horticulture	29	23	6
		Poultry farming	149	119	30
		Sheep breeding	5	4	1
		Fisheries	71	57	14
		Dairy development	73	58	15
		Storage and Market yards	121	96	25
		Gobar gas plants	23	17	6
		Others	21	15	6
		IRDP	43	38	5
		ICDP (L.T.)	5	4	1
		ICDP (S.T.)	27	24	3
			2370	1788	582
			6154	5171	983
VI. SOUTHERN REGION					
Andhra Pradesh	SLDB	Minor irrigation	3885	3496	389
		Land development	44	40	4
		Command area development	80	70	10
		Farm mechanization	880	647	233
		Plantation/Horticulture	43	32	11
		Dairy development	273	195	78
		Poultry farming	103	90	13
		Sheep breeding	295	224	71
		Fisheries	28	21	7
		Others	186	139	47
		IRDP	86	77	9
			5903	5031	872

Continued.

STATEMENT 13 (*Contd*)

DISBURSEMENT DURING 1980-81 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by ARDC	Contribution by Governments/ Banks
Andhra Pradesh—(Contd)	Com Bks	Minor irrigation	370	332	38
		REC	666	333	333
		Land development	39	36	3
		Command area development	3	2	1
		Farm mechanization	240	180	60
		Plantation/Horticulture	153	123	30
		Poultry farming	470	399	71
		Sheep breeding	210	170	40
		Fisheries	90	72	18
		Dairy development	90	72	18
		Forestry	44	35	9
		Others	30	23	7
		IRDP	296	266	30
			2701	2043	658
	SCB	Poultry farming	4	3	1
		Fisheries	45	36	9
			49	39	10
			8653	7113	1540
Karnataka	SLDB	Minor irrigation	443	390	53
		Farm mechanization	295	222	73
		Plantation/Horticulture	181	134	47
		Sheep breeding	16	14	2
		Dairy development	11	10	1
		Others	42	38	4
		IRDP	42	38	4
			1030	846	184
	Com Bks	Minor irrigation	116	107	9
		REC	150	75	75
		Farm mechanization	148	119	29
		Plantation/Horticulture	155	124	31
		Poultry farming	49	40	9
		Sheep breeding	16	13	3
		Fisheries	226	178	48
		Dairy development	49	38	11
		Storage and Market yards	134	103	31
		Gobar gas plants	22	18	4
		Forestry	14	11	3
		Others	6	5	1
		IRDP	110	99	11
			1195	930	265
			2225	1776	449
Kerala	SLDB	Minor irrigation	406	366	40
		Plantation/Horticulture	384	287	97
		Fisheries	5	4	1
		Dairy development	13	10	3
		Interim finance	—	100	—
			808	767	141
	Com Bks	Minor irrigation	57	49	8
		REC	20	10	10
		Land development	106	96	10
		Farm mechanization	1	1	—
		Plantation/Horticulture	557	418	139
		Fisheries	71	53	18
		Dairy development	28	20	8
		IRDP	2	2	—
			842	649	193
			1650	1416	334

STATEMET 13 (*Concld.*)
DISBURSEMENT DURING 1980-81 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by ARDC	Contribution by Governments/ Banks
Pondicherry	SLDB	Plantation/Horticulture	1	1	—
	Com. Bks.	Dairy development	2	1	1
		IRDP	1	1	—
			3	2	1
			4	3	1
Tamil Nadu	SLDB	Minor irrigation	63	57	6
		Plantation/Horticulture	72	55	17
		Sheep breeding	3	2	1
		Dairy development	8	6	2
		Gobar gas plants	2	1	1
		Otbers	1	1	—
		Interim finance	—	3	—
			149	125	27
	Com. Bks.	Minor irrigation	6	5	1
		REC	212	106	106
		Farm mechanization	280	231	49
		Plantation/Horticulture	77	63	14
		Poultry farming	101	86	15
		Sheep breeding	32	28	4
		Fisheries	47	39	8
		Dairy development	88	79	9
		Gobar gas plants	1	1	—
		Others	45	41	4
		IRDP	535	487	48
			1424	1166	258
			1573	1291	285
		Total (I to VI)	60313	49879$	11337

$Includes S.T. finance.

STATEMENT 14

LIST OF SHAREHOLDERS AS ON 30 JUNE 1981

I. RESERVE BANK OF INDIA

II. STATE LAND DEVELOPMENT BANKS (19)

1. Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank Ltd.
2. Assam Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd,
3. Bihar Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Simit.
4. Gujarat State Co-operative Land Development Bank Ltd.
5. Haryana State Co-operative Land Development Bank Ltd.
6. Himachal Pradesh Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
7. Jammu & Kashmir So-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
8. Karnataka State Co-operative Land Development Bank Ltd.
9. Kerala Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
10. Madhya Pradesh Rajya Sabha Sahakari Bhoomi Vikas Bank Simit.
11. Maharashtra State Co-operative Land Development Bank Ltd.
12. Orissa State Co-operative Land Development Bank Ltd.
13. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd.
14. Punjab State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
15. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
16. Tamil Nadu Co-operative State Land Development Bank Ltd.
17. Tripura Co-operative Land Development Bank Ltd.
18. Uttar Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
19. West Bengal Central Co-operative Land Development Bank Ltd.

III. STATE CO-OPERATIVE BANKS (25)

1. Andaman and Nicobar State Co-operative Bank Ltd.
2. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
3. Assam Co-operative Apex Bank Ltd.
4. Bihar State Co-operative Bank Ltd.
5. Delhi State Co-operative Bank Ltd.
6. Goa State Co-operative Bank Ltd.
7. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
8. Harvana State Co-operative Bank Ltd
9. Himachal Pradesh State Co-operative Bank Ltd.

10. Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Ltd.
11. Karnataka State Co-operative Apex Bank Ltd.
12. Kerala State Co-operative Bank Ltd.
13. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit.
14. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
15. Manipur State Co-operative Bank Ltd.
16. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.
17. Nagaland State Co-operative Bank Ltd.
18. Orissa State Co-operative Bank Ltd.
19. Pondicherry State Co-operative Bank Ltd.
20. Punjab State Co-operative Bank Ltd.
21. Rajasthan State Co-operative Bank Ltd.
22. Tamil Nadu State Co-operative Bank Ltd.
23. Tripura State Co-operative Bank Ltd.
24. Uttar Pradesh Co-operative Bank Ltd.
25. West Bengal State Co-operative Bank Ltd.

IV. SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (66)

1. State Bank of India.
2. State Bank of Bikaner & Jaipur.
3. State Bank of Hyderabad.
4. State Bank of Indore.
5. State Bank of Mysore.
6. State Bank of Patiala.
7. State Bank of Saurashtra.
8. State Bank of Travancore.
9. Allahabad Bank.
10. Andhra Bank.
11. Bank of Baroda
12. Bank of India.
13. Bank of Maharashtra.
14. Canara Bank.
15. Central Bank of India.
16. Corporation Bank.
17. Dena Bank.
18. Indian Bank.
19. Indian Overseas Bank.
20. New Bank of India.
21. Oriental Bank of Commerce.
22. Punjab National Bank.
23. Punjab & Sind Bank.
24. Syndicate Bank.
25. Union Bank of India.
26. United Bank of India.
27. United Commercial Bank.
28. Vijaya Bank.
29. Bank of Cochin Ltd.
30. Bank of Karad Ltd.
31. Bank of Madura Ltd.
32. Bank of Rajasthan Ltd.
33. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
34. Benares State Bank Ltd.
35. Bharat Overseas Bank Ltd.
36. Catholic Syrian Bank Ltd.
37. Dhanalakshmi Bank Ltd.
38. Federal Bank Ltd.
39. Hindustan Commercial Bank Ltd.
40. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
41. Karnataka Bank Ltd.
42. Karur Vysya Bank Ltd
43. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
44. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
45. Laxmi Vilas Bank Ltd.
46. Lord Krishna Bank Ltd.
47. Nainital Bank Ltd.
48. Nedungadi Bank Ltd.
49. Purbanchal Bank Ltd.
50. Ratnakar Bank Ltd.
51. Sangli Bank Ltd.
52. South Indian Bank Ltd.
53. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
54. United Industrial Bank Ltd.
55. United Western Bank Ltd.
56. The Bank of Thanjavur Ltd.
57. Vyasya Bank Ltd.
58. Algemene Bank Netherlands NV.
59. American Express International Banking Corporation.
60. Bank of America National Trust and Savings Association.
61. Bank of Tokyo Ltd.
62. Banque National De Paris.
63. Chartered Bank.
64. Grindlays Bank Ltd.
65. Mercantile Bank Ltd.
66. Mitsui Bank Ltd.

V. RURAL BANKS (49)

1. Barabanki Gramin Bank.
2. Bhagirath Gramin Bank.
3. Bhojpur Rohtas Gramin Bank.
4. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank.
5. Bolangir Anchalic Gramya Bank.
6. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank.
7. Cauvery Grameena Bank.
8. Champaran Kshetriya Gramin Bank.
9. Cuttack Gramya Bank.
10. Gaur Gramin Bank.
11. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank.
12. Gurgaon Gramin Bank.
13. Hardoi Unnao Gramin Bank.
14. Haryana Kshetriya Gramin Bank.
15. Jaipur Nagaur Anchalic Gramin Bank.
16. Jamnagar Gramin Bank.
17. Kalahandi Anchalika Gramya Bank.
18. Koraput Panchabati Gramya Bank.
19. Kosi Kshetriya Gramin Bank.
20. Krishna Grameena Bank.
21. Kshetriya Gramin Bank Hoshangabad.
22. Kutch Gramin Bank.
23. Magadh Gramin Bank.
24. Malaprabha Grameena Bank.
25. Mallabhum Gramin Bank.
26. Marathwada Grameena Bank.
27. Mayurakshi Gramin Bank.
28. Monghyr Kshetriya Gramin Bank.
29. Murudhar Kshetriya Gramin Bank.
30. Nagarjuna Grameena Bank.
31. North Malabar Gramin Bank.
32. Pandyan Grama Bank.
33. Pragjyotish Gaonlia Bank.
34. Prathama Bank.
35. Puri Gramya Bank.
36. Rae Bareilly Kshetriya Gramin Bank.
37. Rayalaseema Grameena Bank.
38. Reva Sidhi Gramin Bank.
39. Samyut Kshetriya Gramin Bank.
40. Santhal Parganas Gramin Bank.
41. Shekhawati Gramin Bank.
42. South Malabar Gramin Bank.
43. Sree Anantha Grameena Bank.
44. Sri Visakha Grameena Bank.
45. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank.
46. Tripura Gramin Bank.
47. Tungabhadra Gramin Bank.
48. Uttar Banga Kshetriya Gramina Bank.
49. Vaishali Kshetriya Gramin Bank.

VI. LIFE INSURANCE CORPORATION, INSURANCE AND INVESTMENT COMPANIES ETC. (6)

1. General Insurance Corporation of India.
2. Life Insurance Corporation of India.
3. National Insurance Company Ltd.
4. New India Assurance Company Ltd.
5. Oriental Fire and General Insurance Company Ltd.
6. United India Fire & General Insurance Company Ltd.

STATEMENT 15

HEAD OFFICE AND REGIONAL OFFICES

HEAD OFFICE			
MANAGING DIRECTOR	SANT DASS		
GENERAL MANAGERS	NAGESWARA RAO K. BORGAONKAR Y.S.	JAVADEKAR M.S. GADGIL M.V.	
SENIOR DIRECTORS	KASIVISWANATHAN T.K. KAUL R.N. KOTAIAH P.	RAMANAN S.G.V. SATHYAMOORTHY A. SHETTY B.R.	SUBRAHMANYAM C.G. TRIVEDI I.H.
DIRECTORS	AHMAD RAZA ARANHA S.E. BANDYOPADHYAY N.B. DANDEKAR R.G. KALIA S.K. KARMARKAR N.D. KRISHNAMURTHY S. KUTTY M.N. SMT. MAJMUDAR S.D MAHESHWARI J.P.	MICHAEL E.S. MUDHALIAR K.E. MUKHERJEE S.N. NARAISNGA CHARY T. NOORULLAH PAIS G.A. PHADNIS N.A. RAMAN P. RAMALINGAM C. RAMAMOORTHY S.	RAO K.S.K. ROZARIO A.I. SANGAL S.P. SANYAL B. SATHE B.S. SHARMA B.N. VENKATANARAYANA G. VENKATARAMAN K.G. VERMA R.N.

REGIONAL OFFICES*

OFFICE	ADDRESS	SENIOR DIRECTORS	DIRECTORS
AHMEDABAD	CENTRAL BANK OF INDIA BUILDING, 7TH FLOOR, POST BAG No. 208 LAL DARWAJA AHMEDABAD 380 001		BHANDARI M.C.
BANGALORE	INDIAN EXPRESS BUILDING NO 1, QUEEN'S ROAD POST BAG NO. 5324 BANGALORE 560 001		VENKATARATNAM B.
BHOPAL	GURU NANAK COMPLEX 34, MALVIYA NAGAR BHOPAL 462 003.	MUKHERJEE A N.	BISARIA M.C.
BHUBANESWAR	PLOT NO 101 (1ST FLOOR) JANPATH, STATION SQUARE POST BOX NO. 179 BHUBANESWAR 751 001		DHARMALINGAM S.
CALCUTTA	4 & 4/1, RED CROSS PLACE POST BOX NO. 71 CALCUTTA 700 001	PANT S.C.	KRISHNAN S. MOTIAL V.S.
CHANDIGARH	S.C.O. 179-180 SECTOR 17C POST BAG NO. 35 CHANDIGARH 160 017	RAMAMOORTHY K.	SAINI S.S.

*Excludes Bombay Regional Office located in Head Office Premises.

STATEMENT 15 (*Concld.*)

HEAD OFFICE AND REGIONAL OFFICES

OFFICE	ADDRESS	SENIOR DIRECTORS	DIRECTORS
GAUHATI	LAKSHMI BHAWAN DR. J.C. DAS ROAD PAN BAZAR POST BOX NO 81 GAUHATI 781 001	—	BISHT J.S.
HYDERABAD	6-1-91 VASAVI NAGAR SECRETARIAT ROAD LAKDIKAPOOL HYDERABAD 500 004	BANERJEE S.P.	RAMA RAO P.V.A.
JAIPUR	C-93, SUBHASH MARG C-SCHEME POST BAG NO. 10 JAIPUR 302 001	—	RAMASWAMY N.
LUCKNOW	SAHAKARI KISAN BHAWAN 4TH AND 5TH FLOOR 2, MAHATMA GANDHI MARG LUCKNOW 226 001	MOHANAKRISHNAN D.	PANDE S.K.C.
MADRAS	REGINA MANSION NO. 46, SECOND LINE BEACH MADRAS 600 001	ARUL RAYAN	RAMASWAMI W.M.
PATNA	ARUNACHAL BHAWAN 4TH FLOOR CROSSING OF DAK BUNGALOW AND EXHIBITION ROAD PATNA 800 001	BARBOZA J	RAMASAMI C.R.
TRIVANDRUM	'BELLA VISTA', T.C. NO 3/463 KOWDIAR AVENUE POST BOX NO. 804 TRIVANDRUM 695 003	—	RAO U.S.
NEW DELHI	C/o RESERVE BANK OF INDIA PARLIAMENT STREET POST BOX NO 696 NEW DELHI 110 001	—	SHEOKAND S.M. (OFFICER-IN-CHARGE

STATEMENT 16

ARDC PUBLICATIONS

Name of the Publication	Price per copy Rs. P.
1. Technical Aspects of Agricultural Projects—1978	12·00 £
2. Economic Analysis of Agricultural Projects by J. Price Gittinger	9·00 £
3. Development of Horticulture Plantations and Forests in North-Eastern Region Pre-investment Study	10·00
4. Report of the Committee on Integration of Co-operative Credit Institutions	18·00 £
5. Committee on Integration of Co-operative Credit Institutions—Reports of the Study Groups and Notes	30·00 £
6. Evaluation Study of Minor Irrigation Scheme Construction of New Wells and Installation of Pump-sets thereon in Sholapur District, Maharashtra (1969-70-1972-73)	4·00

Continued

STATEMENT 16 *(Concld.)*

ARDC PUBLICATIONS

Name of the Publication	Price per copy Rs.	P.
7. Evaluation Study of Minor Irrigation Scheme—Installation of Shallow Tubewells in Karnal Distsict, Haryana (1967-68 –1971-72)	4	·00
8. Evaluation Study of Bhadra Land Development Project-Scheme for Reclamation and Development of Land-Karnataka (1966-1972)	4	·00
9. Evaluation Study of Land Development under Nagarjuna Sagar Project Miryalguda Taluka, Andhra Pradeh (1964-1969)	4	·00
10. Circulars of ARDC From January 1976 to January 1979	6	·00 £
11. Report of the Committee To Estimate the demand for Pumpsets During 1978-83 and Study the Policy and Procedure of Financing it	5	·00£
12. Circulars of ARDC From February 1979 to December 1979	5	·50£
13. Report of the Groundwater Over exploitation Committee	7	·00 £
14. Financial Appraisal of Farm Investment	10	·00 £
15. Handbook on On-Farm Development	—	
16. Soil-Water Inter-relationships (Irrigated Agriculture)	—	
17. Lining of Field Water Distribution System	-	-
18. Know Your Soils	—	
19. Irrigated Agriculture	—	
20. *Selection of Agricultural Pumpsets Field Staff and Farmers Guide	—	
21. Guidelines for Selection of Agricultural Pumpsets	—	
22. Soil and Water Conservation	—	
23. Model for Presenttion of Technical Appraisal of Dug Well Scheme in Hard Rock Formations	—	
24. Model for Presentation of Technical Appraisal of Deep Tubewells Scheme in Alluvial Formations	—	
25. Model for Presentation of Technical Appraisal of Shalow Tubewelle in Alluvial Formations	—	
26. Seminar on Institutional Finance for Development of Plantation Crops	—	
27. A.R.D.C.—objectives, activities and achievements	—	
28. Pamphlets on :		
(i) *Poultry Farming	—	
(ii) *Dairy Farming	—	
(iii) *Tea Plantation	—	
(iv) *Fisheries Development	—	
(v) *Coffee Development	—	
(vi) Rubber Plantations	—	
(vii) Coconut Development	—	
(viii) Cashew Development	—	
(ix) Piggery Development	—	
(x) Sheep Development	—	

*Both in English and Hindi

£Postage extra.

N.B. :—Priced publications can be had from the Director, ARDC, Administration Division, Shrmeketan, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay 400 018 against payment of cost, subject to stock position.

SHAH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Maker Bhavan No. 2
18 New Marine Lines
BOMBAY 400 020

REPORT OF THE AUDITORS

We have examined the annexed Balance Sheet of the Agricultural Refinance and Development Corporation as at 30th June 1981 and also the annexed Profit and Loss Account of the Corporation for the year ended upon that date, and report that :

1. We have obtained all the information and explanations which we have required and have found them to be satisfactory.

2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Corporation the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with the Act and the General Regulations of the Corporation, so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation.

Sd/-
SHAH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

AGRICULTURAL REFINANCE AND

BALANCE SHEET AS AT

LIABILITIES			As at 30-6-1980
	Rw.	Rs.	Rs.
1. CAPITAL			
Authorised			
100,000 shares of Rs. 10,000 each		100,00,00,000	100,00,00,000
Issued, Subscribed & Paid up 57,500 shares of Rs. 10,000 each paid-up (Note 1)		57,50,000,000	57,50,00,000
2. RESERVES AND SURPLUS			
(a) Reserve Fund			
Balance as per last Balance Sheet (Note 2)	25,44,83,000		25,44,83,000
Transferred from Profit and Loss Account	5,06,53,500		
		30,51,36,500	25,44,83,000
(b) Capital Reserve			
As per last Balance Sheet		5,00,00,000	5,00,00,00 0
(c) Research & Development Fund			
Balance as per last Balance Sheet	2,00,00,000		2,00,00,000
Transferred from Profit & Loss Account	3,00,00,000		—
Interest Appropriated	40,85,160		—
		5,40,85,160	2,00,00,000
(d) Building Fund			
Transferred from Profit & Loss Account	5,00,00,000	5,00,00,000	—
(e) Interest Differential Fund (Note 3)		1,18,058	—
(f) Profit & Loss Account			
Profit brought forward	13,06,53,646		238
Less : (i) Transferred to Research & Development Fund	3,00,00,000		
	10,0653,646		
(ii) Transferred to Reserve Fund	506,53,500		
	5,00,00,146		
(iii) Transferred to Building Fund	5,00,00,000		
	146		
Add Profit for the year	17,70,71,271		16,37,15,908
	17,70,71,417		16,37,16,146
Less : Transferred to Provision for Dividends for the current year	3,30,62,500		3,30,62,500
		14,40,08,917	13,06,53,646
3. SPECIAL DEPOSIT		6,88,76,237	6,88,76,237
PAYMENT OF CENTRAL GOVERNMENT IN RESPECT OF GUARANTEED DIVIDEND		—	—
5. BONDS AND DEBENTURES			
5¼ % ARDC Bonds 1982 I Series	10,93,77,000		
5¾ % ARDC Bonds 1982 II Series	8,52,50,000		
5¼ % ARDC Bonds 1984 III Series	8,25,00,000		
5¾ % ARDC Bonds 1985 IV Series	11,00,000,00		
5¼ % ARDC Bonds 1985 V Series	16,50,00,000		
5¼ % ARDC Bonds 1986 VI Series	11,00,000,00		
6 % ARDC Bonds 1984 VII Series	16,50,00,000		
6 % ARDC Bonds 1985 VIII Series	16,50,00,000		
6 % ARDC Bonds 1985 IX Series	11,00,00,000		
6 % ARDC Bonds 1986 X Series	27,50,00,000		
6 % ARDC Bonds 1987 XI Series	16,50,00,000		
6 % ARDC Bonds 1987 XII Series	27,50,00,000		
6 % ARDC Bonds 1988 XIII Series	20,62,05,000		
6¼ % ARDC Bonds 1988 XIV Series	44,05,00,000		
6½ % ARDC Bonds 1990 XV Series	39,60,00,000		
6½ % ARDC Bonds 1993 XVI Series	35,72,50,000		
		321,11,27,000	285,98,77,000

DEVELOPMENT CORPORATION

30TH JUNE, 1981

ASSETS	Rs.	Rs.	As at 30-6-1980 Rs.
1. CASH			
(a) In hand	5,156		4,269
(b) With Reserve Bank of India	5,42,27,606		2,65,42,932
(c) With Others			
(i) In India	5,00,397		3,87,353
(ii) Outside India	—		—
		5,47,33,159	2,69,34,554
2. LOANS			
(a) By way of refinance	732,50,38,454		553,02,54,363
(b) Others	2,84,57,110		1,68,72,900
	735,34,95,564		554,71,27,263
Less : Provision for Bad & Doubtful Debts	—		—
		735,34,95,564	554,71,27,263
3. DEBENTURES		857,33,00,693	748,85,61,753
4. INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (At Cost) (Face Value Rs. 64,75,73,000)		64,63,70,133	23,62,92,442
5. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS		90,37,113	24,07,337
6. OTHER ASSETS			
(a) Furnitnre, Fixture & Fittings, Office-Equipment, etc. (cost upto 30-6-1980)	48,79,004		37,59,436
Add : Additions during the year	22,81,014		11,19,767
	71,60,018		48,79,203
Less : Items sold/adjusted	8,363		199
	71,51,655		48,79,004
Less : Depreciation to date	23,08,623		17,07,390
	48,43,032		31,71,614
(b) Deposits with Government Departments and other institutions	14,68,236		15,94,056
	63,11,268		47,65,670
(c) Sundry Advances	3,33,04,736		4.16,49,614
(d) Interest accrued on loans by way of refinance	25,09,73,891		19,20,03,297
(e) Interest accrued on debentures	34,45,95,419		29,93,94,645
(f) Discount on ARDC Bonds	64,24,611		77,85,861
(g) Advance tax paid for years upto 1976-77	36,25,416		9,62,55,995
(h) Expenditure recoverable on Training under ARDC Credit Project III (Note 5)	6,36,854		28,40,162
		64,58,72,195	64,46,95,244

AGRICULTURAL REFINANCE AND

BALANCE SHEET AS AT

LIABILITIES		As a	30-6-1980
	Rs.	Rs.	Rs.
6. LOANS FROM THE CENTRAL GOVERNMENT			
(a) Under Section 19 of the Act	—		—
(b) Other Loans	878,54,12,448		644,60,73,696
		878,54,12,448	644,60,73,696
7. OTHER BORROWINGS			
(a) From the Reserve Bank of India			
(i) Long-term	366,40,00,000		314,70,00,000
(ii) Short-term	—		—
		366,40,00,000	314,70,00,000
(b) From Others—			
(i) In India	—	—	—
(ii) Outside India	—	—	—
8. FIXED DEPOSITS			
(a) For Special Loan Account from—			
(i) Central Government	4,24,48,000		3,91,48,000
(ii) State Governments	2,81,56,904		2,76,31,904
		7,06,04,904	6,67,79,904
(b) Others	—	—	—
9. PROVISION FOR DIVIDENDS			
(Amount trasnferred from Profit & Loss Account)		3,30,62,500	3,30,62,500
10. PROVISION FOR TAXATION (Note 4)		36.25,416	8,79,43,614
11. OTHER LIABILITIES			
Sundry Creditors	3,95,29,084		4,12,03,677
Interest accrued but not due on			
(a) Loans from Central Government	18,19,26,308		12,57,39,049
(b) Bonds and Dedentures	4,62,96,325		3,93,26,270
		26,77,51,717	20,62,68,996
Contingent Liabilities			
(a) On account of guarantees given against deferred payments in connexion with purchase of capital goods from outside India	—	—	—
(b) Others	—	—	—
Total Rupees		1728,28,08,857	1394,60,18,593

Notes : 1. As per Section 6 of ARDC Act, 1963, shares are guaranteed by the Central Government as to the repayment of the principal and the payment of minimum annual dividend at such rate as may be fixed by Central Government.

2 Includes Special Reserve Fund in terms of Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961—Rs. 3,67,47,000/- (*Previous year*—Rs. 3,67,47,000/-).

3. In terms of TAWA Command Area Project agreements interest is chargeable by GOI on loans to ARDC @ 6¼ % p.a. Out of this 4¼% is required to be credited to the 'Interest Differential Fund' to be utilised for certain specified purposes and only the balance of 2% is required to be actualy paid to GOI

4. As the Corporation has heen exempted from payment of Income-tax for five years with effect from the accounting year 1977-78, the provisions made for disputed items in respect of earlier years remain pending.

5. An amount of Rs. 72,29,100/- being Grant-in-Aid in respect of expenditure incurred under ARDCCP III, now received from Government of India has been adjusted.

6. Previous year figures are re-grouped wherever necessary and rounded off to rupee.

As per our Report of even date attached.

M·S. Javadekar
General Manager
Finance
Bombay, 13 *August* 1981

Sd/-
SHAH & CO.
Chartered Accountants
Bombay, 25 *August* 1981

DEVELOPMENT CORPORATION

30TH JUNE, 1981

ASSETS		As at 30-6-1980
	Rs.	Rs.
Brought Forward	1728,28,08,857	1394,60,18,593
Total Rupees . . .	1728,28,08,857	1394,60,18,593

M. RAMAKRISHNAYYA *Chairman*

SAMPATRAO N. PATIL
VEERSHETTY KUSHNOOR
P.C.D. NAMBIAR *Directors*

Bombay, 22 August 1981

SANT DASS *Managing Director*

21—339GI/81

AGRICULTURAL REFINANCE AND

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE

		Previous Year
	Rs.	Rs.
1. Interest Paid (Note-1)	80,06,91,644	63,04,38,533
2. Salaries & Allowances	4,84,37,553	3,64,60,308
3. Contribution to Staff Provident, pension & other Funds	55,58,819	44,43,071
4. Travelling & Other Allowances in connection with Directors' and Committee Members' Meetings	35,202	25,929
5. Directors' and Committee Members' Fees	1,750	700
6. Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc.	51,30,998	32,49,513
7. Travelling Expenses	21,33,410	12,71,349
8. Printing & Stationery	12,84,276	8,61,219
9. Postage, Telegrams and Telephones	10,31,775	7,05,591
10. Repairs to Property	52,938	49,847
11. Auditors' Fees	25,000	15,000
12. Legal Charges	41,428	30,983
13 Miscellaneous Expenses (Note-2)	75,80,618	85,83,060
14. Depreciation	6,07,749	4,11,977
15. Net Profit carried to Balance Sheet	17,70,71,272	16,37,15,908
Total Rupees	104,96,84,432	85,02,62,988

NOTES :

1. In terms of the Resolution passed by the Board at its 109th Meeting, interest, has to be appropriated to Researh and Development Fund at 6 per cent per annum, being the rate of interest currently applicable to the Corporation's borrowings from the National Agricultural Credit (LTO) Fund of the Reserve Bank of India. Accordingly, the amount of interest appropriated is Rs 28,49,160/- for the current year and Rs. 12,36,000/- for the years 1978-79 and 1979-80 put together.

2. Miscellaneous Expenses include—

   (a) Bonds Discount VII to XIII Series Rs. 1361,250·00 (Previous year Rs. 13,61,250·00)
   (b) Entertainment Expenses Rs. 28,263·15 (*Previous year Rs.* 18,980·55)
   (c) *Rs. 26,86,224·50 being ARDC's share towards Training Expenditure under ARDCCP III.*

3. Includes discount received on debentures subscribed to Rs. 2,24194·89 (*Previous year Rs.* 4,92,201·61)

4. The Corporation has been granted exemption from payment of Stamp Duty on its Bond is terms of a Notification issued by the Government of India with effect from 13 October 1980 Provisions amounting to Rs. 86,58,410/- made in previous years for payment of Stamp Duty on the scripts yet to be issued as on 13 October 1980 in respect to XI to XV series have, therefore, been reversed.

5. Provisions amounting to Rs·30,23,888/- for Taxation for earlier years now written back.

6. Figures rounded off to the nearest rupee.

As per our Report of even date attached.

Sd/-
SHAH & CO.
Chartered Accountants.

M.S. Javadekar
General Manager
Finance
Bombay, 13 *August* 1981

Bombay, 25 August 1981

DEVELOPMENT CORPORATION

YEAR ENDED 30TH JUNE, 1981

			Previous Year
	Rs.	Rs.	Rs.
1. INTEREST RECEIVED			
(a) On Loans & Debentures	95,48,62,326		78,75,51,732
(b) On Investments	8,20,01,303		5,72,59,977
(c) On Deposit with IDBI	81,870		81,870
(d) On other Deposits	9,71,127		9,25,864
		103,79,16,626	84,58,19,443
2. DISCOUNT, COMMISSION, ETC.		—	—
3. OTHER ITEMS			
(a) Share Transfer Fees	20		2
(b) Miscellaneous Receipts (Note-3	2,25,770		44,43,543
		2,25,790	44,43,545
(c) Adjustments in respect of profits of previous years			
(i) Provision for stamp duty on Bonds no longer required (Note-4)	86,58,410		—
(ii) Provision for taxation no longer required (Note-5)	30,23,888		—
(iii) Provision for Expenses remaining unclaimed for a period exceeding three years	10,95,718		—
	1,27,78,016		
Less : Interest appropriated to Research & Development Fund for the years 1978-79 and 1979-80 (Note-1)	12,36,000		
		1,15,42,016	—
Total Rupees		104,96,84,432	85,02,62,988

M. RAMAKRISHNAYYA — *Chairman*

SAMPATRAO N. PATIL
VEERSHETTY KUSHNOOR
P.C.D. NAMBIAR — *Directors*

SANT DASS — *Managing Director*

Bombay, 22 August 1981

INDIAN AIRLINES

CORRIGENDUM

INDIAN AIRLINES EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

In notification published in the Gazette of India Part III Section 4 dated 13th June, 1981 at Page No. 1426 in Para 1(*i*) the figure 1980 is to be *read* 1981.

N. C. BHARMA, Wg. Cdr.
Secretary

CANTONMENT BOARD

RANIKHET CANTONMENT

Ranikhet Cantonment, the 09th November 1981

S.R.O. 243/60/ATTN.—Whereas a public notice of certain draft amendment proposed to be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. S.R.O. 378, dated the 21st November, 1968, imposing tool on goods, vehicles and animals entering the Cantonment of Ranikhet, was published on the 26th May 1981 by affixing the same in a conspicuous part of the office of the Cantonment Board, Ranikhet, as required by section 61, read with section 255 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), inviting objection and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And whereas no objections or suggestions were received from the public by the Cantonment Board before the expiry of the said period of thirty days:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the said Act, the Cantonment Board, Ranikhet, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following further amendment in the Schedule to the said notification, No. S.R.O. 378, dated the 21st November, 1968, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, against serial No. 11, for the words and figures "Rs. 10.00 per vehicle + Rs. 1.00 for each occupied seat", the words and figures" Rs. 15.00 per vehicle and Rs. 1.50 for each occupied seat" shall be substituted.

(File No. 53/1/CL&C/81)
R. D. CHATURVEDI
Cantonment Executive Officer,
Ranikhet

OFFICE OF THE PUNJAB WAKF BOARD

AMBALA CANTT.

Ambala, the 5th November 1981

CORRIGENDUM

No. GEN /PUB/81/13690 :—In exercise the powers conferred Under Section 27 of the Wakf Act, 1954 which are exerciseable by me under the delegated powers vide Board's Resolution No. 5(3) dated 30-11-1976, the property declared as Sunny Wakf was published in the Government of India Gazette Part III Section 4 dated 12th September, 1981.

"In the said notification in column No. 6 under head area at page No. 2465, area may be *read* 'Kanal-Marla-Sq. Fts.' 2 13 157

instead of B -B -B and in column 4 the name of the 2 -13 -15

village may be read 'Abadi Diamganj Amritsar' in place of 'Demganj'.

SHAHID ANIS
Secretary
Punjab Wakf Board
Ambala Cantt.

OFFICE OF THE PUNJAB WAFK BOARD AMBALA CANTT.

ADDENDA

Add the following Wakf properties in the Gazette of India Part III Section-4 in Continuation of the properties already published in the Gazette of India III Section 4 dated January 1972 (Pausa 25, 1893) of District (Ambala)

S. No.	(i) Name of Wakfs	(ii) Location of wakfs: (a) Districts / (b) Tehsil	(c) Village where situated / (d) Site on which situated	(iii) Details of wakf properties: (a) Area	(b) Boundaries	(c) Value Rs	(iv) Date of year of creation of wakfs / (v) Details of wakf deeds	(vi) Gross receipts / (vii) Grants received	(viii) Nature of objects of each wakf	(ix) Gross income of properties comprised in each wakf	(x) Amount of L R, cess rates and taxes payable in respect of such property / (xi) Expenses incurred in the realisation of income	(xii) How the wakf is administered / (xiii) Name of Mutwalli / (xiv) Pay of remuneration of Mutwalli of each Wakf	(xv) Any other particulars (Remarks)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Khanqah Shah Jiya Sahib	Ambala / Jagadheri	Naharpur	K—M 8-00 7-11 5-10 3-01 7-02 0-18 7-04 39-06	Khewat No 98 Khatoni No 131 to 134 Khasra No 93/3 92/18 19 22 23 92/14/2 92/16	—	Not known / Not Known	—	Religious	—	—	Under the management of the Secretary Pb of Wakf Board Ex Officio Mutawalli	
				K-M 8-00 7-11 8-00 8-00 1-05 32-16	Khewat No 219 Khatoni No 312 to 314 Kh No 79/23 92/17 24 25 94/4/2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Khewat No. 443 Khatoni No. 597 & 598								
				K-M	Kh. No.								
				8-00	79/22								
				4-09	17/2								
				5-07	18/2								
				4-18	19/2								
				7-16	21								
				30-10									
					Khewat No. 512 Khatoni No. 686 & 687								
				K-M	Kh. No.								
				10-12	93/2								
				9-13	8								
				9-13	8								
				3-00	9								
				3-08	78/25								
				26-13									
				Total=129 Kls—5 Mls Ka Rs. Share=64Kls.—12									
—Do—		—Do—	—Do—		Khewat No. 249 Khatoni No. 347.	—	—Do—	—	—Do—	—	—	—Dc—	
				K-M	Kh. No.								
				1-10	94/4/1								
				6-00	5								
				7-10									
Khanqa shah Boo-Ali Shah Qalander.		—Do—	—Do—		Khewat No. 122/136 Khatoni No. 160	—	—Do—	—	—Dc—	—	—	—Dc—	
				K-M	Kh. No.								
				10-11	9/8								
				5-16	9/1								
				16-07									

Secretary,
Punjab Wakf board
Ambala Cantt.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981